

Hkj r ds
fu; æd&egkys[ki jhkd dk
31 ekpZ2016 dksl ekR o"Zdsfy,
l lekt d] l lekt, , oavkfkZl {ks=
½S&l koZ fud {ks= mi Øe½
ij izronu

jK'Vfr jkt èkkuh{ks= fnYyhl jdkj
वर्ष 2017 की प्रतिवेदन सं. 1

fo"k l ph

fooj.k	l nH	
	iJkxkQ	i"B l a
iHdFlu		v
fogxloykdu		vii - xiv
vè; k -I: iLrkouk		
बजट रूपरेखा	1.1	1
रा.रा.क्षे.दि.स. के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.2	1
निरंतर बचतें	1.3	2
भारत सरकार (भा.स.) से सहायता अनुदान	1.4	2
लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन	1.5	3
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया	1.6	4
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां	1.7	4
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया में कमी	1.8	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.9	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिए गए निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा पैराग्राफों के वर्ष-वार विवरण	1.10	5
vè; k -II: fu"i knu yq kki jhkk		
f' kkk foHkk		
बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयन	2.1	7
[kk] l j{kk foHkk		
दिल्ली में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन	2.2	29
LoLF; , oai fjokj dY; k k foHkk		
दिल्ली में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का उन्नयन	2.3	48
Je foHkk		
श्रम विभाग द्वारा उद्योगों में श्रम तथा सुरक्षा कानूनों का कार्यान्वयन	2.4	65

vè; k; -III: vuq kyuk yq ki jhkk		
f' kkk foHkx		
₹ 1.09 करोड़ का परिहार्य व्यय	3.1	83
xg foHkx		
अपव्यय तथा निधियों का अवरोधन	3.2	84
l yuq i k kxch foHkx		
लोक सेवा कानून के अधिकार का कार्यान्वयन	3.3	86
Je foHkx		
टी.डी.एस. की वापसी का दावा न करना	3.4	94
अधिशेष बकायों की प्रभावी निगरानी की कमी	3.5	95
अधिक मांग के प्रक्षेपण के कारण हानि	3.6	96
ykd fuekZk foHkx		
लोक निर्माण विभाग में परियोजनाओं का कार्यान्वयन	3.7	97
अधिनियम में निर्धारित समयसीमा के अंदर मध्यस्थ अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील करने में असफलता	3.8	111
i f' kkk , oarduhdh f' kkk foHkx		
तकनीकी संस्थानों में आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाओं का विकास तथा आधुनिकीकरण	3.9	113
'lgjh fodkl foHkx		
नियमों के विपथन में एकमुश्त करार में मूल्य विभेद खण्ड का सम्मिलन	3.10	117
संशोधित बहिष्प्रवाही जल की लागत की गैर-वसूली	3.11	119
भूमि में व्यर्थ निवेश	3.12	120
[kk] vki v , oami Hk k ekeys foHkx		
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा	3.13	121

vuyXud

vuyXud l a	fooj.k	l aHZ	
		i\$ktQ	i"B l a
2.1.1	चयनित नमूने में नामांकित तथा पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों का विवरण	2.1.2 (ख)	135
2.1.2	सरकारी, सहायता प्राप्त तथा प्राइवेट स्कूलों के कक्षा-I में नामांकन	2.1.4.1	135
2.1.3	स्कू.ब.ब. (2010-16) हेतु बजट प्रावधान तथा वास्तविक व्यय	2.1.4.2 (i)	135
2.1.4	दिव्यांग बच्चों के परिवहन हेतु बजट तथा व्यय	2.1.4.3	136
2.1.5	गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में क.व.अ.गु. बच्चों का नामांकन (शि.नि.)	2.1.4.4	136
2.1.6	प्रा.शि.सा.मि. द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण	2.1.4.5 (ख)	136
2.1.7	स्कूल के लिए मानक एवं मानदंड	2.1.5	137
2.1.8	2010-16 के दौरान अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भौतिक लक्ष्य, प्राप्ति, बजट तथा व्यय	2.1.5.2	137
2.2.1	अतिरिक्त तकनीकी/सहायक स्टाफ की आवश्यकता	2.2.3.2 (ख)	138
2.2.2 क	लाइसेंस जारी करने में विलंब	2.2.3.3	138
2.2.2 ख	आर.सी. जारी करने में विलंब	2.2.3.3	139
2.2.3	खाद्य नमूने जिनकी खाद्य सुरक्षा पैरामीटरों से जांच नहीं की गई	2.2.4.2 (ख)	139
2.2.4	शिकायतों के निवारण में विलंब	2.2.5.1 (i)	146
2.2.5	खा.व्या.सं. के आवेदनों की स्थिति का गैर-अद्यतन	2.2.6.2	146
2.3.1	बजट आवंटन एवं व्यय	2.3.2	147
2.3.2	15 मामले जहां भूमि को निःशुल्क अधिग्रहित किया गया	2.3.3.1	148
2.3.3	15 मामले जहां भूमि क्रय की गई	2.3.3.1	149
2.3.4	मार्च 2016 को अस्पतालों में स्टाफ की स्थिति	2.3.5.1	150
2.3.5	अस्पतालों में रोगी काउंटर का अनुपात	2.3.5.3	150

वृत्त क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.	
		क्र.सं.	पृष्ठ सं.
2.4.1	रा.रा.क्षे.स. दिल्ली द्वारा लागू श्रम कानूनों की सूची	2.4.1	151
2.4.2	औद्योगिक विवादों का वर्ष-वार ब्यौरा (2011-16)	2.4.3.2 (ख)	152
2.4.3	श्रम न्यायालयों/औद्योगिक ट्रिब्यूनल को विवादों के संदर्भ भेजने में विलंब	2.4.3.3 (ख)	152
2.4.4	प्रधान नियोक्ता का पंजीकरण एवं ठेकेदार को जारी लाइसेंस	2.4.4.1	152
2.4.5	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत लंबित मामले	2.4.5	153
2.4.6	मामलों को अंतिम रूप देने में लिया गया समय	2.4.5	153
2.4.7	निरीक्षण की अपर्याप्तता	2.4.5	153
2.4.8	निदेशालय द्वारा किए गए निरीक्षणों का वर्ष-वार ब्यौरा	2.4.7.2	154
2.4.9	प्राप्त शिकायतें, नई पंजीकृत फैक्ट्रियां एवं वास्तव में किए गए निरीक्षण	2.4.7.2	154
2.4.10	फैक्ट्रियों को लाइसेंस जारी किए जाने में लिया गया समय	2.4.7.3	154
2.4.11	उपकर पर ब्याज का कम संग्रहण	2.4.8 (ख)	155
3.3.1	सेवा-वार अनुमत दिनों एवं ई-एस एल ए के अंतर्गत अधिसूचना की तिथि का विवरण	3.3	156
3.3.2	ई-एस एल ए पर प्राप्त एवं अपलोड किए गए आवेदनों का विवरण	3.3.1.2 (i)	157
3.3.3	क्षतिपूर्ति लागत की गैर अदायगी तथा वसूली एवं सेवाओं की सुपुर्दगी में विलंब	3.3.3	158
3.7.1	बढ़ा हुआ विस्तृत अनुमान	3.7.2.2	160
3.7.2	अतिरिक्त कार्य का अनियमित समावेशन	3.7.3.5	161
3.7.3	कार्यों की गैर-समाप्ति/विलंब	3.7.4	162
3.13.1	रा.खा.सु. अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के बाद की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां जहां विभाग द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी	3.13.1.1	165

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के सेक्शन 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में रखने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालना लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 2015-16 के दौरान लेखों की जांच से लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए, साथ ही वे मामले हैं जो उसके पूर्व के वर्षों में पता चले परंतु जिन्हें पिछली रिपोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। 2015-16 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी जहां आवश्यक थे, सम्मिलित किए गए हैं।

इस लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (मार्च 2002) के अनुरूप किया गया है।

fogakoykdu

fog&kykdu

इस प्रतिवेदन में चार निष्पादन लेखापरीक्षाएं यथा (i) बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयन (ii) 'दिल्ली में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006,' का कार्यान्वयन (iii) 'दिल्ली में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का उन्नयन,' और (iv) श्रम विभाग द्वारा उद्योगों में श्रम तथा सुरक्षा कानूनों का कार्यान्वयन और परिहार्य/व्यर्थ व्यय, अधिक भुगतान, अतिरिक्त अधिशेष की निगरानी के अभाव, धन वापसी का दावा न करने, करार के नियमों/प्रावधानों से विचलन, वसूली न होने और व्यर्थ निवेश से संबंधित 12 पैराग्राफ हैं जिनका वित्तीय महत्व ₹ 336.87 करोड़ है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) का कुल व्यय 2011-16 के दौरान ₹ 25,314.54 करोड़ से 33.36 प्रतिशत बढ़कर ₹ 33,760.34 करोड़ हो गया जबकि राजस्व व्यय 2011-12 में ₹ 17,964.85 करोड़ से 46.63 प्रतिशत बढ़कर 2015-16 में ₹ 26,342.55 करोड़ हो गया। गैर-योजनागत राजस्व व्यय 2011-16 की अवधि के दौरान ₹ 11,524.00 करोड़ से 55.88 प्रतिशत बढ़कर ₹ 17,963.23 करोड़ और पूंजीगत व्यय ₹ 4,004.27 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,723.47 करोड़ हो गया।

इस प्रतिवेदन में जिन प्रमुख प्राप्तियों का विवरण है, उनमें से कुछ का सार नीचे प्रस्तुत है।

fu"i knu ys{ kki jhkk

cPpla dks fu%kyd , oa vfuok; Zf' kkk ds vfkdkj dk vfkfu; e| 2009 dk dk; kb; u

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का अधिनियम, 2009 (शि.का.अ. अधिनियम) 6-14 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। 2010-16 की अवधि को कवर करते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा में खराब योजना एवं तैयारी, लगातार रिक्तियां तथा साथ ही निधियों के विलंब से जारी होने और इसकी उपयोगिता में विलंब के कारण अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन प्रभावित हुआ।

- दिल्ली में शि.का.अ. अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सरकार की प्रभावी योजना का अभाव था। निकटवर्ती स्कूलों को निर्धारित करने व स्थापित करने के उद्देश्य हेतु जन्म से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के आंकड़े एकत्र करने और रखने तथा उसे स्कूलों की मैपिंग के साथ लिंक करने का घरेलू सर्वेक्षण पूरा नहीं किया गया। ऐसे महत्वपूर्ण आंकड़ों के अभाव में सरकार के लिए स्कूल में, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करना संभव नहीं था। रा.रा.क्षे.दि.स. तथा स्थानीय निकायों द्वारा बच्चों के नामांकन हेतु किन्हीं निश्चित लक्ष्यों को नियत नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 2.1.2 (क))

- केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा निदेशालय द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण मिशन (प्रा.शि.सा.मि.) को निधियां विलंब से और कम जारी की गई थीं। 2010-16 के दौरान परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रा.शि.सा.मि. को ₹ 1,115.72 करोड़ के अनुमोदन के प्रति केवल ₹ 647.48 करोड़ उपलब्ध कराया गया। उसी अवधि में प्रा.शि.सा.मि. ने वास्तव में केवल ₹ 534.29 करोड़ खर्च किया।

(पैराग्राफ 2.1.3.1)

- सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा-1 में नामांकन 2010-11 में 2,04,884 से 23 प्रतिशत कम होकर 2015-16 में 1,56,911 हो गए जबकि 2010-16 के दौरान कुल नामांकन (प्राइवेट स्कूलों को शामिल कर) के संबंध में लगभग स्थिर स्थिति रही जो उसी अवधि के दौरान दिल्ली की जनसंख्या में वृद्धि के अनुरूप नहीं थी।

(पैराग्राफ 2.1.4.1)

- बच्चों को विशेष प्रशिक्षण से संबंधित एवं दिव्यांग बच्चों या कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी ग्रुप के बच्चों के लिए प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया। निदेशालय के गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों ने 1,45,142 सीटों के विरुद्ध कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी ग्रुप से संबंधित केवल 90,262 बच्चों को दाखिला दिया जोकि 2011-16 के दौरान उनके लिए आरक्षित की जानी चाहिए थी।

(पैराग्राफ 2.1.4.2, 2.1.4.3 एवं 2.1.4.4)

- आधारभूत ढांचे में वृद्धि की आवश्यकता के बावजूद, अतिरिक्त कक्षाएं एवं शौचालयों के निर्माण हेतु प्रा.शि.सा.मि. को 2015-16 के दौरान ₹ 18.29 करोड़ स्वीकृत किया गया जो जून 2016 तक बिना उपयोग के रहा जबकि कक्षाएं, हॉल, शौचालयों एवं बाहरी दीवारों के निर्माण के 69 से 81 प्रतिशत कार्य उत्तरी एवं दक्षिणी नगर निगमों में कार्यान्वित नहीं हुए।

(पैराग्राफ 2.1.4.5 (ख एवं ग))

- निदेशालय के स्कूलों में जुलाई 2016 तक शिक्षकों तथा लाइब्रेरियन के 38,916 संस्वीकृत पदों में से 8,579 पद (22 प्रतिशत) रिक्त थे।

(पैराग्राफ 2.1.5.1)

- दिल्ली नगर निगमों (दि.न.नि.) के 34 चयनित स्कूलों के सभी बच्चों को यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें तथा लेखन सामग्री वितरित नहीं की गई थीं और जहां जारी की गई वे भी विलंब से की गईं। दि.न.नि. के सहायता प्राप्त स्कूलों के किसी भी विद्यार्थी को यूनिफॉर्म और लेखन सामग्री जारी नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 2.1.5.4 (क एवं ख))

- शि.का.अ. अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु अधिनियम के अधीन परिकल्पित किया गया संस्थागत तंत्र गैर प्रभावी था क्योंकि विभिन्न सलाहकारी एवं निगरानी समितियां या तो संस्थापित नहीं हुई या उन्होंने नियमित बैठकें नहीं की।

(पैराग्राफ 2.1.6)

देश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का प्रावधान करता

देश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का प्रावधान करता है। अगस्त 2011 से मार्च 2016 की अवधि को कवर करते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा, अधिनियम को लागू करने में कमजोर विनियामक तथा प्रशासनिक तंत्र को प्रकट करती है। अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की गैर अनुपालना खाद्य की गुणवत्ता के साथ समझौता करना है, जो कि जन सामान्य के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से खतरे में डालता है।

- विभाग ने न तो खाद्य व्यापार संचालकों की पहचान करने के लिये सर्वेक्षण कराया न ही खाद्य व्यापार संस्थापनों के आंकड़ों का रखरखाव किया। जन उपभोग मदों में लगे बहुत से खाद्य व्यापार संचालक अधिनियम के अंतर्गत कवर होने से रह गए।

(पैराग्राफ 2.2.2.2 एवं 2.2.2.3)

- राज्य खाद्य प्रयोगशाला ने वर्ष 2012 में दो वर्षों के लिए परीक्षण और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का प्रत्यायन प्राप्त किया। मार्च 2014 के बाद प्रत्यायन का नवीनीकरण नहीं हो सका क्योंकि तकनीकी स्टाफ और आवश्यक उपकरणों के अभाव के कारण उन्नयन नहीं हो सका।

(पैराग्राफ 2.2.3.2 (क) एवं 2.2.3.2(ख))

- खाद्य व्यापार संचालकों को लाइसेंस तथा पंजीकरणों को जारी करने में विलंब हुआ। 1,914 लाइसेंस तथा 12,200 पंजीकरण प्रमाणपत्रों की गैर-नवीनीकरण के कारण समय सीमा समाप्त हो गई।

(पैराग्राफ 2.2.3.3 एवं 2.2.3.4)

- 97 प्रतिशत मामलों में कोई निरीक्षण नहीं किया गया। उठाए गए नमूने बहुत कम अर्थात् 49,796 लाइसेंस प्राप्त खाद्य संस्थापनों से चार प्रतिदिन की दर से थे। विभाग ने खाद्य नमूने उठाने हेतु कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया। खाद्य नमूनों को निर्धारित पैरामीटरों के लिए संपूर्णता की जांच किए बिना खाद्य सुरक्षा मानकों के समानुरूप घोषित कर दिया गया।

(पैराग्राफ 2.2.4.1 एवं 2.2.4.2)

- विभाग ने अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग हेतु इसके आंतरिक आदेशों के साथ अनुपालन को मॉनीटर नहीं किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को फील्ड ड्यूटी के आवंटन हेतु दैनिक डायरियों, शिकायत सुधार हेतु निर्धारित प्रपत्रों में शिकायत रजिस्ट्रों तथा विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की निगरानी हेतु प्रगति रजिस्ट्रों के गैर अनुरक्षण ने कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाया।

(पैराग्राफ 2.2.6.1)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की व्यवस्था

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की व्यवस्था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (स्वा.प.क.वि.) द्वारा की जाती है। 2010-16 की अवधि को शामिल करते हुए "दिल्ली में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के उन्नयन" की निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि रा.रा.क्षे. दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए योजनाओं तथा परियोजनाओं को जिनमें कमजोर प्लानिंग तथा कार्यान्वयन था जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं के फलीभूत होने में विलंब हुआ तथा जरूरतमंद मरीजों को अभीष्ट लाभ प्राप्त नहीं हुए।

- स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (स्वा.से.नि.) ने 2007-16 के दौरान ₹ 14.26 करोड़ की लागत पर नई स्वास्थ्य सुविधाओं की 30 परियोजनाओं के लिए 77,558.35 वर्ग मी. भूमि का कब्जा लिया तथा चारदीवारी, बाड़ लगाने, प्रवेश द्वार, सुरक्षा पर ₹ 3.28 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया, परन्तु अगस्त 2016 तक इनमें से किसी भूखण्ड का प्रयोग नहीं किया।

(पैराग्राफ 2.3.3.1)

- यद्यपि, प्रस्तावित 2,575 बिस्तर क्षमता वाले नए अस्पतालों की 11 अन्य परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों का निर्धारण कर लिया गया था, तथापि इसमें कोई ज्यादा प्रगति नहीं हुई थी। स्वा.से.नि. ने भूमि लागत, चारदीवारी, सुरक्षा के प्रति इन परियोजनाओं पर ₹ 17.06 करोड़ का व्यय किया था।

(पैराग्राफ 2.3.3.2)

- ₹ 72.07 करोड़ की लागत पर निर्मित गुरु तेग बहादुर अस्पताल का मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य (मा.बा.स्वा.) तथा डायबिटीज, इंडोक्राइन तथा मेटाबोलिक (डा.ए.मे.) ब्लॉक पूरा होने के 2-4 वर्षों के बाद भी स्टाफ की कमी, चिकित्सीय गैस पाईपलाइन के गैर-संस्थापन तथा आवश्यक उपकरणों की खरीद में देरी के कारण, पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं किया जा सका। स्टाफ की भर्ती न किए जाने तथा उपकरणों के अभाव के कारण राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल तथा जनकपुरी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के पूरा होने के चार से आठ वर्षों बाद भी पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं हुआ।

(पैराग्राफ 2.3.4.3, 2.3.4.4 एवं 2.3.4.5)

उद्योगों में श्रम कानूनों तथा सुरक्षा उपायों को लागू करने में विभाग के निष्पादन का आकलन

उद्योगों में श्रम कानूनों तथा सुरक्षा उपायों को लागू करने में विभाग के निष्पादन का आकलन करने की दृष्टि से 2011-16 की अवधि को कवर करते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा मई 2016 से सितंबर 2016 तक की गई। लेखापरीक्षा में प्रकट किया गया कि अधिनियमों के प्रावधानों के कर्मठ अनुपालन तथा प्रवर्तन के अभाव ने औद्योगिक विवादों के शीघ्र तथा उचित समाधान को सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मानदंडों की शर्तों

में श्रमिकों के यथार्थ हितों की रक्षा तथा शोषण से उनकी रक्षा के मूल उद्देश्य की प्राप्ति का कोई आश्वासन नहीं दिया।

- औद्योगिक विवादों के लिए समाधान एवं विवाद सुधार तंत्र न तो पूरी तरह से गठित किया गया न ही सक्रिय था। निर्माण कार्य समितियां नहीं बनाई गई थीं।

(पैराग्राफ 2.4.3.1)

- समाधान अधिकारियों द्वारा समाधान प्रक्रियाओं को आरंभ करने में एक से 121 दिन की रेंज में विलंब था तथा 891 मामलों में समाधान प्रक्रियाओं को पूरा करने में भी 14 दिन की निर्धारित अवधि से अधिक विलंब था।

(पैराग्राफ 2.4.3.2(क))

- अधिनिर्णयों के प्रकाशन तथा कार्यान्वयन में विलंब थे। 45 प्रतिशत अधिनिर्णय तीन महीने से छः महीने से अधिक तक के विलंब से प्रकाशित किए गए।

(पैराग्राफ 2.4.3.3(घ))

- अधिनिर्णयों का प्रवर्तन तथा श्रमिकों के नियोक्ताओं से बकायों की वसूली अपर्याप्त थी। 2011-16 (अप्रैल) के दौरान जारी कुल ₹ 36.32 करोड़ के 1,245 वसूली प्रमाणपत्रों में से 379 मामलों में ₹ 4.46 करोड़ की वसूलियां लंबित थीं।

(पैराग्राफ 2.4.3.3 (च))

- विभाग ने संगठनों/ठेकेदारों का आवधिक सत्यापन पूरा नहीं किया जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे पंजीकृत थे तथा उनके पास संविदा श्रम अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस थे। निरीक्षण योजनाबद्ध तरीके से नहीं किए गए तथा संविदा श्रम के शोषण की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदनों पर अनुपालना कार्रवाई पर्याप्त नहीं थी।

(पैराग्राफ 2.4.4.1)

- 55 में से 54 मामलों में फैक्ट्री लाइसेंस यह सुनिश्चित किए बिना प्रदान किए गए कि क्या फैक्ट्रियों ने स्वास्थ्य तथा सुरक्षा नीति तैयार की थी।

(पैराग्राफ 2.4.7.4)

- भवनों के निर्माण में उपकरण मामलों का निर्धारण सभी लागत घटकों पर विचार किए बिना किया गया। कुल ₹ 1.53 करोड़ का उपकरण एवं उस पर ब्याज का कम उद्ग्रहण तथा एकत्रण हुआ था।

(पैराग्राफ 2.4.8(ख))

vuq kyuk yq lki jhkk

₹ 1.09 djkm+dk ifjgk ZQ ;

शिक्षा निदेशालय सहायक सेवाओं के लिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा सेवा कर के भुगतान में छूट से संबंधित अधिसूचना को संज्ञान में लेने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप एक फर्म को ₹ 1.09 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.1)

vi Q ; rFkk fufek l adk vojleku

हब में संयोजन हेतु स्थान सुनिश्चित किए बिना सेटेलाइट फोन का क्रय करने और चिकित्सा अधिकारी की सेवा सुनिश्चित किए बिना एंबुलेंस की खरीद करने के परिणामस्वरूप ₹ 59.08 लाख की राशि का अपव्यय और अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ 3.2)

yk d l ok dkuw dsvfekdkj dk dk kzo; u

लोक सेवा कानून के अधिकार का कार्यान्वयन धीमा था क्योंकि सभी अधिसूचित सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक सर्विस लेवल एग्रीमेंट (ई-एस.एल.ए.) के पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई थी तथा जहां अपलोड की गई थी, वह अधूरी एवं गलत थी। आवेदकों को सेवाओं की विलंब से सुपुर्दगी की क्षतिपूर्ति या कीमत का भुगतान करने के लिए सक्षम अधिकारियों को आ.सं.अ. की शक्तियां प्रदान नहीं की गई थी। सेवाओं की समयबद्ध सुपुर्दगी के लिए प्रत्येक स्तर पर समयसीमा निर्धारित नहीं की गई थी। यद्यपि सेवाएं देरी से प्रदान की गईं, न तो आवेदकों को क्षतिपूर्ति लागत का भुगतान हुआ और न ही चूककर्ता, सरकारी कर्मचारियों पर जुर्माना हुआ। नकद प्रोत्साहन के द्वारा सक्षम कर्मचारी के प्रोत्साहन के लिए या जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए चूककर्ता अधिकारियों की पहचान हेतु कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई।

(पैराग्राफ 3.3)

VhMh, l - dh oki l h dk nkok u djuk

आयकर रिटर्न को फाइल करने तथा बैंकों द्वारा स्रोतों पर काटे गये कर (टी.डी.एस.) की वापसी का दावा करने में दिल्ली भवन व अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (दि.भ.अ.नि.श्र.क.बो.) की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 15.95 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ तथा इसके फलस्वरूप ₹ 2.73 करोड़ के ब्याज की हानि हुई, जिसे अर्जित किया जा सकता था यदि टी.डी.एस. की वापसी का समय से दावा किया गया होता तथा इसे बैंक में फिक्सड डिपॉजिट किया गया होता।

(पैराग्राफ 3.4)

वर्ष 2017-18 के दौरान निधियों के हस्तान्तरण में प्रभावी निगरानी की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.74 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

बोर्ड के जिला खाते से मुख्य खाते में निधियों के हस्तान्तरण में प्रभावी निगरानी की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.74 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ 3.5)

दि.भ.अ.नि.श्र.क.बो. ने 20 मोबाइल वैन औषधालयों की मांग प्रक्षेपित की जबकि 10 अनुमोदित थे तथा उसके पश्चात उनकी उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ₹ 4.24 करोड़ जारी किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.15 करोड़ के ब्याज की हानि हुई जिसे बोर्ड ₹ 2.07 करोड़ की अव्ययित राशि के निवेश द्वारा अर्जित कर सकता था।

दि.भ.अ.नि.श्र.क.बो. ने 20 मोबाइल वैन औषधालयों की मांग प्रक्षेपित की जबकि 10 अनुमोदित थे तथा उसके पश्चात उनकी उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ₹ 4.24 करोड़ जारी किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.15 करोड़ के ब्याज की हानि हुई जिसे बोर्ड ₹ 2.07 करोड़ की अव्ययित राशि के निवेश द्वारा अर्जित कर सकता था।

(पैराग्राफ 3.6)

लो.नि.वि. ने परियोजनाओं के वास्तविक निष्पादन से पहले उनकी योजना और डिजाइन में पर्याप्त प्रयास और समय नहीं लगाया, जिसके परिणामस्वरूप बढ़ा हुआ विस्तृत अनुमान, ड्राईंग्स और डिजाइनों का संशोधन तथा निर्माण कार्यों के सौंपे जाने के पश्चात् अतिरिक्त मर्दों/निष्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई। यहां निर्माण कार्यों को पूर्ण किए जाने में विलंब तथा विलंब से किए गए निर्माण कार्यों में क्षतिपूर्ति का उद्ग्रहण नहीं हुआ। लो.नि.वि. परामर्शदाताओं के साथ किए गए करारों में मात्राओं के आकलन में आई विभिन्नताओं के लिए दांडिक धारा सम्मिलित करने में असफल रहा तथा संविदात्मक प्रावधानों के बावजूद निर्माण कार्यों के लिए ड्राईंग्स की आपूर्ति किए जाने में विलंब हेतु परामर्शदाताओं पर क्षतिपूर्ति उद्ग्रहण नहीं की गई। लागत विचरण परिकलित करते समय आधार मूल्य को गलत अपनाने और मात्राओं को गलत लेने के परिणामस्वरूप करार की धारा 10 सी ए के अंतर्गत गैर/लघु अदायगी की वसूलियां हुई। इन कमियों में ₹ 241.20 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ थे।

लो.नि.वि. ने परियोजनाओं के वास्तविक निष्पादन से पहले उनकी योजना और डिजाइन में पर्याप्त प्रयास और समय नहीं लगाया, जिसके परिणामस्वरूप बढ़ा हुआ विस्तृत अनुमान, ड्राईंग्स और डिजाइनों का संशोधन तथा निर्माण कार्यों के सौंपे जाने के पश्चात् अतिरिक्त मर्दों/निष्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई। यहां निर्माण कार्यों को पूर्ण किए जाने में विलंब तथा विलंब से किए गए निर्माण कार्यों में क्षतिपूर्ति का उद्ग्रहण नहीं हुआ। लो.नि.वि. परामर्शदाताओं के साथ किए गए करारों में मात्राओं के आकलन में आई विभिन्नताओं के लिए दांडिक धारा सम्मिलित करने में असफल रहा तथा संविदात्मक प्रावधानों के बावजूद निर्माण कार्यों के लिए ड्राईंग्स की आपूर्ति किए जाने में विलंब हेतु परामर्शदाताओं पर क्षतिपूर्ति उद्ग्रहण नहीं की गई। लागत विचरण परिकलित करते समय आधार मूल्य को गलत अपनाने और मात्राओं को गलत लेने के परिणामस्वरूप करार की धारा 10 सी ए के अंतर्गत गैर/लघु अदायगी की वसूलियां हुई। इन कमियों में ₹ 241.20 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ थे।

(पैराग्राफ 3.7)

लो.नि.वि. द्वारा निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित समयसीमा के अंदर एक मध्यस्थ अधिनिर्णय को चुनौती देने में विफलता के परिणामस्वरूप आवेदन अस्वीकृत हो गया तथा ₹ 14.92 करोड़ के भुगतान को रोकने के मामले में प्रतिवाद का अवसर खो दिया।

लो.नि.वि. द्वारा निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित समयसीमा के अंदर एक मध्यस्थ अधिनिर्णय को चुनौती देने में विफलता के परिणामस्वरूप आवेदन अस्वीकृत हो गया तथा ₹ 14.92 करोड़ के भुगतान को रोकने के मामले में प्रतिवाद का अवसर खो दिया।

(पैराग्राफ 3.8)

विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या के साथ ही संस्थान आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाओं

विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या के साथ ही संस्थान आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाओं

जैसे कक्षाओं, छात्रावास, प्रयोगशालाओं इत्यादि की कमी से जूझ रहे थे। यद्यपि, बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए परियोजना समय से आगे नहीं बढ़ सकी जिससे विद्यार्थियों को लाभ नहीं प्राप्त हो सके साथ ही लागत वृद्धि को भी कम नहीं किया जा सका। विश्व स्तरीय कौशल केन्द्र की परियोजना निर्धारित समय सीमा से पीछे चल रही थी जबकि दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (दि.प्रौ.वि) अत्यावश्यक आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाओं के निर्माण को शुरू करने व तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम को लागू करने में असफल रहा। नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (ने.सु.प्रौ.सं.) में लिफ्ट के प्रतिष्ठापन की परियोजना तथा दिल्ली औषधीय विज्ञान तथा अनुसंधान संस्थान (दि.औ.वि.अ.सं.) के पी जी ब्लॉक के निर्माण के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलंब के परिणामस्वरूप लागत में ₹ 22.29 करोड़ की वृद्धि हुई।

(पैराग्राफ 3.9)

सक्षम प्राधिकारी के विशेष अनुमोदन के बिना एकमुश्त करार में मूल्य विभेद खण्ड के सम्मिलन के परिणामस्वरूप ₹ 10.22 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 3.10)

दिल्ली जल बोर्ड भलस्वा के गोल्फ कोर्स में संशोधित बहिष्प्रवाही जल (सं.ब.ज.) की आपूर्ति के पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ कोई भी करार करने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2004 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान आपूर्ति किए गये सं.ब.ज. के लागत के रूप में ₹ 3.95 करोड़ की गैर वसूली हुई।

(पैराग्राफ 3.11)

श.वि.वि. की ओर से ठोस निर्णय लेने में निरुत्साही रवैये के कारण 3.78 एकड़ की एक भूमि, जहां ₹ 2.86 करोड़ का निवेश किया गया था, 15-16 वर्षों से व्यर्थ पड़ी थी, जिससे यमुना पार क्षेत्र के निवासी वांछित सुविधाओं से वंचित रहे।

(पैराग्राफ 3.12)

t ; k -I
iŁrkouk

वै; क -I i Lrkouk

1-1 ct V : ijskk

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के अधीन 66 विभाग तथा 74 स्वायत्त निकाय कार्यशील हैं। 2011-16 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रति बजट अनुमानों एवं वास्तविकताओं की स्थिति को rkydk 1-1 में दिया गया है:

rkydk 1-1%2011&16 dsnkku jkjk-ksfn-l - dk ct V , oaQ ;

¼ djkm-e½

fooj.k	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	ct V vuøku	okLrfod	ct V vuøku	okLrfod	ct V vuøku	okLrfod	ct V vuøku	okLrfod	ct V vuøku	okLrfod
jkt Lo Q ;										
सामान्य सेवाएं	1,589.55	4,347.23	3,128.74	5,738.57	5,792.69	5,597.48	6,763.15	5,983.40	7,055.66	6,427.12
सामाजिक सेवाएं	11,567.05	10,717.11	12,616.68	11,737.43	13,134.81	12,314.54	14,800.52	13,306.11	16,193.02	14,817.83
आर्थिक सेवाएं	2,253.06	2,172.22	2,611.64	2,350.82	3,783.08	3,650.00	3,573.12	3,318.99	4,302.65	4,138.71
सहायता अनुदान एवं अंशदान	736.23	728.29	833.77	832.53	804.50	804.50	900.99	900.99	958.89	958.89
dy (1)	16,145.89	17,964.85	19,190.83	20,659.35	23,515.08	22,366.52	26,037.78	23,509.49	28,510.22	26,342.55
iwlkr Q ;										
पूंजीगत परिव्यय	4,209.53	4,004.27	4,835.80	4,176.63	4,889.22	4,707.42	4,937.41	4,403.94	5,308.25	4,723.47
वितरित ऋण एवं अग्रिम	3,404.58	3,345.42	4,082.37	3,734.83	5,694.00	5,652.37	2,138.06	1,679.94	2,711.35	2,684.32
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1,090.00	1,087.88	1,288.00	1,287.99	1,325.29	1,325.29	1,676.75	1,346.73	1,435.18	1,435.17
आकस्मिक निधि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.00
लोक लेखों का संवितरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अंतिम रोकड़ शेष	0	4,636.28	0	1,985.75	0	880.65	0	1,517.07	0	3,654.94
dy (2)	8,704.11	13,073.85	10,206.17	11,185.20	11,908.51	12,565.73	8,752.22	8,947.68	9,454.78	12,507.90
dy ; ks (1+2)	24,850.00	31,038.70	29,397.00	31,844.55	35,423.59	34,932.25	34,790.00	32,457.17	37,965.00	38,850.45

स्रोत: रा.रा.क्षे.दि.स. के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त लेखे

1-2 jkjk-ksfn-l - ds l d leku dk vuqz ks

रा.रा.क्षे.दि.स. का कुल व्यय¹ 2011-16 के दौरान ₹ 25,314.54 करोड़ से 33.36 प्रतिशत बढ़कर ₹ 33,760.34 करोड़ हो गया, जबकि राजस्व व्यय 2011-12 के ₹ 17,964.85 करोड़ से 46.63 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में ₹ 26,342.55 करोड़ हो गया। 2011-16 की अवधि के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय ₹ 11,524.00 करोड़ से 55.88 प्रतिशत बढ़कर ₹ 17,963.23 करोड़ हो गया तथा पूंजीगत व्यय ₹ 4,004.27 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,723.47 करोड़ हो गया।

¹लोक ऋण तथा रोकड़ शेष के पुनर्भुगतान को छोड़कर

कुल व्यय के संघटक के रूप में राजस्व व्यय 2011-12 में 70.97 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 78.03 प्रतिशत हो गया जबकि पूंजीगत व्यय 15.82 प्रतिशत से घटकर 13.99 प्रतिशत हो गया। 2011-16 की अवधि के दौरान कुल व्यय 6.85 प्रतिशत की एक वार्षिक औसत दर से बढ़ गया जबकि राजस्व प्राप्तियां 7.43 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर पर बढ़ी।

1-3 fuja; cpra

पिछले पांच वर्षों के दौरान चार मामलों में ₹1.00 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें थीं जैसाकि rkydk-1-2 में दिया गया है:

rkydk-1-2 2011-16 ds nksku fuja; cpra ds l kfk vuqku dh l ph

₹ djM-e

Ø-la	vuqku l d; k , oaule	cpr dh jk' k				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
jkt Lo&hñeñk½						
1.	vuqku l d; k 3%U; k dk izkkl u% 2014 बी.1(2)(1)-न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय	8.69	5.00	6.04	8.05	15.29
2.	vuqku l d; k 7%fpfdRl krFkt u LokF; % 2211 ds 1 %/1%&शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (सी.एस.एस.)	7.45	1.93	3.50	9.21	8.71
3.	vuqku l d; k 11% 'lgjh fodkl rFk ykd fuekZk foHkx% 2217 ए.8(2)(1)(26)-नगर सुधार के लिए सहायता अनुदान	300.93	189.87	325.16	157.12	377.16
i w hxr hñeñk½						
4.	vuqku l d; k 8% l ekt dY; k l% 5055 डीडी.1(3)(1)-परिवहन के वैकल्पिक साधन-इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली बसों की शुरुआत	240.75	8.39	97.21	3.00	11.00

स्रोत: विनियोग लेखे

इन शीर्षों के अंतर्गत निरंतर बचतें दावों/बिलों की कम प्राप्ति, भंडार मदों की कम खरीद, भारत सरकार (भा.स.) से निधियों की गैर-प्राप्ति, दिल्ली नगर निगम को अनुदान की गैर/कम अदायगी, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन/सहमति की विलंब से प्राप्ति, योजनाओं का गैर-कार्यान्वयन तथा आवंटित निधियों के उपयोग में लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) की असमर्थता के कारण थी।

1-4 Hkjr ljdkj Hkkl -½l sl gk rk vuqku

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान rkydk-1-3 में दिए गए हैं:

रक्यदक 1-3 %Hkj r ljdkj l sl gk rk vuqku dso"lkzokj fooj.k

₹ djM-e

fooj.k	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
गैर-योजनागत अनुदान	978.85	333.57	326.91	327.95	2,905.02
राज्य योजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	814.76	919.73	717.81	1,467.35	486.72
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान	167.03	249.22	358.14	552.84	866.55
; kx	1,960.64	1,502.52	1,402.86	2,348.14	4,258.29
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता	(-) 55.00	(-) 23.37	(-) 6.63	(+) 67.38	(+) 81.35
राजस्व प्राप्तियां	22,393.17	25,560.97	27,980.69	29,584.59	34,998.85
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	8.76	5.88	5.01	7.94	12.17

भा.स. से सहायता अनुदान ने 2011-14 के दौरान घटती प्रवृत्ति को दर्शाया। इसके पश्चात यह 2014-15 के दौरान ₹ 2,348.14 करोड़ से विशेष रूप से बढ़ गया तथा वर्ष 2015-16 के दौरान 81.35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लगभग दोगुना हो गया। इसकी राजस्व प्राप्तियां से प्रतिशतता 5.01 से 12.17 प्रतिशत के मध्य थीं।

1-5 ys kki jh{k dh ; kt uk rFlk l pkyu

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों तथा योजनाओं/परियोजनाओं के जोखिम निर्धारण के साथ प्रारंभ होती है तथा इसमें गतिविधियों की विवेचनात्मकता/जटिलता, प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण तथा पणधारियों के विषयों तथा पूर्व लेखापरीक्षा प्राप्तियों का निर्धारण भी शामिल होता है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा विस्तार तय किए जाते हैं और एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद, लेखापरीक्षा प्राप्तियों को शामिल करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन, कार्यालय प्रमुख को चार सप्ताह में उत्तर प्रदान करने के अनुरोध के साथ जारी की जाती है। जब उत्तर प्राप्त हो जाते हैं, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का या तो निपटान किया जाता है अथवा आगे अनुपालना के लिए परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में निर्देशित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए संसाधित किया जाता है जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिनियम 1991 की धारा 48 के अधीन दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

2015-16 के दौरान, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. के 185 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (आ.सं.अ.) तथा 13 स्वायत्त निकायों की अनुपालना लेखापरीक्षा की गई। इनके अतिरिक्त, चार निष्पादन लेखापरीक्षाएं भी आयोजित की गईं।

1-6 लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन में प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों को शामिल करने हेतु महालेखाकार (लेखा परीक्षा) दिल्ली द्वारा प्रधान सचिवों/संबंधित विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए उन पर अपने उत्तर छः सप्ताह में भिजवाने हेतु अग्रेषित किया जाता है। विभागों/सरकार से प्रत्युत्तर की गैर-प्राप्ति के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ऐसे पैराग्राफों के अंत में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है। प्रस्तावित चार निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 17 पैराग्राफों को 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक (गैर-सा.क्षे.उ.) क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु संबंधित प्रधान सचिवों/संबंधित विभागों के सचिवों को भेजा गया। इनमें से एक निष्पादन लेखापरीक्षा (दिल्ली में खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन) तथा 16 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसंबर 2016)।

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में कुछ महत्वपूर्ण कमियों के साथ ही चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता जिसका विभागों के कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव था, को बताया है। अभीष्ट लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के सुधार के लिए उपर्युक्त सिफारिशें देने पर ध्यान दिया गया था।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों को शामिल करने हेतु महालेखाकार (लेखा परीक्षा) दिल्ली द्वारा प्रधान सचिवों/संबंधित विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए उन पर अपने उत्तर छः सप्ताह में भिजवाने हेतु अग्रेषित किया जाता है। विभागों/सरकार से प्रत्युत्तर की गैर-प्राप्ति के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ऐसे पैराग्राफों के अंत में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है। प्रस्तावित चार निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 17 पैराग्राफों को 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक (गैर-सा.क्षे.उ.) क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु संबंधित प्रधान सचिवों/संबंधित विभागों के सचिवों को भेजा गया। इनमें से एक निष्पादन लेखापरीक्षा (दिल्ली में खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन) तथा 16 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसंबर 2016)।

1-7 रा.रा.क्षे.दि.स. के विभागों के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा के समय लेखापरीक्षा प्राप्तियां जिसमें वसूलियां शामिल थीं, को नमूना जांच परीक्षा के दौरान ऐसे विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (आ.सं.अ.) को लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए पुष्टि तथा आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया।

रा.रा.क्षे.दि.स. के विभागों के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा के समय लेखापरीक्षा प्राप्तियां जिसमें वसूलियां शामिल थीं, को नमूना जांच परीक्षा के दौरान ऐसे विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (आ.सं.अ.) को लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए पुष्टि तथा आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया।

2015-16 के दौरान, 156 मामलों में निर्दिष्ट ₹ 11.62 करोड़ की वसूली के प्रति संबंधित आ.सं.अ. ने 62 मामलों में केवल ₹ 2.11 करोड़ (पिछले वर्ष की वसूली शामिल करते हुए) की वसूली की।

1-8 नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित, 31 मार्च 2016 को 1,650 निरीक्षण प्रतिवेदनों में बकाया 7,742 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को रकम 1-4 में दर्शाया गया है:

नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित, 31 मार्च 2016 को 1,650 निरीक्षण प्रतिवेदनों में बकाया 7,742 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को रकम 1-4 में दर्शाया गया है:

रक्यदक 1-4 %cdk k ysi-iz rFk yslki jhkk vH qä; k ds foj .k

½ djlk+e½

ले- dk ule	ekpZ2014 dks			ekpZ2015 dks			ekpZ2016 dks		
	ysi-iz	iSk	jk'k	ysi-iz	iSk	jk'k	ysi-iz	iSk	jk'k
सामाजिक क्षेत्र	774	3,129	219.56	843	3,551	99.19	876	3,647	99.84
सामान्य क्षेत्र	616	3,000	256.34	537	3,041	448.04	594	3,455	455.30
आर्थिक क्षेत्र (गैर. सा.क्षे.उ.)	158	550	4,682.75	163	593	6,821.38	180	640	5,494.71
dy	1,548	6,679	5,158.65	1,543	7,185	7,368.61	1,650	7,742	6,049.85

बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि वित्तीय प्रबंधन तथा जवाबदेही में सुधार करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा उचित मामलों का पता लगाने हेतु सरकार की प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता को दर्शाता है।

1-9 yslki jhkk ifronulaj vuqrlZdkjZkbZ

1-9-1 ykd yslkl fefr ½kysl -½ea, D'ku Vdu ulWl rFk iSkxQladh ppZdk xS&iLrfrdj.k

विविध लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, कार्यकारी के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक विभागों ने सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर स्वतः एक्शन टेकन नोट्स (ए.टी.एन.) की शुरुआत की है बगैर इस तथ्य को ध्यान में रखे कि इनकी लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा चर्चा की गयी है या नहीं। इन ए.टी.एन. को राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की तारीख से लेकर चार महीने की अवधि के भीतर महालेखाकार (ले.प.), दिल्ली द्वारा यथावत् जांच के बाद लो.ले.स. को प्रस्तुत किया जाना है।

2005-06 से 2014-15 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्यायों में दिखाए गए 38 निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 118 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से, 10 निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 44 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में स्वतः एक्शन टेकन नोट्स प्राप्त नहीं किए गए हैं। सात निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 37 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर 30 नवंबर 2016 तक, लो.ले.स./ (सरकारी उपक्रमों पर समिति) कोगू द्वारा चर्चा की गई है।

1-10 yslki jhkk ifronu eafn, x, fu"iknu yslki jhkkvlarFk yslki jhkk iSkxQlads o"lZokj foj .k

पिछले तीन वर्षों के लिए निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा पैराग्राफों के वर्ष-वार विवरण जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उनको धन मूल्य सहित दर्शाए गए थे, को रक्यदक 1-5 में दिया गया है।

रफ़्तार 1-5% 2012-15 दस नए लेखापरीक्षाएं तथा 41 लेखापरीक्षा पैराग्राफ जारी किए गए
 फु"िकनु यश कि जहक वरफ़्तार यश कि जहक i j k x Q k dk foj . k

वर्ष	फु"िकनु यश कि जहक		यश कि जहक i j k x Q		किर मंज	
	लक्ष; क	रु. एव; %dj k M-e 1/2	लक्ष; क	रु. एव; %dj k M-e 1/2	फु"िकनु यश कि जहक	यश कि जहक i j k x Q
2012-13	5	94.77	10	226.57	4	5
2013-14	5	43.40	15	146.26	3	0
2014-15	4	240.04	16	1711.58	1	3

रा.रा.क्षे.दि.स. को 14 निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा 41 लेखापरीक्षा पैराग्राफ जारी किए गए थे। यद्यपि, सरकार/विभागों से केवल आठ निष्पादन लेखापरीक्षा तथा आठ लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में उत्तर प्राप्त किए गए थे।

इस प्रतिवेदन में ₹ 54.24 करोड़ धन मूल्य की चार निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा ₹ 282.63 करोड़ के 12 लेखापरीक्षा पैराग्राफ सम्मिलित किए गए हैं। जहां कहीं भी उत्तर प्राप्त हुए थे, उन्हें उचित स्थान पर शामिल कर दिया गया है।

vè; k, -II
fu"i knu ys[kki jh{k

वे; क -II fu"i knu ys[ki jhkk

f' kkk foHkx

2-1 cPpla dks fu%kd , oa vfuok, Zf' kkk ds vfekdj dk vfeku; e| 2009 dk dk kZ; u

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का अधिनियम, 2009 (शि.का.अ. अधिनियम) 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। 2010-16 की अवधि को कवर करती हुई निष्पादन लेखापरीक्षा में खराब योजना एवं तैयारी, लगातार रिक्तियां तथा साथ ही निधियों के जारी होने और इसकी उपयोगिता में विलंब के कारण अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन प्रभावित हुआ। कुछ महत्वपूर्ण प्राप्तिां इस प्रकार थीं:

ed; fclhq

- दिल्ली में शि.का.अ. अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सरकार की प्रभावी योजना का अभाव था। निकटवर्ती स्कूलों को निर्धारित करने व स्थापित करने के उद्देश्य हेतु जन्म से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के आंकड़े एकत्र करने और रखने तथा उसे स्कूलों की मैपिंग के साथ लिंक करने का घरेलू सर्वेक्षण पूरा नहीं किया गया। ऐसे महत्वपूर्ण आंकड़ों के अभाव में सरकार के लिए स्कूल में, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे का नामांकन सुनिश्चित करना संभव नहीं था। रा.रा.क्षे.दि.स. तथा स्थानीय निकायों द्वारा बच्चों के नामांकन हेतु किन्हीं निश्चित लक्ष्यों को नियत नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 2.1.2 (क))

- केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा निदेशालय द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण मिशन (प्रा.शि.सा.मि.) को निधियां विलंब से और कम जारी की गई थीं। 2010-16 के दौरान परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रा.शि.सा.मि. को ₹ 1,115.72 करोड़ के अनुमोदन के प्रति केवल ₹ 647.48 करोड़ उपलब्ध कराया गया। उसी अवधि में प्रा.शि.सा.मि. ने वास्तव में केवल ₹ 534.29 करोड़ खर्च किया।

(पैराग्राफ 2.1.3.1)

- सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा-1 में नामांकन 2010-11 में 2,04,884 से 23 प्रतिशत कम होकर 2015-16 में 1,56,911 हो गए जबकि 2010-16 के दौरान कुल नामांकन (प्राइवेट स्कूलों को शामिल कर) के

संबंध में लगभग स्थिर स्थिति रही जो उसी अवधि के दौरान दिल्ली के जनसंख्या में वृद्धि के अनुरूप नहीं थी।

(पैराग्राफ 2.1.4.1)

- बच्चों को विशेष प्रशिक्षण से संबंधित एवं दिव्यांग बच्चों या कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी ग्रुप के बच्चों के लिए प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया। निदेशालय के गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों ने 1,45,142 सीटों के विरुद्ध कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी ग्रुप से संबंधित केवल 90,262 बच्चों को दाखिला दिया जोकि 2011-16 के दौरान उनके लिए आरक्षित की जानी चाहिए थी।

(पैराग्राफ 2.1.4.2, 2.1.4.3 एवं 2.1.4.4)

- आधारभूत ढांचे में वृद्धि की आवश्यकता के बावजूद, अतिरिक्त कक्षाएं एवं शौचालयों के निर्माण हेतु प्रा.शि.सा.मि. को 2015-16 के दौरान ₹ 18.29 करोड़ स्वीकृत किया गया जो जून 2016 तक बिना उपयोग के रहा जबकि कक्षाएं, हॉल, शौचालयों एवं बाहरी दीवारों के निर्माण के 69 से 81 प्रतिशत कार्य उत्तरी एवं दक्षिणी नगर निगमों में कार्यान्वित नहीं हुए।

(पैराग्राफ 2.1.4.5 (ख एवं ग))

- निदेशालय के स्कूलों में जुलाई 2016 तक शिक्षकों तथा लाइब्रेरियन के 38,916 संस्वीकृत पदों में से 8,579 पद (22 प्रतिशत) रिक्त थे।

(पैराग्राफ 2.1.5.1)

- दिल्ली नगर निगमों (दि.न.नि.) के 34 चयनित स्कूलों के सभी बच्चों को यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें तथा लेखन सामग्री वितरित नहीं की गई थीं और जहां जारी की गई वे भी विलंब से की गई। दि.न.नि. के सहायता प्राप्त स्कूलों के किसी भी विद्यार्थी को यूनिफॉर्म और लेखन सामग्री जारी नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 2.1.5.4 (क एवं ख))

- शि.का.अ. अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु अधिनियम के अधीन परिकल्पित किया गया संस्थागत तंत्र गैर प्रभावी था क्योंकि विभिन्न सलाहकारी एवं निगरानी समितियां या तो संस्थापित नहीं हुई या उन्होंने नियमित बैठकें नहीं की।

(पैराग्राफ 2.1.6)

2-1-1 iLrkouk

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (शि.का.अ.) का अधिनियम, 2009, निकटवर्ती स्कूल में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य

प्रारंभिक शिक्षा (1 से 8 वीं कक्षा) के अधिकार को उपलब्ध कराने हेतु 1 अप्रैल 2010 से शुरु किया गया। शि.का.अ. अधिनियम, के कानून बनने से पहले सर्वशिक्षा अभियान (स.शि.अ.) प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार (भा.स.) का प्रमुख कार्यक्रम था। स.शि.अ. ढांचे को लागू करने तथा उससे संबंधित क्रियाकलाप के मानदंडों को शि.का.अ. अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित किया गया तथा स.शि.अ., शि.का.अ. अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु मुख्य माध्यम बन गया। नवम्बर 2011 में, रा.रा.क्षे.दि.स. ने 'दिल्ली के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का अधिनियम, 2011' (दि.शि.क.अ. अधिनियम) को अधिसूचित किया।

दिल्ली में स.शि.अ. कार्यक्रम एक पंजीकृत सोसाइटी अर्थात् 'प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण मिशन (प्रा.शि.सा.मि.)' द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। 30 सितम्बर 2015 को शिक्षा निदेशालय (निदेशालय), तीन दिल्ली नगर निगमों (उत्तर, दक्षिण एवं पूर्वी), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (न.दि.न.प.) एवं दिल्ली छावनी बोर्ड (दि.छा.बो.) के तत्वावधान में 2,806 सरकारी स्कूल एवं 258 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं सहित) चल रहे थे। इसके अतिरिक्त, रा.रा.क्षे. दिल्ली में 2,671 गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल भी चल रहे थे। 31 मार्च 2016 को इन स्कूलों में कुल 18.41 लाख बच्चे प्राथमिक कक्षाओं में तथा 10.92 लाख बच्चे उच्च प्राथमिक कक्षाओं में नामांकित किए गए।

2-1-1-1-1 अक्षर k

देश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि.मं.) स.शि.अ.-शि.का.अ. कार्यक्रम के समग्र कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। मा.सं.वि.मं. में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (प.अ.बो.) राज्यों के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (वा.का.यो.ब.) को मंजूरी प्रदान करता है तथा कार्यक्रम की स्थिति एवं प्रगति की समीक्षा करता है। दिल्ली में स.शि.अ.-शि.का.अ. कार्यक्रम के कार्यान्वयन का समग्र उत्तरदायित्व सचिव (शिक्षा) का होता है। रा.रा.क्षे.दि.स., सभी तीन नगर निगमों, न.दि.न.प. तथा दि.छा.बो. को शि.का.अ. अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु स्थानीय प्राधिकरणों के रूप में अधिसूचित किया गया है (अप्रैल 2013)। शिक्षा निदेशालय में निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जिसे विभिन्न इकाईयों/शाखाओं/जिले में अतिरिक्त निदेशकों, शिक्षा के उप निदेशक एवं स्कूलों के प्रधानाचार्यों द्वारा कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की जाती है। प्रा.शि.सा.मि. में शिक्षा सचिव कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष होता है जिसे उपाध्यक्ष, राज्य परियोजना निदेशक, वित्त नियंत्रक, जिला परियोजना अधिकारियों एवं अधीनस्थ स्टाफ द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। दि.न.नि. में आयुक्तों द्वारा अधिनियम लागू किया जाता है जिसे अतिरिक्त आयुक्तों एवं अतिरिक्त/उप/सहायक निदेशकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अप्रैल 2014 में अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अपनी सलाह देने के लिए राज्य सलाहकार परिषद भी गठित किया गया।

2-1-1-2 यशकिजहकक दकक, oadk, Zzkkyh

2010-16 की अवधि को कवर करते हुए रा.रा.क्षे. दिल्ली में शि.का.अ. अधिनियम के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए अप्रैल से जुलाई 2016 तक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। अभिलेखों की जांच हेतु, लेखापरीक्षा ने स्कूलों की संख्या के रूप में आकार को मापते हुए बि.प्र.आ.सं.अनु.¹ पद्धति से निदेशालय के 12 जिलों में से दो जिलों (उत्तरी एवं दक्षिणी) का चयन किया तथा इन दो जिलों में स्थित 543 स्कूलों में से 60 स्कूलों² (दि.न.नि. एवं सहायता प्राप्त स्कूलों को शामिल करते हुए) एवं बि.प्र.स.या.न.³ पद्धति के माध्यम से चयनित इन दो जिलों का चयन किया। लेखापरीक्षा ने निदेशालय, इसके उत्तरी एवं दक्षिणी जिले, उत्तरी एवं दक्षिणी दि.न.नि. के मुख्यालयों, 60 चयनित स्कूलों, रा.शै.अ.प्र.प.⁴ एवं प्रा.शि.सा.मि. से संबंधित अभिलेखों की जांच की।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र और पद्धति पर चर्चा करने के लिए प्रवेश सम्मेलन 27 अप्रैल 2016 को निदेशक के साथ तथा 28 अप्रैल 2016 को उत्तरी एवं दक्षिणी दि.न.नि. के अधिकारियों के साथ किया गया। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष के बाद, पहली ड्राफ्ट रिपोर्ट सरकार को 7 सितम्बर 2016 को जारी की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए समापन सम्मेलन 16 सितम्बर 2016 को शिक्षा निदेशक, राज्य परियोजना निदेशक (प्रा.शि.सा.मि.) एवं दि.न.नि. के अधिकारियों के साथ किया गया।

2-1-1-3- यशकिजहकक मीस ;

निष्पादन लेखापरीक्षा के व्यापक उद्देश्यों में आकलन करना था कि क्या:

- शि.का.अ. अधिनियम के अंतर्गत 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के उद्देश्य को प्राप्त किया गया;
- निधियों का मितव्ययी एवं कुशल तरीके से प्रयोग किया गया; और
- शि.का.अ. अधिनियम को सुनियोजित तरीके से कार्यान्वित व मॉनीटर किया गया।

2-1-1-4 यशकिजहकक ekunM

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा मानदंड के बेंचमार्किंग हेतु निम्नलिखित का उपयोग किया गया:

- बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का अधिनियम, 2009;
- दिल्ली के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का नियम, 2011 (दि.शि.का.अ. नियम);

1 बिना प्रतिस्थापन के आकार के संभावित अनुपात

2 निदेशालय के 26 स्कूल (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाएं), दक्षिण दि.न.नि. के 18 तथा उत्तरी दि.न.नि. के 16 स्कूल

3 बिना प्रतिस्थापन के सरल यादिच्छक नमूनाकरण

4 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

- वार्षिक कार्य योजना एवं बजट पर परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त; और
- मा.सं.वि.मं. तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के आदेश, परिपत्र, अनुदेश तथा दिशा-निर्देश।

यस कि जह कि र; का

2-1-2 वफकु; e ds dk kb; u grq; kt uk , oar\$ kjh

उचित योजना एवं तैयारी किसी सांविधिक अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पूर्व अपेक्षित है। यह विशेषकर शि.का.अ. अधिनियम के प्रकरण में महत्वपूर्ण है जो बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को सुरक्षित करता है विशेषकर दिल्ली में जहां कई एजेंसियां स्कूली शिक्षा प्रदान करती हैं। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने देखा कि निदेशालय के पास अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त योजना एवं तैयारी का अभाव था जैसाकि नीचे चर्चा की गई है।

दि.शि.का.अ. नियमों के नियम 6 (1) एवं 8 (2) करार करते हैं कि प्राथमिक स्कूल (कक्षा एक से पांच) एक किलोमीटर की रेडियल दूरी के भीतर तथा उच्चतर प्राथमिक स्कूलों (कक्षा छः से आठ) को बच्चों के घर से तीन किलोमीटर के भीतर स्थापित किया जाएगा। स्थानीय प्राधिकारी⁵ अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर तथा उसके बाद भी प्रत्येक वर्ष स्कूल मैपिंग तथा 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को पहचानने का कार्य करेगा। आगे नियम 9 के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी को घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से जन्म से 14 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक सभी बच्चों का एक अभिलेखा बनाए रखना आवश्यक है।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2014-15 तक कोई घरेलू सर्वेक्षण शुरू नहीं किया गया। जुलाई 2015 में प्रा.शि.सा.मि. ने पांच स्थानीय निकायों⁶ को बच्चों के जन्म से 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक घरेलू सर्वेक्षण करने के लिए ₹ 57 लाख जारी किए। जून 2016 तक, पूर्वी दि.न.नि. एवं दि.छा.बो. ने अपने क्षेत्रों में सर्वेक्षण पूरा किया था, जबकि यह बाकी के तीनों स्थानीय निकायों के अधीन क्षेत्रों में प्रगति पर था। स्कूलों की मैपिंग के संबंध में, प्रा.शि.सा.मि. के राज्य परियोजना निदेशक के अधीन गठित समिति (जनवरी 2012) ने निर्णय लिया कि स्कूल मैपिंग हेतु नगर निगम वार्ड को मूल इकाई के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए तथा प्राइवेट, मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों को शामिल करते हुए दिल्ली भू-स्थानिक सोसाइटी लिमिटेड (दि.भू.स्था.सो.लि.) द्वारा तैयार किए गए वार्ड के नक्शे में प्रतिबिंबित किया जाएगा तथा जनगणना डाटा एवं निवास क्षेत्रों को इस पर अध्यारोपित किया जाएगा, ऐसे क्षेत्र चिन्हित करने के लिए जहां नजदीक में स्कूलों की उपलब्धता नहीं है। यद्यपि, जुलाई 2016 तक, दि.भू.स्था.सो.लि. ने केवल 5,777 स्कूलों

5 नियम 2 (i) "स्थानीय प्राधिकारी" को स्थानीय प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित प्राधिकारी को परिभाषित करना है। अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल 2013 के अनुसार, रा.रा.क्षे.दि.स., तीनों दि.न.नि., न.दि.न.प. एवं दि.छा.बो. अपने संबंधित प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्कूलों के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी हैं।

6 तीनों दि.न.नि. में से प्रत्येक को ₹ 18 लाख, न.दि.न.प. को ₹ 2 लाख एवं दि.छा.बो. को ₹ 1 लाख

को चित्रित किया था पर इस वार्ड नक्शा को बच्चों की जनसंख्या के साथ नहीं जोड़ा क्योंकि विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों के निवास के संबंध में डाटा दि.भू.स्था.सो.लि. के पास उपलब्ध नहीं था। फलस्वरूप, दि.भू.स्था.सो.लि. निर्धारित नहीं कर सका कि क्या स्कूलों से विद्यार्थियों के निवास की दूरी 1 कि.मी. (प्राथमिक विद्यालयों हेतु) या 3 कि.मी. (उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों हेतु) की रेडियल सीमा के भीतर है जैसाकि नियम के अधीन आवश्यक है।

इस प्रकार, नवम्बर 2011 में नियमों की अधिसूचना के पांच वर्ष बाद भी निदेशालय बच्चों के जन्म से उसके 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक के डाटा को एकत्र करने के लिए न तो निर्धारित सर्वेक्षण पूरा कर सका न ही सभी स्कूलों की मैपिंग कर सका। इस प्रकार के डाटा के अभाव में, न तो कोई आश्वासन दिया जा सका कि क्या नामांकन आयु के सभी बच्चों को निकटवर्ती स्कूलों में नामांकित किया गया न ही स्कूलों में बच्चों के नामांकन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए जा सके।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2016) कि वार्ड शिक्षा सर्वेक्षण जन्म से 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक के बच्चों की मैपिंग हेतु स्थानीय निकायों के शिक्षकों द्वारा 2015-16 में ही शुरू हो गया। आगे इसने कहा कि वर्ष 2016-17 में मा.सं.वि.मं. के द्वारा तैयार किए गये संशोधित शिक्षा की संयुक्त जिला सूचना प्रणाली (यू-डाइज) प्रारूप 2016-17 से दिल्ली में लागू किया जाएगा जो बच्चे पर नजर रखने व स्कूल के बाहर के प्रत्येक बच्चे को स्कूल प्रणाली में लाने में मदद करेगा। बच्चों के नामांकन हेतु लक्ष्यों के संबंध में, यह कहा गया कि घरेलू सर्वेक्षण के पूरा होने व डाटा संकलन के बाद बच्चों के नामांकन के लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए सभी स्थानीय निकायों को प्रा.शि.सा.मि. द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

शिका.अ. अधिनियम के उद्देश्यों में से एक, स्कूलों में बच्चों को रोकना व पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी लाना है। इसके लिए निदेशालय को एक कार्रवाई योजना बनाने की आवश्यकता थी जोकि कार्यान्वित एजेंसियों द्वारा अनुसरित होनी थी और एक संस्थागत तंत्र बनाना था जो पढ़ाई छोड़े बच्चों के आंकड़े इकट्ठा कर सुधारक उपायों के सुझाव दे ताकि समस्या नियंत्रण में रहे।

लेखापरीक्षा ने चयनित 60 स्कूलों में पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा की तथा पाया कि सरकारी स्कूलों में 74,291 बच्चों के कुल नामांकन के प्रति 1,477 बच्चे (1.99 प्रतिशत) पढ़ाई छोड़ चुके थे। दि.न.नि. के स्कूलों के प्रकरण में, 2010-16 के दौरान यह संख्या 74,308 बच्चों के कुल नामांकन के प्रति 7,052 (9.49 प्रतिशत) थी। लेखापरीक्षा ने आगे निदेशालय के स्कूलों में 2010-11 के दौरान 1.3 प्रतिशत से 2015-16 के दौरान 2.6 प्रतिशत तक (2012-13 को छोड़कर) पढ़ाई छोड़ने की दर में एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति को पाया। दि.न.नि. के स्कूलों में बच्चों के पढ़ाई छोड़ने की दर 2010-11 के दौरान 11.25 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2012-13 में 7.74 प्रतिशत रह गयी एवं उसके बाद 2015-16 में 10.43 प्रतिशत तक लगातार वृद्धि हुई। यद्यपि, बच्चों के पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करने के लिए दि.न.नि. द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2016) कि यू-डाइज डाटा के अनुसार प्राथमिक स्तर के साथ-साथ उच्चतर प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने की दर नकारात्मक है। यद्यपि, चयनित स्कूलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को पाया गया जैसाकि ऊपर चर्चा की गई है। आगे यह भी कहा गया कि विभाग ने माता पिता के साथ सलाह करने, विभिन्न कल्याण योजनाएं एवं नई शैक्षिक योजना आरंभ करने जैसे कदम उठा कर पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी लाने के लिए एक कार्रवाई योजना बनायी थी। पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों के अभिलेखों के रख-रखाव हेतु क्षेत्रों को अनुदेश भी जारी किए गए हैं। उत्तर को सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करने के लिए कोई समर्थित दस्तावेज/निर्देश लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

2-1-3- foYkr izaku

शि.का.अ. अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए बजट को स.शि.अ.-शि.का.अ. के अधीन आवंटित किया जाता है जोकि अधिनियम को कार्यान्वित करने का मुख्य माध्यम है। 2014-15 तक केन्द्र सरकार प्रा.शि.सा.मि. को 65:35 के केन्द्र व राज्य अनुपात में केन्द्रीय सहायता दे रहा था एवं 2015-16 में यह निधि पैटर्न संशोधित होकर 60:40 हो गया। 2013-14 तक मा.सं.वि.मं. ने प्रा.शि.सा.मि. को सीधे ही केन्द्रीय हिस्सा जारी किया परन्तु 2014-15 से केन्द्रीय निधियां राज्य सरकार के लेखों के माध्यम से भेजी जाती हैं। निदेशालय, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (प.अ.बो.) द्वारा अनुमोदित क्रियाकलापों हेतु प्रा.शि.सा.मि. को केन्द्र के हिस्से के साथ राज्य के हिस्से सहित निधियां जारी करता है। प्रा.शि.सा.मि. आगे जिला परियोजना अधिकारियों (जि.प.अ.) को निधि जारी करता है एवं जि.प.अ. से निधियां स्कूलों द्वारा प्राप्त की जाती हैं।

2-1-3-1 ekl afo-ea , oajkt; l jdkj l sfufek ka dh i fkr esfoya

मा.सं.वि.मं. प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सहायता की पहली किश्त अप्रैल में व दूसरी किश्त सितम्बर में जारी करता है। निर्देशानुसार राज्यों के लिए आवश्यक है कि वे प्रा.शि.सा.मि. को सहायता के लिए अपना हिस्सा केन्द्रीय हिस्से की प्राप्ति के एक महीने के भीतर जारी करें। 2010-16 की अवधि के लिए स.शि.अ.-शि.का.अ. के अंतर्गत प्रा.शि.सा.मि. द्वारा वर्ष वार बजट एवं किए गए खर्च को rkydk 2-1-1 में दर्शाया गया है:-

rkydk 2-1-1%ct V] dy mi yCek fufek ka, oaokLrfod [kpZ

¼ djM+e½

o"K	ct V	fi Nys o"K dk vQ f; r 'kk	ekl afo-ea l si Mr	jkjk{ls fn-l - l s i Mr	dy i Mr fufek ka	vU i fkr ¼; kt ½	dy mi yCek fufek ka	[kpZ	mi yCek fufek ka ds l rak ea cpr	mi yCek fufek ka ds l rak ea % cpr
2010-11	101.60	16.51	35.53	21.35	56.88	6.09	79.48	46.59	32.89	41.38
2011-12	206.02	32.89	37.83	13.66	51.49	5.74	90.12	80.09	10.03	11.13
2012-13	206.17	10.03	42.93	34.46	77.39	5.23	92.65	78.82	13.83	14.93
2013-14	207.00	13.83	83.23	28.88	112.11	5.05	130.99	102.16	28.83	22.01
2014-15	202.91	28.83	50.87	40.85	91.72	7.22	127.77	124.33	3.44	2.69
2015-16	192.02	3.44	71.59	46.27	117.86	5.17	126.47	102.30	24.17	19.11
dy	1,115.72	105.53	321.98	185.47	507.45	34.5	647.48	534.29	113.19	17.48

स्रोत: प्रा.शि.सा.मि. द्वारा प्रदत्त आंकड़े

इस प्रकार, प.अ.बो. द्वारा अनुमोदित ₹ 1,115.72 करोड़ के बजट के प्रति प्रा.शि.सा.मि. को केवल ₹ 647.48 करोड़ (58.03 प्रतिशत) उपलब्ध कराया गया जिसमें से 2010-16 के दौरान वास्तव में ₹ 534.29 करोड़ का उपयोग हुआ। निधियों का कम उपयोग 2.69 तथा 41.38 प्रतिशत के बीच की रेंज में था।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2016) कि निधियों का प्रयोग नहीं किया जा सका क्योंकि मा.सं.वि.मं. ने अंतिम किश्त वित्तीय वर्ष के अन्त में जारी की। आगे इसने कहा कि स.शि.अ. के अधीन क्रियाकलापों की योजना पूरे सत्र के लिए बनाई गई परन्तु कुछ क्रियाकलापों को प्रत्येक वर्ष फरवरी से मार्च के दौरान परीक्षाओं के कारण संचालित नहीं किया जा सका। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रा.शि.सा.मि. को परीक्षा अवधि को ध्यान में रखकर अपने क्रियाकलापों की योजना बनानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि मा.सं.वि.मं. से निधियों की प्राप्ति में विलंब था एवं आगे रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रा.शि.सा.मि. को निधियों के जारी करने में विलंब था जैसे नीचे दिया गया है:

- (i) निदेशालय ने प्रा.शि.सा.मि. को 2013-14 के दौरान ₹ 44.82 करोड़ के राज्य अंश में से ₹ 31.36 करोड़ एवं बाकी आगामी वित्त वर्ष में जारी किया;
- (ii) निदेशालय ने वर्ष 2014-15 हेतु ₹ 11.37 करोड़ का केन्द्रीय अंश आगामी वित्त वर्ष में प्राप्त किया। इसके फलस्वरूप, इसने 2015-16 में प्रा.शि.सा.मि. को ₹ 17.49 करोड़ (राज्य अंश सहित) जारी किया; तथा
- (iii) निदेशालय ने वर्ष के अंतिम दिन अर्थात् 31 मार्च 2016 को प्रा.शि.सा.मि. को ₹ 33.76 करोड़ (केन्द्रीय व राज्य अंश) जारी किया। फलस्वरूप, 2015-16 हेतु 1,139 प्राथमिक शिक्षकों एवं 1,920 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की वेतन राशि ₹ 8.72 करोड़ समय पर जारी नहीं की जा सकी। दक्षिणी एवं उत्तरी जिले में स.शि.अ. के अन्तर्गत संविदा आधार पर प्रतिनियुक्त शिक्षकों के वेतन 2014-16 के दौरान तीन महीने के विलंब से जारी किये गये।

मा.सं.वि.मं. एवं रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निधियों के विलंब से जारी होने के कारण कार्यक्रमों की योजना एवं समय से क्रियान्वयन को नजरअंदाज किया गया।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2016) कि निधियों के समय से जारी करने का मामला मा.सं.वि.मं. के साथ रखा जा रहा था।

2-1-3-2 foHk f0; kdyki kds vrxZ fufek kdk mi ; kx

2010-16 के दौरान निम्नलिखित चार क्रियाकलापों के अंतर्गत प.अ.बो. द्वारा अनुमोदित बजट एवं किए गए व्यय के ब्यौरे को rkydk 2-1-2 में दर्शाया गया है:

क्रियाकलाप 2-1-2 : कम्प्यूटर लर्निंग, सामुदायिक गतिशीलता, अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी एवं पर्यवेक्षण (अ.मू.नि.प.) विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए समावेशी शिक्षा (वि.आ.ब.स.शि.)

₹ 2010-16

क्रियाकलाप	2010-16	2011-12	2012-13
कम्प्यूटर एडेड लर्निंग	20.84	7.01	13.83 (66)
सामुदायिक गतिशीलता	2.37	1.06	1.31 (55)
अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी एवं पर्यवेक्षण (अ.मू.नि.प.)	2.54	1.64	0.90 (35)
विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए समावेशी शिक्षा (वि.आ.ब.स.शि.)	27.20	14.27	12.93 (48)
कुल	52.95	23.98	28.97 (55)

इन क्रियाकलापों के अधीन ₹ 28.97 करोड़ (55 प्रतिशत) का गैर-उपयोग तदनुरूप उद्देश्यों की कम प्राप्ति को इंगित करता है। क्रियाकलाप एवं घटक-वार कमियों की नीचे चर्चा की गई है:

कम्प्यूटर एडेड लर्निंग : 2010-16 के दौरान, प्रा.शि.सा.मि. ने कं.ए.ल. क्रियाकलापों जैसे कि नये वर्क स्टेशनों (कंप्यूटर) की खरीद, कं.ए.ल. स्रोत केन्द्र के आधारभूत संरचना की मरम्मत, स्कूलों को मदद करने वाला आधारभूत तकनीकी एवं हार्डवेयर साफ्टवेयर के विकास हेतु ₹ 20.84 करोड़ का प्रावधान किया। ₹ 20.84 करोड़ में से ₹ 13.83 करोड़ (66 प्रतिशत) के गैर-उपयोग को छोड़ते हुए केवल ₹ 7.01 करोड़ का उपयोग किया गया। 2013-14 के दौरान ₹ 4.50 करोड़ में से ₹ 4.48 करोड़ बिना खर्च के रह गये। 2011-12 के दौरान, 892 स्कूलों में 1,950 कं.ए.ल. प्रयोगशालाओं के रखरखाव हेतु जारी ₹ 39 लाख में से ₹ 15.37 लाख के अनुदान का उपयोग नहीं किया जा सका। 2012-13 के दौरान 916 स्कूलों की 1,830 कं.ए.ल. प्रयोगशालाओं के रखरखाव हेतु आवंटित ₹ 54.90 लाख का अनुदान 442 स्कूलों द्वारा पूर्व के अनुदानों का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने के कारण बिना जारी किए रह गया। निधियों के कम उपयोग से कं.ए.ल. प्रयोगशालाओं के रखरखाव व अनुरक्षण के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पायी। सरकार ने कम उपयोग हेतु विलंब से निधियों की प्राप्ति को जिम्मेदार ठहराया (अक्टूबर 2016)।

सामुदायिक गतिशीलता : 2010-16 के दौरान, प्रा.शि.सा.मि. ने सामुदायिक गतिशीलता हेतु ₹ 2.37 करोड़ का प्रावधान किया जिसमें मीडिया एवं जागरूकता क्रियाकलाप, अल्पसंख्यक व अ.जा./अ.ज.जा के छात्रों इत्यादि हेतु जागरूकता कार्यक्रम शामिल है। यद्यपि ₹ 1.31 करोड़ (55 प्रतिशत) अप्रयोज्य रहा जबकि केवल ₹ 1.06 करोड़ का उपयोग हुआ। सरकार ने कहा (अक्टूबर 2016) कि इस हस्तक्षेप के अधीन आयोजित सभी क्रियाकलापों को निधियों की विलंब से प्राप्ति के कारण चालू नहीं किया जा सका।

अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी एवं पर्यवेक्षण (अ.मू.नि.प.) : 2010-16 के दौरान अ.मू.नि.प. के अधीन अध्ययनों जैसे शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु गहन अध्ययन, शिक्षकों का प्रभावीकरण, स्कूल शिक्षा में सामाजिक एवं लिंग भेद एवं सीखने वालों पर सेवा में

प्रशिक्षण का प्रभाव हेतु ₹ 2.54 करोड़ प्रदान किया गया। प्रा.शि.सा.मि. ने उस अवधि के दौरान इन क्रियाकलापों पर केवल ₹ 1.64 करोड़ का प्रयोग किया एवं ₹ 0.90 करोड़ बिना खर्च के रह गए। सरकार ने कहा (अक्टूबर 2016) कि अनुसंधान हेतु किए गए खर्च, जो अब तक पूरे किए जाने थे, को प.अ.बो. को इसके प्रस्तुत करने के समय लागत प्रलेख के लेखे में नहीं लिया गया और ऐसा दर्शाया गया जैसे निधियों का उपयोग नहीं हुआ। उत्तर यथार्थपूर्ण नहीं है क्योंकि यह प्रत्येक वर्ष (2010-16) के अन्त में प्रगति में अनुसंधान पर किए गए खर्च तथा वर्ष की समाप्ति पर बिना खर्च रह गई राशि का पूरा ब्यौरा नहीं देता है।

2010-16 के दौरान, प.अ.बो. ने वि.आ.ब.स.शि. के समावेशी शिक्षा हेतु ₹ 27.20 करोड़ का प्रावधान किया जिसमें नामांकन अभियान, जागरूकता एवं आकलन कैम्प, सहायक उपकरणों का प्रावधान, आत्मकेंद्रित और कई विकलांगताओं पर सामान्य शिक्षकों का प्रशिक्षण जैसे क्रियाकलाप शामिल थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन क्रियाकलापों के अधीन 1,12,952 वि.आ.ब.स.शि. के लक्ष्य के विरुद्ध 99,519 वि.आ.ब.स.शि. को लाभ मिला तथा ₹ 27.20 करोड़ में से केवल ₹ 14.27 करोड़ का उपयोग हुआ, ₹ 12.93 करोड़ (48 प्रतिशत) अप्रयुक्त रहा।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2016) कि यद्यपि मा.सं.वि.मं. ने ₹ 27.20 करोड़ अनुमोदित किया परन्तु इसने शत प्रतिशत निधियां जारी नहीं की तथा अंतिम किश्तें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में जारी की गईं। आगे इसने कहा कि 2010-16 के दौरान प्रशिक्षित संसाधन शिक्षकों/स्वयं-सेवकों की गैर-उपलब्धता के कारण समावेशी शिक्षा (स.शि.) संसाधन शिक्षकों, स.शि. – स्वयंसेवकों के वेतन एवं संसाधन कक्षों को मजबूत बनाने हेतु निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका परन्तु भविष्य में निधियों का उपयोग होने का आश्वासन दिया। सरकार का उत्तर इंगित करता है कि शि.का.अ. अधिनियम (2011) की अधिसूचना के पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रा.शि.सा.मि. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु संसाधन शिक्षकों/स्वयं-सेवकों को प्रदान करने में असफल रहा।

2-1-4 f'kdkv- vfeku; e ds i hokula dk dk k; u

2-1-4-1 ljdkjh o l gk rk i hr ldykeacPpladsulekdu eafxjloV

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (वा.का.यो.ब.) के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (2016-17) की संवीक्षा में पाया गया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राथमिक स्तर पर सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकन में कुल 13.15 प्रतिशत की गिरावट आयी। दूसरी ओर, उस अवधि के दौरान इस स्तर पर प्राइवेट स्कूलों में नामांकन में 34.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2010-16 की अवधि के लिए सरकारी, सहायता प्राप्त तथा प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 के प्रवेश स्तर पर नामांकित बच्चों के संबंध में निदेशालय द्वारा प्रदान किए गए डाटा के विश्लेषण 2-1-2^{1/2}से पता चला कि सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 में नामांकन ने 2010-11 में 2,04,884 से लगातार घटकर 2015-16 में 1,56,911 नामांकन के साथ अर्थात् 23 प्रतिशत की गिरावट के रुख को दर्शाया। इसके विपरीत, प्राइवेट स्कूलों में नामांकन 2010-11 में 1,32,010 से बढ़ कर 2015-16 में 1,78,034 हो गया जो 35 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

आगे, 2010-16 के दौरान सभी स्कूलों में बच्चों के कुल नामांकन में 3,37,230 से 3,34,945 तक की गिरावट आयी। नामांकन में यह गिरावट का रुख दिल्ली की जनसंख्या के बढ़ते दर के अनुरूप नहीं था जो 2.22 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर पर 2011 में 1,67,53,235 से बढ़कर⁷ 2016 में 1,86,86,902 हो गया। तार्किक रूप से जनसंख्या में वृद्धि के साथ बच्चों का नामांकन बढ़ना चाहिए, यदि नामांकित आयु के सभी बच्चे स्कूलों में नामांकित होते हैं।

स्कूलों में बच्चों के कुल नामांकन एवं विशेषकर सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में गिरावट शि.का.अ. अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के आदेश में सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में सीखने व आधारभूत ढांचे के मानकों के सुधार हेतु जरूरत का संकेत था।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2016) कि सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों के नामांकन में गिरावट का कारण दिल्ली में जनसंख्या की प्रवासी प्रकृति थी। प्राइवेट स्कूलों के संबंध में यह कहा गया कि दाखिले में वृद्धि अधिनियम के अधीन कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी ग्रुप (क.व.अ.ग्रु.) बच्चों के दाखिला प्रावधान के कारण थी तथा सरकारी स्कूलों में अवसंरचनाओं के विस्तार द्वारा सीखने के स्तर में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे थे। तथ्य यह है कि शि.का.अ. अधिनियम के कार्यान्वयन के बावजूद सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि नहीं हुई।

2-1-4-2 cPplak fo' lsk i f' k'k k

शि.का.अ. अधिनियम के सेक्शन 4 के अनुसार छः वर्ष की आयु से अधिक का बच्चा जिसे किसी स्कूल में दाखिला नहीं दिया गया है या यदि दाखिला दिया गया है तो प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर सका, उसे अपनी आयु के हिसाब से उचित कक्षा में दाखिला दिया जाएगा एवं उसे जैसाकि निर्धारित है, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा। आगे नियम 5 कहता है कि स्कूल प्रबंधन समिति (स्कू.प्र.स.) उन बच्चों में से उनकी पहचान करेगी जिन्हें पहले ही नामांकित किया गया है, परन्तु विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रशिक्षण तीन महीने की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा जिसे दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

(i) जिला परियोजना अधिकारियों (जि.प.अ.), गै.स.सं. एवं स्कू.प्र.स. के अधीन क्षेत्रों में कलस्टर संसाधन केन्द्र समन्वयक स्कूल से बाहर के बच्चों (स्कू.बा.ब.) जिन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है की पहचान करता है व तदनुसार प्रशिक्षण देने हेतु लक्ष्य निर्धारित करता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली में प्रा.शि.सा.मि. स्कूलों के साथ-साथ गै.स.सं. में विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से स्कूल से बाहर के बच्चे (स्कू.बा.ब.) को विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करता है। 2010-16 के दौरान प्रा.शि.सा.मि. ने स्कू.बा.ब. के विशेष प्रशिक्षण पर ₹ 31.31 करोड़ के प्रावधान के प्रति केवल ₹ 7.49 करोड़ (24 प्रतिशत) का उपयोग किया, ₹ 23.82 करोड़ (76 प्रतिशत) बिना उपयोग के रहा क्योंकि 56,874 बच्चों के लक्ष्य के प्रति केवल 33,173 बच्चों (58 प्रतिशत) को विशेष प्रशिक्षण दिए गए $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{4}$ 2-1-3 $\frac{1}{4}$

⁷ स्रोत: <http://www.indiaonlinepages.com/population/delhi-population.html>

अपने उत्तर में, सरकार ने केवल स्कू.बा.ब. की संख्या बताई (अक्टूबर 2016) जिन्हें विशेष प्रशिक्षण देने के बाद मुख्यधारा में उचित कक्षा में लाया गया। यद्यपि तथ्य यह है कि प्रशिक्षण दिये जाने हेतु लक्षित 23,701 बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान नहीं किये गये।

(ii) 26 चयनित सरकारी स्कूलों में से केवल एक स्कूल के स्कू.प्र.स. ने 20 बच्चों को चिन्हित किया जिन्हें, यद्यपि नामांकित किया गया, विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता थी तथा उन्हें 2013-16 के दौरान प्रशिक्षण दिया। 19 स्कूलों के स्कू.प्र.स. इस तरह के बच्चों को चिन्हित नहीं कर पाये तथा चार स्कूलों में इस श्रेणी से संबंधित बच्चे नहीं मिल पाये। एक स्कूल ने इस श्रेणी के केवल एक बच्चे को चिन्हित किया परन्तु उसे प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया। एक स्कूल ने यह सूचना प्रस्तुत नहीं की। इस प्रकार, ज्यादातर चयनित सरकारी स्कूलों के स्कू.प्र.स. ने उन बच्चों को जिसे विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, चिन्हित नहीं किया जैसाकि शि.का.अ. अधिनियम के अधीन आवश्यक था। दि.न.नि. में 34 चयनित स्कूलों में से एक स्कूल के स्कू.प्र.स. ने दो बच्चों को चिन्हित किया जिसे स्कूल द्वारा विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

2-1-4-3 निम्नलिखित प्राधिकरणों को दिव्यांग बच्चों हेतु घर से स्कूल

नियम 6 (5) के अनुसार सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों को दिव्यांग बच्चों हेतु घर से स्कूल एवं स्कूल से घर हेतु निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। प्रा.शि.सा.मि. के निर्देशों के अनुसार, स्कूल प्रबंधन समिति को इस तरह के बच्चों हेतु परिवहन के प्रबंध करने थे, जिसके वर्ष में आठ महीने हेतु ₹ 250 प्रति बच्चा प्रति माह निर्धारित किया गया था। इस उद्देश्य हेतु, प्रा.शि.सा.मि. जिला परियोजना अधिकारियों (जि.प.अ.) को निधि जारी करता है जो आगे स्कूलों को निधि जारी करता है। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि 2014-16 के दौरान 12,959 दिव्यांग बच्चों वाहन सुविधा हेतु पात्र थे जिसके लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड (प.अ.बो.) ने ₹ 2.59 करोड़ अनुमोदित किया। यद्यपि 7,158 बच्चों के संबंध में केवल ₹ 1.20 करोड़ का उपयोग हुआ, ₹ 1.39 करोड़ (54 प्रतिशत) का उपयोग नहीं हुआ जिससे 5,801 बच्चे वाहन सुविधा से वंचित रहे।

प्रा.शि.सा.मि. ने कहा (जून 2016) कि स्कूलों द्वारा दिव्यांग बच्चों के कम संख्या की सूची को प्रस्तुत करने एवं स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिये गये समय के कारण उपलब्ध बजट का उपयोग नहीं हो सका। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रा.शि.सा.मि. को सुनिश्चित करना चाहिए था कि सभी पात्र बच्चों को वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

2-1-4-4 निम्नलिखित प्राधिकरणों को दिव्यांग बच्चों के कम संख्या की सूची को प्रस्तुत करने एवं स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिये गये समय के कारण उपलब्ध बजट का उपयोग नहीं हो सका। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रा.शि.सा.मि. को सुनिश्चित करना चाहिए था कि सभी पात्र बच्चों को वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

अधिनियम का सेक्शन 12 बताता है कि गैर-सहायता प्राप्त स्कूल निकटवर्ती क.व.अ.ग्र. से संबंधित बच्चों में से, उस कक्षा की संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत को कक्षा 1 में दाखिला देगा। गैर-सहायता प्राप्त स्कूल, राज्य द्वारा किया गया प्रति बच्चा खर्च या बच्चे से ली गई वास्तविक राशि, जो भी कम हो, तक की राशि को अपने द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति करा सकेगा।

8 स्रोत: प्रा.शि.सा.मि. के अभिलेख

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2011-16 के दौरान निदेशालय के क्षेत्राधिकार के अधीन गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 में कुल 5,80,571 बच्चों को नामांकित किया गया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, क.व.अ.गु. से संबंधित 1,45,142 बच्चों (5,80,571 का 25 प्रतिशत) का दाखिला इन गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में होना चाहिए था। यद्यपि केवल 90,262 क.व.अ.गु. बच्चों का दाखिला किया गया तथा 54,880 सीटें (38 प्रतिशत) उन बच्चों से नहीं भरी गयीं। आगे, अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि:

(i) 2013-16 के दौरान निदेशालय के अधीन उत्तरी जिला के 30 गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा I में कुल 8,317 बच्चे नामांकित किए गए जिससे यह प्रतीत होता है 2,089 सीटें (25 प्रतिशत) क.व.अ.गु. के बच्चों हेतु अलग से रखी जानी चाहिए थीं परन्तु केवल 833 क.व.अ.गु. बच्चों (10 प्रतिशत) का दाखिला किया गया। इसी प्रकार, दक्षिणी जिला में 2012-16 के दौरान 49 गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में, कक्षा 1 में कुल 14,557 नामांकन के प्रति केवल 3,348 क.व.अ.गु. बच्चों (23 प्रतिशत) का दाखिला किया गया।

(ii) उत्तरी दि.न.नि. के 138 गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 2010-16 के दौरान केवल 2,867 सीटें क.व.अ.गु. बच्चों द्वारा भरी गईं यद्यपि 10,989 सीटें उसके लिए आरक्षित रखी जानी चाहिए थी। दक्षिणी दि.न.नि. के क्षेत्राधिकार के अधीन 45 गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 2,780 सीटों के प्रति केवल 382 सीटें क.व.अ.गु. बच्चों द्वारा भरी गईं।

(iii) 2011-16 की अवधि के लिए क.व.अ.गु. बच्चों के दाखिले हेतु गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति हेतु निदेशालय को ₹ 104 करोड़ का बजट प्रदान किया गया। इसके विरुद्ध निदेशालय ने ₹ 76.64 करोड़ का उपयोग किया, ₹ 27.36 करोड़ (26 प्रतिशत) का उपयोग नहीं हुआ। विभाग ने कहा (जून 2016) कि प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में (वित्त वर्ष के अन्त में) वित्त विभाग (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा निधियां अनुमोदित की गयीं जिसके कारण निधियों का कम उपयोग हुआ। इसने आगे भी बताया कि दिल्ली छावनी बोर्ड एवं न.दि.न.प. ने लेखापरीक्षित अवधि हेतु क.व.अ.गु. बच्चे पर व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया था।

इस प्रकार, कम खर्च ने गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में क.व.अ.गु. से संबंधित बच्चों के कम नामांकन तथा गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में क.व.अ.गु. बच्चों के कम से कम 25 प्रतिशत दाखिला के संबंध में शि.का.अ. अधिनियम के प्रावधानों के पूर्ण रूप से पालन को सुनिश्चित करने में निदेशालय तथा दि.न.नि. की विफलता को प्रदर्शित किया।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2016) कि क.व.अ.गु. श्रेणी से संबंधित बच्चों के कम दाखिले के कारणों में बहुत से प्राइवेट स्कूल जो दूरदराज/गैर-निश्चित क्षेत्रों में स्थित हैं जहां अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है, दाखिला हेतु आवेदन को प्रस्तुत न करना तथा प्राइवेट स्कूलों का पक्षपात शामिल है। इन समस्याओं पर काबू पाने हेतु विभाग ने सत्र 2016-17 से इन श्रेणियों के बच्चों हेतु ऑनलाईन दाखिला प्रक्रिया शुरू की है। उत्तरी एवं दक्षिणी दि.न.नि. के स्कूलों के संबंध में, सभी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को क.व.अ.गु. बच्चों के दाखिला को मना नहीं करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। आगे, सरकार ने अगले शैक्षिक वर्ष में गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला दिलाने हेतु माता-पिता को प्रेरित करने के लिए प्रभावी उपायों को शुरू करने का आश्वासन दिया।

2-1-4-5 लक्ष्य के अन्तर्गत प्रमुख कार्य ; कर्र

शि.का.अ. अधिनियम के सेक्शन 8 (डी) के अनुसार, सरकार का यह कर्तव्य है कि वह अधिनियम के प्रभाव में आने से तीन वर्षों के भीतर स्कूल भवन, अध्यापन स्टाफ एवं ज्ञान उपकरण को शामिल करते हुए आधारभूत संरचना प्रदान करें। दिल्ली में, स्कूलों में प्रमुख आधारभूत सुविधाएं निदेशालय एवं स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा रा.रा.क्षे.दि.स. भी निदेशालय तथा तीनों दि.न.नि. द्वारा प्रबंधित स्कूलों में प्रत्येक वर्ष प.अ.बो. द्वारा अनुमोदित निधियों से प्रा.शि.सा.मि. के माध्यम से सिविल आधारभूत कार्यों को करवाती है। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

लक्ष्य के अन्तर्गत कर्र रा.रा.क्षे.दि.स. ने निदेशालय के स्कूलों में अतिरिक्त आधारभूत सुविधाओं के निर्माण हेतु ₹ 706.03 करोड़ अनुमोदित किया (मार्च 2011)। इसका कार्यान्वयन तीन से पांच वर्षों तक होना था।

सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2016) कि 2011-16 के दौरान 9,960 अतिरिक्त कक्षाएं, 2,955 अतिरिक्त शौचालय एवं विभिन्न कार्यों के निर्माण हेतु ₹ 1,357.24 करोड़ आवंटित किए गए जिसमें से लो.नि.वि. द्वारा ₹ 1,225.04 करोड़ बुक किए गये। इसके अतिरिक्त, 961 स्कूलों में रैम्स, 985 स्कूलों में वि.आ.ब.स.शि. शौचालय भी निर्मित किए गये। इसके अतिरिक्त, 2011-16 के दौरान, 24 नये पक्के स्कूल भवनों का निर्माण हुआ या निर्माण पूर्ण होने के करीब था तथा 59 स्कूलों हेतु भूमि का कब्जा ले लिया अथवा प्रक्रिया में था। यद्यपि, समीक्षा अवधि के दौरान नियोजित, प्रदान किए गए/क्रियान्वित किये गए एवं पूर्ण किये गये निर्माण कार्यों से संबंधित अभिलेख/सूचना प्रदान नहीं किए गए एवं इसलिए लेखापरीक्षा आश्वासन नहीं दे सकी कि क्या कार्य वास्तव में निदेशालय द्वारा किए गए।

लक्ष्य के अन्तर्गत प.अ.बो. ने 2010-16 के दौरान प्रा.शि.सा.मि. को निदेशालय एवं दि.न.नि. के स्कूलों में 1,146 अतिरिक्त कक्षाओं, 715 शौचालयों तथा 100 रैम्स के निर्माण हेतु ₹ 142.98 करोड़ संस्वीकृत किया। यद्यपि, लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि जून 2016 तक केवल 798 अतिरिक्त कक्षाएं, 492 शौचालय एवं 96 रैम्स का निर्माण किया गया। यह भी पाया गया कि 2015-16 के दौरान 102 अतिरिक्त कक्षाओं एवं 79 शौचालयों के निर्माण हेतु संस्वीकृत ₹ 18.29 करोड़ की संपूर्ण निधियां जून 2016 तक बिना उपयोग के रहीं क्योंकि लो.नि.वि. एवं दि.न.नि. (दो निष्पादन एजेंसियां) निविदाओं को पूरा नहीं कर सके।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2016) कि सिविल कार्य निर्माण एजेंसियों द्वारा की गई हड़ताल, लो.नि.वि. में अभियन्ताओं का बार बार स्थानान्तरण एवं अतिरिक्त कक्षाओं हेतु जगह की कमी के कारण पूरा नहीं किए जा सके।

लक्ष्य के अन्तर्गत दि.न.नि. में, संबंधित दि.न.नि. के अभियांत्रिकी विभागों ने संबंधित शिक्षा विभागों की मांग पर स्कूलों में निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को जारी रखा। उत्तरी एवं दक्षिणी दि.न.नि. के शिक्षा विभागों

9 2,768 अतिरिक्त कक्षाएं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (वि.आ.वा.ब.) हेतु 140 विशेष कक्षाएं, वि.आ.वा.ब. हेतु 1,000 शौचालय, 470 पानी माड्यूल, 23 नये स्कूल, 60 स्कूलों में सुरक्षा उपाय, 295 स्कूलों में 1,180 रैम्स तथा 50 स्कूलों हेतु भूमि अभिग्रहण।

द्वारा मांगे गए कार्यों की स्थिति तथा 2009-16 के दौरान उसके संबंधित अभियांत्रिकी विभागों द्वारा किए गए कार्यों की स्थिति को **रक्यदक 2-1-3** में दिखाया गया है:

रक्यदक 2-1-3-नि-उ-फु-दसलदयलकसद, x; सडक Z1/2 गकZ2016 रद1/2

डक Z	लदयलध ल द; क	डरकडर डक Z	द, x, डक Z	डक डर उगलद, x, डक Z1/2 प्रतिशत1/2
कक्षाएं	78	1,317	380	937 (71)
हॉल	28	29	9	20 (69)
शौचालय ब्लॉक	34	271	100	171 (63)
सीटें (शौचालय)	6	83	16	67 (81)
चारदीवारियां	18	18	5	13 (72)
गेट	1	1	0	1 (100)

इस प्रकार, कक्षाओं के निर्माण से संबंधित 1,317 कार्यों में से 937 कार्य (71 प्रतिशत), शौचालय ब्लॉक के निर्माण से संबंधित 271 कार्यों में से 171 कार्य (63 प्रतिशत) एवं बाहरी दीवारों के निर्माण से संबंधित 18 कार्यों में से 13 कार्य (72 प्रतिशत) जुलाई 2016 तक कार्यान्वित नहीं हुए। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने आगे पाया कि:

- उत्तरी एवं दक्षिणी दि.न.नि. के अधीन आठ स्कूलों में कार्यों को शुरु नहीं किया गया क्योंकि बजट उपलब्ध नहीं था।
- उत्तरी दि.न.नि. में 24 कार्य (351 कमरे, तीन हॉल का निर्माण) एवं दक्षिणी दि.न.नि. में 25 कार्य (247 कमरे, 10 हॉल, 141 शौचालय ब्लॉक) शुरु नहीं किए गए यद्यपि अभियांत्रिकी विभागों ने सात से 78 महीने पहले (सितम्बर 2009 एवं अगस्त 2016 के बीच) मांग प्राप्त कर ली थी।
- उत्तरी दि.न.नि. के पांच स्कूलों एवं दक्षिणी दि.न.नि. के 22 स्कूलों में कार्य हेतु मांग, यद्यपि संबंधित शिक्षा विभागों द्वारा (2010-13 के दौरान भेजे गये 25 कार्य) भेजी गई, अभियांत्रिकी विभागों में प्राप्त नहीं हुई जो शिक्षा विभागों द्वारा अनुसरण की कमी को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि पर्याप्त मूलभूत सुविधाओं के गैर-सृजन के कारण वहां 40:1 के मानकों के विरुद्ध प्रतिकूल विद्यार्थी कक्षा अनुपात (वि.क.अ.)¹⁰ थे जो स.शि.अ. के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट पर मूल्यांकन रिपोर्ट (2016-17) में बेंचमार्क के रूप में उपयोग किये गये। निदेशालय के 421 स्कूलों (प्राथमिक कक्षाओं सहित) एवं 1,005 स्कूलों (उच्चतर प्राथमिक कक्षाओं सहित) एवं दि.न.नि. के 1,709 स्कूलों में से प्रतिकूल विद्यार्थी कक्षा अनुपात (वि.क.अ.) का ब्यौरा **रक्यदक 2-1-4** में प्रदर्शित किया गया है:

10 स्रोत: वेबसाइट "www.edudel.nic.in" पर उपलब्ध स्कूल वार रिपोर्ट (26 अगस्त 2016)

रक्यदक 2-1-4 i frdy fo | kfkZ d{kk vuq kr 1/2 fo-d-v-1/2 ds C; kS

i fr d{kk fo kfkZ	i frdy fo-d-v- l fgr funs kky; ds Ldyk 1/2 i kfkZ d{kkvu l fgr 1/2 dh l d; k 1/2 प्रतिशत 1/2	i frdy fo-d-v- l fgr funs kky; ds Ldyk 1/2 i kfkZ d{kkvu l fgr 1/2 dh l d; k 1/2 प्रतिशत 1/2	i frdy fo-d-v- ds l kfk fn-u-fu- ds Ldyk 1/2 dh l d; k 1/2 प्रतिशत 1/2
41 से 100	126(30)	695(69)	441(26)
101 से 150	3(0.71)	22(2)	4(0.23)
150 से अधिक	1(0.23)	21(2)	2(0.12)
dy	130	738	447

जैसाकि ऊपर से स्पष्ट है, प्राथमिक कक्षाओं में निदेशालय के 30 प्रतिशत स्कूल, उच्चतर प्राथमिक कक्षाओं के 69 प्रतिशत स्कूल एवं दि.न.नि. के 26 प्रतिशत स्कूल प्रतिकूल वि.क.अ. (41 से 100) के साथ चल रहे हैं।

निदेशालय ने कहा (जुलाई 2016) कि भूमि बाधाओं के कारण कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण असंभव है, उनका कहना है कि प्रतिकूल वि.क.अ., पड़ोस के राज्यों से बड़ी संख्या में आये प्रवासी जनसंख्या के कारण था जिसके फलस्वरूप गैर नियोजित कालोनियों में विकास पर असर पड़ा, जहां शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु प्रावधान नहीं रखा गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह खराब योजना एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन का संकेत है जो स्कूलों में आधारभूत संरचना को सुनिश्चित करने एवं मानक वि.क.अ. को बनाये रखने में सरकार की असफलता को बताता है।

रक्यदक 2-1-5 i frdy fo | kfkZ d{kk vuq kr 1/2 fo-d-v-1/2 ds C; kS शि.का.अ. अधिनियम की अनुसूची की मद 2 के अनुसार, प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक शिक्षक हेतु कम से कम एक कक्षा एवं कार्यालय-सह-स्टोर-सह-प्रधान शिक्षक के कक्ष, अवरोध मुक्त पहुंच, खेल का मैदान, पुस्तकालय और लड़के एवं लड़कियों हेतु अलग शौचालय होना चाहिए था। वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (वा.का.यो.ब.) पर मूल्यांकन रिपोर्ट (2016-17) के अनुसार, 2015-16 तक 2,777 सरकारी स्कूलों में से 319 स्कूलों में रैम्स नहीं थे, 406 स्कूल बिना खेल के मैदान के थे एवं 25 स्कूलों में पुस्तकालय नहीं था। 60 चयनित स्कूलों की नमूना जांच में कमियां पायी गयी जिसे रक्यदक 2-1-5 में प्रदर्शित किया गया है:

रक्यदक 2-1-5 i frdy fo | kfkZ d{kk vuq kr 1/2 fo-d-v-1/2 ds C; kS

Ø-1-	fooj. k	fun s kky; ds Ldyk 1/2 i kfkZ d{kkvu l fgr 1/2 dh l d; k 1/2 प्रतिशत 1/2	mYkjh fn-u-fu- ds Ldyk 1/2 i kfkZ d{kkvu l fgr 1/2 dh l d; k 1/2 प्रतिशत 1/2	nf{k kh fn-u-fu- ds Ldyk 1/2 i kfkZ d{kkvu l fgr 1/2 dh l d; k 1/2 प्रतिशत 1/2
1	कार्यालय-सह-स्टोर-सह-प्रधान शिक्षक कक्ष	1	-	-
2	प्रत्येक शिक्षक के लिए एक कक्षा	-	1	1
3	मैदान	7	9	11
4	पुस्तकालय	2	-	-
5	अवरोध मुक्त पहुंच	-	13	14
6	लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग शौचालय	-	1	-

इस प्रकार, निदेशालय के सात स्कूलों एवं उत्तरी एवं दक्षिणी दि.न.नि. के 20 स्कूलों में कोई खेल का मैदान नहीं था। उत्तरी एवं दक्षिणी दि.न.नि. के 27 स्कूलों में अवरोध मुक्त पहुंच नहीं थी।

सरकार ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2016) कि कुछ स्कूलों में खेल के मैदान में अवरोध मुक्त पहुंच नहीं थी, लड़कों एवं लड़कियों हेतु अलग से शौचालय नहीं थे एवं कक्षाओं की कमी थी।

2-1-5- 'कक्षाओं की कमी'

अधिनियम के सेक्शन 25 के अनुसार, अधिनियम के शुरु होने के छः महीने के भीतर, सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी को प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (वि.शि.अ.) जैसाकि अनुसूची में वर्णित है सुनिश्चित करने थे। अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि शिक्षकों की काफी कमी थी जैसा नीचे चर्चा की गई है।

2-1-5-1 शिक्षकों की कमी

निदेशालय में प्राथमिक एवं उच्चतर प्राथमिक कक्षाओं हेतु शिक्षकों एवं लाइब्रेरियन्स के रिक्त पदों के ब्यौरे (जुलाई 2016) में प्रदर्शित किए गए हैं:

रिक्त पदों का ब्यौरे (जुलाई 2016)

Ø1 -	in	एप्रिल 2016 रिकॉर्ड	31 एप्रिल 2016 रिकॉर्ड	फरवरी में प्रतिशत
1	सहायक नर्सरी शिक्षक	499	55	444 (88)
2	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (प्र.स्ना.शि.)	32,385	27,489*	4,896 (15)
3	लाइब्रेरियन	999	507	492 (49)
4	कार्य अनुभवी शिक्षक	1,017	1	1,016 (99)
5.	सहायक शिक्षक (प्राथमिक)	4,016	2,285	1,731 (43)
	कुल	38,916	30,337	8,579(22)

* 8,097 अतिथि शिक्षकों को शामिल कर

जैसा उपर से लिया गया है, जुलाई 2016 तक शिक्षकों एवं लाइब्रेरियन्स के 38,916 पदों में से 8,579 पद (22 प्रतिशत) खाली थे। यह देखा गया कि 499 पदों में से सहायक नर्सरी शिक्षक के 444 पद (88 प्रतिशत) 1,017 पदों में से कार्य अनुभवी शिक्षक के 1,016 पद (99 प्रतिशत) एवं 4,016 पदों में से सहायक शिक्षक प्राथमिक के 1,731 पद (43 प्रतिशत) खाली थे।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि मार्च 2011 में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा संस्वीकृत 3,760 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (प्र.स्ना.शि.) पदों के प्रति निदेशालय ने प्रोन्नति के माध्यम से 1,082 पद भरे। 2,678 पदों के लिए मांग जनवरी 2012 एवं अप्रैल 2013 के बीच दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड (दि.अ.क.च.बो.) को भेजी गयी परन्तु तथ्यों को उसके बाद नहीं बढ़ाया गया एवं पद खाली रहे (जुलाई 2016)। इसके अतिरिक्त, निदेशालय ने कार्य अनुभवी शिक्षक के पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधनों को पूरा नहीं किया, जिसके कारण जुलाई 2016 तक 1,016

पद खाली रहे। इस प्रकार, स्टाफ की भर्ती हेतु निदेशालय के निरुत्साहपूर्ण दृष्टिकोण के कारण, पांच वर्षों से अधिक समय से संस्वीकृत अधिकांश पद लगातार खाली पड़े रहे।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि शिक्षकों की कमी के कारण, वि.शि.अ.¹¹ प्राथमिक एवं उच्चतर प्राथमिक कक्षाओं में प्रतिकूल था। यह आकलन किया गया कि दि.न.नि. के 829 स्कूल 41 से 164 के बीच प्रतिकूल वि.शि.अ. के साथ चल रहे थे। इसी प्रकार, निदेशालय के 30 स्कूलों में (प्राथमिक कक्षाओं सहित) 41 एवं 169 के बीच प्रतिकूल वि.शि.अ. था, एवं उच्चतर प्राथमिक कक्षाओं वाले 292 स्कूलों में 36 एवं 182 के बीच प्रतिकूल वि.शि.अ. था। फलस्वरूप, स्कूल शिक्षकों की भारी कमी से जुझ रहे थे एवं शिक्षा के मानकों से समझौता कर रहे थे।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2016) कि खाली पदों को भरने हेतु तथा कार्य अनुभवी शिक्षकों के भर्ती नियमों में सुधार हेतु सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

2-1-5-2 शिक्षकों के प्रशिक्षण सुधार कार्यक्रम

विशेष गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए, प्रा.शि.सा.मि. शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक वर्ष प्रावधान करता है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अ.प्र.प.), दिल्ली तीन से 10 दिनों की अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु शैक्षिक संसाधन सहायता प्रदान करता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2010-16 के दौरान प्रशिक्षण हेतु रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा प्रस्तावित 1,07,142 शिक्षकों में से केवल 91,145 प्राथमिक एवं उच्चतर प्राथमिक शिक्षकों ने प्रशिक्षण में भाग लिया जैसाकि अनुसूची 2-1-8 में प्रदर्शित किया गया है जबकि रा.शै.अ.प्र.प. के पास पर्याप्त निधियां उपलब्ध थीं। यह देखा गया कि रा.शै.अ.प्र.प. को 2010-16 के दौरान सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण को संचालित करने हेतु ₹ 12.46 करोड़ आवंटित किया गया जिसके विपरीत केवल ₹ 4.75 करोड़ का खर्च हुआ। अतः यहां दोनों वित्तीय (62 प्रतिशत) एवं भौतिक (15 प्रतिशत) लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी थी।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2016) कि स्थानीय निकाय स्कूलों से शिक्षकों की कम भागीदारी एवं अक्टूबर एवं नवम्बर में निधियों की विलंब से प्राप्ति के कारण लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। अतः प्रत्येक वर्ष दिसम्बर के बाद केवल 2-3 महीनों के दौरान प्रशिक्षण शुरू किया गया जो कि स्कूलों में फाईनल परीक्षाओं की तैयारी की अवधि होती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को परीक्षा की अवधि को ध्यान में रखते हुए वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना चाहिए था।

2-1-5-3 शिक्षकों के नियुक्ति के लिए

शि.का.अ. अधिनियम का सेक्शन 18 बताता है कि कोई भी स्कूल, स्थापित स्कूलों के अलावा, जो उपयुक्त सरकार या स्थानीय निकायों का स्वयं का हो या उसके द्वारा नियंत्रित हो इस प्रकार के प्राधिकारी से मान्यता प्रमाणपत्र को प्राप्त किए बिना स्थापित या चालू नहीं किया जाएगा। मान्यता की शर्तों के उल्लंघन पर, मान्यता को वापस लिया जाएगा। आगे, कोई भी व्यक्ति जो बिना मान्यता के स्कूल स्थापित करता है या चलाता है या मान्यता के वापस ले लिए जाने के बाद स्कूल चलाता है तो एक लाख रुपये तक के दंड का भागीदार होगा तथा उल्लंघन को जारी रखने के प्रकरण में प्रतिदिन उल्लंघन अवधि हेतु ₹ 10,000 के दंड का भागीदार होगा।

आगे, शि.का.अ. अधिनियम के सेक्शन 19 (2) के अनुसार जहां स्कूल, अधिनियम के लागू होने के पहले स्थापित हुआ एवं वह अनुसूची में उल्लेखित नियमों व मानकों का पालन नहीं

11 स्रोत: वेबसाइट " www.edudel.nic.in" पर उपलब्ध स्कूल वार रिपोर्ट (26 अगस्त 2016)

करता है तो इस तरह के स्कूल अधिनियम के लागू होने से तीन वर्षों की अवधि के भीतर अपने खर्च पर इस तरह के नियमों व मानकों का पालन करने के लिए कदम उठायेगा।

मार्च 2013 में निदेशालय ने मान्यता प्रदान करने हेतु दिल्ली में चल रहे 1,596 गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए। इसने 825 प्राइवेट गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को जो कि अप्रैल 2010 से पहले चल रहे थे (अधिनियम के लागू होने की तिथि से) को 1 अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक एक वर्ष के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान की (अप्रैल 2013) बशर्ते यह स्कूल शि.का.अ. अधिनियम/नियम तथा दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम व नियम 1973 के अनुसार मान्यता के नियम व शर्तों को पूरा करें। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि इन स्कूलों ने शि.का.अ. अधिनियम/नियमों के अनुसार मान्यता के नियमों व शर्तों को पूरा नहीं किया साथ ही रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य, सुरक्षित पीने का पानी, संरचनात्मक स्थिरता/भवन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा एवं स्कूल की भूमि जो ग्राम सभा/वन भूमि न हो, के आवश्यक प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में लगे रहे, अनंतिम मान्यता को समय समय पर अधिकतम सितम्बर 2016 तक बिना किसी जुर्माना के बढ़ाया गया। आगे 771 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल¹² योग्य नहीं पाये गए एवं मान्यता प्रदान नहीं की गयी परन्तु इन्हें बंद कराने के बजाए प्रवेश द्वार के बोर्ड पर 'गैर-मान्यता प्राप्त' बताने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त, निदेशालय ने इन आदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए कोई निरीक्षण नहीं किया।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2016) कि 825 गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की अनंतिम मान्यता 30 सितम्बर 2016 तक बढ़ा दी गई एवं स्कूल जिन्होंने मान्यता हेतु आवेदन नहीं किया उसे 30 सितम्बर 2016 तक आवेदन करने हेतु अवसर दिए गए। आगे यह भी बताया गया कि अधिनियम के अनुसार, गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के बन्द होने से पहले, यह विभाग का दायित्व बनता है कि वह अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों में विद्यार्थियों को समायोजित करे। इस संबंध में नीति निर्धारण प्रक्रियाधीन है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ये अयोग्य स्कूल अप्रैल 2013 में अनंतिम मान्यता से तीन वर्षों से अधिक समय से चल रहे थे तथा अब शि.का.अ अधिनियम के अनुसार अनुपालना या कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए।

2-1-5-4 निदेशालय द्वारा जारी की गई दि.न.नि. कक्षा I से VIII के विद्यार्थियों के लिए दिल्ली

नियम 8 प्रावधान करता है कि सरकार या स्थानीय प्राधिकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे निःशुल्क यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें एवं लेखन सामग्री हेतु हकदार होंगे। वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के अनुमोदन हेतु प.अ.बो. बैठकों (2012-16) में रा.रा.क्षे. सरकार के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें एवं लेखन सामग्री सभी बच्चों को शैक्षिक वर्ष के शुरु में प्रदान किए जायेंगे। चयनित स्कूलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने, यद्यपि, निम्नलिखित दर्शाया:

निदेशालय एवं दि.न.नि. कक्षा I से VIII के विद्यार्थियों के लिए दिल्ली ब्यूरो ऑफ पाठ्य पुस्तक (दि.ब्यू.पा.पु.) से पुस्तकें खरीदते हैं जिसे सीधे स्कूलों को भेजा जाता है। दि.न.नि. द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों को पुस्तकों की लागत के पांच प्रतिशत का भुगतान करना होता है जबकि निदेशालय द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों के बदले में बच्चों को नकद दिया जाता है।

12 243 स्कूलों के पास पर्याप्त भूमि नहीं थी, 225 को शि.का.अ. अधिनियम के मानकों का पालन नहीं करने के कारण मान्यता नहीं दी गई तथा 303 स्कूलों ने मान्यता हेतु प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए।

(i) निदेशालय के चयनित स्कूल: लेखापरीक्षा ने पाया कि 26 चयनित स्कूलों एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में से 12 सरकारी स्कूलों के 29,476 बच्चों को अप्रैल में, 3,670 बच्चों को मई एवं नवम्बर के बीच तथा 2,381 बच्चों को उसके पश्चात पाठ्य पुस्तकें प्रदान की गईं। इस संबंध में दो सरकारी स्कूलों ने सूचना प्रदान नहीं की। 2010-16 के दौरान 12 सहायता प्राप्त स्कूलों ने 1,423 बच्चों को जुलाई एवं नवंबर के बीच तथा 28,843 बच्चों को उसके पश्चात पाठ्य पुस्तकों हेतु नकद भुगतान किया।

(ii) दि.न.नि. के चयनित स्कूल: 34 चयनित स्कूलों में कुल 74,308 बच्चों में से 28,110 बच्चों को एक से पांच महीने के विलंब से पाठ्य पुस्तकें दी गईं जबकि 2010-16 के दौरान 2,255 बच्चों को पाठ्य पुस्तकें प्रदान नहीं की गईं।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2016) कि उत्तरी एवं दक्षिणी दि.न.नि. स्कूलों के उन सभी बच्चों को पुस्तकें प्रदान की गईं जो नियमित रूप से स्कूल आये, तथा आश्वासन दिया कि पुस्तकें भविष्य में समय से प्रदान की जायेंगी।

1/4 1/2 ; fuQWZ , oa ys ku l kex% (i) निदेशालय के चयनित स्कूल: निदेशालय के स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म या लेखन सामग्री प्रदान नहीं की गयी परन्तु उसके एवज में नकद¹³ भुगतान किया गया। 2010-16 के दौरान 12 स्कूलों ने 22,165 बच्चों को जुलाई एवं नवम्बर के बीच एवं 13,029 बच्चों को उसके बाद यूनिफॉर्म के एवज में नकद भुगतान किया। दो सरकारी स्कूलों ने इस संबंध में सूचना प्रदान नहीं की। 12 सहायता प्राप्त स्कूलों में 948 बच्चों को अक्टूबर एवं नवम्बर के बीच तथा 29,318 बच्चों को उसके बाद नकद भुगतान किया गया।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2016) कि 2010-16 के दौरान दिल्ली के राज्य बजट से पाठ्य पुस्तकों पर ₹ 526.89 करोड़ एवं यूनिफॉर्मों पर ₹ 685.31 करोड़ खर्च किए गए। उत्तर, यद्यपि, पाठ्य पुस्तकों के जारी करने एवं बच्चों को यूनिफॉर्म हेतु नकद भुगतान में विलंब करने पर मौन था।

(ii) दि.न.नि. के चयनित स्कूल: दक्षिणी दि.न.नि. के स्कूलों में, यूनिफॉर्मों के बदले नकद वितरित किया गया जबकि उत्तरी दि.न.नि. के स्कूलों में विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म प्रदान किए गए। 34 चयनित स्कूलों में कुल नामांकित 74,308 बच्चों में से 21 स्कूलों के 17,208 बच्चों (आठ सहायता प्राप्त स्कूलों के 12,135 बच्चे सहित) को यूनिफॉर्म या उसके बदले नकद भुगतान नहीं किए गये। 26 स्कूलों ने 27,264 बच्चों को यूनिफॉर्म/नकद एक से छः महीने के विलंब से, 25 स्कूलों ने 27,967 बच्चों को सात से 12 महीने के विलंब से एवं सात स्कूलों ने 12 महीने से ज्यादा विलंब से (5,027 बच्चे) वितरित किया।

पाठ्य पुस्तकों, यूनिफॉर्मों एवं लेखन सामग्रियों को विलंब से प्रदान करने/प्रदान न करने के कारण बच्चों के सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है एवं निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, यूनिफॉर्मों व लेखन सामग्रियों को प्रदान किये जाने का उद्देश्य प्रभावित हुआ।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2016) कि कदाचार से बचने के लिए विद्यार्थियों को केवल बैंक एकाउन्ट के माध्यम से ₹ 500 की आर्थिक सहायता नकद प्रदान की गयी। विद्यार्थियों को नकद सहायता के भुगतान में विलंब के मुख्य कारण विद्यार्थियों के बैंक एकाउन्ट खोलने में होने वाली परेशानी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसाकि शि.का.अ. नियम नवम्बर 2011 में लागू हुए परन्तु विभाग बच्चों को यूनिफॉर्म/नकद की समय से आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने में विफल रहा।

13 यूनिफॉर्म हेतु कक्षा V तक के लिए प्रति बच्चा ₹ 500 एवं कक्षा VI से VIII के लिए प्रति बच्चा ₹ 700, लेखन सामग्री हेतु, कक्षा V तक के लिए प्रति बच्चा ₹ 300 एवं कक्षा VI से VIII के लिए प्रति बच्चा ₹ 400।

2-1-6 fuxjkuh ræ

शि.का.अ. अधिनियम के कार्यान्वयन प्रक्रिया की निगरानी, सम्पूर्ण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण व अविभाज्य अंग है। शीर्ष प्रबंधन, लगातार व प्रभावी निगरानी के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में गैर-निष्पादित क्षेत्रों को रेखांकित करता है, कारणों को चिन्हित करता है एवं समय पर कार्यान्वयन को लागू करने के लिए समय से सुधारक उपाय किए जाने का निर्देश देता है। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया :

1/2 jk; 1 ylgdkih ifj"m% अधिनियम बताता है कि अधिनियमों के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन हेतु राज्य सलाहकारी परिषद (रा.स.प.) का गठन किया जाएगा। रा.स.प. नियमित रूप से बैठक करेंगे परन्तु दो लगातार बैठकों के बीच तीन महीने से अधिक का समय नहीं होगा। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि जुलाई 2016 तक इसके अप्रैल 2014 में गठन के समय से केवल एक बार (सितम्बर 2014) रा.स.प. प्रवेश स्तर कक्षा में दाखिला हेतु आयु के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठक हुई। दूसरे मुद्दे जैसेकि निदेशालय एवं स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा शि.का.अ. अधिनियम के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा, वि.शि.अ. से संबंधित कार्यान्वयन में कठिनाइयां, कक्षा अनुपात एवं दूसरे आधारभूत ढांचे एवं उपाय जो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए लिये जाने थे, पर चर्चा नहीं की गई। इस प्रकार, रा.स.प. अपनी भूमिका के निर्वहन में काफी हद तक अप्रभावी रहा।

1/2 Ldy izaku l fefr; k% नियम 3 शि.का.अ. अधिनियम के कार्यान्वयन के निगरानी के लिए नियमों के लागू होने से छः महीने के भीतर प्रत्येक स्कूल में स्कूल प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान करता है। चयनित 60 स्कूलों में से निदेशालय के 23 में, स्कू.प्र.स. को एक से 31 महीने के विलंब से गठित किया गया एवं दि.न.नि. के 27 स्कूलों में एक से 27 महीने तक का विलंब था। दि.न.नि. के दो स्कूलों में मार्च 2016 तक स्कू.प्र.स. का गठन नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, स्कू.प्र.स. ने वर्ष में निर्धारित छः बैठकें नियमित रूप से नहीं की। निदेशालय के एक स्कूल में, स्कू.प्र.स. ने एक भी बैठक संचालित नहीं की जबकि दूसरे 24 स्कूलों में, स्कू.प्र.स. ने वर्ष में निर्धारित छः बैठकों से कम संचालित की। अतः स्कू.प्र.स. के गठन का उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ।

1/2 Ldy fodkl ; kt uk dks r\$ kj u djuk% नियम 4 प्रावधान करता है कि स्कू.प्र.स. एक स्कूल विकास योजना (स्कू.वि.यो.) तैयार करेगी जिसमें नामांकन का अनुमान, शिक्षकों की आवश्यकता, आधारभूत संरचनाएं शामिल होगा। चयनित स्कूलों में अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि निदेशालय के चार स्कूलों के स्कू.प्र.स. एवं उत्तरी तथा दक्षिणी दि.न.नि. के नौ स्कूलों के स्कू.प्र.स. ने 2010-16 की अवधि के लिए स्कू.वि.यो. तैयार नहीं किया। आगे, 18 स्कूलों ने केवल 2014-15 एवं 2015-16 की वार्षिक विकास योजना तैयार की।

इस प्रकार, अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु महत्वपूर्ण सलाहकारी/प्रबंधन समितियां या तो नहीं बनायी गई या उन्होंने सही ढंग से अपने कार्यों का निर्वहन नहीं किया।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2016) कि सरकारी स्कूलों द्वारा स्कू.वि.यो. 2014-15 में पहली बार तैयार किए गए एवं इस संबंध में उत्तरी एवं दक्षिणी दि.न.नि. के स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं (सितम्बर 2016)।

2-1-7- fu"d"l

दिल्ली में शि.का.अ. अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन खराब योजना एवं तैयारी, लगातार रिक्तियां साथ ही निधियों के जारी होने तथा इसकी उपयोगिता में विलंब के कारण प्रभावित रहा। निदेशालय बच्चों के जन्म से 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक के सभी बच्चों के डाटाबेस को संग्रह करने व बनाए रखने के लिए, अनिवार्य घरेलू सर्वेक्षण को पूरा करने में एवं निकटवर्ती स्कूलों को निर्धारित करने व स्थापना के उद्देश्य हेतु स्कूलों की मैपिंग के साथ इसे जोड़ने में असफल रहा। रा.रा.क्षे.दि.स. एवं स्थानीय निकायों द्वारा बच्चों के नामांकन हेतु कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 में नामांकन 2010-11 से 2015-16 के बीच 23 प्रतिशत तक कम हो गया जबकि 2010-16 के दौरान कुल नामांकन (प्राइवेट स्कूलों को शामिल कर) की स्थिति लगभग स्थिर रही जो उसी अवधि के दौरान दिल्ली के जनसंख्या में वृद्धि के अनुरूप नहीं थी। बच्चों एवं दिव्यांग बच्चों या जो बच्चे कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी ग्रुप से संबंधित हैं के विशेष प्रशिक्षण से संबंधित प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई। आधारभूत ढांचे में वृद्धि की मांग के बावजूद, अतिरिक्त कक्षाएं एवं शौचालयों के निर्माण हेतु प्रा.शि.सा.मि. को 2015-16 के दौरान ₹ 18.29 करोड़ स्वीकृत किया गया जो जून 2016 तक बिना उपयोग के रहा जबकि उत्तरी एवं दक्षिणी दि.न.नि. में कक्षाएं, हॉल, शौचालयों एवं बाहरी दीवारों के 69 से 81 प्रतिशत निर्माण कार्य का कार्यान्वयन नहीं हुआ।

इसके अतिरिक्त यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें एवं लेखन सामग्री सभी विद्यार्थियों को वितरित नहीं किए जा रहे थे और जहां जारी किए गए वहां विलंब से जारी किए गए एवं शि.का.अ. अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अधिनियम के अधीन बनाए गए संस्थागत तंत्र भी अप्रभावी रहे क्योंकि विभिन्न सलाहकारी एवं निगरानी समितियां या तो गठित नहीं की गई या नियमित रूप से बैठकें नहीं की गई।

स्कूलों तथा विशेषकर सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों के कुल नामांकन में कमी, शि.का.अ. अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में सीखने व आधारभूत संरचनाओं के मानकों में सुधार हेतु आवश्यकता को दर्शाता था।

2-1-8- fl Qkf' la

लेखापरीक्षा प्राप्तियों के आधार पर यह सिफारिश की जाती है कि सरकार:

- 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के व्यापक डाटाबेस को रखने हेतु घरेलू सर्वेक्षण को पूरा करे, इसका वार्षिक अद्यतन करे एवं स्कूलों में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी योजना हेतु स्कूलों की मैपिंग के साथ इसे जोड़ा जाए;
- सभी स्तरों पर निधियों को समय से जारी करने एवं उचित उपयोग को सुनिश्चित करे;
- शैक्षिक वर्ष के शुरु में सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म एवं लेखन सामग्री के प्रावधान को सुनिश्चित करे;
- आवश्यक विद्यार्थी शिक्षक अनुपात को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की भर्ती तथा निर्धारित विद्यार्थी कक्षा अनुपात को बनाए रखने के लिए भी आधारभूत संरचना एवं मूल सुविधाओं में वृद्धि करे; तथा
- अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी हेतु संस्थागत तंत्र को मजबूती प्रदान करे।

[kk] l j{kk foHkx

2-2 fnYyh ea [kk] l j{kk , oaekud vfeku; e] 2006 dk dk kZb; u

देश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 खाद्य सुरक्षा मानकों का प्रावधान करता है। अगस्त 2011 से मार्च 2016 की अवधि को कवर करते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा, अधिनियम को लागू करने में कमजोर विनियामक तथा प्रशासनिक तंत्र को प्रकट करती है। अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की गैर अनुपालना खाद्य की गुणवत्ता के साथ समझौता करना है, जो कि जन सामान्य के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से खतरे में डालता है। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्राप्तिां नीचे दी गई है:

ef; fcLhq

- विभाग ने न तो खाद्य व्यापार संचालकों की पहचान करने के लिये सर्वेक्षण कराया न ही खाद्य व्यापार संस्थापनों के आंकड़ों का रखरखाव किया। जन उपभोग मदों में लगे बहुत से खाद्य व्यापार संचालक अधिनियम के अंतर्गत कवर होने से रह गए।

(पैराग्राफ 2.2.2.2 एवं 2.2.2.3)

- राज्य खाद्य प्रयोगशाला ने वर्ष 2012 में दो वर्षों के लिए परीक्षण और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का प्रत्यायन प्राप्त किया। मार्च 2014 के बाद प्रत्यायन का नवीनीकरण नहीं हो सका क्योंकि तकनीकी स्टाफ और आवश्यक उपकरणों के अभाव के कारण उन्नयन नहीं हो सका।

(पैराग्राफ 2.2.3.2(क) एवं 2.2.3.2(ख))

- खाद्य व्यापार संचालकों को लाइसेंस तथा पंजीकरणों को जारी करने में विलंब हुआ। 1,914 लाइसेंस तथा 12,200 पंजीकरण प्रमाणपत्रों की गैर-नवीनीकरण के कारण समय सीमा समाप्त हो गई।

(पैराग्राफ 2.2.3.3. एवं 2.2.3.4)

- 97 प्रतिशत मामलों में कोई निरीक्षण नहीं किया गया। उठाए गए नमूने बहुत कम अर्थात् 49, 796 लाइसेंस प्राप्त खाद्य संस्थापनों से चार प्रतिदिन की दर से थे। विभाग ने खाद्य नमूने उठाने हेतु कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया। खाद्य नमूनों को निर्धारित पैरामीटरों के लिए संपूर्णता की जांच किए बिना खाद्य सुरक्षा मानकों के समानुरूप घोषित कर दिया गया।

(पैराग्राफ 2.2.4.1 एवं 2.2.4.2)

- विभाग ने अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग हेतु इसके आंतरिक आदेशों के साथ अनुपालन को मॉनीटर नहीं किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को फील्ड ड्यूटी के आवंटन हेतु दैनिक डायरियों, शिकायत सुधार हेतु

निर्धारित प्रपत्रों में शिकायत रजिस्ट्रों तथा विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की निगरानी हेतु प्रगति रजिस्ट्रों के गैर अनुरक्षण ने कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाया।

(पैराग्राफ 2.2.6.1)

2-2-1 iLrkouk

खाद्य सुरक्षा किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक तथा स्वास्थ्य प्राथमिकता है। असुरक्षित भोजन के परिणामों में बीमारी, अस्पताल में रहना तथा चरम मामलों में मृत्यु शामिल है। देश में खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू करने की दृष्टि से भारत सरकार (भा.स.) ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (अधिनियम) 24 अगस्त 2006 को लागू किया तथा 5 मई 2011 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011 बनाई। विभिन्न मामलों¹⁴ में व्यवहार हेतु पृथक विनियम भी अगस्त 2011 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए।

2-2-1-1 l xBukRed <lkp

अधिनियम को लागू करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर भारत का खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (भा.खा.सु.मा.प्रा.) तथा राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण¹⁵ उत्तरदायी हैं। दिल्ली में, खाद्य सुरक्षा विभाग (विभाग) का अध्यक्ष, आयुक्त होता है जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (स्वा.प.क.वि.) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत ऐसी खाद्य वस्तुओं के निर्माण, बिक्री भंडारण तथा वितरण के विनियमन हेतु अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

2-2-1-2 yq lki jh lk dk Zlk= , oadk; Zzkkyh

निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल से अगस्त 2016 के दौरान अगस्त 2011 से मार्च 2016 की अवधि को कवर करते हुए की गई। लेखापरीक्षा ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिलेखों का परीक्षण किया तथा 11 में से तीन जिलों के, केवल राज्य खाद्य प्रयोगशाला तथा लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रमाणपत्रों का चयन किया जैसा नीचे वर्णित है:

- तीन जिलों (पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण) को आकार में आनुपातिक संभाव्यता के जरिए तथा बिना परिवर्तन के (आ.आ.सं.बि.प.) चुना गया;
- 2013-16 के दौरान जारी 5,064 में से 360 लाइसेंस तथा 2013-16 के दौरान जारी 12,274 में से 90 पंजीकरण प्रमाणपत्र (पं.प्र.) को सरल यादृच्छित नमूने से बिना परिवर्तन के (स.या.न.बि.प.) चुना; तथा
- 2011-16 के दौरान 1,885 में से 375 खाद्य नमूने उठाए गए।

अप्रैल 2016 के प्रवेश सम्मेलन में आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) के साथ निष्पादन लेखापरीक्षा शुरू की गई जिसमें विभाग के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा कार्यप्रणाली के बारे में अवगत कराया गया। समापन सम्मेलन भी सितंबर 2016 में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा के साथ लेखापरीक्षा प्राप्तियों पर चर्चा करने के लिए किया गया। समापन सम्मेलन में विभाग द्वारा व्यक्त विचारों

14 (1) कंटामीनेट्स, टॉक्सिन तथा अवशेष (2) प्रयोगशाला तथा नमूने विश्लेषण, (3) खाद्य व्यापार का लाइसेंस तथा पंजीकरण, (4) पैकेजिंग तथा लेबलिंग (5) बिक्री पर निषेध तथा प्रतिबंधन (6) खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य सहायकों पर खाद्य सुरक्षा तथा मानक विनियम
15 दिल्ली में खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा आयुक्त है।

तथा बाद में प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। यद्यपि, सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2016)।

2-2-1-3 यश कि जहलक मीस ;

मुख्य लेखापरीक्षा उद्देश्यों में निर्धारित करना था कि क्या;

- विनियामक तथा प्रशासनिक तंत्र अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु ठीक थे;
- आवश्यक अवसंरचना तथा संसाधन ठीक थे तथा लाइसेंस और पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किये गये थे;
- निरीक्षण, नमूना जांच तथा अभियोजन अधिनियम के अनुसार किए गए थे, और
- जागरुकता उत्पन्न करने, सूचना, शिक्षा तथा संचार (सू.शि.सं.), मॉनीटरिंग और मूल्यांकन के लिए तंत्र सही थे।

2-2-1-4 यश कि जहलक एकुम

निम्नलिखित को लेखापरीक्षा के लिए मानदंड के रूप में प्रयुक्त किया गया;

- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006;
- खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011;
- अगस्त 2011 में अधिसूचित विभिन्न खाद्य सुरक्षा तथा मानक विनियमन;
- भा.खा.सु.मा.प्रा. द्वारा जारी दिशानिर्देश, मैनुअल तथा खाद्य मानक; और
- विभाग के आंतरिक आदेश।

यश कि जहलक इतिर; क

2-2-2 fofu; ked , oaižkl fud ra-

2-2-2-1 vfeku; e dsvarxz ykbl d @iat hdj. k iek ki = t kjh djuseafoye

अधिनियम को अगस्त 2006 में भा.स. द्वारा लागू किया गया तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली मई 2011 में तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमों को उसके अंतर्गत अगस्त 2011 में अधिसूचित किया गया, खाद्य सुरक्षा विभाग को रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा मार्च 2012 में अधिसूचित किया गया। आगे, इसने अप्रैल 2013 में खाद्य व्यापार संचालकों (खा.व्या.सं.) को प्रथम लाइसेंस¹⁶ जारी करने में एक वर्ष से अधिक समय लिया तथा जनवरी 2014 में प्रथम पंजीकरण प्रमाणपत्र (पं.प्र.)¹⁷ को जारी करने के लिए दो वर्ष लिए।

विभाग ने लाइसेंस/पं.प्र. जारी करने में लगने वाले समय के लिए अवसंरचना की गैर-विद्यमानता, जांच सूची को बनाना तथा स्टाफ के लिए निर्देशों को उत्तरदायी ठहराया (नवंबर 2016)। आगे यह कहा गया कि यद्यपि नियम एवं विनियमों ने लाइसेंस/पं.प्र. जारी करने

16 ₹ 12 लाख से अधिक वार्षिक बिक्री रखने वाले खाद्य व्यापार संचालकों को लाइसेंस हेतु आवेदन करना आवश्यक है।

17 ₹ 12 लाख से कम वार्षिक बिक्री रखने वाले खाद्य व्यापार संचालकों को पं.प्र. हेतु आवेदन करना आवश्यक है।

की प्रक्रिया अगस्त 2011 में अधिसूचित की गयी थी, फिर भी निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन हेतु इस आधार पर कि दिल्ली में खा.व्या.सं. के लिए कोई लाइसेंसिंग नहीं है, आगे और कदम उठाने की आवश्यकता थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अवसंरचना पहले ही ठीक है, अर्थात् पदासीन अधिकारी (प.अ.) तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी (खा.सु.अ.) की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण वर्ष 2011 में ही हो चुका था। इसके अतिरिक्त, नये/परिवर्तनीय/लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए दस्तावेजों की सूची तथा विभिन्न श्रेणियों के खा.व्या.सं. के लिए जांच सूची के लिए निर्देश मई 2012 में भा.खा.सु.मा.प्र. द्वारा जारी किए गए थे।

2-2-2-2 [क] 0 कि कि 1 प्युदकध i gpk u gkuk

अधिनियम के सेक्शन 31 में निर्धारित है कि कोई व्यक्ति तब तक कोई खाद्य व्यापार आरंभ अथवा चालू नहीं रखेगा जब तक लाइसेंस अथवा पं.प्र. प्राप्त नहीं करेगा। खा.सु.मा. नियमावली के नियम 2.1.3 (4) (iii) (एफ) के अनुसार क्षेत्र का खाद्य सुरक्षा अधिकारी (खा.सु.अ.) सभी खाद्य व्यापारों के आंकड़ें रखेगा। आगे, खा.सु.मा. (लाइसेंसिंग तथा पंजीकरण) विनियमन, 2011 के विनियम 2.1.2. के अनुसार कोई व्यक्ति या खा.व्या.सं. जो इन विनियमों को अधिसूचित किए जाने की तिथि पर खाद्य व्यापार कर रहा है, अपने विद्यमान लाइसेंस को नये अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस/पंजीकरण में स्थानांतरित करवाएगा।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि विभाग ने पिछले अधिनियम/आदेशों के अंतर्गत चलने वाले खा.व्या.सं. की सूचना पिछली इनफोर्समेंट एजेंसियों¹⁸ के साथ संग्रहित करने के लिए ना तो कोई तंत्र विकसित किया न ही सभी खा.व्या.सं. का डाटाबेस तैयार करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया। दिल्ली में खाद्य व्यापार से संबंधित दो लाख खा.व्या.सं.¹⁹ की प्रायोजित संख्या को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। आगे, विभाग ने मार्च 2016 तक नये अधिनियम के अंतर्गत 1,50,204 खा.व्या.सं. के कवरेज में 75 प्रतिशत की कमी के साथ सिर्फ 49,796 लाइसेंस तथा पं.प्र. जारी किए। विश्वसनीय डाटाबेस के अभाव में बिना लाइसेंस/पं.प्र. के खा.व्या.सं. के संचालन की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि स्टाफ की कमी के कारण सर्वेक्षण कराया नहीं जा सका। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग ने विद्यमान खा.व्या.सं. के संबंध में सूचना प्राप्त करने में रद्द अधिनियम/आदेशों के अन्तर्गत पिछली इनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ सामंजस्य के लिए कोई प्रयास नहीं किया।

2-2-2-3 [क] 0 क्ल अ दक दोज u gkuk

लेखापरीक्षा ने देखा कि खा.व्या.सं. के डाटाबेस के अभाव के कारण विभाग बड़ी संख्या में उपभोग वाले खाद्य पदार्थ जैसेकि स्कूलों में मिड-डे मील, पैकज्ड पेय जल, एल्कोहल वाले ड्रिंक एवं वाइन तथा दूध से संबंधित खा.व्या.सं. (लाइसेंस/आर सी को जारी करना तथा नमूने उठाने से संबंधित) को कवर करने में असफल रहा, जैसाकि विवरण नीचे दिया गया है:

(क) मिड-डे मील योजना केन्द्र की योजना है जो कि स्कूली बच्चों में पोषण के स्तर को सुधारने के लिए बनायी गयी है। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि भा.खा.सु.मा.प्रा. की

18 दि.न.नि., न.दि.न.प. खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग, खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक मंत्रालय तथा वनस्पति तेल व वसा निदेशालय इत्यादि 19 2014-15 तथा 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विभाग द्वारा भा.खा.सु.मा.प्रा. को प्रस्तुत दो लाख की प्रायोजित संख्या

केन्द्रीय सलाहकार समिति (के.स.स.) ने अपनी 10 वीं बैठक (सितम्बर 2013) में आपूर्ति किए गए भोजन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मिड-डे मील योजना तथा अन्य सरकारी खाद्य आपूर्ति कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग पर जोर दिया। यद्यपि, दिल्ली के स्कूलों में मिड-डे मील खाकर बीमार पड़ने वाले विद्यार्थियों की मीडिया रिपोर्टिंग तथा समिति के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद विभाग ने स्कूलों²⁰ में मिड-डे मील की आपूर्ति करने वाले खा.व्या.सं., उचित दर दुकानों²¹ तथा दिल्ली में आंगनवाड़ी केन्द्रों²² को कवर नहीं किया।

विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि मिड-डे मील आंगनवाड़ी के नमूनों की जांच के लिए मार्च 2016 में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गयी थी। आगे यह जोड़ा गया कि मिड-डे मील योजना तथा आंगनवाड़ी के अंतर्गत आने वाले किचन की सूची उपलब्ध थी तथा वहां से पांच नमूने एकत्र किए गए हैं। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 14,466 यूनिटों को आपूर्ति किए गए खाद्य में से सिर्फ पांच नमूने को लेना सरकारी खाद्य आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आपूर्ति किये गये खाद्य मदों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए खा.व्या.सं. का पर्याप्त कवरेज नहीं माना जा सकता।

(ख) खा.सु.मा. (बिक्री पर रोक तथा निषेध) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.14 (18) के अनुसार विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि पैकज्ड पेय जल की निर्देशित गुणों के लिए जांच की गयी है तथा यह बी.आई.एस. प्रमाणित है। इसमें पैकजिंग तथा लेबलिंग की आवश्यकताओं को भी सुनिश्चित करना चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.) दिल्ली में अपने रिटेल आउटलेट के माध्यम से पैकज्ड पेय जल उपलब्ध कराता है। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग अपने क्रियाकलापों के अंतर्गत दि.ज.बो. को कवर नहीं करता है। बताए जाने पर, विभाग ने दि.ज.बो. को कवर न करने का कारण स्टाफ की कमी को बताया (नवम्बर 2016)।

(ग) भा.खा.सु.मा.प्रा. ने निश्चित किया (दिसंबर 2012) कि एल्कोहलिक पेय तथा वाइन से संबंधित सभी खा.व्या.सं. को संबंधित प्राधिकरण से लाइसेंस/पं.प्र. लेना चाहिए। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि विभाग दिल्ली में एल्कोहलिक पेय तथा वाइन से संबंधित यह जांच करने के लिए कि क्या संबंधित खा.व्या.सं. ने आवश्यक लाइसेंस/पं.प्र. प्राप्त किया है तथा ये क्या अभी भी वैध है, खा.व्या.सं. को कवर नहीं किया है। विभाग ने इन खा.व्या.सं. को कवर न करने का कारण स्टाफ की कमी को बताया (नवंबर 2016)।

(घ) आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने सभी प.अ. तथा खा.सु.अ. को खाद्य जांच किट का प्रयोग कर दूध के नमूनों की जांच करने तथा मदर डेयरी तथा अमूल मिल्क के वितरकों की सूची जमा करने का निर्देश दिया (नवंबर 2015)। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि विभाग के पास संबंधित सभी खा.व्या.सं. को कवर करने के लिए मदर डेयरी तथा अमूल मिल्क के आउटलेट का डाटाबेस नहीं था। यद्यपि, अगस्त 2016 में इंगित किए जाने पर, विभाग ने मदर डेयरी से अपने सभी वितरकों तथा आउटलेट की सूची सौंपने का अनुरोध किया (अगस्त 2016)। अपने उत्तर में, विभाग ने कहा (नवंबर 2016) कि सभी मदर डेयरी के

20 33 संस्थान 1,000 सरकारी एवं 216 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड-डे मील प्रदान करते हैं।

21 दिल्ली में 2,100 उ.द.दु. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अनाज उपलब्ध करा रही हैं।

22 बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली में 11,150 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं।

बूथों का लाइसेंस/पंजीकरण है तथा समय-समय पर इनसे नमूने लिये जाते हैं। यद्यपि, उत्तर संबंधित दस्तावेजों जैसेकि खा.व्या.सं. के लाइसेंस/पं.प्र. का विवरण तथा नमूने को उठाना आदि द्वारा समर्थित नहीं था।

इस प्रकार, विभाग बड़ी संख्या में उपभोग वाले खाद्य पदार्थों से संबंधित, खा.व्या.सं. की यह जांच करने के लिए कि क्या उनमें से कोई बगैर लाइसेंस/पंजीकरण के संचालित हो रहा है, को चिन्हित करने में असफल रहा। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा में दिल्ली में आपूर्ति किए गए खाद्य पदार्थों की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सका, जो कि अधिनियम का मूल उद्देश्य था।

2-2-3 **अभिलेखों की संवीक्षा में आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाओं, मानव संसाधन की अपर्याप्तता के साथ-साथ लाइसेंस तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र को जारी करने में कमियां पायी गयी जिनकी आगे पैराग्राफ में चर्चा की गयी है।**

अभिलेखों की संवीक्षा में आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाओं, मानव संसाधन की अपर्याप्तता के साथ-साथ लाइसेंस तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र को जारी करने में कमियां पायी गयी जिनकी आगे पैराग्राफ में चर्चा की गयी है।

2-2-3-1 **मैनपावर की भारी कमी के बावजूद इसने दिल्ली के लोगों को खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये सभी संभव कदम उठाये।**

31 मार्च 2016 को पदासीन अधिकारी (प.अ.) तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी (खा.सु.अ.) के पदों में क्रमशः 50 प्रतिशत तथा 63 प्रतिशत की कमी²³ थी जोकि अधिनियम के विविध प्रावधानों जैसेकि पर्याप्त संख्या में नमूने उठाना, खाद्य स्थापना का निरीक्षण, अभियोजन/अधिनियम मामलों की निगरानी को बुरी तरह से प्रभावित कर रही थी। 31 मार्च 2016 तक राज्य खाद्य प्रयोगशाला में भी खाद्य विश्लेषक का एक संस्वीकृत पद तथा केमिस्ट के 10 संस्वीकृत पदों में से सात पद तक रिक्त थे।

विभाग ने कहा (नवंबर 2016) कि मैनपावर की भारी कमी के बावजूद इसने दिल्ली के लोगों को खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये सभी संभव कदम उठाये।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जून 2013 में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (दि.अ.से.च.बो.) को खा.सु.अ. की आवश्यकता को प्रस्तुत करने के पश्चात, विभाग ने मई 2016 तक मामलों को आगे नहीं बढ़ाया। अतः रिक्तियों को भरने में विभाग की ओर से गंभीरता का अभाव था। परिणामस्वरूप, विभाग को नमूनों को उठाने, खाद्य संस्थापनों का निरीक्षण, अभियोजन/अधिनिर्णय मामलों की निगरानी तथा खाद्य नमूनों की जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला के उन्नयन के अपने अधिशेष के साथ समझौता करना पड़ा।

2-2-3-2 **अधिनियम के सेक्शन 43(1) के अनुसार, खाद्य प्राधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूनों का विश्लेषण करने के उद्देश्य से परीक्षण और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के लिये राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (मा.प्र.रा.प्र.बो.) या किसी अन्य प्रमाणन एजेंसी द्वारा प्रमाणित खाद्य प्रयोगशालाओं तथा अनुसंधान संस्थानों को अधिसूचित करेगा। राज्य**

अधिनियम के सेक्शन 43(1) के अनुसार, खाद्य प्राधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूनों का विश्लेषण करने के उद्देश्य से परीक्षण और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के लिये राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (मा.प्र.रा.प्र.बो.) या किसी अन्य प्रमाणन एजेंसी द्वारा प्रमाणित खाद्य प्रयोगशालाओं तथा अनुसंधान संस्थानों को अधिसूचित करेगा। राज्य

23 प.अ. के 12 संस्वीकृत पद तथा खा.सु.अ. के 32 संस्वीकृत पदों में से प.अ. के छ: तथा खा.सु.अ. के 20 पद

खाद्य प्रयोगशाला, दिल्ली रा.रा.क्षे.दि.स. की सांविधिक प्रयोगशाला है जिस पर खाद्य मदों के विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक, माइक्रोबायोलॉजिकल तथा कीटनाशक अवशेष जांच करवाने का उत्तरदायित्व है। लेखापरीक्षा ने प्रयोगशाला को क्रियाकलाप में कमियां पायी जो कि नीचे दर्शायी गयी है।

¼½ jkT; [kk| iz lxx' lkyk dk x\$ iR k u

राज्य खाद्य प्रयोगशाला, दिल्ली को मा.प्र.रा.प्र.बो. द्वारा 7 मार्च 2012 से 6 मार्च 2014 तक सिर्फ रासायनिक विश्लेषण करने के लिये प्रत्यायन दिया गया था। जनवरी 2013 में मा.प्र.रा.प्र.बो. ने इंगित किया कि तकनीकी मैनपावर की कमी थी तथा मार्च 2014 में प्रयोगशाला का प्रत्यायन खत्म हो गया। यद्यपि विभाग ने नवंबर 2016 तक इसके नवीनीकरण के लिए उपयुक्त कदम नहीं उठाया। मा.प्र.रा.प्र.बो. के प्रत्यायन की अनुपस्थिति में प्रयोगशाला की क्षमता के लिये तीसरी पार्टी का प्रमाणीकरण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

विभाग ने कहा (नवंबर 2016) कि आवश्यक तकनीकी मैनपावर की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। प्रयोगशाला की क्षमता के संबंध में कहा गया (नवम्बर 2016) कि खाद्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट नियमों के अनुसार विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्वीकार की गई थी।

¼½ jkT; [kk| iz lxx' lkyk dk x\$ & mlu; u

प्रयोगशाला में अपने अधिसूचित उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिये पर्याप्त तकनीकी तथा सहायक स्टाफ होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य खाद्य प्रयोगशाला की सिर्फ रासायनिक डिवीजन कार्यात्मक थी तथा अन्य दो डिवीजन (माइक्रोबायोलॉजिकल, कीटनाशक अवशेष तथा भारी धातुएं) विभाग की शुरुआत से ही तकनीकी स्टाफ तथा उपकरणों की कमी के कारण कार्य नहीं कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रयोगशाला को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने हेतु एक विस्तृत प्रस्ताव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (स्वा.प.क.वि.) को सौंपा (जून 2015)। प्रयोगशाला को उन्नत बनाने के लिये नये उपकरणों के अलावा, इस प्रस्ताव में एक मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला²⁴, अतिरिक्त तकनीकी/सहायक स्टाफ की आवश्यकता ¼½ jkT; [kk| iz lxx' lkyk dk x\$ & mlu; u तथा नमूनों, अभिलेखों के भण्डारण के लिये, रासायनिक भण्डारण कक्ष, तथा गुणवत्ता आश्वासन कक्ष के लिये 6000 वर्ग फीट की अतिरिक्त जगह को भी सम्मिलित किया गया। स्वा.प.क.वि. ने तीन महीनों के भीतर प्रयोगशाला को स्थापित करने के लिए इन निर्देशों के साथ अनुमोदन प्रदान कर दिया (जून 2015) कि अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति उपकरण प्रतिस्थापित करने से पहले की जाये। यद्यपि, प्रयोगशाला का उन्नयन अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति न किये जाने के कारण नवंबर 2016 तक नहीं किया गया था।

विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि प्रयोगशाला को उन्नत बनाने तथा उन्नयन का प्रस्ताव स्वा.प.क.वि. द्वारा अनुमोदित किया गया था (जून 2015)। तदनुसार, मा.प्र.रा.प्र.बो. प्रमाणन की आवश्यकताओं के अनुसार आधारभूत आवश्यकताओं के लिये एक योजना प्रारंभ की गयी। आगे कहा गया (नवम्बर 2016) कि भा.खा.सु.मा.प्रा. गैप विश्लेषण रिपोर्ट

24 50-100 खाद्य नमूने प्रतिदिन की 'ऑन द स्पॉट' जांच सुविधा उपलब्ध कराने के साथ इसमें नमूने तैयार करने की आवश्यकता, इसका विश्लेषण तथा कागजी कार्य करने की सुविधा के साथ

पर आधारित दिल्ली की राज्य खाद्य प्रयोगशाला देश के विभिन्न राज्यों में स्थित नौ प्रयोगशालाओं में से उन्नयन तथा भा.खा.सु.मा.प्रा. से निधियों के अनुदान हेतु चुनी गई थी। भा.खा.सु.मा.प्रा. द्वारा उपकरणों की आपूर्ति के लिए संबंधित प्रयोगशाला को टेंडर नोटिस जारी कर दिया गया था। वास्तविकता यह थी कि जून 2015 में स्वास्थ्य विभाग के तीन माह के भीतर प्रयोगशाला स्थापित करने के निर्देश के 17 माह बाद भी दिल्ली में आपूर्तित खाद्य पदार्थों/मदों की गुणवत्ता आश्वासन उपलब्ध कराने के लिये राज्य खाद्य प्रयोगशाला का उन्नयन किया जाना बाकी था।

2-2-3-3 ykbl d rFlk i aiz t kjh djuseafoyæ

खा.सु.मा. (ला. एवं पं.) विनियमन का विनियम 2.1 लाइसेंस तथा पं.प्र. के आवेदन पत्र की प्रक्रिया के लिये क्रमशः 60 दिन तथा प्राप्ति के लिये सात दिन प्रदान करता है। यद्यपि, तीन चयनित जिलों में अभिलेखों की संवीक्षा में पाया कि 360 चयनित मामलों में से 118 लाइसेंस में एक से 200 दिनों (81 मामले) की देरी से²⁵, 200 से अधिक 400 दिन तक (29 मामलों) तथा 400 से अधिक दिनों की देरी से आठ मामलों में लाइसेंस जारी किये गये। इसी प्रकार, पं.प्र. जारी करने के चयनित 90 मामलों में से 22 मामलों में देरी थी। एक से 100 दिन की देरी के (13 मामले), 100 दिन से अधिक तथा 200 दिन तक के (आठ मामले) तथा 200 दिन से अधिक की देरी का एक मामला था। लाइसेंस तथा पं.प्र. जारी करने में देरी अधिनियम के प्रावधानों के खराब तरीके से लागू करने को दर्शाता है।

विभाग ने देरी का कारण आवेदनों में कमियों को पूरा करने के लिये दिये गये समय में लाइसेंस को जारी करना बताया (नवंबर 2016) जिससे कि अधिक से अधिक खा.व्या.सं. को लाइसेंसिंग क्षेत्र के अंतर्गत आने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।

2-2-3-4 ykbl d @i aiz dh l e; l hek i yh gk t kuk

खा.सु.मा. (ला. एवं पं.) विनियमन के विनियम 2.1.7 के अनुसार, लाइसेंस या पं.प्र. जब तक कि विशेष रूप से निर्दिष्ट न हो जाये इसको जारी करने की तिथि से एक या पांच वर्ष की अवधि के लिये जैसाकि खा.व्या.सं. द्वारा चयनित किया जाय वैद्य तथा लागू रहेगा। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि विभाग में लाइसेंस/पं.प्र. के नवीनीकरण की जांच के लिये कोई प्रणाली नहीं थी जैसाकि rkydk 2-2-1 में दिया गया है:

rkydk 2-2-1%31 ekpZ2016 rd l ekR l e; l hek okys ykbl d @i aiz dk foofj. k

uohldj. k ds fy, cdk k ykbl d	uohuh-r ykbl d	l ekR l e; l hek okys ykbl d	uohldj. k dsfy, cdk k i aiz	uohuh-r i aiz	l ekR l e; l hek okys i aiz
2,773	859	1,914	12,385	185	12,200

25 लाइसेंस जारी करने में 105 दिन से अधिक दिनों की देरी की गणना की गई है (आई डी नंबर के लिये आवेदनपत्र जारी करने की तिथि से 60 दिन + इसकी प्राप्ति की तिथि से आवेदनपत्र की संवीक्षा के लिये 15 दिन + आवेदनपत्र को पूरा करने या अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराने के लिये खा.व्या.सं.को 30 दिन)

तालिका 2.2.1 से, यह देखा जा सकता है कि 2,773 लाइसेंस तथा 12,385 पं.प्र. में से 1,914 लाइसेंस तथा 12,200 पं.प्र. को खा.व्या.सं. द्वारा नवीनीकृत ना किए जाने के कारण समय सीमा समाप्त हो गई थी। जिन खा.व्या.सं. द्वारा अपने लाइसेंस/पं.प्र. का नवीनीकरण नहीं कराया गया था उनके विरुद्ध विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

तीन चयनित जिलों में, लाइसेंस के नवीनीकरण की स्थिति रफ़्तक 2-2-2 में निम्न प्रकार है:

रफ़्तक 2-2-2%31 एप्रैल 2016 तक निम्न प्रकार की रफ़्तक नफ़्तक फ़्तक से
लेख लेख गस्त कुसोक्युबल अ कड फूज.क

फ़्तक	उपलब्ध.क डसफ़, कडक क यल्ल अ	उपलब्ध-र यल्ल अ	ले; लेख लेख गस्त कुसोक्युबल अ	तक ह फ़, x, u, यल्ल अ
पूर्व	173	55	118	13
पश्चिम	402	112	290	26
दक्षिण	150	71	79	7
कुल	725	238	487	46

अतः 725 लाइसेंसों में से 487 लाइसेंस की समयसीमा खा.व्या.सं. द्वारा नवीनीकरण न किये जाने के कारण समाप्त हो गयी थी। समय सीमा समाप्त हो जाने वाले बकाया 487 लाइसेंस में से सिर्फ 46 खा.व्या.सं. को नया लाइसेंस जारी किया गया था।

विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि मैनपावर की बहुत अधिक कमी के कारण समय सीमा समाप्त हुये लाइसेंस/पं.प्र. की जांच/अनुवर्ती कार्रवाई के लिये कोई प्रणाली विकसित नहीं की जा सकी।

2-2-4 फ़्तक क लेख रफ़्तक वफ़्तक क्तु

अभिलेखों की संवीक्षा में लाइसेंस/पं.प्र. जारी करने के संदर्भ में निरीक्षण, सैंपलिंग तथा अभियोजन में कमियां पायी गयी। लेखापरीक्षा प्राप्तियां की नीचे चर्चा की गयी है।

2-2-4-1 [क] लेख लेख क्तु फ़्तक क

खा.सु.मा. (ला. एवं पं.) विनियमन के विनियम 2.1.2 (5) के अनुसार, लाइसेंसिंग प्राधिकारी को अपने स्वयं के या इस उद्देश्य हेतु भा.खा.सु.मा.प्रा. द्वारा प्राधिकृत एजेंसी द्वारा आवधिक रूप से खाद्य सुरक्षा लेखापरीक्षा तथा लाइसेंस प्राप्त संस्थापनों के निरीक्षण को सुनिश्चित करना होगा। आगे, विनियम 2.1.1 (6) के अनुसार पंजीकृत संस्थापनों का वर्ष में कम से कम एक बार खाद्य सुरक्षा निरीक्षण होगा। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि विभाग ने 31 मार्च 2016 तक 12,895 तथा 32,474 खा.व्या.सं. को ऑनलाइन लाइसेंस तथा पं.प्र. जारी किये थे। यद्यपि, 97 प्रतिशत मामलों में कोई निरीक्षण नहीं किया गया। जैसाकि रफ़्तक 2-2-3 में दिया गया है:

रक्यदक 2-2-3%31 ekpZ2016 rd ykbl d iMr fd, rFk i a h-r l d.Fkku ds fujhk k dk foj .k

i a h d j . k i z k k i =			y k b l d		
t k j h f d , x , i a i z	f u j h { k r [k Q k l a	x S f u j h { k r [k Q k l a	t k j h f d , x , y k b l d	f u j h { k r [k Q k l a	x S f u j h { k r [k Q k l a
32,474	22	32,452	12,895	1,365	11,530

विभाग ने जनवरी 2014 से लाइसेंस/पं.प्र. को जारी करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम को प्रारंभ करने के पश्चात भौतिक डाटा के गैर-डिजिटाइजेशन के कारण 4,427 खा.व्या.सं. के परिसरों के निरीक्षण का विवरण प्रस्तुत नहीं किया, जिन्हें 2013-15 के दौरान ऑनलाइन लाइसेंस जारी किया गया था। चयनित तीन जिलों में, विभाग ने 31 मार्च 2016 तक विभाग 5,064 तथा 12,274 खा.व्या.सं. को क्रमशः आनलाइन लाइसेंस तथा पं.प्र. जारी किया यद्यपि 98 प्रतिशत मामलों में कोई निरीक्षण नहीं किया गया, जैसाकि रक्यदक 2-2-4 में दिया गया है:

**रक्यदक 2-2-4%31 ekpZ2016 rd i w Z i f P k e r F k n f { k k f t y s e a y k b l d
i Mr fd, r F k i a h - r [k Q k l a d s f u j h { k k d k f o j . k**

ft y k	t k j h f d , x , i a i z	f u j h { k k f d , x ; s	t k j h f d , x , y k b l d	f u j h { k k f d , x ,
पूर्व	4,750	शून्य	996	20
पश्चिम	4,631	शून्य	2,567	262
दक्षिण	2,893	शून्य	1,501	0
दg	12,274	'	5,064	282

इस प्रकार, विभाग को सभी खा.व्या.सं. के परिसरों के निरीक्षण में असफलता के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि खा.व्या.सं. खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन कर रहे थे।

2-2-4-2 uews dks mBkuk

विभाग के अधिदेश में विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने को उठाना तथा उन्हें विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला में भेजना सम्मिलित है ताकि यह सुनिश्चित किया जाय कि खा.व्या.सं. खाद्य सुरक्षा मानकों का उचित प्रकार से पालन कर रहा है। यद्यपि, अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू करने में कमियां पायी गयी।

½ d ½ m B k s x ; s u e w l a d k t k j h f d ; s x ; s y k b l d @ i a i z d s v u q i u g k u k %

यद्यपि विभाग द्वारा खा.सु.अ. के लिए उठाये जाने वाले नमूनों की संख्या तथा कवर किए जाने के लिए खा.व्या.सं. की संख्या के संदर्भ में कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे, लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 2011-16 के दौरान, केवल 7,470 नमूने अर्थात् सिर्फ प्रति दिन चार नमूनों के बारे, में खाद्य स्थापना (वैद्य लाइसेंस/पं.प्र. के साथ या उसके बगैर) से उठाये गये, इसकी तुलना में इसी अवधि में 49,796 लाइसेंस तथा पं.प्र. जारी

किये गये। नमूनों की संख्या जो कि सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी 2011-12 (अगस्त 2011) से 2015-16 के दौरान 139 से 239 (72 प्रतिशत) बढ़ गयी जबकि विभाग द्वारा उठाये गये नमूनों की संख्या 1,942 से 1,473 (24 प्रतिशत) घट गयी जो दिल्ली में बेचे गये खाद्य पदार्थों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में विभाग की खराब निगरानी प्रणाली को प्रदर्शित करता है।

विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि उसने खराब गुणवत्ता के या इसके अलावा गैर सुनिश्चित नमूने की प्रभावी रूप से जांच करने के लिए बड़ी संख्या में नमूने उठाने के स्थान पर सीमित संख्या में नमूने उठाने में ध्यान केन्द्रित किया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खाद्य संस्थापनों से नमूनों की संख्या में कमी गैर-सुनिश्चित खाद्य पदार्थों से संबंधित खा.व्या.सं. को जांचने में विभाग की अक्षमता को दर्शाता है।

1/4/12 [kk] 1 j {kk i }leWj grq [kk] uews dh t k p u djuk% चयनित 375 खाद्य नमूने विश्लेषण रिपोर्ट की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 55 भारी मात्रा में उपभोग्य खाद्य मदों के नमूने को समय समय पर विनियमों द्वारा भा.खा.सु.मा.प्रा. द्वारा जारी सभी निर्धारित पैरामीटर जैसेकि मेटल कंटामिनेंटस, कीटनाशक, माइक्रोबायोलॉजिकल सुरक्षा, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले टॉक्सिक सब्सटेंस, एंटी ऑक्सीडेंट 1/4/12 2-2-3 1/2 का बगैर विश्लेषण करे, खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप घोषित कर दिया गया। आगे यह भी पाया कि विभाग ने नमूने को जांच के लिये किसी अन्य मा.प्रा.रा.प्र.बो. प्रमाणित प्रयोगशाला में नहीं भेजा जैसाकि नवंबर 2014 में भा.खा.सु.मा.प्रा. द्वारा निर्देशित किया गया था। खाद्य नमूने को निर्धारित प्रक्रिया तथा पैरामीटर के अनुरूप जांच किये बगैर खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप घोषित करना खाद्य की गुणवत्ता के साथ समझौता करना है तथा खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू करने का गलत आश्वासन प्रदान करता है।

विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) वह इन पैरामीटरों के विश्लेषण के लिए आवश्यक संबंधित मानक के मेटल कंटामिनेटस, कीटनाशक तथा अन्य उपभोज्य की खरीद के लिए कार्रवाई कर रहा है। आगे कहा गया की भा.खा.सु.मा.प्रा. तीन वर्षों के लिए उपकरणों के साथ मैन पावर तथा उपभोज्य उपलब्ध कराएगा जिसके बाद पूरे खाद्य पदार्थों का विश्लेषण किया जाएगा।

1/4/12 [kk] i nk l s uews d k s m B k u s d s f y ; s e k u d f u e k j r u k g k u k %
(i) लेखापरीक्षा ने देखा कि खाद्य नमूने को उठाने के लिये विभाग ने कोई मानक निर्धारित नहीं किये थे। नमूने मनमाने रूप से उठाये गये थे। खा.व्या.सं. जहां से नमूने उठाये गये थे, लाइसेंस/पं.प्र. से लिंक नहीं किये गये थे जिसके कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि सभी खा.व्या.सं. के नमूने का विश्लेषण किया गया था। विभाग ने कहा (नवंबर 2016) कि वह जिन खा.व्या.सं. के पास लाइसेंस/पं.प्र. नहीं था उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर रहा था।

(ii) चयनित जिलों में, 56 खा.व्या.सं. के 59 खाद्य नमूने 5 अगस्त 2011 से 31 मार्च 2016 तक मानव उपयोग के लिये असुरक्षित घोषित कर दिये गये थे। यद्यपि, विभाग ने सिर्फ 6 खा.व्या.सं. के परिसरों का पुनः दौरा किया। संबंधित नमूनों के विश्लेषण की अनुपस्थिति में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि बकाया 50 चूककर्ता खा.व्या.सं. ने सुरक्षित खाद्य आपूर्ति के लिये सुरक्षा उपाय किये।

विभाग ने कहा (नवंबर 2016) कि कुछ डीलरों का पुनः दौरा किया गया, परंतु स्टाफ की कमी के कारण, यह संभव नहीं है कि वह सभी डीलर जिसके नमूने पहले असुरक्षित पाए गए उनका दौरा करें। वास्तविकता यह थी कि खाद्य नमूने के पुनः विश्लेषण न किए जाने के कारण उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

(iii) विभाग ने एक विशेष खाद्य संस्थापना से उठाये गये नमूनों की संख्या के लिये मानक निर्धारित किये (मार्च 2014) जैसाकि **rfydk 2-2-5** में विवरण नीचे दिए गए हैं:

rfydk 2-2-5% [kk] i n k f k z ds uews m B l u s ds fy; s e k u d

Ø-1 a	i n k f k z d h l l s [k k Q k l a l a k k r g S	m B k s t l u s o k y s u e w s d h l l s w r e l l s k
1	10	1
2	10-15	2
3	15 से अधिक	5
4	शिकायत के मामले	शिकायत में दर्ज सभी मामले

तीन चयनित जिलों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 2011-16 के दौरान खा.व्या.सं. द्वारा बेचे गये पदार्थों की संख्या के बावजूद प्रत्येक परिसर से सिर्फ एक खाद्य नमूना उठाया गया। यह नमूनों की संख्या उठाने के सन्दर्भ में अपने आदेश को लागू करने में विभाग की ओर से लापरवाही के रवैये को दर्शाता है। विभाग ने (नवम्बर 2016) इसका कारण स्टाफ की कमी बताया। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां सिर्फ उन मामलों से संबंधित है जहां विभाग ने खाद्य संस्थापनों के परिसरों का दौरा किया परंतु नमूने की निर्धारित संख्या नहीं उठाई।

(iv) विभाग ने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ/सामग्री से संबंधित खा.व्या.सं. से उठाये गये नमूनों के प्रकार के लिये कोई मानक निर्धारित नहीं किये थे। 375 नमूना जांच किए गए मामलों में, यह पाया गया कि विभाग ने 168 खाद्य संस्थापनों का दौरा किया जो कि तैयार खाद्य पदार्थ बेच रहे थे, यद्यपि, 158 मामलों (94 प्रतिशत) में तैयार खाद्य पदार्थ के नमूने उठाने के स्थान पर विभाग ने इसको बनाने में प्रयुक्त सिर्फ एक सामग्री का नमूना उठाया।

विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि उठाए गए नमूने के प्रकार को पहले से ही तय करना तथा तैयार खाद्य पदार्थ के नमूने को उठाया जाना व्यावहारिक नहीं है। विभाग का तर्क सही नहीं है क्योंकि मामले को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने स्वयं ही सभी खा.सु.अ. को तैयार खाद्य पदार्थ के नमूने उठाने के निर्देश (जून 2016) दिए तथा

यदि गुणवत्ता खराब हो या मिलावट पायी जाए तो इसके मसालों का दूसरा नमूना उठाने के निर्देश जारी किए।

दूध एक अधिकतम उपभोग किया जाने वाला खाद्य पदार्थ है जो कि न सिर्फ नवजात शिशुओं द्वारा बल्कि आम जनता द्वारा भी अपने पोषण गुणों के कारण उपभोग में लाया जाता है। भा.खा.सु.मा.प्रा. द्वारा दूध में मिलावट पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण-2011 दूध की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये तथा पूरे देश भर में दूध में विभिन्न प्रकार की मिलावट को जांचने के लिये किया गया था। सर्वेक्षण में पाया गया कि देश में औसतन 68.40 प्रतिशत नमूने सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं है जबकि दिल्ली में लिए गए 70 प्रतिशत नमूने मिलावट पाये गये। जैसाकि अध्ययन में दर्शाया गया, ज्यादातर मिलावट पानी, मिलावटी दूध तथा डिटर्जेंट की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्देश दिया (नवंबर 2014) कि संघ तथा राज्य सरकारें मिलावटी तथा सिंथेटिक दूध, जो कि यूरिया, डिटर्जेंट, रिफाइंड ऑयल, कार्बोनाट सोडा के द्वारा तैयार किया जाता है, की बिक्री पूरी तरह से रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाये।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि विभाग ने 5 अगस्त 2011 से 31 मार्च 2016 की अवधि के दौरान दूध के 324 नमूनों का विश्लेषण किया। इनमें से, 274 नमूने 'सही' पाये गये तीन 'मिसब्रान्डेड' तथा 47 'निम्नस्तर' के पाये गये यद्यपि नमूने की माइक्रोबायोलॉजिकल सुरक्षा²⁶, मेटल कंटामिनेंट्स, कीटनाशक, कार्बोनाट सोडा, रिफाइंड सफेद पेन्ट तथा रिफाइंड आयल के लिये जांच नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त, भा.खा.सु.मा.प्रा. के प्रयोगशाला मैनुअल के पैरा 1.2.10 में निर्देशित नाइट्रेट टेस्ट को दूध में गन्दे पानी की मिलावट को जांचने के लिये नहीं किया गया। न ही नमूनों की जांच फोर्मेलीन एक मिलावटी पदार्थ के तौर पर की गई। 12 जून 2015 से पहले, दूध के नमूने को डिटर्जेंट की उपस्थिति के लिये नहीं जांचा गया। इस प्रकार, मिलावटी दूध की आपूर्ति की रोक सुनिश्चित नहीं की गई थी।

विभाग ने कहा (नवंबर 2016) कि खा.सु.मा. विनियम खाद्य पदार्थों के विश्लेषण के लिये आवश्यक मानक निर्धारित करते हैं, जबकि विश्लेषण मैनुअल सभी मामलों में जहां आवश्यकता हो तथा जहां आवश्यकता न हो में विश्लेषण के तरीके निर्धारित करता है। इसमें आगे कहा गया कि राज्य खाद्य प्रयोगशाला में नाइट्रेट, फोर्मालीन की जांच तथा नमूने बनाने की विधि को इसकी विश्लेषण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया गया है, जैसाकि लेखापरीक्षा में पाया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दूध तथा दूध के पदार्थों के विश्लेषण के लिये मैनुअल में निर्धारित उचित होमोजिनाइजेशन के लिये नमूने बनाने के तरीके नहीं लागू किये गये। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विनियमों के अंतर्गत भा.खा.सु.मा.प्रा. द्वारा अधिसूचित खाद्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिये सभी पैरामीटर²⁷ के लिये नमूनों की जांच नहीं की गयी थी।

26 फूड माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोआर्गेनिज्म (बैक्टीरिया/जर्मस) का अध्ययन किया जाता है। जिसका कच्चे/प्रसंस्कारित खाद्य की सुरक्षा तथा गुणवत्ता पर विषैला प्रभाव होता है तथा जोकि फूड पॉयजनिंग, फूड स्पाइलेज तथा फूड प्रिजरवेशन के क्षेत्र से संबंधित है।

27 (1) सामान्य पैरामीटर (प्राकृतिक रंग, मिलाए गए प्रिजर्वेटिव, सिंथेटिक रंग, एंटीऑक्सीडेंट तथा नान-न्यूट्रीसिव स्वीटनर के लिए परीक्षण नहीं किए गए) (2) मेटल कंटामिनेंट्स (3) अन्य कंटामिनेंट्स (4) कंटामिनेंट्स (5) माइक्रोबायोलॉजिकल तथा (6) कीटनाशक

1/2 dWuk kd vo'kk dsfy; sQykrFlk l fct ; kd dh vi ; kr t kp%

अधिनियम के सेक्शन 21 के अनुसार, किसी भी खाद्य पदार्थ में विनियम में दिये गये टालरेंस सीमा से अधिक इनसेक्टोसाइड या कीटनाशक नहीं होंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में (5 मार्च 2014), विभाग ने 2014-15 के दौरान 2,686 सैंपल उठाये तथा उन्हें कृषि मार्केटिंग निदेशालय की स्टेट ग्रेडिंग लैबोरेटरी के पास विश्लेषण के लिये भेजा। दिल्ली में खा.व्या.सं. से उठाये गये, 2,686 सैंपल में से सिर्फ 10 की निर्धारित सीमा से ऊपर कीटनाशक अवशेष के लिये जांच की गयी थी। आगे संवीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- स्टेट ग्रेडिंग प्रयोगशाला द्वारा 2,686 नमूने में से, 2,676 नमूने को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप सूचित किया गया यद्यपि यह न तो मा.प्र.रा.प्र.बो. द्वारा प्रमाणित किया गया न ही भा.खा.सु.मा.प्रा. द्वारा अधिसूचित किया गया। यह पाया गया कि फल तथा सब्जियों के 113 प्रकार के कीटनाशक (53 प्रतिबंधित कीटनाशक को सम्मिलित करते हुए) में से, प्रयोगशाला में सिर्फ 28 प्रकार के कीटनाशक (18 प्रतिबंधित कीटनाशक को सम्मिलित करते हुए) की जांच की जा सकती थी। यह प्रदर्शित करता है कि 2,676 नमूनों को 85 (75 प्रतिशत) बकाया कीटनाशक जिसमें 35 (66 प्रतिशत) प्रतिबंधित कीटनाशक भी सम्मिलित है की जांच किए बगैर खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप घोषित कर दिया गया, इस प्रकार, यह कीटनाशक अवशेष से दूषित फलों तथा सब्जियों का उपभोग करने वाले दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहा था।
- जांच रिपोर्ट में मौसमी, पियर, फ्रेंच बीन, पत्ता गोभी तथा हरी प्याज के 10 नमूने में स्वीकार्य सीमा से अधिक कीटनाशक अवशेष की उपस्थिति दिखाई गयी (अप्रैल 2015)। यद्यपि विभाग ने 2015-16 के दौरान इन पदार्थों का एक भी नमूने न तो उठाया न ही इसकी जांच की।

इस प्रकार ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं था कि फल तथा सब्जियां निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करती थी।

विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि इसने स्टेट ग्रेडिंग प्रयोगशाला द्वारा रेसीड्यू की निगरानी के लिये 58 कीटनाशक की एक सूची प्रेषित कर दी है। आगे कहा गया कि नमूनों के उठाने का लक्ष्य स्टाफ की कमी के कारण पूरा नहीं किया जा सका। उत्तर कीटनाशक अवशेष के लिये फल तथा सब्जियों की अपर्याप्त जांच के संदर्भ में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिये कि फल तथा सब्जियां निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करती है, विभाग जांच के लिये भा.खा.सु.मा.प्रा. द्वारा अधिसूचित अन्य निजी प्रयोगशाला की खोज कर सकता था।

2-2-4-3 vfhk kt u , oa v f d f u . k z ds e k e y s

अधिनियम अभियोजन एवं अधिनिर्णय²⁸ हेतु जो कि अपराध की गंभीरता²⁹ पर निर्भर करता है, मामलों को संस्थापित कर चूककर्ता खा.व्या.सं. के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सरकार

28 खा.सु.मा. नियम 3.1.1 (2) के अनुसार, यदि प.अ. निर्धारित करता है कि अधिनियम के उल्लंघन में कैंद के दंड का प्रावधान नहीं है, तथा सिर्फ जुर्माना लगाया जाए, वह इस उद्देश्य के लिए खा.सु.अ. को प्राधिकृत करेगा कि वह जहां से खाद्य नमूने लिए गए हैं उन व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध के अधिनियम के लिए एक आवेदन अधिनिर्णयी अधिकारी के पास फाइल करे।

29 अधिनियम का सेक्शन 42 तथा 59 (i)

को शक्ति प्रदान करता है। अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि विभाग द्वारा अधिनिर्णय हेतु मामले को संस्थापित करने एवं अनुवर्ती कार्रवाई करने में कमियां थी जो नीचे वर्णित की गई हैं:

(i) खा.सु.मा. अधिनियम के सेक्शन 42(3) के अनुसार, खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट की संवीक्षा के पश्चात पदासीन अधिकारी निर्धारित करेगा कि क्या उल्लंघन में कैद के दंड की आवश्यकता है या सिर्फ जुर्माना लगाया जायेगा, यदि उल्लंघन में कैद के दंड का प्रावधान है, तो वह अभियोजन की संस्वीकृति के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त के पास चौदह दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें भेजेगा। विभाग द्वारा बनाये गये 'केस इन्सटीट्यूशन रजिस्टर' की संवीक्षा में पाया गया कि तीन जिलों में खाद्य विश्लेषण द्वारा 28 मामलों में प्रतिकूल रिपोर्ट दी गयी थी, परंतु अभियोजन के लिए संस्वीकृति की कार्रवाई छः माह से अधिक की देरी³⁰ के पश्चात 13 मामलों में शुरू की गयी।

विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि अधिनियम के सेक्शन 77 के प्रावधानों के अनुसार अभियोजन के लिये मामले को फाइल करने की सीमा एक वर्ष के लिये है। आगे कहा गया (नवंबर 2016) कि सेक्शन 46 (4) के अनुसार खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरुद्ध एक अपील प.अ. के सम्मुख पड़ी है जिसके पास मामले को रेफरल खाद्य प्रयोगशाला को भेजने की शक्ति है जिसमें कुछ समय लग सकता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है संबंधित खा.व्या.सं. के विरुद्ध केस फाइल करने में देरी से सामान्य जनता के स्वास्थ्य को जोखिम में रखा गया क्योंकि जब तक विभाग द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की गयी, इस बीच की अवधि में चूककर्ताओं ने अपने कार्य को चालू रखा।

(ii) अधिनियम के सेक्शन 96 के अनुसार, अगर किसी जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है तो इसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जायेगी तथा जब तक कि जुर्माने का भुगतान न हो जाये चूककर्ता के लाइसेंस को निलंबित रखा जायेगा। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि मार्च 2016 तक 524 खा.व्या.सं. के नमूने सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये, जिसके लिये अधिनिर्णय प्रक्रिया शुरू की गयी थी। यद्यपि, सिर्फ 401 मामलों में, 2011-16 के दौरान अधिनिर्णय फाइल किया गया था, जिसमें से 168 मामलों में अंतिम आदेश जारी किये गये थे जहां ₹ 104 लाख का जुर्माना लगाया गया था। यद्यपि, जून 2016 तक सिर्फ ₹ 56.91 लाख की वसूली की गयी थी, विभाग के पास चूककर्ता खा.व्या.सं. जिनसे जुर्माने की वसूली की जानी थी, का मामले-वार तथा वर्ष-वार विवरण नहीं था। इन विवरणों की अनुपस्थिति में, विभाग इस स्थिति में नहीं था कि वह ₹ 47.09 लाख की बकाया जुर्माना राशि पर निगरानी रखे और इसलिए वह चूककर्ता खा.व्या.सं. के विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं कर सका, जैसाकि अधिनियम में दिया गया है।

विभाग ने कहा (नवंबर 2016) कि अधिनिर्णयी अधिकारी द्वारा खा.व्या.सं. द्वारा जुर्माने के गैर-भुगतान के संदर्भ में निर्देशों के अभाव में किसी भी लाइसेंस को निलंबित या निरस्त नहीं किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने 168 मामलों का मामले वार तथा वर्ष-वार विवरण नहीं रखा जबकि अधिनिर्णयी अधिकारी ने अंतिम आदेश जारी कर दिए थे तथा ₹ 47.09 लाख की जुर्माना राशि चूककर्ता खा.व्या.सं. से वसूली जानी शेष थी।

30 खाद्य विश्लेषक से प.अ. द्वारा प्रयोगशाला रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन से देरी की गणना की गई

2-2-5- f'kdk r fuokj.k ra- t kx: drk rFlk l puk f'kdk rFlk l pkj ¼ w'kl a½

सभी स्टैकहोल्डर तथा आम जनता के मध्य जागरूकता फैलाना किसी भी सामाजिक कार्यक्रम या स्कीम की सफलता का एक महत्वपूर्ण घटक है, खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू करना इसका अपवाद नहीं है। इसके अतिरिक्त, एक अच्छा शिकायत निवारण तंत्र खा.व्या.सं. द्वारा खाद्य सुरक्षा मानकों की अनुपालना पर कठोर चौकसी रखता है। अभिलेखों की संवीक्षा ने निम्नलिखित दर्शाया:

2-2-5-1 f'kdk r fuokj.k ra-

(i) विभाग का नागरिक घोषणापत्र एक शिकायत को निपटाने के लिये 45 दिन की समय सीमा निर्धारित करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2011-16 के दौरान प्राप्त हुई 252 शिकायतों में से 114 मामले (45 प्रतिशत) जुलाई 2016 तक निपटान के लिये बकाया थे। इनमें से 65 शिकायतें दो से तीन वर्षों से लंबित थी ¼uyXud 2-2-4¼ आगे, 138 में से 67 मामले जिनका निपटान किया गया था, में विभाग ने शिकायत के अंतिम निपटान तथा की गयी कार्रवाई का विवरण अपनी वेबसाइट पर नहीं डाला।

विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि सभी शिकायतें नागरिक घोषणापत्र के अनुसार दी गयी समय सीमा के अंदर निपटाई गयी थी। इसने आगे कहा कि एक्शन टेकन रिपोर्ट की अनुपलब्धता के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(ii) भा.खा.सु.मा.प्रा. ने आवश्यक कार्रवाई करने के लिये 30 नवंबर 2011 से मार्च 2016 तक 58 मामले खाद्य सुरक्षा आयुक्त दिल्ली को भेजे। यद्यपि, इन शिकायतों के विवरण न तो वेबसाइट पर अपलोड किये गये थे न ही की गयी कार्रवाई से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को दिखाये गये थे। इसके परिणामस्वरूप, जन शिकायत निवारण की स्थिति पर लेखापरीक्षा कोई टिप्पणी नहीं कर सका। विभाग ने कहा (नवंबर 2016) कि भा.खा.सु.मा.प्रा. की शिकायतों पर कार्रवाई की गई तथा इसने अपने दावे को 2014-16 की अवधि के सिर्फ 10 शिकायतों के मामले में की गई कार्रवाई के संबंध में दस्तावेजीय साक्ष्य के साथ समर्थित किया। यद्यपि, बकाया 48 शिकायतों के लिए एक्शन टेकन रिपोर्ट की गैर प्रस्तुति के कारण जन शिकायत निवारण पर लेखापरीक्षा द्वारा टिप्पणी नहीं की जा सकी।

2-2-5-2 LVdglMl Zds eè; [kk] l j{kk dsfy, t kx: drk mRi Uk djuk

अभिलेखों की संवीक्षा से विभिन्न स्टैकहोल्डर्स जैसे उपभोक्ता तथा खा.व्या.सं. के मध्य खाद्य सुरक्षा के लिए जागरूकता उत्पन्न करने, में कमियों का पता चला, जैसाकि नीचे वर्णित है।

(i) केन्द्रीय सलाहकार समिति (के.स.स.) ने (अप्रैल 2012) विभिन्न स्टैकहोल्डर्स के लिए उन्नयन कार्य गतिविधियां प्रारंभ करने के लिए बल दिया ताकि उन्हें अधिनियम के महत्वपूर्ण तत्वों से परिचित कराया जा सके। यद्यपि, यह देखा गया कि 11 अगस्त 2014 के पहले विभाग ने जनता के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया इस तथ्य के बावजूद कि पंजीकरण/लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भा.खा.सु.मा.प्रा. द्वारा लगातार समयसीमा को (4 अगस्त 2012, 6 दिसंबर 2013, 4 फरवरी 2014 तथा 4 अगस्त 2014 तक) बढ़ाया गया।

विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि इसने लगातार व्यापार/बाजार के प्रतिनिधियों से

बातचीत की ताकि लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करने की जरूरत तथा पूरी की जाने वाली प्रक्रियाओं पर बल दिया जा सके। इसने आगे कहा कि कुछ गै.स.सं. ने इस संबंध में जागरुकता उत्पन्न करने में सहायता की। यद्यपि, विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को कोई समर्थित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।

(ii) विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के मध्य खाद्य सुरक्षा पर जागरुकता उत्पन्न करने के विचार से विभाग ने 36,500 बुकलेट्स छपवाए (नवम्बर 2012)। यद्यपि वितरण तथा प्रभाव आकलन रिपोर्ट्स से संबंधित रिकार्ड लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि खा.व्या.सं. तथा उपभोक्ताओं सहित विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के मध्य पर्याप्त सू.शि.सं. सामग्री वितरित की गई।

2-2-5-3 ल पुकुं f' ककुं रफुक ल अकुं क ¼ व' कल अ½xfrfofek la

के.स.स. ने सभी खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को सलाह दी (जुलाई 2012) कि सूचना, शिक्षा तथा संप्रेषण गतिविधियों को चलाने के लिए संग्रहित कम से कम 75 प्रतिशत लाइसेंस फीस के पुनः निवेशन के मुद्दे पर अपनी सरकारों के साथ चर्चा करनी चाहिए। विभाग ने स्वीकार किया (जून 2016) कि इसने उपभोक्ताओं की जागरुकता के लिए मेलों, फूड फेस्टिवल में भागीदारी की लेकिन इसके द्वारा कभी कोई सू.शि.सं. गतिविधियों की योजना नहीं की गई। आगे यह भी देखा गया कि 2013-16 के दौरान विभाग द्वारा ₹ 15.38 करोड़ का शुल्क भी वसूला गया तो भी इसने सू.शि.सं. गतिविधियों के लिए निधियों के उपयोग के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया। विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि अन्य प्रक्रियात्मक बाधाओं के साथ स्टाफ की कमी के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।

2-2-6 ekWVGx rFk eW; kdu

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक प्रबंधन उपकरण है जो संस्था द्वारा योजना के अनुरूप उद्देश्यों को प्राप्त करने का आश्वासन देता है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मानक, निर्धारित कोड तथा मैनुअल के प्रावधानों के पालन की मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन को सुनिश्चित करता है ताकि संस्था के प्रतिदिन की कार्यप्रणाली में त्रुटियों एवं अनियमितताओं के जोखिम को न्यूनतम बनाया जा सके। विभाग के आंतरिक नियंत्रण तथा मॉनीटरिंग प्रणाली में पाई गई कमियां इस प्रकार हैं:-

2-2-6-1 vfky[kdk xj-vuj{k k

लेखापरीक्षा ने पाया कि कमिश्नर द्वारा जारी निर्देशों का पालन प.अ. निम्न के अनुरक्षण नहीं कर रहे थे:

- खा.सु.अ. को दी गई फील्ड-ड्यूटी के संबंध में प्रतिदिन डायरी तथा खा.सु.अ. द्वारा नमूना एकत्रित करने के लिए रोस्टर बनाया जाना,
- आयुक्त को मासिक प्रस्तुति हेतु इलैक्ट्रानिक एवं मैनुअल रूप में जिला-वार शिकायत पंजिका, तथा
- विभिन्न न्यायालयों में लंबित-मामलों को मॉनीटर करने के लिए प्रगति पंजिका।

इसने कमजोर आंतरिक नियंत्रण तथा अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनीटरिंग के लिए

आंतरिक आदेशों को लागू करने में पहल की कमी को दिखाया।

विभाग ने कहा (नवंबर 2016) कि प.अ. द्वारा खा.सु.अ. को सौंपे गए प्रत्येक दिन के कार्य को पोर्टल पर डाला गया जो लिए गए नमूनों के सभी ब्यौरे दिखाता है। विभाग ने शिकायत पंजिका के अनुचित अनुरक्षण की जवाबदेही स्टाफ की कमी पर डाली। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग का पोर्टल केवल खा.सु.अ. द्वारा उठाए गए नमूनों के ब्यौरे दिखाता है न कि उन्हें आवंटित ड्यूटी का रोस्टर।

2-2-6-2 यbl d rFlk iaiz t kjh djus dh vi ; kZr eKMNQ x

फूड-लाइसेंसिंग तथा रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एफ.एल.आर.एस.) मॉड्यूल पर सूचना के अनुसार जनवरी 2014 से मार्च 2016 में खा.व्या.सं. द्वारा 19,075 लाइसेंस के लिए तथा 52,497 पं.प्र. के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए। यद्यपि, यह देखा गया कि विभाग ने 5,431 खा.व्या.सं. को लाइसेंस तथा 19,123 खा.व्या.सं. को पं.प्र. जारी नहीं की क्योंकि खा.व्या.सं. द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की स्थिति जो कि दो वर्षों की अवधि से लंबित थे को अद्यतित नहीं किया जा सका जैसाकि **vuyXud 2-2-5** में वर्णित है। लाइसेंस/पं.प्र. के जारी करने में आवेदनों की स्थिति को अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त खाद्य संस्थापनाओं को कवर करने में विभाग कि ओर से पहल की कमी एवं कम मानीटरिंग पद्धति को दर्शाता है।

विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि सिस्टम केवल भुगतान की स्थिति को अद्यतित कर सकता है, कि क्या खा.व्या.सं. द्वारा आवश्यक शुल्क को बैंक में जमा कर दिया गया है। इसने आगे कहा कि लाइसेंसिंग तथा रजिस्ट्रेशन का मामला एक जारी-प्रक्रिया है जिसमें पहले के आवेदन संसाधित किए जाते हैं तथा केवल नए जोड़े जाते हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खा.सु.मा. (लाइसेंसिंग तथा पंजीकरण) नियम 2011 का विनियमन 2.1 आवेदनों को निर्धारित समय सीमा में निपटान को दर्शाता है। विभाग का उत्तर आवेदन स्थिति के संबंध में बैंक के साथ कमजोर-समन्वय को दर्शाता है।

2-2-6-3 mBk x, rFlk ijhkk ds fy, Hk s x, uewla ds vldMha dk xJ&l ka L;

खा.सु.अ. द्वारा उठाए गए सभी नमूनों को परीक्षण के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजने के पहले एक विशेष पहचान संख्या अर्थात् प.अ. स्लिप नंबर आवंटित किया जाता है। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि पदासीन अधिकारी को प.अ. स्लिप आवंटित करने के लिए तथा जारी की गयी प.अ. स्लिप तथा वास्तव में प्रयुक्त प.अ. स्लिप के मिलान के लिए कोई तंत्र नहीं था। विभाग ने 2011-16 के मध्य 15000 प.अ. प्रिंट कराए, यद्यपि, क्रम संख्या 6,301 से 7,500 (1200 प.अ. स्लिप) वाले प.अ. स्लिप किसी भी प.अ. को जारी नहीं किए गए यद्यपि 7,501 के बाद के नंबर वाले जारी दिखाए गए जो कि प.अ. स्लिप के गलत प्रयोग के जोखिम को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, एक ही क्रम संख्या की 34 प.अ. स्लिप एक से ज्यादा बार नमूनों को उठाने के लिए उपयोग की गई थी, जो कि इन स्लिप के गलत प्रयोग को दर्शाता है, क्योंकि एक प.अ. स्लिप को सिर्फ एक खाद्य नमूने को उठाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मामलों में समान संख्या वाली जारी प.अ. स्लिप एवं वास्तव में उपयोग किए गए प.अ. स्लिप में सामंजस्य के अभाव में प.अ. स्लिप के गलत प्रयोग न होने तथा सभी नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे जाने का कोई आश्वासन नहीं था। विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि कोई भी प.अ. स्लिप जो प.अ. द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है

या स्टाम्प अंकित नहीं है वह मात्र एक कागज का टुकड़ा है तथा उसकी कोई सांविधिक पहचान नहीं है।

2-2-6-4 खा.सु.मा. विनियम³¹ के अनुसार प्रत्येक लाइसेंसधारक को प्रत्येक वर्ष 31 मई को या उससे पहले उनके द्वारा पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान हैंडल किए गए खाद्य उत्पादों के प्रत्येक वर्ग के खाद्य के संबंध में (10 जून 2014 से उत्पादकों द्वारा प्रतिस्थापित) वार्षिक तथा अर्धवार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने चाहिए। यद्यपि, यह पाया गया कि विभाग के पास इन रिटर्न की प्रस्तुति को मॉनीटर करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि फूड लाइसेंसिंग तथा रजिस्ट्रेशन सिस्टम (फू.ला.र.सि.) में खा.व्या.सं. द्वारा वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं होने के कारण वह निर्धारित पत्र में रिटर्न के ब्यौरे की प्रस्तुति को मॉनीटर करने में अक्षम थे। इसने आगे कहा कि मामला भा.खा.सु.मा.प्रा. के विचाराधीन था तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट (ने.इं.स्मा.ग.) के द्वारा तंत्र विकसित किया जा रहा था।

2-2-7 नियामक एवं प्रशासनिक तंत्र कमजोर था क्योंकि विभाग ने न तो बिना लाइसेंसों/पं.प्र. के व्यापार चला रहे खाद्य व्यापार संचालकों को पहचानने के लिए सर्वेक्षण कराया न ही खा.व्या.सं. के डाटाबेस को तैयार किया। आवश्यक मैनपावर एवं उन्नत राज्य खाद्य प्रयोगशाला के संदर्भ में विभाग के पास बुनियादी ढांचे का अभाव था। नमूनों का चयन एवं परीक्षण तथा खाद्य संस्थापनाओं का निरीक्षण अपर्याप्त रूप से हो पाया जिसके चलते खा.व्या.सं. द्वारा खाद्य सुरक्षा मानदंडों की अनुपालना के बारे में कोई आश्वासन नहीं मिलता। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का गैर-पालन एवं अभिलेखों का अनुचित ढंग से रख-रखाव एक कमजोर आंतरिक नियंत्रण पद्धति को दर्शाता था। अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की गैर अनुपालना ने खाद्य की गुणवत्ता से समझौता किया, जिससे आम जनता को गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हुआ।

नियामक एवं प्रशासनिक तंत्र कमजोर था क्योंकि विभाग ने न तो बिना लाइसेंसों/पं.प्र. के व्यापार चला रहे खाद्य व्यापार संचालकों को पहचानने के लिए सर्वेक्षण कराया न ही खा.व्या.सं. के डाटाबेस को तैयार किया। आवश्यक मैनपावर एवं उन्नत राज्य खाद्य प्रयोगशाला के संदर्भ में विभाग के पास बुनियादी ढांचे का अभाव था। नमूनों का चयन एवं परीक्षण तथा खाद्य संस्थापनाओं का निरीक्षण अपर्याप्त रूप से हो पाया जिसके चलते खा.व्या.सं. द्वारा खाद्य सुरक्षा मानदंडों की अनुपालना के बारे में कोई आश्वासन नहीं मिलता। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का गैर-पालन एवं अभिलेखों का अनुचित ढंग से रख-रखाव एक कमजोर आंतरिक नियंत्रण पद्धति को दर्शाता था। अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की गैर अनुपालना ने खाद्य की गुणवत्ता से समझौता किया, जिससे आम जनता को गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हुआ।

2-2-8 लेखापरीक्षा प्राप्तियों के संदर्भ में विभाग कर सकता है:

लेखापरीक्षा प्राप्तियों के संदर्भ में विभाग कर सकता है:

- सभी खाद्य व्यापार संचालकों का किये गये सर्वेक्षण द्वारा खाद्य व्यापार संचालकों के डाटाबेस को बनाने के लिए तंत्र विकसित करना;
- पर्याप्त तकनीकी सहायक स्टाफ एवं नये उपकरण के द्वारा समर्थित राज्य खाद्य प्रयोगशाला का उन्नयन करना;
- नियमित आधार पर खाद्य संस्थापनाओं के निरीक्षणों को करवाने हेतु लक्ष्य निर्धारित करना एवं जोखिम आकलन पर आधारित खाद्य वस्तुओं के विभिन्न श्रेणियों हेतु खाद्य नमूनों को उठाये जाने हेतु प्रोटोकॉल विकसित करना; तथा
- खाद्य सुरक्षा मानदंडों का कड़ाई से पालन करने हेतु निगरानी तंत्र को सशक्त करना।

मामला सितम्बर 2016 में सरकार को भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2016)।

31 खा.सु.मा. (ला. एवं पं.) का विनियम 2.1.13

लोक, , oafjokj dY; k k foHkx

2-3 fnYyh eaLokF; ns[kky l foekvack mUk u

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की व्यवस्था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (स्वा.प.क.वि.) द्वारा की जाती है। 2010-16 की अवधि को शामिल करते हुए “दिल्ली में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के उन्नयन” की निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए योजनाओं तथा परियोजनाओं को जिनमें कमजोर प्लानिंग तथा कार्यान्वयन था जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं के फलीभूत होने में विलंब हुआ तथा जरूरतमंद मरीजों को अभीष्ट लाभ प्राप्त नहीं हुए। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्राप्तियां नीचे दी गई हैं :

ef; fclhq

- स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (स्वा.से.नि.) ने 2007-16 के दौरान ₹14.26 करोड़ की लागत पर नई स्वास्थ्य सुविधाओं की 30 परियोजनाओं के लिए 77,558.35 वर्ग मी. भूमि का कब्जा लिया तथा चारदीवारी, बाड़ लगाने, प्रवेश द्वार, सुरक्षा पर ₹ 3.28 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया, परन्तु अगस्त 2016 तक इनमें से किसी भूखण्ड का प्रयोग नहीं किया।

(पैराग्राफ 2.3.3.1)

- यद्यपि प्रस्तावित 2,575 बिस्तर क्षमता वाले नए अस्पतालों की 11 अन्य परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों का निर्धारण कर लिया गया था तथापि इसमें कोई ज्यादा प्रगति नहीं हुई थी। स्वा.से.नि. ने भूमि लागत, चारदीवारी, सुरक्षा के प्रति इन परियोजनाओं पर ₹ 17.06 करोड़ का व्यय किया था।

(पैराग्राफ 2.3.3.2)

- ₹ 72.07 करोड़ की लागत पर निर्मित गुरु तेग बहादुर अस्पताल का मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य (मा.बा.स्वा.) तथा डायबिटीज, इंडोक्राइन तथा मेटाबोलिक (डा.इ.मे.) ब्लॉक पूरा होने के 2-4 वर्षों के बाद भी स्टाफ की कमी, चिकित्सीय गैस पाईपलाइन के गैर-संस्थापन तथा आवश्यक उपकरणों की खरीद में देरी के कारण, पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं किया जा सका। स्टाफ की भर्ती न किए जाने तथा उपकरणों के अभाव के कारण राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल तथा जनकपुरी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के पूरा होने के चार से आठ वर्षों बाद भी पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं हुआ।

(पैराग्राफ 2.3.4.3, 2.3.4.4 एवं 2.3.4.5)

2-3-1 iŁrkouk

स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का उन्नयन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जो रोगियों को प्रभावी, सुरक्षित तथा गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए

चिकित्सा ढांचे का पर्याप्त स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में, स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार हेतु कुछ प्रमुख पहल की गई थी जैसे विद्यमान अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाना, नए अस्पताल बनाना तथा विद्यमान अस्पतालों का विस्तार एवं सुधार, मशीनरी एवं उपकरण की अधिप्राप्ति, आपरेशन थिएटरों, ब्लड बैंकों तथा प्रयोगशालाओं का विस्तार आदि।

2-3-1-1 लक्ष्य और कार्य

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की व्यवस्था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (स्वा.प.क.वि.) द्वारा की जाती है जिसका मुखिया प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) होता है। स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय (स्वा.से.नि.) तथा प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) एक साथ सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के प्रशासन का नियंत्रण करते हैं। नए अस्पतालों की योजना तथा स्थापना का उत्तरदायित्व स्वा.से.नि. के अधीन एक योजना सैल तथा अस्पताल सैल को सौंपा गया है। सरकारी अस्पतालों/संस्थानों का संचालन अस्पताल के संबंधित निदेशक अथवा चिकित्सा अधीक्षक का उत्तरदायित्व है।

2-3-1-2 यशस्वी पहलें;

निष्पादन लेखापरीक्षा के प्राथमिक उद्देश्यों में निर्धारण करना था कि क्या:

- चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन तथा संसाधन जुटाने के लिए दक्ष योजना थी तथा उन्नत सुविधाओं का सृजन अनुमोदित योजनाओं के अनुसार ही किया गया था;
- चिकित्सा सुविधाओं का उन्नयन कर दिया गया था, अभीष्ट उद्देश्य के लिए उनका सही उपयोग किया गया था तथा लाभार्थियों को अभीष्ट लाभ प्राप्त हुए थे;
- स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने हेतु उन्नत चिकित्सा सुविधाओं के लिए पर्याप्त मैनपावर उपलब्ध थीं; तथा
- एक प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र विद्यमान था।

2-3-1-3 यशस्वी पहलें

निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित मानदंडों का प्रयोग किया गया था:

- वार्षिक योजनाओं तथा मास्टर प्लान-2021 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा स्वा.से.नि. की नीतियां;
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अस्पतालों के लिए निर्धारित स्टाफ, आधारभूत संरचना तथा अन्य सुविधाओं के मानक; तथा
- उन्नत सुविधाओं के लिए औषधियों तथा चिकित्सा उपकरण की अधिप्राप्ति हेतु रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए विनिर्देश/निर्देश।

2-3-1-4 यशस्वी पहलें, जैसे, आरक्षण, आदि

रा.रा.क्षे.दि.स. के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं के संदर्भ में 2010-16 की अवधि को शामिल

करते हुए 'दिल्ली में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के उन्नयन' की निष्पादन लेखापरीक्षा मई से सितम्बर 2016 के दौरान की गई थी। चयनित अस्पतालों, स्वा.से.नि. तथा स्वा.प.क.वि. के अध्यक्षों के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र तथा मानदंडों की चर्चा करने के लिए 26 मई 2016 को प्रवेश सम्मेलन के साथ लेखापरीक्षा शुरू की गई थी। यादृच्छिक सैंपलिंग के माध्यम से चयनित 39 अस्पतालों में से 10 अस्पतालों³² तथा स्वा.से.नि. में अभिलेखों की जांच की गई थी। इसके अतिरिक्त, विद्यमान अस्पतालों के विस्तार तथा नए अस्पतालों के निर्माण के कार्यों के निष्पादन की जांच हेतु लो.नि.वि. के अभिलेखों की जांच भी की गई थी। लेखापरीक्षा प्राप्तियों पर संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य) के साथ 30 सितम्बर 2016 को एक समापन सम्मेलन आयोजित किया गया उसके पश्चात सचिव (स्वास्थ्य) को 18 अक्टूबर 2016 को एक ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी की गई थी। सरकार के उत्तर (नवंबर 2016) को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समुचित रूप से शामिल किया गया है।

यस कि जह कि इर; का

2-3-2 ct V vko/ u rFlk mi ; kx

10 चयनित अस्पतालों द्वारा बजट आवंटन तथा इसके वास्तविक उपयोग को rkydk 2-3-1 में दर्शाया गया है:

rkydk 2-3-1%ct V vko/ u rFlk mi ; kx

दजल+e

o"l	ct V	Q ;	cpr	cpr dk %
2010-11	92.80	65.27	27.53	29.67
2011-12	80.86	74.38	6.48	8.06
2012-13	136.50	114.58	21.92	16.06
2013-14	186.40	183.87	2.53	1.36
2014-15	201.90	184.76	17.14	8.49
2015-16	123.60	96.95	26.65	21.57
dy	822.06	719.81	102.25	12.44

स्रोत: अनुदानों हेतु मांग एवं लो.नि.वि. (व्यय आंकड़ों के लिए)

2010-11 से 2014-15 के दौरान बजट आवंटन तथा उनका उपयोग दोनों ही में बढ़ती हुई प्रवृत्तियां थी। 2014-15 से 2015-16 में आवंटन तथा उपयोग में क्रमशः 38.78 प्रतिशत तथा 47.52 प्रतिशत की अचानक कमी कम बजट मांगों तथा कार्य की प्रगति के कारण थी। पूरी अवधि के दौरान बचतों की प्रतिशतता 1.36 प्रतिशत से 29.67 प्रतिशत की रेंज में सीमित थी जिसका कारण कार्य की धीमी प्रगति बताया गया। अस्पताल-वार बजट आवंटन तथा व्यय vuyXud 2-3-1 में दर्शाया गया है।

32 (1) लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल (ला.ब.शा.अ.), (2) ए एण्ड यू तिबिया कालेज तथा अस्पताल (ए.यू.ति.का.अ.), (3) जनकपुरी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल (ज.सु.स्पे.अ.), (4) दीप चन्द बन्धु अस्पताल (दी.च.ब.अ.), (5) महर्षि बाल्मिकि अस्पताल (म.बा.अ.), (6) लोक नायक अस्पताल (लो.ना.अ.), (7) गु.ते.ब. मेडिकल कालेज तथा अस्पताल (गु.ते.ब.अ.), (8) राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल (रा.गां.सु.स्पे.अ.), (9) गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल (गो.ब.पं.अ.) तथा (10) डा. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल (बा.सा.अ.अ.)

2-3-3 परिचालन के लिए आवश्यक सुविधाएँ

किसी भी परियोजना प्रबंधन के लिये योजना सबसे महत्वपूर्ण घटक है तथा इसे कुछ विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में उठाये गये कदमों के क्रम को तैयार करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। लेखापरीक्षा ने भूमि को प्राप्त करने तथा नये अस्पतालों को संस्थापित कराने में कमजोर योजना को नोटिस किया जैसाकि नीचे के पैराग्राफ में वर्णित किया गया है:

2-3-3-1 भूमि की कमी; खर्च; भूमि अधिग्रहण; खर्च

अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि स्वा.से.नि. ने भू-स्वामी एजेंसियों से 2007-16 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं की 30 योजनागत परियोजनाओं के लिए 77,558.35 वर्ग मी. भूमि पर कब्जा लिया इसमें 14 भिन्न-भिन्न स्थानों³³ पर पंचायत विभाग (पं.वि.) से 15 परियोजनाओं के लिए निःशुल्क प्राप्त 26,966.71 वर्ग मी. तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (दि.श.आ.सु.बो.) से तथा पं.वि. से ₹ 14.26 करोड़ की लागत पर 15 परियोजनाओं के लिये खरीदे गए 15 प्लॉटों³⁴ की 50,591.64 वर्ग मी. भूमि शामिल थी 2-3-2 , 2-3-3

30 योजनागत परियोजनाओं के संबंध में जहां 2007-16 में भूमि पर कब्जा ले लिया गया था, लेखापरीक्षा ने देखा:

- (i) स्वा.से.नि. ने जनवरी 2010 से सितम्बर 2014 की अवधि के दौरान इन 30 प्लॉटों में से 15 पर ₹ 3.28 करोड़ का व्यय चारदीवारी के निर्माण, बाड़ लगाने, प्रवेश द्वार तथा सुरक्षा पर किया। प्रारंभिक कार्य जैसेकि स्थल निरीक्षण तथा चिकित्सा क्रियात्मक कार्यक्रम का गठन अभी भी इन प्लॉटों के संदर्भ में प्रगति में था तथा उन्हें अभी भी उपयोग में लाना था।
- (ii) स्वा.से.नि. ने 200 बिस्तर के अस्पताल के लिए ₹ 3 करोड़ की लागत पर गांव बमनोली में (जनवरी 2010) 14,400 वर्ग मी. कृषि भूमि ली तथा 100 बिस्तर के प्रसूति-एवं-स्वास्थ्य केन्द्र के लिए ₹ 47.57 लाख की लागत पर गांव झटीकाड़ा में 6,951 वर्ग मी. (सितम्बर 2009) भूमि ली। बाद में, जब स्वा.से.नि. ने भूमि के उपयोग के परिवर्तन हेतु दि.वि.प्रा. से सम्पर्क किया, तो दि.वि.प्रा. ने सूचित किया (मई 2011) कि भूमि दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 के अनुसार हरित बेल्ट क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जहां किसी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं है। स्वा.से.नि. द्वारा वैकल्पिक भूमि या लागत की वापसी हेतु आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई।
- (iii) इसी प्रकार, स्वा.से.नि. ने जून 2007 में 60 बिस्तर वाले अस्पताल के लिए गांव

33(i) घेवरा, (ii) मदनपुर डाबास, (iii) निजामपुर (दो प्लॉट), (iv) चंदनपुर, (v) कुतुबगढ़, (vi) जुनाती, (vii) मुंडका, (viii) बक्करवाला, (ix) शफीपुर रनहोला, (x) बैंकनेर, (xi) गरही खुसरो, (xii) कादीपुर, (xiii) हीरांकी तथा (xiv) सलाहपुर माजरा

34 (i) बमनोली, (ii) झटीकरा, (iii) मोलर बंध, (iv) शास्त्री पार्क, (v) सेक्टर 23, रोहिणी, (vi) गांधी विहार, (vii) सेक्टर 4, रोहिणी एक्स. (viii) ताहिरपुर, (ix) नारायण विहार, (x) बिंदापुर, (xi) जे.जे. कालोनी, नांगलोई (xii) दरियापुर कलां, (xiii) नेब सराय (xiv) कापसहेड़ा, (xv) बपरोला

मोलर बंध में ₹ 27.10 लाख की लागत की 3,632.24 वर्ग मी. भूमि ली। बाद में, जब स्वा.से.नि. ने भूमि के प्रयोग में परिवर्तन का अनुरोध किया (अगस्त 2007, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर 2011, तथा नवम्बर 2012), तो दि.वि.प्रा. ने सूचित किया (नवम्बर 2012) कि प्रस्तावित भूमि, योजना जोन 'ओ'-यमुना-नदी फ्रंट के अन्तर्गत आती है जहां भवन निर्माण की अनुमति नहीं है। स्वा.से.नि. ने पं.वि. को या तो भूमि की लागत वापस करने अथवा वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन करने का अनुरोध किया (अप्रैल 2015) परन्तु न तो भूखण्ड की लागत की वापसी के लिए कोई कार्रवाई की गई न ही कोई वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन किया गया (दिसम्बर 2016)।

(iv) दिल्ली में पार्किंग प्रतिमानों के संशोधन, निर्माण में विलंब, भूमि विवादों, अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता, भूमि के प्रयोग में परिवर्तन, दि.वि.प्रा. से अ.प्र.प. आदि के कारण पंचायत विभाग से प्राप्त 15 प्लॉटों के कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई।

अतः स्वा.से.नि. ₹ 14.26 करोड़ की लागत पर प्राप्त किये गये 30 प्लॉटों में से किसी का भी स्वास्थ्य सुविधाओं के संस्थापन के अभीष्ट उद्देश्य हेतु प्रयोग करने में असमर्थ रहा, जबकि 46 प्रतिशत भूमि प्लॉट 2-3 वर्षों से अधिक समय से उनके अधिकार में थे। इसके लिये योजना स्तर पर एम पी डी 2021 के संदर्भ में अभीष्ट उद्देश्यों के लिये भूमि की उपलब्धता तथा उपयोगिता को सुनिश्चित करने में असफलता तथा भूमि स्वामी एजेंसियों को निधियां जारी करना तथा खराब सामंजस्य को उत्तरदायी ठहराया गया।

स्वा.से.नि. ने कहा (सितम्बर 2016) कि भूमि का आवंटन स्वा.से.नि. को एम पी डी – 2021 की अधिसूचना से पहले किया गया था, तथा इसके कारण भूमि के प्रयोग के प्रतिमानों में बहुत परिवर्तन हुए परिणामतः मूल योजनाएं पूरी नहीं हुई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एम पी डी 2021, 07 फरवरी 2007 को लागू हुआ जबकि इन 30 प्लॉटों का जून 2007 तथा जून 2015 के दौरान अधिग्रहण हुआ था।

2-3-3-2 ifj; kt uk ds dk kb; u eaixfr dh deh

अनुपयोगी प्लॉटों, जिनकी चर्चा पिछले पैराग्राफों में की गई है, के अतिरिक्त, स्वा.से.नि. ने 2,575 बिस्तर की प्रस्तावित क्षमता वाले 11 नए अस्पतालों की स्थापना के लिए वर्ष 1986-2014 के दौरान ₹ 15.40 करोड़ की लागत पर भूमि खरीदी। इन परियोजनाओं के लिए, कार्यकारी एजेंसियों को कार्य निर्माण सौंपा गया था परन्तु विभिन्न कारणों से इनमें कोई प्रगति नहीं हुई जिन्हें rkydk 2-3-2 में तालिकाबद्ध किया गया है :

rkydk 2-3-2%31 vxLr 2016 dks11 vLi rky ifj; kt ukv dh fLFkr

Ø- la	ifj; kt uk	Hfe dk {k- %dCt s dh rjh h k/2	fLFkr@fVi . kh
1.	हस्तसाल में 200 बिस्तर वाला अस्पताल (विकासपुरी)	15,139.15 वर्ग मी. (10/2006)	सरकार ने पहले परियोजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (प.प्रा.पा.) मोड में शुरू करने का निर्णय लिया (मार्च 2011) परन्तु अक्टूबर 2011 में यह फेसला रद्द कर दिया। दिल्ली राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि.) (जिसे दिसम्बर 2011 में यह परियोजना सौंपी गई थी) द्वारा मार्च 2013 तथा मार्च 2015 में प्रस्तुत प्रारम्भिक अनुमान (प्रा.अ.), विभागीय प्रभार शामिल करने के कारण स्वीकार नहीं किए गए थे। परियोजना अंतिम रूप से लो.नि.वि. को जुलाई 2016 में, कब्जे लेने के 10 वर्ष पश्चात, सौंपी गई थी। स्वा.से.नि. ने भूमि की लागत के रूप में ₹ 2.14 करोड़ का भुगतान कर दिया था।

Ø- l a	i fj; kt uk	Hfe dk {s- ½dC s dh r kj h[k½	fLFkr@fVli . kh
2.	ज्वालापुरी में 200 बिस्तर का अस्पताल	20,234.30 वर्ग मी. (07/2008)	परियोजना दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि. को मई 2011 में दी गई थी। सितम्बर 2013 में, दि.वि.प्रा. ने केवल 15,661.33 वर्ग मी. के लिए भूमि के प्रयोग में परिवर्तन किया, परन्तु दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि. ने समस्त 20,234.30 वर्ग मी. के लिए खाका प्रस्तुत किया (जनवरी 2014) जिसे उत्तरी दि.न.नि. द्वारा अक्टूबर 2014 में मना कर दिया गया। आठ वर्षों तक अपने कब्जे में रखने के पश्चात परियोजना दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि. द्वारा विभागीय प्रभारों के उद्ग्रहण के आधार पर जुलाई 2016 में लो.नि.वि. को सौंपी गई थी। स्वा.से.नि. ने भूमि की लागत के रूप में ₹ 1.86 लाख का भुगतान किया।
3.	केशवपुरम में 200 बिस्तर का अस्पताल	7,689.03 वर्ग मी. (11/2006)	अस्पताल के लिये भूमि नवंबर 2006 में प्राप्त की गई थी। एक निजी पार्टी ने दिसम्बर 2006 में मुकदमा दायर किया, जिसे अक्टूबर 2013 में रद्द किया गया। स्वा.से.नि. आवंटन प्लॉट की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए उसे 45 मीटर चौड़ी सड़क के निकट 1,500 वर्ग मी. का प्लॉट आवंटन करने के लिए दि.वि.प्रा. को अनुरोध कर रहा था (अक्टूबर/2014, जनवरी/2015 तथा मई/2015) परन्तु उसका कोई लाभ नहीं हुआ। स्वा.से.नि. ने भूमि की लागत के रूप में ₹ 135.08 लाख तथा ब्याज के रूप में ₹ 2.78 लाख का भुगतान किया।
4.	मादीपुर में 200 बिस्तर का अस्पताल	34,155.47 वर्ग मी. (07/2010)	दि.वि.प्रा. ने अक्टूबर 2011 में 34,155.47 वर्ग मी. में से 25,292.85 वर्ग मी. भूमि के प्रयोग में परिवर्तन किया। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (दि.श.आ.सु.बो.) का एक 4,775.29 वर्ग मी. का एक अतिक्रमित प्लॉट था, जिसे वह स्थल के बेहतर प्रवेश, फ्लोर एरिया रेश्यो (फ्लो.ए.रे.) को 200 से 375 करने के लिए तथा अस्पताल के 500 बिस्तर की बढ़ी हुई क्षमता के लिए स्वा.से.नि. को सौंपने के लिए सहमत हो गया। इसमें और कोई प्रगति नहीं हुई थी क्योंकि स्वा.से.नि., अतिरिक्त प्लॉट से अतिक्रमण को हटाने का इन्तजार कर रहा था। स्वा.से.नि. ने भूमि की लागत के रूप में ₹ 3.30 लाख का भुगतान किया।
5.	के.एल. ब्लॉक सरिता विहार पर 100 बिस्तर का अस्पताल	6,319 वर्ग मी. (08/2007)	रा.रा.क्षे.दि.स. ने लो.नि.वि. द्वारा प्रस्तुत ₹ 109.39 करोड़ की प्रा.अ. अनुमोदित की (जुलाई 2013) परन्तु निर्माण शुरू नहीं हुआ क्योंकि पर्यावरण अनुमोदन मार्च 2015 में मिला था। जुलाई 2015 में, सलाहकार ने संशोधित फ्लो.ए.रे. के आधार पर 240 बिस्तर का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अगस्त 2016 तक और कोई प्रगति नहीं हुई थी। स्वा.से.नि. ने भूमि की लागत के रूप में ₹ 1.08 करोड़ तथा चारदीवारी पर ₹ 3.08 लाख का भुगतान किया।
6.	दीनदारपुर में 100 बिस्तर का मा. एवं बा.स्वा.	8,093.7 वर्ग मी. (12/2014)	भूमि दिसम्बर 2011 में आवंटन की गई थी। स्वा.से.नि. द्वारा पूछने पर, दि.वि.प्रा. ने सूचित किया (जुलाई 2013) कि प्लॉट पर 100 बिस्तर के अस्पताल की अनुमति थी। यद्यपि, 2013-14 में निधियों की गैर-उपलब्धता के कारण, ₹ 1.67 करोड़ की भूमि की लागत का भुगतान सितम्बर 2014 में किया गया था तथा दिसम्बर 2014 में कब्जा लिया गया था। इसके अलावा कोई प्रगति नहीं हुई थी। स्वा.से.नि. ने भूमि की लागत के रूप में ₹ 1.67 करोड़ तथा उसकी सुरक्षा के लिए ₹ 7.88 लाख का भुगतान किया।
7.	छत्तरपुर में 225 बिस्तर का अस्पताल	37,231.08 वर्ग मी. (08/2009)	भूमि रिज का भाग थी तथा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय (प्र.त.शि.नि.) के साथ लगती थी। अप्रैल 2011 में स्वा.से.नि. के अनुरोध पर, दि.वि.प्रा. ने फरवरी 2013 में सूचित किया कि रिज प्रबंधन बोर्ड द्वारा भूमि के उपयोग में परिवर्तन किया जाएगा। दिसम्बर 2014 में, एक सुझाव पर कि भूमि का एक वैकल्पिक खण्ड, स्वा.से.नि. तथा प्र.त.शि.नि. के 55,037.25 वर्ग मी. की विद्यमान भूमि के साथ बदला जा सकता है, एल.जी. ने भूमि की अदला-बदली अनुमोदित कर दी (मई 2016) जो जून 2016 तक प्रक्रियाधीन थी। स्वा.से.नि. ने भूमि की लागत के रूप में ₹ 2.73 करोड़ का भुगतान किया।
8.	सिरसपुर में 200 बिस्तर का अस्पताल	80,937.10 वर्ग मी. (01/1986)	भूमि पर कब्जे के समय अतिक्रमण था, उसके पश्चात अतिक्रमणकर्ता द्वारा मुकद्दमेबाजी के कारण सितम्बर 2010 तक और कोई प्रगति नहीं हुई थी। स्वा.से.नि. ने अगस्त 2012 में संवीक्षा हेतु लो.नि.वि. को कान्सेप्ट ड्राइंग भेजे। सचिव (स्वास्थ्य) ने प्रस्तावित भूमि पर एक 1,500 बिस्तर का अस्पताल, एक मेडिकल कॉलेज तथा ट्रॉमा सेन्टर बनाने का निर्णय लिया (जनवरी 2016)। भूमि की लागत के रूप में स्वा.से.नि. ने ₹ 1.27 लाख का भुगतान किया (1986)।

Ø- l a	ifj; k uk	Hfe dk {k- ½d(s dh rkhj h½	fLFfr@fVli . h
9.	बुराड़ी में 200 बिस्तर का अस्पताल	16,000 वर्ग मी. (03/1999)	परियोजना पर मई 2001 से अक्टूबर 2009 तक मुकदमा चलता रहा। भूमि का प्रयोग 2005 में 'कृषि' से 'संस्थागत' में बदल दिया गया था तथा लो.नि.वि. ने ₹ 2.57 करोड़ के शुल्क पर एक सलाहकार नियुक्त किया (मार्च 2008)। अस्पताल के लिए नींव का पत्थर रखने का समारोह अक्टूबर 2008 में किया गया था। प्लो.ए.रे. में वृद्धि के कारण, रा.रा.क्षे.दि.स. ने बिस्तर की संख्या 200 से बढ़ाकर 800 करने के लिए अस्पताल का डिजाईन पुनः बनाने का अनुदेश दिया (मार्च 2015)। सांविधिक निकायों से संशोधित योजना के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में थे। स्वा.से.नि. ने ₹ 88.67 लाख का व्यय किया (₹ 58.67 लाख भूमि की लागत के रूप में ₹ 18.32 लाख चारदीवारी पर ₹ 3.86 लाख नींव-पत्थर रखने के समारोह पर तथा भूमि पूजन पर ₹ 7.82 लाख)।
10.	अम्बेडकर नगर में 200 बिस्तर का अस्पताल	10,000 वर्ग मी. (02/2009)	रा.रा.क्षे.दि.स. ने निर्णय लिया (अप्रैल 2013) कि एनआरएचएम के अधीन दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन को परियोजना की लागत (₹ 149.23 करोड़) वहन करनी चाहिए तथा राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (रा.भ.नि.नि.) कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित की गई थी, परियोजना को पूरा करने की निर्धारित तिथि अक्टूबर 2015 थी। इसी बीच, रा.रा.क्षे.दि.स. ने बिस्तर क्षमता 200 से बढ़ा कर 600 बिस्तर करने के लिए परियोजना की योजना फिर से बनाने का निर्णय लिया (मई 2015)। स्वा.से.नि. ने ₹ 2.54 करोड़ (भूमि की लागत के रूप में ₹ 1.88 करोड़, चारदीवारी पर 49 लाख, सुरक्षा के लिए ₹ 6.83 लाख, नींव-पत्थर रखने के समारोह के लिए ₹ 9.57 लाख) का भुगतान किया।
11.	द्वारका में 750 बिस्तर का अस्पताल	65,605 वर्ग मी. (03/1997)	₹ 156.77 करोड़ के प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय की संस्वीकृति दिसम्बर 2004 में जारी की गई थी, परन्तु जून 2007 तक कोई प्रगति नहीं हुई थी, जब तक कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने बिस्तर की क्षमता बढ़ा कर 750 करने, तथा परियोजना में एक मेडिकल कॉलेज का प्रावधान शामिल करने का निर्णय लिया। ₹ 350.09 करोड़ की संशोधित प्रा.अ. नवम्बर 2007 में अनुमोदित की गई थी। जनवरी तथा मई 2008 में आमंत्रित निविदाओं को स्थानीय निकायों से अनुमोदन लंबित होने के कारण अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। अन्ततः कार्य ₹ 545.11 करोड़ की लागत पर अगस्त 2014 में सौंपा गया था जिसे 36 महीने में पूरा किया जाना था। कार्य की वर्तमान स्थिति लेखापरीक्षा को नहीं बताई गई थी, यद्यपि स्थिति मांगी गई थी। स्वा.से.नि. ने ₹ 4.46 करोड़ (भूमि की लागत के रूप में ₹ 3.90 करोड़, चारदीवारी पर ₹ 45.92 लाख तथा नींव पत्थर रखने के समारोह पर ₹ 9.85 लाख) का व्यय किया। इस मामले को मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (गैर-सा.क्षे.उ.) में भी इंगित किया गया था।

जैसाकि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, स्वा.से.नि. ने भूमि का कब्जा तीन मामलों³⁵ में वर्ष 1999 से पहले, सात मामलों³⁶ में वर्ष 2006 तथा 2011 के बीच लिया था तथा एक मामले³⁷ में भूमि वर्ष 2014 में ली गई थी। स्पष्टतः निर्माण कार्य, कार्यकारी एजेंसियों जैसेकि लो.नि.वि., दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि., रा.भ.नि.नि. को सौंपे गए थे, परन्तु अतिक्रमित अथवा विवादित भूमि या प्लॉट को बगैर भूमि प्रयोग मानक के संदर्भ में दूरदर्शिता के अभाव, कार्य के कार्यक्षेत्र में लगातार परिवर्तन तथा निर्णय लेने में देरी के कारण प्रगति नहीं हुई। इस प्रकार भूमि, उसकी चारदीवारी के निर्माण, बाड़, सुरक्षा में ₹ 17.06 करोड़ का निवेश करने के बावजूद प्रस्तावित नई स्वास्थ्य सुविधाओं का सृजन नहीं किया जा सका।

2-3-4 fo | eku vLi rkyk dk foLrkj@mUk; u , oami ; kx

नए अस्पतालों तथा औषधालयों की स्थापना के अतिरिक्त स्वा.से.नि. विद्यमान चिकित्सा सुविधाओं, जैसे बिस्तरों की संख्या बढ़ाना, विद्यमान भवनों में नए ब्लॉक जोड़ने का विस्तार तथा उन्नयन भी करता है।

35 सिरसापुर, बुरारी एवं द्वारका।

36 विकासपुरी, ज्वालापुरी, केशवपुरम, मादीपुर, सरिता विहार, छत्तरपुर तथा अम्बेडकर नगर।

37 दिनदारपुर

2-3-4-1 यकी चगनग 'कॉह वलि रकी दक फोर्की

1/2 फोर्की {कैरक चकलु% लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल (ला.ब.शा.अ.) 1991 से 100 बिस्तर की क्षमता के साथ काम कर रहा था। वार्ड ब्लॉक में 100 और बिस्तर जोड़ने के लिए वर्तमान ढांचे में दो और तल जोड़ने का प्रावधान था। जून 2005 में, ला.ब.शा.अ. ने ₹ 1.08 करोड़ की लागत पर दि.वि.प्रा. से 7,703 वर्ग मी. माप के एक साथ वाले प्लॉट को अपने अधिकार में लिया। तभी से साथ वाले प्लॉट पर निर्माण सहित अस्पताल के विस्तार हेतु विभिन्न प्रस्ताव बगैर किसी अंतिम परिणाम के किए गए थे जैसाकि रफ्येक 2-3-3 में दर्शाया गया है:

रफ्येक 2-3-3% यके- 'कव- दसफोर्की दसि र्की कक वुठे

Ø-1 a	िर्की	िर्की ऐािफोरु वफोक वुठेकु उ ग्कसदसदु.क
1.	तगुबZ2006% वार्ड ब्लॉक पर दो अतिरिक्त तलों के निर्माण तथा बा.रो.वि., प्रशासन तथा आकस्मिकता वार्डों पर एक-एक तल के निर्माण के द्वारा अस्पताल के लंबाई में रूप विस्तार के माध्यम से बिस्तर संख्या 100 से बढ़ाकर 200 करना।	यह प्रस्ताव व्यय वित्त समिति (व्य.वि.स.) द्वारा सितम्बर 2007 में इस आधार पर रोक दिया गया था कि रोगियों की भीड़-भाड़ के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधा केवल 100 अतिरिक्त बिस्तर द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती।
2.	fl rEcj 2007% व्य.वि.स. ने सटी हुई भूमि (7703 वर्ग मी.) पर 500-750 बिस्तर के अस्पताल के निर्माण की संभावना पर विचार करने का निर्णय लिया।	प्लॉट पर बहुमंजिला भवन का निर्माण सम्भव नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर एक हाई टेंशन ट्रांसमिशन (हा.टें.ट्रां.) लाईन तिरछी गुजर रही थी। अतः लो.नि.वि. को हा.टें.ट्रां. लाईन को वहां से हटाने अथवा इसे भूमिगत करने के लिए कहा गया था (अगस्त 2007)। चूंकि कथित कंपाउंड के चारों ओर सघन जनसंख्या तथा स्थान की कमी के कारण ऊपरी लाईन को हटाना अथवा उसे भूमिगत करना सम्भव नहीं था, अतः इस प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
3.	fnl Ecj 2008% ला.ब.शा.अ. ने 'एल' आकार के सटे हुए प्लॉट पर कैम्पस में स्थित आवासीय परिसर को पुनर्स्थापित करने, हा.टें.ट्रां. लाईन के नीचे हरित बेल्ट बनाने तथा वर्तमान आवासीय परिसर को अस्पताल के विस्तार हेतु प्रयोग करने का प्रस्ताव किया।	इस प्रस्ताव की किसी कार्रवाई अथवा उसे रद्द करने के संबंध में अभिलेखों में कुछ भी नहीं था।
4.	t uojh 2010% सटे हुए प्लॉट पर मातृत्व एवं बाल अस्पताल (मा.बा.स्वा.) तथा ट्रांमा सेंटर के निर्माण हेतु एक प्रस्ताव दिया गया था।	इस प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इस प्रस्ताव को रद्द करने के संबंध में अभिलेखों में कुछ नहीं था।
5.	vxLr 2010% सटी हुई भूमि पर 150 बिस्तर का अस्पताल बनाने का प्रस्ताव किया गया था। फरवरी 2012 में एक सलाहकार भी लो.नि.वि. द्वारा नियुक्त किया गया था।	फरवरी 2013 में सलाहकार की नियुक्ति स्थगित कर दी गई थी। तथापि उसका कोई कारण अभिलेखों में नहीं पाया गया था।
6.	vxLr 2013% रा.रा.क्षे.दि.स. ने पिछले वर्षों में हुए विकास को ध्यान में रखे बिना तकनीकी व्यवहार्यता, ढांचागत एवं भूकम्पीय सुरक्षा की शर्त पर खड़े विस्तार के माध्यम से ला.ब.शा.अ. की बिस्तर संख्या को 100 से बढ़ा कर 200 करने के मूल प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया।	ला.ब.शा.अ. तथा लो.नि.वि. अधिकारियों की फरवरी 2014 में हुई एक बैठक में, यह देखा गया था कि ढांचागत उपयुक्तता तथा भूकम्पीय अध्ययन रिपोर्ट के लिए एक विशिष्ट ढांचागत सलाहकार की आवश्यकता थी तथा सीवरेज, जल, लिफ्टों, एयर कंडीशनरों, बिजली आपूर्ति जैसी सभी सेवाओं को शामिल करने के लिए समस्त रूप में वास्तुशिल्पीय योजना की भी आवश्यकता थी।
7.	t w 2014% ला.ब.शा.अ. ने वरीयता के आधार पर विद्यमान वार्ड ब्लॉक पर अर्ध स्थायी ढांचे का एक तल जोड़ कर 50 बिस्तर जोड़ने का निर्णय लिया।	यह निर्णय भी कार्यान्वित नहीं हुआ क्योंकि ला.ब.शा.अ. के निरीक्षण (मार्च 2015) के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अर्धस्थायी ढांचे के बजाय 200-300 बिस्तर के अनुरूप बनाने के लिए प्रशासनिक ब्लॉक के सामने भूमि पर एक स्थायी ढांचा बनाने का निर्णय लिया।
8.	uoEcj 2015% विद्यमान ब्लॉक की रीमॉडलिंग तथा अपग्रेडेशन करते हुए नए ब्लॉकों के निर्माण हेतु लो.नि.वि. द्वारा एक सलाहकार नियुक्त किया गया था।	जनवरी 2016 में, लो.नि.वि. ने ला.ब.शा.अ. को परामर्श शुल्क के लिए ₹ 2.10 करोड़ का प्र.अ.व्य.सं. जारी करने का अनुरोध किया। परन्तु इस प्र.अ.व्य.सं. के संबंध में अभिलेखों में कुछ नहीं पाया गया था।
9.	ekpZ 2016% डी.एम.आर.सी. ने उसकी अपनी लागत पर हा.टें.ट्रां. लाईन शिफ्ट की थी।	अगस्त 2016 तक और कोई प्रगति नहीं हुई।

इस प्रकार, योजना तथा प्रस्तावों में बहुत अधिक परिवर्तन होने के कारण ला.ब.शा.अ. के पास 11 वर्षों से अधिक तक उसके कब्जे में एक खाली भूमि होने के बाद भी वह एक 100 बिस्तर का ही अस्पताल रहा।

12वीं पंचवर्षीय योजना में मैनपावर तथा बुनियादी ढांचे की उपलब्धता की शर्त पर ला.ब.शा.अ. में एक हिस्टोपैथोलाजी विभाग की स्थापना करने पर विचार किया गया था। यद्यपि, ला.ब.शा.अ. ने हिस्टोपैथोलाजी विभाग की स्थापना के लिए अपेक्षित पदों तथा बुनियादी ढांचे के सृजन हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी। हिस्टोपैथोलाजी सुविधाओं के अभाव में, ला.ब.शा.अ. ने 2010-16 के दौरान मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को हिस्टोपैथोलाजी जांच के 4,749 नमूने भेजे, जिसके कारण रोगियों को परिहार्य असुविधा हुई।

2-3-4-2 एगएक ओकेलफद वलि रक्य दक मूक, उ

व्यय वित्त समिति ने 100 बिस्तर का एक मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य (मा. बा.स्वा.) ब्लॉक बना कर महर्षि बाल्मीकि अस्पताल (म.बा.अ.) के उन्नयन हेतु ₹ 51.37 करोड़ का एक प्रस्ताव अनुमोदित किया (मार्च 2013)। चि.अ. (म.बा.अ.) ने लो.नि.वि. को अप्रैल 2013 में व्यय की संस्वीकृति प्रदान की (मार्च 2013) जिसको पूरा करने की निर्धारित अवधि 36 महीने की थी। लो.नि.वि. ने निर्माण कार्य पूरा किया तथा जून 2016 में मा.बा.स्वा. ब्लॉक, म.बा.अ. को सौंप दिया। दिसम्बर 2015 तक ₹ 39.30 करोड़ का व्यय हो चुका था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि म.बा.अ. ने प्रस्तावित मा.बा.स्वा. ब्लॉक के लिए जून 2015 में केन्द्रीय प्रापण एजेंसी (के.प्रा.ए.) को उपकरणों की मांग भेजी, जो अगस्त 2016 तक पूरी नहीं की गई थी। अक्टूबर 2014 में, स्वा.प.क.वि. ने भी मा.बा.स्वा. में नवनिर्मित आपरेशन थियेटर के संचालन हेतु मेडिकल गैस पाईपलाईन (मे.गै.पा.ला.) प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। लो.नि.वि. ने मे.गै.पा.ला. संस्थापित करने के लिए ₹ तीन करोड़ के प्राथमिक अनुमान प्रस्तुत किए (फरवरी 2015) जिसे अप्रैल 2016 में संशोधित करके ₹ 3.12 करोड़ कर दिया गया था। लो.नि.वि. ने म.बा.अ. को एक संशोधित प्रा.अ. प्रस्तुत की, जोकि प्रस्ताव में लिक्विड ऑक्सीजन को शामिल करने, भवन के पूर्ण रूप से तैयार नक्शे तथा गैस नालिका को भूमि तल पर शिफ्ट करने से संबंधित टिप्पणियों के साथ लो.नि.वि. को लौटा दी गई थी (जून 2016)। इसके अतिरिक्त, दिल्ली अग्निशमन सेवा से अभी अनुमोदन प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना था तथा नई सुविधा के लिए अपेक्षित स्टाफ के लिए पदों का सृजन प्रक्रियाधीन था। इस प्रकार मे.गै.पा.ला. के संस्थापन, उपकरणों की खरीद, फायर विलयरेंस प्रमाणपत्र तथा स्टाफ की आवश्यकता आदि से संबंधित मूलभूत क्रियाकलापों की समकालिकता के अभाव के कारण, जोकि एक नया चिकित्सा यूनिट स्थापित करने और संचालित करने के लिये अपेक्षित है, नव-निर्मित मा.बा.स्वा. ब्लॉक उसके निर्माण के पांच महीने बाद भी प्रयोग में नहीं लाया जा सका।

2-3-4-3 xq rsx cglngj vLi rky eal foekvka dk mUk, u

अस्पताल ने

₹ 53.32 करोड़ की लागत पर 500 बिस्तर वाले मा.बा.स्वा. ब्लॉक का निर्माण कराया। निर्माण कार्य अक्टूबर 2011 में पूरा हुआ। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यान्वयन तथा कार्यक्षेत्र की रूपात्मकता में लगातार परिवर्तन के कारण अनिवार्य मेडिकल गैस पाइपलाइन (मे.गै.पा.ला.) तथा मॉड्यूलर आपरेशन थियेटर अगस्त 2016 तक भी मा.बा.स्वा. ब्लॉक में स्थापित नहीं किये गये। प्रस्ताव अंतिम रूप से स्थायी वित्त समिति को दिसम्बर 2015 में भेजा गया तथा अनुमोदन नवंबर 2016 तक प्रतीक्षित है।

1/2 Mk fcVht] , .MkObu rFk eVckfyd Mk, -es½ CyM% वर्ष 2007 में, गुरु तेग बहादुर अस्पताल (गु.ते.ब.अ.) ने डायबिटीज, एण्डोक्राइन तथा मेटाबोलिक (डा.ए.मे.) के लिये एक सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई। लो.नि.वि. द्वारा निर्माण कार्य ₹ 18.75 करोड़ की लागत पर मार्च 2014 में पूरा किया गया था। यद्यपि, सेवाएं जैसेकि आई.सी.यू., क्लिनिकल एपिडेमिओलाजी अनुसंधान प्रयोगशाला तथा मालीकुलर एण्डोक्रानोलाजी प्रयोगशाला मे.गै.पा.ला. के गैर संस्थापन के कारण अगस्त 2016 तक चालू की जानी बाकी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि गु.ते.ब.अ. ने अस्पताल में (डा.ए.मे. ब्लॉक सहित) अधिक क्षमता वाले एक नए ब्लॉक के साथ विद्यमान मे.गै.पा.ला. प्लॉट को बदलने का निर्णय लिया (सितम्बर 2015) तथा स्थायी वित्त समिति की अनुमति हेतु ₹ 29.27 करोड़ का प्रस्ताव भेजा (दिसम्बर 2015), जो अगस्त 2016 तक प्रतीक्षित था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि सितंबर 2013 में गु.ते.ब.अ. ने एच.एल.एल. लाईफ केयर लिमिटेड को डा.ए.मे. ब्लॉक हेतु 39 डायग्नोस्टिक उपकरणों की मांग भेजी। तथापि, 39 उपकरणों में से एच.एल.एल. द्वारा अगस्त 2016 तक केवल नौ उपकरणों की आपूर्ति की गई थी। तीन उपकरणों के लिए निविदा की स्वीकार्यता (नि./स्वी.) पर के.प्रा.ए. का अनुमोदन प्रतीक्षित था, 10 उपकरणों के लिए पुनः निविदाकरण किया जाना था तथा 12 उपकरणों के लिए मूल्य बोलियां अनुमोदित कर दी गई थी, परन्तु वे चि.अ. की संस्वीकृति की प्रतीक्षा में थी। चार मामलों में साख पत्र खोला जाना था तथा एक उपकरण के लिए क्रय आदेश दे दिया गया था।

इस प्रकार, सामंजस्य के अभाव तथा कमजोर प्लानिंग तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप बड़ी हुई सुविधाएं गैर-प्रचालनात्मक रही जिससे मरीज अभीष्ट लाभों से वंचित रहे।

2-3-4-4 vk' kd fØ; k'khy jkt ho xkakh l qj Li f'k fyVh vLi rky

रा.रा.क्षे.दि.स. ने ताहिरपुर में एक 650 बिस्तर के राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल (रा.गां.सु.स्पे.अ.) के निर्माण हेतु मार्च 1999 में ₹ छः करोड़ की लागत पर दि.वि.प्रा. से 5.39 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की। अस्पताल का निर्माण ₹ 153.68 करोड़ की लागत पर दिसंबर 2000 से अप्रैल 2013 के मध्य हुआ। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने अप्रैल 2008 में निश्चित किया कि अस्पताल को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप

(प.प्रा.पा.) मोड पर चलाया जाए और दि.वि.प्रा. से अनुमति प्राप्त करने के लिए लिखा। यद्यपि दि.वि.प्रा. ने (सितम्बर 2011) रा.रा.क्षे.दि.स. को उसके किसी भाग को बेचने, हस्तान्तरित या सौंपने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया। उसके पश्चात रा.रा.क्षे.दि.स. ने सितम्बर 2013 में निश्चित किया कि अस्पताल को सोसाइटी मोड पर ही संचालित किया जाए। रा.गां.सु.स्पे.अ. तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के मध्य समझौता ज्ञापन के अनुसार (सितम्बर 2013), रा.गां.सु.स्पे.अ. को सहायक सुविधाओं जैसे रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी तथा माइक्रोबायोलॉजी कार्डियोलॉजी, र्यूमेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ग्रैस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी, यूरोलॉजी, सामान्य नाजुक स्थिति में देखभाल, हिमेटोलॉजी को सम्मिलित करते हुये विभिन्न बीमारियों के निदान तथा उनके उपचार हेतु उन्नत अवसंरचना उपलब्ध करानी थी। यद्यपि, तीन वर्ष सोसायटी मोड पर चलाए जाने के बाद भी रा.गां.सु.स्पे.अ. ने उपरोक्त सभी सेवाएं देना प्रारम्भ नहीं किया जैसाकि **rkfydk 2-3-4** में सारांशीकृत किया गया है।

rkfydk 2-3-4% jkxkl qLi sv- dh foffHuk l okvl dh fLFkr

Ø-1 a	{k-	fLFkr	mi ; kx u djus ds dlj . k
1.	खाली तल तथा अक्रियाशील आकस्मिकता वार्ड	रा.गां.सु.स्पे.अ. वर्तमान में केवल गैस्ट्रो, यूरोलॉजी तथा हृदय संबंधी विभागों में ही बा.रो.वि. सेवाएं प्रदान करती है	अस्पताल ने सुविधाओं के कम प्रयोग का कारण अपर्याप्त आउटसोर्स किया गया स्टाफ, विशेषज्ञों, नियमित चिकित्सा तथा पैरामेडिकल स्टाफ की कमी बताया।
2.	आपरेशन थिएटरों (आ. थि.) का प्रयोग न किया जाना	12 आ.थि. (10 मॉड्यूलर एवं 2 अर्ध-मॉड्यूलर) निर्मित किए गए थे, जिसके लिए अस्पताल ने मार्च 2015 में 12 आ.थि. टेबल (₹ 1.12 करोड़), तथा ₹ 6.78 करोड़ लागत के आ.थि. पेंडेंट्स तथा हैच बॉक्स की खरीद की।	विशेषज्ञ उपलब्ध न होने के कारण मार्च 2016 तक कोई सर्जरी नहीं की गयी थी। यद्यपि, अस्पताल ने सूचित किया (नवम्बर 2016) कि तीन विशेषज्ञों (गैस्ट्रो, जीआईसर्जरी, कॉर्डियों) के लिए 20 संकाय के साथ 55 रेजीडेंट डॉक्टर थे तथा तीन आ.थि. चलने लगी हैं।
3.	पैथोलॉजिकल जांचों के लिए उपकरण की गैर-उपलब्धता	19 प्रकार की जांचों के लिए संकाय जैव रसायन विज्ञान से संबंधित थे, पांच पैथोलॉजिकल जांच तथा दो माइक्रो बायोलॉजी जांच रा.गां.सु.स्पे.अ. में उपलब्ध नहीं थी, यद्यपि निधि की कोई रुकावट नहीं थी। क्योंकि 2014-15 वर्ष के लिए रा.गां.सु.स्पे.अ.के वित्त लेखे से ₹ 109.67 करोड़ का अव्ययित शेष होने का पता चला।	अनिवार्य उपकरण के अभाव के कारण जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यद्यपि इन अनिवार्य उपकरणों की कीमत (केवल 2.91 करोड़) कम थी। अस्पताल ने सूचित किया (नवम्बर 2016) कि रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा उपकरण का निविदाकरण रोका गया था।

रा.गां.सु.स्पे.अ. ने अस्पताल की सुविधाओं को पूर्ण रूप से ही क्रियाशील करने में प्रमुख रूप से डॉक्टरों व स्टाफ की गैर-उपलब्धता को बाधक ठहराया क्योंकि सोसाइटी के गठन के समय मात्र 54 पद ही संस्वीकृत थे। 250 अंतरंग रोगी बिस्तर के लिए कार्यान्वयन के पहले चरण के लिए आवश्यक 882 अन्य पद नवम्बर 2015 में संस्वीकृत हुए।

2-3-4-5 t udi qh eal qjLi f'k fyVh vLi rky dk de&i z kx

जनकपुरी सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल का ₹ 71.95 करोड़ की लागत से मार्च 2007 में निर्माण कार्य पूरा हुआ। यद्यपि 44,475 वर्ग मी. के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ अस्पताल के उद्घाटन के पश्चात् भी ओ.पं.वि. तथा प्रयोगशाला जैसी सेवाओं के लिए केवल 16,236.46 वर्ग मी. (36.9 प्रतिशत) क्षेत्र का ही प्रयोग किया जा रहा था तथा 28,238.19 वर्ग मी. का निर्मित क्षेत्र खाली पड़ा था (अगस्त 2016)। पांच मंजिला अस्पताल में कम प्रयोग की गई सेवाओं/कमियों की स्थिति की **rkfydk 2-3-5** में चर्चा की गई है:

रक्यदक 2-3-5%de iz lxx dh xbZl okvks@ dfe; lkdh fLFkr

Ø-1 a	dfe; lkd	dfe; lkd s C; lks
1.	गैर-क्रियाशील सेवाएं	ज.सु.स्पे.अ. ने फरवरी 2015 से 26 बिस्तर के साथ आन्तरिक रोगी विभाग (आ.रो.वि.) की सेवाएं शुरू की, परन्तु आ.रो.वि. रोगियों के लिए आहार संबंधी सेवाएं शुरू नहीं की गई थी। अगस्त 2016 तक ज.सु.स्पे.अ. द्वारा कोई आकस्मिक सेवाएं प्रदान नहीं की गई थी। न तो आ.थि./आई.सी.यू. सेवाएं और न ही केन्द्रीय स्टेराइल सेवा विभाग (के.स्टे.से.वि.) शुरू किए गए थे।
2.	एम.आर.आई. मशीन की गैर-उपलब्धता	ज.सु.स्पे.अ. में नॉन-इन्वेसिव कॉर्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफरोलॉजी, गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी तथा जांच सुविधाएं जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ई.एम.जी, हॉल्टर, टी.एम.टी, एम.सी.वी, अन्य खून जांच सुविधाएं तथा एक डिजिटल एक्स-रे वेंचर हैं, परन्तु उसमें एम.आर.आई सुविधा नहीं है। एम.आर.आई. मशीनें तथा एक अतिरिक्त डिजिटल एक्स-रे वेंचर खरीदने का अनुरोध जनवरी 2014 में एच.एल.एल. को किया गया था, जिसने निविदा दस्तावेज को अन्तिम रूप दिया तथा मार्च 2015 में अनुमोदनार्थ रा.रा.क्षे.दि.स. को प्रस्तुत किया। यद्यपि, तीन वर्ष बीतने के बावजूद मशीनें नवम्बर 2016 तक प्रतीक्षित थी।
3.	ब्लड बैंक की स्थापना नहीं की गई	3000 वर्ग फुट का एक क्षेत्र ब्लड बैंक के लिए बेसमेंट में चिन्हित किया गया था (अगस्त 2013) तथा उसे राज्य रक्त आधान परिषद, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। लो.नि.वि. को नवम्बर 2013, मार्च एवं जुलाई 2014 में ₹ 1.15 करोड़ (ब्लड बैंक के विकास हेतु ₹ 73.26 लाख, इलेक्ट्रिकल कार्य के लिए ₹ 22 लाख तथा वाटर कूलड केसल यूनिटों के लिए ₹ 19.29 लाख) संस्वीकृत किए गए थे। तथापि, अगस्त 2016 तक ब्लड बैंक चालू नहीं हुआ था।
4.	गैर-क्रियाशील दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान, जनकपुरी	ऑनकोलॉजी सेवाओं के लिए एक पृथक दो मंजिला इमारत मार्च 2007 में बनाई गई थी। जुलाई 2008 में, रा.रा.क्षे.दि.स. ने दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान (दि.रा.कै.सं.) द्वारा इस भवन को कब्जे में लेने की संभावना पर विचार का निर्णय लिया; परन्तु उसे इस मामले पर निर्णय लेने में चार वर्ष और लग गए तथा ओ.पं.वि. तथा रेडियो थेरेपी ब्लॉक जून 2012 में दि.रा.कै.सं. को सौंपे गए थे। कैंसर रोगियों के लिए 50 बिस्तर के एक सामान्य वार्ड की स्थापना के लिए अगस्त 2012 में दि.रा.कै.सं. को मुख्य भवन के प्रथम तल पर एक और विंग सौंपा गया था और इस प्रकार, दि.रा.कै.सं. ने मार्च 2013 में ओ.पं.वि. सेवाएं शुरू करने के लिए कई अनिवार्य परिवर्तन/नवीकरण किए। यद्यपि भवन छः वर्षों तक अप्रयुक्त रहा। चिकित्सा उपकरण की अधिप्राप्ति हेतु निविदाओं को 2014-15 में अन्तिम रूप दिया गया था, परन्तु स्वास्थ्य विभाग से अनुमोदन नवम्बर 2016 तक प्रतीक्षित था।

ज.सु.स्पे.अ. ने कहा (नवम्बर 2016) कि आ.रो.वि., आकस्मिकता, दुर्घटना तथा सर्जिकल सेवाएं संकाय विशेषज्ञों की गैर-उपलब्धता के कारण शुरू नहीं हो सकी। प्रशिक्षित ब्लड बैंक स्टाफ तथा चिकित्सा अधिकारी की गैर-उपलब्धता के कारण ब्लड बैंक सेवाओं को चालू करने में विलंब हुआ।

इसके अतिरिक्त, 2013-15 के दौरान, दि.रा.कै.सं. ने 50 बिस्तर के वार्ड के आंशिक परिवर्तन एवं उन्नयन पर ₹ 2.13 करोड़ का तथा आंकोलॉजी भवन के नवीनीकरण/परिवर्तन पर ₹ 2.55 करोड़ का व्यय किया। यद्यपि, संस्वीकृत पदों की गैर-उपलब्धता के कारण वार्ड सेवाएं चालू नहीं की जा सकी। प्रशासकीय विभाग ने स्वा.प.क.वि. को मार्च 2015 में विभिन्न श्रेणियों के 334 पदों के सृजन की सिफारिश की। यद्यपि, अगस्त 2016 तक उनका अनुमोदन प्रतीक्षित था।

2-3-4-6 xlfon cYyHk ia r vLirky eaekM; yj vkffk dk de iz lxx

गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल (गो.ब.पं.अ.) ने ₹ 6.14 करोड़ की निविदित लागत पर मार्च 2007 में एक फर्म को छः न्यूरोसर्जरी आ.थि., साफ कमरों तथा सहायता क्षेत्रों, आई.सी.यू. तथा स्टाफ आवास के निर्माण हेतु एक करार सौंपा। ठेकेदार को 180 दिनों के अन्दर कार्य

को पूरा करना था तथा शुरू के पांच वर्षों के लिए व्यापक वारंटी तथा अगले पांच वर्षों के लिए निःशुल्क वार्षिक अनुरक्षण संविदा (वा.अ.सं.) प्रदान करनी थी। कार्य मार्च 2010 में 30 दिन की देरी से पूरा हुआ था। सी.एम.सी. अप्रैल 2010 से और वा.अ.सं. अप्रैल 2015 से आरंभ था।

इसी प्रकार, गो.ब.पं.अ. ने ₹ 2.95 करोड़ की निविदित लागत पर सितम्बर 2008 में गुर्दे के ऑपरेशन हेतु चार मॉड्यूलर आ.थि. के निर्माण हेतु इन्हीं शर्तों पर उपरोक्त फर्म को एक अन्य करार सौंपा, जिसे 180 दिनों में पूरा किया जाना था। कार्य स्थल ठेकेदार को मार्च 2009 में सौंपा गया और यह निर्माण कार्य 30 माह की देरी के बाद मार्च 2012 में पूरा किया गया। इस मामले में, सी.एम.सी. की अवधि अप्रैल 2012 से और वा.अ.सं. अप्रैल 2017 से आरंभ हुआ।

दोनों समझौतों में यह प्रावधान था कि कमियां होने पर, उन्हें सुधारने के लिए ठेकेदार को बुलाया जाएगा और उसके उपस्थित न होने की स्थिति में विभाग खुले बाजार से मरम्मत कराएगा और घाटे/मुआवजे सहित इन मरम्मतों की लागत ठेकेदार से वसूल की जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अस्पताल ने एक तकनीकी लेखापरीक्षा आयोजित की (जुलाई 2012) जिससे आई.सी.यू. और आ.थि. स्थानों पर पानी के रिसाव, आ.थि. के कॉरीडोर और प्रवेश लॉबी में बहुत गर्मी और फर्श पर कंपनी महसूस होना जैसी कमियां इंगित की गईं। ये कमियां ठेकेदार को सूचित की गईं, यद्यपि वह इनको सुधार नहीं सका। करार का उपबंध जिसमें फर्म मरम्मत, घाटों, मुआवजे और क्षतिपूर्ति की वसूली का प्रावधान था, का प्रयोग करने के बजाय गो.ब.पं.अ. ने रोगी देखभाल व सुरक्षा को ध्यान में रखकर आ.थि. का रखरखाव लो.नि.वि. को सौंपने के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. से अनुरोध किया (मई 2016)। लेकिन अगस्त 2016 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अस्पताल ने बताया (दिसम्बर 2016) कि कम मरीजों के ऑपरेशन हुए क्योंकि तीन वर्षों (मार्च 2013 से नवम्बर 2016) में से ढाई वर्ष तक न्युरोसर्जरी विभाग काम नहीं कर रहा था। इस प्रकार, अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा करार की शर्तों को न लागू करने या तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी कमियां न सुधार पाने के कारण ₹ 8.23 करोड़ के व्यय के बावजूद न्युरोलॉजी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सर्जरी के अंतर्गत मॉड्यूलर आ.थि. कम उपयोग में रहे जिससे रोगी इन सुविधाओं से वंचित रहे।

2-3-4-7 fMLid jh dh Hfe dk vU; dk Zgrqiz lx

अगस्त 2010 में दि.वि.प्रा. ने ₹ 35.25 लाख की लागत पर शकरपुर में एक डिस्पेंसरी भवन के निर्माण हेतु स्वा.से.नि. को 1,870 वर्ग.मी. भूमि आवंटित की। आवंटन पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आवंटित भूमि मात्र डिस्पेंसरी भवन के निर्माण हेतु प्रयोग की जाएगी और किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं।

डिस्पेंसरी भवन का निर्माण कार्य जुलाई 2015 में ₹ 7.98 करोड़ की लागत पर पूर्ण हुआ। यद्यपि इस भवन में कोई डिस्पेंसरी नहीं खोली गई। इसके बजाय केंद्रीय प्रापण एजेंसी ने इस भवन के दो तल का उपयोग किया और बाकी तल पर स्वा.से.नि. के डेंगू सैल तथा सेंट्रलाईज्ड एक्सिडेंट एंड ट्रामा सर्विसेज का कार्य चल रहा था। इस प्रकार, कुल

₹ 8.33 करोड़ (भूमि की लागत तथा भवन का निर्माण) की कुल लागत पर निर्मित भवन अपने अपेक्षित उद्देश्य के लिए प्रयोग में नहीं ली जा रही थी जो भूमि के आवंटन हेतु स्पष्ट शर्त थी जिसका उल्लंघन किया गया था।

2-3-5 लेखापरीक्षा

2-3-5-1 लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि जहां तक सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट, पैरा मेडिकल स्टाफ, स्टाफ नर्सों तथा तकनीकी स्टाफ का संबंध है, चयनित अस्पतालों में स्टाफ की अत्यधिक कमी थी। ज.सु.स्पे.अ., दि.च.ब.अ., रा.गां.सु.स्पे.अ., गु.ते.ब.अ. (डा.ए.मे. एवं मा.बा.स्वा. ब्लॉक) में यह कमी 15 से 91 प्रतिशत के बीच थी, जिसका अस्पतालों के कामकाज पर प्रभाव पड़ा 2-3-4 ज.सु.स्पे.अ. में, यद्यपि डाक्टरों, नर्सों तथा पैरामेडिकल स्टाफ के 361 पदों के सृजन हेतु अनुमोदन दे दिया गया था (अगस्त 2014), तथापि मार्च 2016 तक कोई पद नहीं भरा गया था। दि.च.ब.अ. में एक नेत्र विशेषज्ञ, दो औषधि विशेषज्ञों तथा 13 नर्सिंग सिस्टर के पद 31 मार्च 2016 तक खाली थे।

2-3-5-2 रा.रा.क्षे.दि.स.

ने बलात्कार के पीड़ितों को एक छत के नीचे बहुविध सुविधाएं तथा सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष, 2014-15 के दौरान दिल्ली के 11 अस्पतालों में 'वन स्टॉप सेन्टर' (व.स्टॉ.से.) की स्थापना का निर्णय लिया। प्रस्तावित केन्द्रों को अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त पृथक अवसंरचना तथा स्टाफ के साथ कार्य करना अपेक्षित था। व.स्टॉ.से. के लिए मानक परिचालन क्रियाविधि (मा.प.क्रि.) पर दिसम्बर 2015 में स्वा.प.क.वि. की एक बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक व.स्टॉ.से. में पांच काउंसलर, पांच सीनियर रेजीडेंट डॉक्टर, पांच स्टाफ नर्सों तथा पांच नर्सिंग अर्दली होने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ये सेंटर बलात्कार मामलों के अतिरिक्त शारीरिक शोषण, चिकित्सा जांच, मेडिको लीगल केस (मे.ली.के.), आदि जैसे मामलों का संचालन भी कर रहे थे। यद्यपि, ला.ब.शा.अ. के लिए केवल नौ पद संस्वीकृत किये गये थे तथा अन्य अस्पतालों के लिए कोई भी पद संस्वीकृत नहीं था। चार अस्पतालों (लेखापरीक्षा नमूने का भाग) में सूचित किए गए मामलों के ब्यौरे 2-3-6 में दर्शाए गए हैं :

2-3-6-10 पंजाब राज्य के अस्पतालों में

क्र.सं.	अस्पताल	दिनांक	कुल मामलों की संख्या	संस्वीकृत मामलों की संख्या
1	बा.सा.अ.अ.	जुलाई 2015	737	353(48)
2	ला.बा.शा.अ.	मई 2015	800	348(44)
3	गु.ते.बा.अ.	सितम्बर 2014	2,151	384(18)
4	लो.ना.अ.	फरवरी 2015	924	134(15)
कुल			3,822	1,219(32)

लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि इन केन्द्रों में 3,822 मामले सूचित किए गए थे जिसमें अगस्त 2016 तक सैक्सुअल एसाल्ट के 1219 मामले (32 प्रतिशत) थे, फिर भी वहां व.स्टॉ.से. में किसी काउंसलर की तैनाती नहीं की गई थी जिसके अभाव में बलात्कार पीड़ितों को मानसिक रूप से सहायता दिए जाने के लिए व.स्टॉ.से. का मूलभूत उद्देश्य पूरी तरह से विफल रहा। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि व.स्टॉ.से. के समुचित कामकाज के लिए स्टाफ की भर्ती पर स्पष्ट निदेशों के बावजूद, अस्पतालों ने अपेक्षित स्टाफ की भर्ती के लिए आरंभिक कदम नहीं उठाए गए।

बा.सा.अ.अ. तथा गु.ते.ब.अ. ने कहा (सितम्बर 2016) कि प्रसूति विज्ञान तथा स्त्री रोग विज्ञान (स्त्री.रो.वि.) विभाग का स्टाफ व.स्टॉ.से. की व्यवस्था कर रहा था तथा गै.स.सं. से काउंसलर बुलाए गए थे, जबकि ला.ब.शा.अ. ने कहा कि 11 अतिरिक्त पदों के लिए जनवरी 2016 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जो अगस्त 2016 तक संस्वीकृत नहीं हुआ था। लो.ना.अ. ने कहा (सितम्बर 2016) कि दिल्ली महिला आयोग के अधीन कार्यरत रेप क्राइसेस सैल से काउंसलर मांगे गए थे।

2-3-5-3 vkojy kMM QWZ h dkÅvj

रा.रा.क्षे.दि.स. के अस्पतालों में मैनपॉवर के लिये मानक (2003) पर समिति रिपोर्ट के अनुसार, एक फार्मासिस्ट 180 रोगियों की सेवा कर सकता है। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, 2010-16 के दौरान बा.सा.अ.अ., ला.बा.शा.अ., म.वा.अ., गु.ते.ब.अ. तथा लो.ना.अ. में प्रति-रोगी अनुपात 1:198 से 1:586 के बीच था, जो निर्धारित अनुपात से असाधारण रूप से अधिक था जैसाकि vuyXud 2-3-5 में दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा ने देखा कि रोगियों की भीड़ में वृद्धि के बावजूद, अस्पताल औषधियों के वितरण हेतु फार्मसी काउंटर्स पर भारी भीड़ के मामले को पता लगाने में विफल रहा।

2-3-5-4 vkgj fo' kkk dh deh

दाखिल रोगियों की देखभाल करने के लिए औषधि तथा रोगोपचारकों सहित एक आहार-विशेषज्ञ महत्वपूर्ण होता है। स्वा.से.नि. द्वारा जारी किए गए आहार मानकीकृत अस्पतालों के लिए दिशानिर्देशों में रोगियों की आहार-संबंधी आवश्यकताओं के पर्यवेक्षण हेतु स्टाफ की मांग³⁸ का उल्लेख किया गया है। लेखापरीक्षा ने देखा कि गो.ब.पं.अ., बा.सा.अ.अ. तथा गु.ते.ब.अ. में मुख्य आहार विशेषज्ञ, वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ, सहायक आहार विशेषज्ञ तथा पर्यवेक्षक का कोई पद संस्वीकृत नहीं किया गया था। इन सभी अस्पतालों में आवश्यकता के प्रति केवल एक आहार विशेषज्ञ ही था जो रोगियों को अपर्याप्त आहार संबंधी सेवाएं दे रहा था। दि.च.ब.अ. (200 बिस्तरों वाले) में भी मात्र एक सहायक आहार विशेषज्ञ का संस्वीकृत पद अगस्त 2016 तक खाली था।

2-3-5-5 jfM; kykt LV dh deh

तिबिया अस्पताल में अक्टूबर 2008 में एक अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई गई थी, परन्तु

38 500 बिस्तरों के लिए (बा.सा.अ. अस्पताल): 01 वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ, 01 आहार विशेषज्ञ, 04 सहायक आहार विशेषज्ञ तथा 02 पर्यवेक्षक तथा 750 बिस्तरों के लिए (ग.ब.प.अ. तथा गु.ते.ब.अ.): 01 मुख्य आहार विशेषज्ञ, 01 वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ, 01 आहार विशेषज्ञ, 06 सहायक आहार विशेषज्ञ तथा 02 पर्यवेक्षक

रेडियोलोजिस्ट की गैर-उपलब्धता के कारण दिसम्बर 2012 के पश्चात् कोई अल्ट्रासाउंड नहीं किया गया था और रोगी अन्य अस्पतालों को भेजे जा रहे थे।

2-3-5-6 Qkjl d vKfëk k@' loxglaevi; kZr LVkQ

लेखापरीक्षा ने देखा कि गु.ते.ब.अ. के शवगृह यूनिट में 45 पदों का अपेक्षित स्टाफ नहीं था, यद्यपि विगत सात वर्षों के दौरान 12,106 शव-परीक्षण किए गए थे। ला.ब.शा.अ. ने प्रशासनिक सुधार विभाग (प्र.सु.) को शवगृह के लिए 19 पदों की मांग प्रस्तुत की थी (जनवरी 2015)। तथापि अगस्त 2016 तक किसी पद का सृजन नहीं किया गया था।

शवगृहों में चिकित्सा उपकरण तथा मानव संसाधन के लिए अस्पताल-वार आवश्यकता निर्धारण/अन्तर विश्लेषण पर चर्चा के लिए अस्पताल की फोरेंसिक औषधियों के विभागाध्यक्षों के साथ हुई बैठक (जनवरी 2015) में अस्पतालों द्वारा किए गए शव-परीक्षणों की संख्या के अनुसार स्टाफ की तैनाती की सिफारिश की गई। बैठक में अपेक्षित पदों के सृजन तथा वर्तमान में खाली पदों के प्रति स्टाफ की भर्ती में तेजी लाने की भी सिफारिश की गई थी। यद्यपि चयनित अस्पतालों के इस अनुरोध पर रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

2-3-6 vkrfj d fu; a. k ra-

आन्तरिक नियंत्रण एक प्रबंधन उपकरण है जिसका प्रयोग यह आश्वासन प्रदान करने के लिए किया जाता है कि संगठन के उद्देश्य योजना के अनुसार प्राप्त किए जा रहे हैं। यद्यपि, यह देखा गया था कि स्वा.से.नि. तथा अस्पतालों में आंतरिक नियंत्रण कमजोर था जैसाकि पिछले पैराग्राफों में उजागर त्रुटियों तथा कमियों से स्पष्ट है।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि कार्यान्वयन एजेंसियों (लो.नि.वि., रा.भ.नि.नि., दि.रा.औ.अ.वि.नि.) को कार्य सौंपने के पश्चात् इन परियोजनाओं की मॉनीटरिंग के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों तथा स्वा.से.नि. के बीच समन्वय का अभाव था। स्वा.से.नि./अस्पतालों द्वारा जारी प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों के कार्य की प्रगति तथा परियोजनाओं पर व्यय के बारे में ग्राहक विभाग को नियमित रूप से सूचित करना चाहिए। यह देखा गया था कि पांच चयनित अस्पतालों ने चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन तथा अनुरक्षण के लिए लो.नि.वि. को 2010-2016 के दौरान कुल ₹ 112.22 करोड़ की संस्वीकृतियां जारी की थी। यद्यपि, स्वा.से.नि./अस्पतालों ने चल रहे कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय स्थिति को ध्यान में नहीं रखा, जो कि खराब आंतरिक नियंत्रण तथा मानीटरिंग तन्त्र को दर्शाता था।

2-3-7 fu"d"lZ

इस प्रकार, रा.रा.क्षे. दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन हेतु योजनाएं तथा परियोजनाएं खराब नियोजन तथा कार्यान्वयन से प्रभावित थी जिससे परियोजनाओं के फलित होने में देरी हुई और जरूरतमंद रोगियों को अपेक्षित लाभों से वंचित होना पड़ा। 2007-16 के दौरान स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (स्वा.से.नि.) से 30 नियोजित परियोजनाओं के लिए

₹ 14.26 करोड़ की लागत पर 77,558.65 वर्ग मी. भूमि का अधिग्रहण किया और इसके अलावा चारदीवारी और बाड़ लगाने पर ₹ 3.28 करोड़ का व्यय किया लेकिन इनमें से कोई भी परियोजना आरंभ नहीं हो सकी। नई चिकित्सा सुविधाओं और अस्पतालों की अन्य 11 परियोजनाओं पर कोई खास प्रगति नहीं हो सकी जबकि स्वा.से.नि. ने इनपर भूमि की लागत और चारदीवारी पर ₹ 17.06 करोड़ का व्यय किया था। विद्यमान अस्पतालों में विस्तार और उन्नयन परियोजनाओं का पूर्ण उपयोग विभिन्न संबंधित गतिविधियों में समन्वय व उचित क्रम व्यवस्था की कमी के कारण नहीं हो सका जिसमें आवश्यक चिकित्सा स्टाफ उपलब्ध कराने में असफलता भी शामिल है।

2-3-8 fl Qkfj' k

लेखापरीक्षा प्राप्तियों के संबंध में, सरकार:

- भूमि के प्रापण के समय पूर्ण सतर्कता के साथ परियोजना नियोजन व कार्यान्वयन को सुदृढ़ करे जिससे यह सुनिश्चित हो कि प्राप्त की जा रही भूमि वास्तव में उपलब्ध है और अपेक्षित चिकित्सा सेवा हेतु उपयुक्त है;
- विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय तथा चिकित्सा सुविधाओं के सृजन हेतु नियोजित क्रियाकलापों के समकालिकता हेतु विभाग में एक पूर्ण रूप से पृथक समर्पित विंग का सृजन करे; तथा
- तकनीकी स्टाफ सहित डॉक्टर/पैरा मेडिकल स्टाफ/सहायक स्टाफ के संस्वीकृत पदों को भरकर उन्नत/नए चिकित्सा स्टाफ का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करें।

Je foHkx

2-4 Je foHkx }kj k m | l x k a e a Je r Fk l j { k d k u w l a d k d k k B ; u

उद्योगों में श्रम कानूनों तथा सुरक्षा उपायों को लागू करने में विभाग के निष्पादन का आकलन करने की दृष्टि से 2011-16 की अवधि को कवर करते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा मई 2016 से सितंबर 2016 तक की गई। लेखापरीक्षा में प्रकट किया गया कि अधिनियमों के प्रावधानों के कर्मठ अनुपालन तथा प्रवर्तन के अभाव ने औद्योगिक विवादों के शीघ्र तथा उचित समाधान को सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मानदंडों की शर्तों में श्रमिकों के यथार्थ हितों की रक्षा तथा शोषण से उनकी रक्षा के मूल उद्देश्य की प्राप्ति का कोई आश्वासन नहीं दिया। कुछ महत्वपूर्ण प्राप्तिओं का सार नीचे दिया गया है:

ed; fclhq

- औद्योगिक विवादों के लिए समाधान एवं विवाद सुधार तंत्र न तो पूरी तरह से गठित किया गया न ही सक्रिय था। निर्माण कार्य समितियां नहीं बनाई गई थीं।
(पैराग्राफ 2.4.3.1)
- समाधान अधिकारियों द्वारा समाधान प्रक्रियाओं को आरंभ करने में एक से 121 दिन की रेंज में विलंब था तथा 891 मामलों में समाधान प्रक्रियाओं को पूरा करने में भी 14 दिन की निर्धारित अवधि से अधिक विलंब था।
(पैराग्राफ 2.4.3.2(क))
- अधिनिर्णयों के प्रकाशन तथा कार्यान्वयन में विलंब थे। 45 प्रतिशत अधिनिर्णय तीन महीने से छः महीने से अधिक तक के विलंब से प्रकाशित किए गए।
(पैराग्राफ 2.4.3.3(घ))
- अधिनिर्णयों का प्रवर्तन तथा श्रमिकों के नियोक्ताओं से बकायों की वसूली अपर्याप्त थी। 2011-16 (अप्रैल) के दौरान जारी कुल ₹ 36.32 करोड़ के 1245 वसूली प्रमाणपत्रों में से 379 मामलों में ₹ 4.46 करोड़ की वसूलियां लंबित थीं।
(पैराग्राफ 2.4.3.3 (च))
- विभाग ने संगठनों/ठेकेदारों का आवधिक सत्यापन पूरा नहीं किया जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे पंजीकृत थे तथा उनके पास संविदा श्रम अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस थे। निरीक्षण योजनाबद्ध तरीके से नहीं किए गए तथा संविदा श्रम के शोषण की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदनों पर अनुपालना कार्रवाई पर्याप्त नहीं थी।
(पैराग्राफ 2.4.4.1)

- 55 में से 54 मामलों में फैक्ट्री लाइसेंस यह सुनिश्चित किए बिना प्रदान किए गए कि क्या फैक्ट्रियों ने स्वास्थ्य तथा सुरक्षा नीति तैयार की थी।

(पैराग्राफ 2.4.7.4)

- भवनों के निर्माण में उपकरण मामलों का निर्धारण सभी लागत घटकों पर विचार किए बिना किया गया। कुल ₹ 1.53 करोड़ का उपकरण एवं उस पर ब्याज का कम उद्ग्रहण तथा एकत्रण हुआ था।

(पैराग्राफ 2.4.8(ख))

2-4-1 i Lrkouk

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का श्रम विभाग (विभाग) नियोक्ताओं तथा श्रमिकों के बीच औद्योगिक शान्ति एवं सौहार्द बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जिससे आगे लम्बे समय तक आर्थिक समृद्धि होती है तथा रोजगार उत्पन्न होते हैं। विभाग का उद्देश्य दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नियोक्ताओं तथा श्रमिकों के बीच निवारक उपायों, समझौताकारी प्रयास, अधिनिर्णयन तथा दण्ड कार्रवाई और श्रमिकों के लिए कल्याण गतिविधियों की वृद्धि के द्वारा औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोन्नत करना होता है। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) सहित केन्द्र और राज्यों दोनों के द्वारा प्रवर्तित 21 केन्द्रीय अधिनियमों के प्रावधानों तथा रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रवर्तित 17 केन्द्रीय और स्थानीय अधिनियमों के माध्यम से किया जाता है। 2-4-1-1/4 श्रमिकों तथा प्रबंधन के बीच विवादों को समाधान प्रक्रिया के जरिए तथा श्रम न्यायालय और औद्योगिक अधिकरण द्वारा निपटाया जाता है।

2-4-1-1 l xBukRed <lpk

विभाग को प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए क्षेत्रीय आधार पर नौ जिलों में संगठित किया गया है, प्रत्येक का अध्यक्ष संयुक्त/उप-श्रम आयुक्त होता है जिसकी सहायता सहायक श्रम आयुक्तों तथा श्रम अधिकारियों द्वारा की जाती है। उद्योगों में सुरक्षा से संबंधित कानूनों को फैक्ट्रियों के निरीक्षण-वर्ग, बॉयलर्स के निरीक्षण-वर्ग तथा विद्युत निरीक्षण वर्ग की सहायता से औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय (औ.सु.स्वा.नि.) द्वारा लागू किया जाता है। ये निरीक्षण-वर्ग विभिन्न अधिनियमों (फैक्ट्री अधिनियम 1948, इंडियन बॉयलर्स अधिनियम 1923, बॉम्बे लिफ्टस अधिनियम 1939, सिनेमाटोग्राफी अधिनियम 1952 तथा इलेक्ट्रीसिटी अधिनियम 2003) के अंतर्गत लाइसेंसों को जारी तथा नवीकरण करते हैं।

2-4-1-2 yq kki jh{k dk Z{k= , oadk Zzkkyh

दो अधिनियमों (औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 तथा संविदा श्रम (वि. एवं उ.) अधिनियम 1970) के कार्यान्वयन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा को रा.रा.क्षे.दि.स. से संबंधित मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाया गया। न तो सरकार ने विस्तृत एक्शन टेकन नोट (ए.टी.एन.) प्रस्तुत किया न ही लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने अक्टूबर 2016 तक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की चर्चा की। अतः लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रदर्शित बहुत से मामले बिना चर्चा के रह गए जैसे कार्य

समितियों, समाधान बोर्डों तथा जांच न्यायालयों की स्थापना तथा कार्य, औद्योगिक विवाद, अधिनियम 1947 के अंतर्गत समाधान प्रक्रियाओं का संचालन तथा अपंजीकृत संस्थापनों और संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 के अंतर्गत लाइसेंस रहित ठेकेदारों को नियत करने हेतु तंत्र।

उद्योगों तथा कार्य स्थलों में श्रम कानूनों तथा सुरक्षा उपायों को लागू करने में विभाग के निष्पादन का निर्धारण करने की दृष्टि से 2011-16 की अवधि को कवर करते हुए चार अधिनियमों अर्थात् औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक उपकरण अधिनियम, 1996 तथा संविदा श्रम (वि. एवं उ.) अधिनियम 1970 के कार्यान्वयन से संबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा मई 2016 से सितंबर 2016 तक की गई। अभिलेखों की जांच सचिव-सह-आयुक्त (श्रम) के कार्यालय और लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त मामलों और शिकायतों की अधिकतम संख्या के आधार पर चुने गए तीन जिला कार्यालयों में की गई। इसके अतिरिक्त रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रवर्तित दो केन्द्रीय अधिनियमों (फैक्ट्री अधिनियम, 1948 तथा कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923) के अंतर्गत सुरक्षा उपायों तथा लाइसेंसों के प्रचालन एवं नवीकरण की प्रक्रिया की जांच भी श्रम आयुक्त कार्यालय तथा औ.सु.स्वा.नि. में की गई।

एक प्रवेश सम्मेलन 26 मई 2016 को सचिव-सह-श्रम आयुक्त के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्य क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली की चर्चा करने हेतु किया गया। समापन सम्मेलन 29 सितंबर 2016 को लेखापरीक्षा प्राप्तियों पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया। सरकार से प्राप्त उत्तर प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मिलित किये गये हैं।

2-4-1-3 य[कि]ह[क]म[स] :

इस लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या:

- विभाग श्रमिकों को श्रम कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त निवारक, समझौताकारी, अधिनिर्णय तथा दण्ड कार्रवाई के माध्यम से सुरक्षा उपाय प्रदान करने में समर्थ था, तथा
- विभाग उद्योगों में सुरक्षा उपायों से संबंधित सांविधिक नियमों को लागू करने में समर्थ था।

2-4-1-4 य[कि]ह[क]कुन[म] :

विभाग के निष्पादन का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित मानदंड लागू किये गये:

- चयनित छः अधिनियमों³⁹ के प्रावधान तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- न्यायालयों द्वारा जारी आदेश; तथा
- विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं, आदेश तथा परिपत्र।

39 (i) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, (ii) संविदा श्रम (वि. एवं उ.) अधिनियम, 1970, (iii) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, (iv) कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (v) फैक्ट्री अधिनियम, 1948 तथा (vi) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकरण अधिनियम, 1996

यसू कि जहू कि इर; का

2-4-2 मि; ज़ा वकडूक वकू

यह सुनिश्चित करने के विचार से कि विभिन्न श्रम कानूनों⁴⁰ के अंतर्गत प्रत्याभूत श्रमिकों के यथार्थ हित तथा हक सुरक्षित हैं, विभाग को संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में संस्थापनों, दुकानों तथा फैक्ट्रियों की संख्या के व्यापक आंकड़े रखने चाहिए जिसमें उनके द्वारा नियुक्त श्रमिकों की संख्या शामिल है जो संविदा श्रम (वि. एवं उ.) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 तथा फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कवर होते हैं। यद्यपि विभाग ने उन संस्थापनों, फैक्ट्रियों तथा दुकानों जिन्हें विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत कराना आवश्यक है, के आंकड़ों के साथ ऐसे आंकड़े एकत्र करने के लिए किसी तंत्र को संस्थागत नहीं किया। ऐसे आंकड़ों के अभाव में विभाग ने आवधिक निरीक्षण करने के लिए न तो व्यापक कार्रवाई योजना तैयार की, न ही वार्षिक लक्ष्य नियत किए जो विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत बताए गए श्रमिकों के यथार्थ हितों, कल्याण तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में इसके प्रयासों को आसान बना देता।

सरकार ने कहा (नवंबर 2016) कि फैक्ट्री अधिनियम, 1948 तथा दिल्ली दुकान एवं संस्थापना अधिनियम, 1954 के अंतर्गत क्रमशः 12370 फैक्ट्रियां तथा 3,59,100 दुकानें/संस्थापन पंजीकृत की गई हैं तथा किसी भी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है। तथ्य यह है कि विभाग के पास यह निश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था कि क्या दिल्ली में सभी दुकानें, उद्योग तथा संस्थापन पंजीकृत हो गये हैं जो विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत आवश्यक था और यह सुनिश्चित करना कि श्रमिकों के अधिकार श्रम कानूनों के अंतर्गत सुरक्षित हैं।


2-4-3 वकू कूद फूकन वकू; ए] 1947

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 संसद द्वारा औद्योगिक विवादों⁴¹ की जांच तथा निपटान हेतु तंत्र तथा मंच प्रदान करने के लिए बनाया गया। अधिनियम 01 अप्रैल 1947 से लागू किया गया। अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य औद्योगिक विवादों को सामूहिक सौदाकारी, मध्यस्थता तथा समाधान, विवाचन एवं अधिनिर्णय के जरिए मैत्रीपूर्ण तथा शांतिपूर्ण तरीके से शीघ्र निपटान करना है ताकि औद्योगिक शांति एवं सौहार्द बना रहे। इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिनियम कार्य समितियों, समाधान अधिकारियों तथा समाधान बोर्डों की स्थापना को बताता है। लेखापरीक्षा मूल्यांकन ने दर्शाया कि श्रम न्यायालयों/औद्योगिक ट्रिब्यूनलों को मामलों के निपटान और संप्रेषण में अत्यधिक विलंब, अधिनिर्णयों के प्रकाशन में विलंब तथा अधिनिर्णयों के कार्यान्वयन को देखने के लिए अप्रभावी तंत्र था जैसाकि आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

40 जैसाकि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के सेक्शन 4; संविदा श्रम (वि.ए.उ.) अधिनियम, 1970 के सेक्शन 16 से 19; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के सेक्शन 3; कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के सेक्शन 3 तथा फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के अध्याय III, IV व V में उल्लिखित था।

41 औद्योगिक विवाद का अर्थ नियोक्ताओं तथा नियोक्ताओं के बीच अथवा नियोक्ताओं तथा श्रमिकों के बीच अथवा श्रमिकों तथा श्रमिकों के बीच कोई विवाद अथवा मतभेद है जो किसी व्यक्ति के रोजगार अथवा बेरोजगार अथवा रोजगार की शर्तों अथवा श्रम की शर्तों के साथ जुड़ा होता है।

मामलों में 90 दिन से अधिक विलंब था। समाधान प्रक्रियाओं के आरंभ तथा समापन में विलंब के परिणामस्वरूप जनवरी 2011 से अप्रैल 2016 तक 27 से 70 प्रतिशत मामले लंबित थे। जनवरी 2011 से अप्रैल 2016 के दौरान प्राप्त तथा लंबित विवाद मामलों के विवरण ग्राफ/चार्ट में दिखाए गए हैं :-



सरकार ने कहा (नवंबर 2016) कि जिला समाधान अधिकारियों द्वारा विवादी पक्षों के बीच आपसी निपटान कराने के लिए प्रयास किए गए परन्तु अधिकतर मामलों में प्रबंधन मुकदमे को लम्बे समय तक जारी रखने के विचार से समाधान स्तर पर विवादों को निपटाने का इच्छुक नहीं था। यद्यपि लंबन को कम करने के लिए दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ 'औद्योगिक अदालत' सहित विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

तीन चयनित जिलों में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि समाधान अधिकारियों द्वारा अधिकतर मामलों को हल नहीं किया जा सका तथा विवाद सुलझने के अगले स्तर अर्थात् श्रम न्यायालय और ट्रिब्यूनलों को भेजे गए। 2011-16 के दौरान असफलता दर पश्चिम जिले में 54 प्रतिशत, दक्षिण जिले में 52 प्रतिशत और उत्तर पश्चिम जिले में 62 प्रतिशत थीं। इन जिलों के समाधान अधिकारियों द्वारा निपटाए गए मामलों की कुल प्रतिशतता केवल 11 से 16 प्रतिशत की रेंज में थीं। निपटान की कम दर तथा उच्च असफलता दर ने समाधान मशीनरी के उद्देश्य को कमजोर कर दिया।

लेखापरीक्षा के लिए, लेखापरीक्षा ने 1,564 मामले की फाइलों (कुल 15,643 में से 10 प्रतिशत मामले जो 2011-16 के दौरान तीन चयनित जिलों में पंजीकृत किए गए) की मांग की यद्यपि केवल 948 फाइलें लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गईं तथा शेष फाइलों का पता नहीं लगा। नमूना जांच किए गए मामलों में से केवल 20 प्रतिशत का समाधान प्रक्रियाओं के दौरान निपटान किया गया तथा 65 प्रतिशत मामलों को असफल घोषित किया गया और आगे अधिनिर्णय स्तर को भेजा गया (वृद्धि 2-4-2)।

अधिनियम का सेक्शन 11(4) समाधान अधिकारी को औद्योगिक विवाद से संबंधित किसी व्यक्ति की उपस्थिति की बाध्यता हेतु समर्थ करता है। इस कथित उद्देश्य के लिए समाधान अधिकारी के पास उसके बराबर सामर्थ्य होगी जैसाकि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत

सिविल न्यायालय को विधि सम्मत अधिकार प्रदान हैं। यद्यपि 293 मामलों (31 प्रतिशत) में विभाग उपरोक्त समर्थ प्रावधान के बावजूद नियोक्ता की उपस्थिति की बाध्यता में विफल रहा।

सरकार ने कहा (नवंबर 2016) कि वे विवादियों की उपस्थिति बाध्यता के लिए सिविल प्रक्रियाओं की संहिता को नहीं अपना रहे हैं क्योंकि इस व्यवहार में अधिक समय लगता है तथा समाधान निपटान में आवश्यक रूप से परिणाम नहीं मिल सकते। लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन चयनित जिलों में 52 से 62 प्रतिशत की समाधान की असफलता दर देते हुए अधिनियम के प्रावधानों के पालन करने के लिए दलों को सुनवाई में उपस्थित होने के लिए दबाव डाला जा सकता है तथा विवादों को समाधान स्तर पर स्वयं ही सुलझाने में आसानी हो सकती है।

अधिनियम के सेक्शन 5 तथा 6 में सरकार को यह अधिकार है कि वह औद्योगिक विवादों के निपटान को बढ़ावा देने तथा औद्योगिक विवाद से जुड़े हुए अथवा संबंधित किसी मामले की जांच के लिए क्रमशः समाधान बोर्डों तथा जांच न्यायालयों का गठन करे। यद्यपि, रा.रा.क्षे.दि.स. ने मार्च 2016 तक न तो समाधान बोर्डों और न ही जांच न्यायालयों का गठन किया था। आगे सेक्शन 10 ए औद्योगिक विवाद को निपटाने के लिए मध्यस्थता बोर्ड को भेजने के बारे में बताता है; यद्यपि जनवरी 2011 से अप्रैल 2016 तक 27 से 70 प्रतिशत की रेंज में लंबित मामलों के बावजूद ऐसे किसी बोर्ड का गठन मार्च 2016 तक नहीं किया गया।

सरकार ने कहा (नवंबर 2016) कि सरकार द्वारा ऐसे बोर्ड तथा जांच न्यायालय केवल दलों के अनुरोध पर स्थापित किए जाते हैं तथा 2011-16 के दौरान ऐसा कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अधिनियम में यह कहीं भी उल्लिखित नहीं है कि समाधान बोर्ड तथा जांच न्यायालय दलों के अनुरोध पर गठित किये जायेंगे। सरकार को स्वयं ही समाधान बोर्डों तथा जांच न्यायालयों के गठन की आवश्यकता का निर्धारण करना था।

2-4-3-3 वि.सू.क.रा

अधिनिर्णयन का अभिप्राय अधिनियम तथा दिल्ली के उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन प्रक्रिया के अंतर्गत गठित अर्ध-न्यायिक निकायों (दिल्ली में आठ श्रम न्यायालय तथा एक औद्योगिक ट्रिब्यूनल) द्वारा औद्योगिक विवादों का अनिवार्य निपटान करना है। लेखापरीक्षा ने कुछ कमियों को देखा जिनका सार रफ़ाई 2-4-1 में दिया गया है:

रफ़ाई 2-4-1 वि.सू.क.रा का सारांश

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी
(क)	अधिनिर्णयन के लिए भेजे गए मामलों की स्थिति का गैर-अनुरक्षण	जनवरी 2011 से अप्रैल 2016 की अवधि के दौरान तीन चयनित जिलों ने 8,577 मामलों की स्थिति का रखरखाव नहीं किया इसके पश्चात इनको श्रम न्यायालयों/ट्रिब्यूनल को अधिनिर्णयन हेतु भेज दिया गया। ऐसे ब्यौरों के अभाव में लेखापरीक्षा श्रम न्यायालयों/ट्रिब्यूनल में मामलों के लंबन को निश्चित नहीं कर सका।

Øa l -	dfe; kadh iz-fr	dfe; kck foofj . k
(ख)	विवाद मामलों को अधिनिर्णयन के लिए भेजने में विलंब	948 नमूना जांच मामलों में से 615 असफल मामलों में से 42 मामलों में प्रेषण आदेश का विवरण उपलब्ध नहीं था। शेष 573 मामलों में से 459 मामलों में तीन महीने तक का विलंब था तथा 28 मामलों में श्रम न्यायालयों/ औद्योगिक ट्रिब्यूनलों को भेजने में तीन महीने से अधिक विलंब था $\frac{1}{2} \times \frac{2-4-3}{4}$
(ग)	अधिनियम के सेक्शन 10 (2 ए) के संदर्भ में संदर्भित आदेश में अधिनिर्णय हेतु समय सीमा निर्धारित नहीं	अधिनियम के सेक्शन 10 (2 ए) में निर्धारित है कि औद्योगिक विवाद से संबंधित एक आदेश को इस सेक्शन के अंतर्गत श्रम न्यायालय, ट्रिब्यूनल अथवा राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल को भेजते समय उसमें वह अवधि निर्दिष्ट होगी जिसके भीतर ऐसे श्रम न्यायालय, ट्रिब्यूनल अथवा राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ऐसे विवाद पर अपना अधिनिर्णय उचित सरकार को प्रस्तुत करेगा। परन्तु जहां ऐसा औद्योगिक विवाद एक व्यक्तिगत श्रमिक से संबंधित है तो इसकी अवधि तीन महीने से अधिक नहीं होगी। विभाग द्वारा श्रम न्यायालयों/ट्रिब्यूनल को मामले प्रेषित करते समय संदर्भित आदेश में ऐसी कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं था। उत्तरी पश्चिम जिले में लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच किए 304 मामलों में से 186 श्रम न्यायालयों को भेजे गए। श्रम न्यायालय ने 59 मामलों (32 प्रतिशत) पर निर्णय लिया जबकि श्रम न्यायालय ने अधिनिर्णय को अंतिम रूप देने में तीन से 188 दिन लिए इन 59 में से नौ मामलों को अंतिम रूप लेने में तीन महीने से अधिक लगे। शेष 127 मामलों (68 प्रतिशत) में उत्तरी पश्चिम जिले ने अगस्त 2016 तक श्रम न्यायालय से कोई सूचना प्राप्त नहीं की है। यद्यपि सूचना मांगी गई, इन दो जिलों द्वारा पश्चिम और दक्षिण जिलों द्वारा भेजे गए मामलों से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की थी। सर्वाधिक प्रावधानों का गैर-अनुपालन औद्योगिक विवादों के शीघ्र समाधान के अधिनियम के उद्देश्य को विफल करता है।
(घ)	जिला कार्यालय में श्रम न्यायालय से अधिनिर्णयों की प्राप्ति तथा अधिनियम के सेक्शन 17 के संदर्भ में गजट में अधिनिर्णयों के प्रकाशन में विलंब	अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि श्रम न्यायालयों के अधिनिर्णय जिला कार्यालयों में अधिनिर्णय की तिथि से एक से 354 दिन के पश्चात प्राप्त हुए थे। अधिनियम में निर्धारित है कि सरकार अधिनिर्णय की प्राप्ति की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर सरकारी गजट में अधिनिर्णय को प्रकाशित करेगी। 948 नमूना जांच मामलों में से 424 में सरकारी गजट में अधिनिर्णयों के प्रकाशन में तीन से छः महीनों से अधिक का विलंब था जिसके परिणामस्वरूप अधिनिर्णय के कार्यान्वयन में विलंब था।
(च)	अधिनियम के सेक्शन 33 (सी) के अनुसार नियोक्ताओं से बकाया वसूली में विलंब	अधिनियम के सेक्शन 33 (सी) में निर्धारित है कि जहां एक समझौते अथवा एक अधिनिर्णय के अंतर्गत नियोक्ता से श्रमिक को कोई राशि बकाया है, श्रमिक स्वयं अथवा उसके द्वारा लिखित में उसके आधार पर अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति उसको देय राशि की वसूली के लिए सरकार को एक आवेदन कर सकता है और यदि सरकार संतुष्ट है कि कोई राशि बकाया है, वह उतनी राशि का वसूली प्रमाणपत्र (व.प्र.) कलैक्टर को जारी करेगा जो भूमि राजस्व के बकाया के रूप में उसी ढंग से राशि की वसूली के लिए कार्रवाई करेगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग के तीन चयनित जिलों में 2011 से 2016 के दौरान कुल ₹ 36.32 करोड़ के 1,245 आर.सी. जारी किए गए। उसके विपरीत अप्रैल 2016 तक दो जिलों में 379 मामलों में ₹ 4.46 करोड़ की राशि की वसूली बकाया थी। उत्तर पश्चिम जिले ने कहा कि जिला कलैक्टर अथवा श्रमिकों के प्रतिनिधित्व पर आवधिक अनुस्मारक जारी किए गए। यद्यपि विलंब कई बार अधिकारियों/स्टाफ की कमी तथा अवसंरचना की कमी के कारण है। दक्षिण जिले ने सूचित किया कि अब आर.सी. के अभिलेखों को रखने के लिए उचित रजिस्टर रखे गए हैं।
(छ)	औद्योगिक विवाद के अनुचित/गैर-अनुरक्षित अभिलेख	जिला तथा मुख्यालय स्तर पर अभिलेखों का अनुरक्षण अपूर्ण तथा तदर्थ था जिसने विवादों के निपटान में शामिल प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर प्रभावी क्रास-लिंगिंग को अवरुद्ध किया। समाधान रजिस्ट्रारों में विस्तृत सूचना जैसे विवाद की प्रकृति, विवाद के आरंभ की तिथि, निपटान की प्रकृति, निपटान की तिथि इत्यादि दर्ज नहीं किए गए। इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा के लिए चुने गए 1,564 मामलों में से विभाग 616 मामलों के अभिलेखों को प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं था।

जैसाकि विभागीय अधिकारियों तथा श्रम न्यायालयों/ट्रिब्यूनल द्वारा मामलों के निपटान के लिए अधिनियम में बताई गई समय सीमा का पालन नहीं किया जा रहा था, विवादित मामलों के निपटान में अनुचित विलंब था जिससे औद्योगिक सौहार्द बनाए रखने के लिए विवादों के शीघ्र समाधान का उद्देश्य विफल रहा।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि सांविधिक प्रावधान होने के कारण श्रम न्यायालय के लिए तीन महीने की निर्धारित समय सीमा होती है इसलिए संदर्भित आदेश में इसके वारंट के उल्लेख की आवश्यकता नहीं होती है। नियोक्ताओं से बकायों की वसूली में विलंब के मामले में सरकार ने कहा (नवंबर 2016) कि विलंब के लिए प्रबंधन के पते में बारंबार परिवर्तन

उत्तरदायी है। संबंधित जिला अधिकारियों ने लंबित व.प्र. के मामले को उपायुक्त (राजस्व) के साथ लेने की सलाह दी। **रक्यदक 2-4-1** में उल्लिखित अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के संबंध में सरकार ने आश्वासन दिया कि आवश्यक सुझाव/अनुदेश संबंधित अधिकारियों को जारी किए गए हैं/किए जाएंगे।

2-4-4 l fonk Je 1/2ofu; eu , oamlewu 1/2vfeku; e] 1970

संविदा श्रम प्रणाली के अंतर्गत नियुक्त श्रमिकों के शोषण को जड़ से समाप्त करने की दृष्टि से संविदा श्रम(विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा संविदा श्रम(विनियमन एवं उन्मूलन) केन्द्रीय नियमावली, 1971, 10 फरवरी, 1971 से प्रभावी हुए। यह अधिनियम कुछ संस्थापनों में संविदा श्रम की नियुक्ति को विनियमित करता है तथा कुछ परिस्थितियों में इसके उन्मूलन का प्रावधान करता है। यह अधिनियम प्रत्येक संस्थापन तथा ठेकेदार पर, जहां 20 अथवा उससे अधिक श्रमिक नियुक्त हैं, लागू होता है तथा इसमें संविदा श्रम नियुक्त कर रहे संस्थापनों के पंजीकरण के लिए तथा उन ठेकेदारों के लाइसेंसों के लिए प्रावधान है जो संविदा श्रम का प्रबंध करते हैं।

2-4-4-1 v i t h - r l d f k i u k v l a r f k y b l d j f g r B d n k j l a d k s f u f ' P k r d j u s d s f y , r a - d k v h k o

एक संस्थापना के प्रत्येक प्रधान नियुक्ता जिस पर यह अधिनियम लागू होता है अधिनियम के अंतर्गत विभाग के पंजीकृत अधिकारी से पंजीकृत होना आवश्यक है। कोई ठेकेदार संविदा श्रम के माध्यम से किसी कार्य का उत्तरदायित्व नहीं ले सकता अथवा निष्पादित नहीं कर सकता सिवाय उसके जो अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत लाइसेंस अधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस के अनुसार है अथवा उसके अंतर्गत आता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने जनवरी 2011 से अप्रैल 2016 के दौरान प्रधान नियुक्ताओं को 282 पंजीकरण प्रमाणपत्रों (पं.प्र.) तथा संविदा श्रम नियुक्त करने वाले 865 ठेकेदारों को लाइसेंस जारी किए जिनके लिए क्रमशः 317 तथा 912 आवेदन प्राप्त हुए थे और इस संबंध में लंबन क्रमशः 35 से 67 प्रतिशत और 12 से 56 प्रतिशत था **1/2vuyXud 2-4-4 1/2** आगे विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया कि सभी योग्य संस्थापन पंजीकृत हैं तथा संविदा श्रम रखने वाले ठेकेदारों के पास उचित लाइसेंस थे। ऐसे किसी व्यवहार के अभाव में विभाग यह निश्चित करने की स्थिति में नहीं था कि क्या सभी संस्थापना जो इसके साथ पंजीकृत होने चाहिए, वास्तव में पंजीकृत थे तथा क्या संविदा श्रम नियुक्त करने वाले सभी ठेकेदारों के पास वैध लाइसेंस थे।

2-4-4-2 y k b l d t k j h d j u s d h i z k k y h e a d f e ; k a

अधिनियम के अनुसार कोई ठेकेदार संविदा श्रम के जरिए किसी कार्य का उत्तरदायित्व नहीं लेगा अथवा निष्पादित नहीं करेगा सिवाय इसके प्रावधानों के अनुसार। अधिनियम का सेक्शन 12 (1) बताता है कि ऐसा कोई ठेकेदार जिस पर यह अधिनियम लागू होता है किसी कार्य का संविदा श्रम के जरिए उत्तरदायित्व नहीं लेगा अथवा निष्पादित नहीं करेगा सिवाय

लाइसेंस अधिकारी द्वारा उस आधार पर जारी लाइसेंस के अंतर्गत और उसके अनुसार अधिनियम के सेक्शन 23 में अधिनियम के मामले में जेल और/अथवा अर्थदण्ड के तरीके से जुर्माना लगाने का प्रावधान है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

(i) 54 मामलों में ठेकेदारों ने कार्य के आरंभ की तिथि से चार से 353 दिन के पश्चात लाइसेंस के लिए आवेदन किया। इस प्रकार उन्होंने इस बड़ी हुई अवधि के दौरान अनिवार्य लाइसेंस के बिना कार्य किया। सरकार ने कहा (नवंबर 2016) कि विलंब ठेकेदार की ओर से था तथा ठेकेदार के अभियोजन का प्रभाव श्रमिकों पर पड़ेगा।

(ii) लाइसेंसधारियों के लिए आवेदनों के निपटान हेतु कोई समय सीमा नियत नहीं की गई है। अधिनियम के सेक्शन 13(2) में प्रावधान है कि लाइसेंसिंग अधिकारी प्राप्त आवेदनों के संबंध में ऐसी जांच कर सकता है। नमूना जांच किए गए 71 मामलों में से किसी में भी दावों की वैधता को निश्चित करने तथा आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज/दावे तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण सुविधाएं जो अधिनियम के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाती हैं, के अनुपालन के लिए कोई जांच नहीं की गई। यहां तक कि विभाग ने 45 ठेकेदारों को लाइसेंस जारी करने हेतु आवेदन प्रक्रिया के उचित समय के रूप में 15 दिन पर विचार करने के पश्चात दो से 251 दिन लिए। अंत में ठेकेदारों ने अनिवार्य लाइसेंसों के बिना संचालित किया।

(iii) नियम 25 (2) के अनुसार प्रत्येक लाइसेंस इस शर्त के अधीन है कि लाइसेंसधारी प्रत्येक संविदा कार्य के आरंभ तथा समापन के 15 दिन के भीतर निरीक्षक को आरंभ की वास्तविक तिथि अथवा जैसाकि मामला हो ऐसे संविदा कार्य के समापन की सूचना देते हुए एक रिटर्न प्रस्तुत करेगा। 52 मामलों में ठेकेदारों ने आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं की।

(iv) नियम 21 (1) तथा (2) के अनुसार लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ प्रधान नियोक्ता से एक प्रमाणपत्र इस आशय से साथ में लगाया जाएगा कि आवेदक उसके द्वारा एक ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया है तथा वह अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए नियमों के सभी प्रावधानों से बाध्य होने की जिम्मेदारी लेता है जहां तक प्रधान नियोक्ता के रूप में प्रावधान उस पर लागू होते हैं। यद्यपि, 71 नमूना जांच किए मामलों में से 34 मामलों में ठेकेदार ने प्रधान नियोक्ताओं के विवरण प्रस्तुत नहीं किए।

इस प्रकार ठेकेदारों द्वारा लाइसेंसों हेतु आवेदन करने में बहुत अधिक विलंब तथा तदंतर विभाग की ओर से लाइसेंस प्रदान करने में विलंब के परिणामस्वरूप ठेकेदारों ने अधिनियम के प्रावधानों के साथ उनके पालन का कोई आश्वासन न देते हुए संचालन किया।

2-4-4-3 i kku fu; k k ds i t h d j . k e a d f e ; k a

अधिनियम के सेक्शन 20 के अनुसार यदि संविदा श्रम के हित के लिए अधिनियम के अंतर्गत कोई सुविधाएं प्रदान की जानी आवश्यक थी, ठेकेदार द्वारा प्रदान नहीं की गई तो ऐसी सुविधाएं प्रधान नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाएगी। लेखापरीक्षा ने प्रधान नियोक्ताओं के पंजीकरण से संबंधित 34 मामलों में नमूना जांच की तथा निम्नलिखित का पता चला:

(i) सेक्शन 9 (ए) के अनुसार यदि किसी संस्थापना के प्रधान नियोक्ता ने पूर्व के 12 महीनों के किसी दिन में 20 अथवा उससे अधिक संविदा श्रम नियुक्त किया है तो वह

अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकरण के बिना संविदा श्रम नियुक्त करेगा। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 34 नमूना जांच मामलों में से 29 मामलों में आवेदन कार्य के आरंभ के एक से पांच वर्षों से अधिक की रेंज के विलंब से फाईल किए गए। इस विलंब के साथ ही 32 मामलों में पंजीकरण प्रमाणपत्रों के प्रचालन में एक से 287 दिन की रेंज में विलंब था। इस प्रकार इन प्रधान नियोक्ताओं ने विलंब की इस अवधि के दौरान अधिनियम के उल्लंघन में वैद्य पंजीकरण प्रमाणपत्रों के बिना संविदा श्रम को नियुक्त करना जारी रखा।

(ii) नियम 81 (3) के अनुसार प्रत्येक प्रधान नियोक्ता निरीक्षक को प्रत्येक ठेकेदार के अंतर्गत प्रत्येक संविदा कार्य के आरंभ अथवा समाप्ति के 15 दिन के भीतर ऐसे संविदा कार्य आरंभ अथवा समाप्ति की वास्तविक तिथि को सूचित करते हुए रिटर्न प्रस्तुत करेगा। संवीक्षा से पता चला कि 20 मामलों में प्रधान नियोक्ताओं ने अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की थी।

(iii) नियम 82 (2) के अनुसार एक पंजीकृत संस्थापना का प्रत्येक प्रधान नियोक्ता वार्षिक रिटर्न भेजेगा ताकि वह जिस वर्ष से संबंधित है उसके अगले वर्ष के अंत में आने वाली 15 फरवरी तक पंजीकृत अधिकारी को पहुंच जाए। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2011-16 की अवधि के दौरान 34 में से 27 मामलों में प्रधान नियोक्ताओं द्वारा वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं की गई।

उपरोक्त को देखते हुए यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे विभाग ने सुनिश्चित किया था कि प्रधान नियोक्ता ने संविदा श्रमिकों के कल्याण तथा स्वास्थ्य की तरफ अपनी जिम्मेदारी पूरी की जैसाकि अधिनियम में बताया गया था।

2-4-5 U wre et njh vřkfu; e] 1948

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 सरकार द्वारा अधिनियम की अनुसूची में कवर किए गए रोजगारों हेतु न्यूनतम मजदूरी नियत करने के लिए प्रावधान करता है। अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी उद्योग अपने श्रमिकों को अधिसूचना के जरिए संबंधित सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं करे। इस उद्देश्य के लिए अधिनियम, मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करने के मामले में सरकार को सलाहकार समिति तथा उपसमिति के साथ-साथ सलाहकारी बोर्ड की स्थापना को स्पष्ट करता है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां पायी गईं:

- तीन चयनित जिलों में वर्ष 2011 के आरंभ में 299 मामले लंबित थे। तत्पश्चात अप्रैल 2016 तक 5,101 नए मामले प्राप्त हुए तथा इसी अवधि के दौरान 3,819 मामलों का निपटान किया गया जिससे 30 अप्रैल 2016 को 1,581 मामले लंबित रह गए। वर्ष 2011 से 2015 के दौरान लंबित मामले 58 से 69 प्रतिशत की रेंज में थे। विभाग में मामलों के निपटान की दर नए फाईल किए जा रहे मामलों की अपेक्षा कम थी जिसके कारण बहुत अधिक मामले लंबित थे।

सरकार ने कहा (नवंबर 2016) कि जिला संयुक्त श्रम आयुक्त/उप श्रम आयुक्त द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत संचालित किए जाने वाली विविध गतिविधियों

के अधिक भार के कारण लंबित मामले होते ही हैं। आगे यह कहा कि लंबन को समाप्त करने के लिए मामले को अभियान आधार पर किया जाएगा।

- **dezhlyk dls vfire #i nsus ea fy; k x; k l e;** % विभाग ने 512 चयनित मामलों (2011-16 की अवधि के दौरान प्राप्त 5,101 मामलों का 10 प्रतिशत) में से लेखापरीक्षा को केवल 157 फाइलें प्रदान की। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मामलों को अंतिम रूप देने में 21 दिन से 1,654 दिन तक का समय (आवेदन की प्राप्ति की तिथि से अधिनिर्णय राशि के संवितरण की तिथि तक) लिया गया **1/uyXud 2-4-6¼**

सरकार ने कहा (नवंबर 2016) कि विभाग द्वारा पक्षों के बीच निपटारा कराने के लिए प्रयास किए जाते हैं परन्तु बहुत से मामलों में पक्षों के बीच विरोधाभास के कारण निपटारा संभव नहीं होता है।

- **fujh{k ka dh vi; krrk%** निरीक्षण अधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निरीक्षक के रूप में कार्य करता है एवं अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी के गैर भुगतान एवं अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित शिकायतें सुनता है। निरीक्षण अधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरुद्ध अभियोजन दाखिल करता है। यद्यपि लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011 से 2015 के दौरान विभाग द्वारा संस्थापनों तथा ठेकेदारों के नियमित निरीक्षण नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त चयनित जिलों में निपटाई गई 16,373 शिकायतों के प्रति विभाग द्वारा केवल 4,432 मामले अर्थात् 27 प्रतिशत को निरीक्षित किया गया **1/uyXud 2-4-7¼**

सरकार ने कहा (नवंबर 2016) कि क्षेत्र में अनैतिक व्यवहारों को निरुत्साहित करने के लिए अपनी ओर से निरीक्षण नहीं किए जाते हैं। जिला कार्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा को आंकड़ों की गैर-प्रस्तुति के संबंध में यह कहा गया कि आवश्यक सुझाव जारी किया जा रहा है।

विभाग न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन के उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहा जैसाकि कर्मचारियों को आवेदन की प्राप्ति की तिथि से अधिनिर्णित राशि के वितरण की तिथि तक अनुचित रूप से परेशान किया गया। 73 प्रतिशत मामलों में निरीक्षण नहीं किये गये इसलिए लेखापरीक्षा उचित आश्वासन नहीं दे सका कि विभाग नियोक्ताओं द्वारा श्रम के शोषण को रोकने में समर्थ था।

2-4-6 **dezhlyk {kri v foku; e} 1923**

कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम का मूल विचार है कि नियोक्ता, श्रमिकों का बीमा करवाता है, चोट अथवा मृत्यु के कारण होने वाली हानि के लिए उत्तरदायी होता है जब श्रमिक कार्य में लगे होते हैं।

अधिनियम के सेक्शन 25 ए के अनुसार आयुक्त अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति से संबंधित मामले का निपटान निर्णय की तिथि से तीन महीनों की अवधि के भीतर करेगा तथा उस

संबंध में लिए गए निर्णय की सूचना कर्मचारी को कथित अवधि के भीतर देगा।

क्षतिपूर्ति मामले की 69 फाइलों की संवीक्षा से पता चला कि जनवरी 2011 से अप्रैल 2016 के दौरान 30 मामलों में ₹ 1.90 करोड़ की राशि वितरित की गई जिसमें तीन महीने की निर्धारित अवधि से 38 दिन से चार वर्ष की रेंज में विलंब था। मामलों के निपटान में विलंब जैसाकि अधिनियम में बताया गया, के परिणामस्वरूप जख्मी व्यक्ति को अथवा मृतक के परिवार को समय पर सहायता में विलंब हुआ।

सरकार ने कहा (नवंबर 2016) कि उप श्रम आयुक्त स्तर पर बहुविध उत्तरदायित्वों के कारण मामले लंबित रह गए, यद्यपि लंबित क्षतिपूर्ति मामलों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

2-4-7 QSDVh vdfu; e] 1948

फैक्ट्री अधिनियम, 1948 फैक्ट्रियों में नियुक्त श्रमिकों की औद्योगिक तथा व्यावसायिक जोखिमों से रक्षा करने के मुख्य उद्देश्य से बनाया गया। यह अधिनियम श्रमिकों की अविवेकी तथा लापरवाही से रक्षा करने के लिए नियोक्ताओं तथा अधिभोक्ताओं पर कुछ प्रतिबंध लगाता है और उनके रोजगार को प्रेरक तथा सुरक्षित रखने का आश्वासन देता है। यह अधिनियम रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय (निदेशालय) द्वारा लागू किया जाता है।

2-4-7-1 QSDV, k ds ykbl d k dk uohdj .k

दिल्ली फैक्ट्री नियमावली, 1950 के नियम 7 के अनुसार फैक्ट्री के लाइसेंस के नवीकरण हेतु कोई आवेदन लाइसेंस की समाप्ति की तिथि से पहले 30 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नियम 106 के अनुसार प्रत्येक फैक्ट्री का अधिभोक्ता अथवा प्रबंधक फैक्ट्री अथवा उसके किसी अनुभाग अथवा विभाग के किसी भावी समापन के लिए निरीक्षक को लिखित में रिपोर्ट करेगा, जब ऐसा करने का निर्णय लिया जाता है तब तत्काल ही समापन के कारण, रजिस्टर में श्रमिकों की संख्या, उन श्रमिकों की संख्या जो समापन से बुरी तरह प्रभावित होंगे तथा समापन की संभावित अवधि की सूचना देगा।

लेखापरीक्षा ने 112 फाइलें (पिछले पांच वर्षों के दौरान पंजीकृत फैक्ट्रियों से संबंधित कुल फाइलों का 10 प्रतिशत) मांगी। निदेशालय लेखापरीक्षा में जांच के लिए 95 फाइलें उपलब्ध करा सका। नमूना जांच किए 95 मामलों में से 18 मामलों में अधिभोक्ताओं ने न तो अपने लाइसेंसों की समाप्ति के पश्चात नवीकरण हेतु आवेदन किया न ही अपनी फैक्ट्रियों से संबंधित समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की। निदेशालय ने इन फैक्ट्रियों की स्थिति की पुष्टि हेतु कोई निरीक्षण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप या तो फैक्ट्रियां लाइसेंस के बिना चल रही थी या श्रमिकों की सुरक्षा तथा अधिकार सुनिश्चित किए बिना बंद हो गई।

सरकार ने कहा (नवंबर 2016) कि फैक्ट्रियों के समापन से संबंधित सूचना प्राप्त होने के पश्चात कोई निरीक्षण उचित नहीं है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है जैसाकि लेखापरीक्षा फैक्ट्री नियोक्ताओं से न तो उनकी फैक्ट्रियों के समापन से संबंधित कोई सूचना और न ही अधिभोक्ताओं से नवीकरण हेतु कोई आवेदन फाइलों में ढूंढ सकी। इस प्रकार निदेशालय

इन फैक्ट्रियों के अधिभोक्ताओं द्वारा अधिनियम के प्रावधानों तथा नियमों के कड़े अनुपालन को सुनिश्चित करने में विफल रहा।

2-4-7-2 QSDV, k ds fujh{k k grqdkjZkbZ; kt uk dk vHko

निदेशालय फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत फैक्ट्रियों को लाइसेंस जारी करता है तथा अधिनियम के प्रावधानों और दिल्ली में दिल्ली फैक्ट्री नियमावली, 1950 को लागू करने की जिम्मेदारी देता है। यद्यपि, निदेशालय ने अधिनियम के प्रावधानों तथा फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए न तो कार्रवाई योजना तैयार की थी, न ही फैक्ट्रियों के निरीक्षण के लिए कोई वार्षिक लक्ष्य नियत किए थे।

फैक्ट्री अधिनियम सरकार को परिसरों, संयंत्र, मशीनरी, वस्तुओं अथवा पदार्थ का परीक्षण करने हेतु तथा फैक्ट्री से संबंधित किसी निर्धारित रजिस्टर अन्य किसी दस्तावेज की आवश्यक प्रस्तुति हेतु निरीक्षक नियुक्त करने हेतु समर्थ बनाता है ताकि श्रमिकों की सुरक्षा व कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जनवरी 2011 से दिसम्बर 2015 की अवधि के दौरान 8,625 से 9,397 पंजीकृत फैक्ट्रियों में से केवल 1,036 से 2,167 फैक्ट्रियों (11 से 25 प्रतिशत) का निरीक्षण किया गया। 326 से 386 जोखिम की फैक्ट्रियों में से पिछले पांच वर्षों के दौरान केवल 145 से 183 फैक्ट्रियों (38 से 50 प्रतिशत) को निरीक्षित किया गया। **व्युत्पन्न 2-4-8** निदेशालय ने जोखिम प्रक्रियाओं अथवा खतरनाक कार्यवाहियों में लगी फैक्ट्रियों में कम से कम एक वार्षिक निरीक्षण करने हेतु भी कोई योजना नहीं बनाई।

निदेशालय ने सूचित किया कि निरीक्षण केवल लाइसेंस जारी करने के समय तथा अधिनिर्णयों अथवा शिकायतों के आधार पर किए जाते हैं। यद्यपि, यह पाया गया कि कुल 3,442 शिकायतें एवं वर्ष 2011 से 2015 के दौरान नए पंजीकरणों के प्रति निदेशालय ने 7,913 निरीक्षण किए। **व्युत्पन्न 2-4-9** इस प्रकार 7,913 निरीक्षणों में से 4,471 निरीक्षण, लाइसेंस जारी करने की शिकायतों अथवा आवेदनों के लिए नहीं थे। किसी निर्धारित मापदण्डों व लगातार निरीक्षणों के अभाव में प्रणाली उपलब्ध संसाधनों के अल्प इष्टतम उपयोग के जोखिम से भरी थी तथा कुछ फैक्ट्रियों ने विशेष शिकायतों के सुधार के अतिरिक्त निरीक्षण पर ध्यान नहीं दिया और श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया।

सरकार ने कहा (नवंबर 2016) कि निरीक्षण शिकायतों के आधार पर किए जाते हैं परंतु आगे कहा कि यह जोखिम प्रोफाइल पर आधारित निरीक्षण के लिए एक प्रणाली के बारे में सोच रहा था।

2-4-7-3 QSDV, k dks ykbl d i nku djuk

फैक्ट्री अधिनियम 1948 के सेक्शन 7 के अनुसार अधिभोक्ता, फैक्ट्री के रूप में किसी परिसर का कब्जा लेने अथवा उपयोग करना शुरू करने से कम से कम 15 दिन पहले मुख्य निरीक्षक को एक लिखित सूचना भेजेगा जिसके साथ विवरण जैसे अधिभोक्ता, नियोक्ता तथा फैक्ट्री का नाम व पता, निर्माण प्रक्रिया की प्रकृति, उपयोग की गई कुल होर्स पावर दर, श्रमिकों की संख्या तथा ऐसे अन्य विवरण जो निदेशालय द्वारा निर्धारित किए जाएं, संलग्न किए जाएंगे। आगे, नियम 11 ए में निर्धारित है कि यदि लाइसेंस आवेदन की प्राप्ति के 60

दिन के भीतर नहीं दिया गया अथवा मना नहीं किया गया तो उसे दिया हुआ माना जाएगा। दिया गया अथवा नवीकृत प्रत्येक लाइसेंस वर्ष के 31 दिसंबर तक अथवा उस अवधि तक जिसके लिए नवीकृत किया गया है, प्रभावी रहेगा।

मांगी गई 112 फाइलों में से लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई 95 फाइलों की संवीक्षा से पता चला कि 29 मामलों में निदेशालय ने फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस हेतु आवेदनों के निपटान में 60 दिन से अधिक समय लिया जैसाकि **vuyXud 2-4-10** में वर्णित है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कमियां भी देखी गई थी:

(क) निदेशालय फैक्ट्रियों द्वारा श्रमिकों तथा उनको प्रदत्त सुविधाओं के विवरण से संबंधित अनिवार्य वार्षिक रिटर्नों की प्रस्तुति जैसाकि दिल्ली फैक्ट्री नियमावली, 1950 के नियम 100 के अंतर्गत निर्धारित है, पर जोर नहीं दे रहा था। 52 मामलों में फैक्ट्रियों ने लाइसेंसों के नवीकरण के समय पर निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत नहीं की। अधिभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिटर्नों के अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि विभाग ने कैसे सुनिश्चित किया कि श्रमिकों को अधिनियम के प्रावधानों तथा नियमों के अनुसार सुविधाएं प्रदान की गईं।

(ख) फैक्ट्री अधिनियम, 1948 की धारा 92 के अनुसार यदि प्रबंधक/अधिभोक्ता किसी नियम/अधिनियम का उल्लंघन करता है, वह इस अपराध का दोषी है और उसे इसके लिए जेल की सजा मिलेगी जो दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है अथवा जुर्माना जो ₹ एक लाख तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों दी जा सकती है। सात मामलों में फैक्ट्रियों ने छः महीने से छः वर्ष की रेंज की अवधि के लिए कार्यवाहियां जारी रखी जबकि उन्हें लाइसेंस नहीं दिए गए जिनके लिए कारण थे जैसे अधिभोक्ता ने पूरे दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया, लाइसेंस को जारी करने से पहले निरीक्षण के दौरान कमियां थी। यद्यपि निदेशालय ने अधिभोक्ताओं को दण्ड देने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। एक विशेष मामले में, खाद्य उत्पादनों में लगी 100 श्रमिकों वाली एक फर्म ने 2004 में लाइसेंस के लिए आवेदन किया परन्तु निदेशालय ने फर्म को आवश्यक दस्तावेजों का अनुपालन करने के लिए त्रुटि पत्र जारी किया। यद्यपि, फर्म ने निदेशालय के अनुदेशों का पालन नहीं किया। यद्यपि, उसे 2009 में निदेशालय द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान लाइसेंस के बिना संचालित पाया गया, अधिनियम तथा नियमों के उल्लंघन के लिए उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया और बाद में वर्ष 2012 में फर्म को लाइसेंस दिया गया। इसी तरह के मामले में फर्नीचर निर्माण में लगी 50 श्रमिकों वाली एक फर्म ने वर्ष 2006 में लाइसेंस के लिए आवेदन किया और निदेशालय ने अनिवार्य दस्तावेज जिसकी ओर फर्म ने ध्यान नहीं दिया, के अनुपालन के लिए त्रुटि पत्र जारी किया तदनंतर फर्म ने 2013 में पूरे दस्तावेजों के साथ आवेदन किया तथा निदेशालय ने लाइसेंस दे दिया। यद्यपि निदेशालय द्वारा 2006 से 2013 की अवधि के दौरान फर्म के किसी निरीक्षण का कोई अभिलेख नहीं था।

सरकार ने कहा (नवंबर 2016) कि श्रमशक्ति की कमी तथा दस्तावेजों की गैर-प्रस्तुति विलंब के कारण थे। तथ्य यह है कि लाइसेंस जारी करने, फैक्ट्रियों के गैर निरीक्षण तथा दोषियों के गैर अभियोजन में विलंब थे।

2-4-7-4 LokLF; , oal g{kk ulfr

नियम 61 जी के अनुसार प्रत्येक फैक्ट्री का अधिभोक्ता श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के संबंध में अपनी नीति लिखित रूप से तैयार करेगा। फैक्ट्री जिनमें 50 से कम श्रमिक हो तथा जिनमें विद्युत द्वारा उत्पादन प्रक्रिया हो एवं 100 से कम श्रमिकों वाली फैक्ट्री जो विद्युत के बगैर उत्पादन कर रही हो, बशर्ते कि वो जोखिम प्रक्रिया या खतरनाक संचालनों में शामिल फैक्ट्रियों के श्रेणी के अधीन कवर नहीं होते, इन प्रावधानों से मुक्त होते हैं एवं सुरक्षा नीति को घोषित नीति के अनुसार विभिन्न स्तर पर जिम्मेदारियां सौंपने और प्रभावी नीति को लागू करने हेतु संगठनात्मक ढांचा बनाना चाहिए। नीति की एक प्रति निरीक्षक/ मुख्य निरीक्षक को उपलब्ध कराई जाएगी।

लेखापरीक्षा ने 95 फाइलों की संवीक्षा के दौरान 55 मामलों में पाया कि उपरोक्त प्रावधानों के तहत फैक्ट्री नियोक्ताओं द्वारा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति की घोषणा अनिवार्य थी। यद्यपि, 54 मामलों में जिसमें 5,201 श्रमिक शामिल थे, के फैक्ट्री नियोक्ताओं ने न तो नीति की प्रति प्रस्तुत की न ही लाइसेंस जारी करने से पहले निदेशालय द्वारा इस संबंध में कोई जांच की गई। जैसाकि निदेशालय द्वारा इन फैक्ट्रियों का नियमित निरीक्षण नहीं किया गया, बिना स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति के इनके संचालन से इंकार नहीं किया जा सकता।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि जब उल्लंघन की सूचना दी जाती है तो उसकी निदेशालय द्वारा जांच कराई जाती है तथा आवश्यक चालान फाईल किया जाता है। फैक्ट्री अधिभोक्ताओं द्वारा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति की प्रति प्रस्तुत न करने के संबंध में ली गई लेखापरीक्षा अभ्युक्ति पर उत्तर स्पष्ट नहीं है।

2-4-8 Hou , oavU; fuekZk Jfed dY; k k mi dj vfeifu; e

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम (भ.अ.नि.श्र.क.उ.अ.) का मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्य लागतों पर उपकर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण है जो नियोक्ताओं द्वारा भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण के संसाधनों को बढ़ाने के विचार से किया गया जो भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन तथा सेवा की शर्तें) (भ.अ.नि.श्र. (वि. एवं उ.)) अधिनियम 1996 के अंतर्गत आता है।

भ.अ.नि.श्र.क.उ.अ. अधिनियम के सेक्शन 3 (1) के अनुसार नियोक्ताओं द्वारा निर्माण कार्य की लागत पर उद्ग्रहित एवं संग्रहित उपकर की दर दो प्रतिशत से अधिक नहीं परन्तु एक प्रतिशत से कम नहीं होगी। प्रत्येक नियोक्ता जो भवन व निर्माण कार्य चला रहा है, वह रिटर्न सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को भेजेगा। उस रिटर्न के आधार पर प्राधिकारी जांच करेगा और स्वयं की संतुष्टि के पश्चात आदेश करके नियोक्ता द्वारा देय उपकर की रकम का सही निर्धारण करेगा। दिल्ली में, निर्माण कार्य करने वाले प्रत्येक नियोक्ता को निर्माण लागत का 1 प्रतिशत जमा करना होता है।

लेखापरीक्षा ने 15 फाइलों (2011-15 अवधि में विभाग के तीन चयनित जिलों में कुल निर्धारण का 10 प्रतिशत) का चयन अधिकतम मूल्य निर्धारण के आधार पर किया। विभाग ने केवल 11 फाइलें उपलब्ध कराई जबकि दक्षिण जिला ने चार फाइलें प्रस्तुत नहीं की। इन 11 फाइलों की जांच के दौरान उपकर के निर्धारण में पाई गई त्रुटियों का पता चला जिसे rkydk 2-4-2 में दर्शाया गया है:

रक्यदक 2-4-2% मि दज दस फुएक. क एा=4V; का

Ø-l a	vfefu; e ds i ð'ku	ys k i j h k v H ðä
(क)	<p>Hou , oavU; fuekZk Jfed dY; k k mi dj Hkv-fu-J-d-m-v-½fu; e 1998 dk fu; e 3</p> <p>उपकर के उदग्रहण के उद्देश्य के लिए निर्माण की लागत में भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य के संबंध में नियोक्ता द्वारा किये गये सभी खर्च शामिल होंगे सिवाय भूमि लागत के तथा कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अंतर्गत देय क्षतिपूर्ति के।</p>	<p>fuekZk dh ykx r dk i wZC; k t k 'Hfey ughafd; k x; k</p> <p>नमूना जांच किए सभी 11 मामलों में निर्धारिती ने भवनों के निर्माण की लागत के पूरे विवरण जैसे उधार लागत, भूमि विकास प्रभार, डिजाइन व तकनीकी सहायता की लागतें तथा कार्य की प्रगति के पूरे विवरण प्रस्तुत नहीं किए। इसके अतिरिक्त फाइलों में पूरे तुलन पत्र के साथ-साथ अनुसूचियां भी उपलब्ध नहीं थी। मूल विवरण के अभाव में निर्धारण अधिकारी द्वारा उपकर के आकलन को अंतिम रूप देना संदिग्ध था और कम निर्धारण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।</p>
(ख)	<p>Hkv-fu-J-d-m-v- vfefu; e dk l ð'ku 8</p> <p>यदि कोई नियोक्ता सेक्शन 3 के अंतर्गत निर्धारण के आदेश में निर्दिष्ट समय सीमा के अंतर्गत देय उपकर का भुगतान करने में असफल रहता है तो ऐसा नियोक्ता भुगतान की गई राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा जो 2% प्रति माह की दर से अथवा जिस तिथि से ऐसा भुगतान देय है, उस अवधि में शामिल माह के भाग से वास्तव में ऐसी राशि के भुगतान तक होगा।</p> <p>Hkv-fu-J-d-m-v- fu; e 1998 dk fu; e 4 ¼½</p> <p>नियोक्ता को निर्माण कार्य पूरा करने के 30 दिन के भीतर या उस तिथि से 30 दिन के भीतर जिस पर देय उपकर के निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया है, जो पहले हो, उदग्रहित उपकर का भुगतान करना होगा।</p> <p>Hkv-fu-J-d-m-v- fu; e 1998 dk fu; e 4 ¼½</p> <p>जहां परियोजना की अवधि एक वर्ष से अधिक हो, उपकर का भुगतान कार्य के शुरु होने की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के 30 दिन के भीतर तथा उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष संबंधित अवधि के दौरान खर्च की गई निर्माण की लागत पर किया जाएगा।</p>	<p>fuekZk dh ykx r ds de fuekZk. k ds ifj. HæLo#i mi dj rFlk C; k dk de l æg. k</p> <p>लेखापरीक्षा ने 11 में से 2 मामलों (अस्पताल तथा बहुस्तरीय कार पार्किंग) की छानबीन की जिसमें पूर्व संचालित खर्च, विकास प्रभारों, करों इत्यादि जैसी लागतों का आंशिक ब्योरा उपलब्ध था तथा पाया गया कि लागतों के घटकों को निर्धारिती के भवन निर्माण लागत में देय उपकर पर विचार नहीं किया गया। परिणामस्वरूप ₹ 51.97 लाख के उपकर व ब्याज का कम निर्धारण हुआ। आठ मामलों में विभाग ने सेक्शन 8 व नियम 4 में ब्याज का निर्धारण नहीं किया परिणामस्वरूप ₹ 1.01 करोड़ का कम संग्रहण हुआ HvgXud 2-4-11A</p>
(ग)	<p>Hkv-fu-J-d-m-v- vfefu; e dk l ð'ku 4</p> <p>प्रत्येक नियोक्ता उस अधिकारी या प्राधिकारी को उस समय पर उस ढंग से रिटर्न प्रस्तुत करेगा जो निर्धारित था। यदि कोई व्यक्ति भवन निर्माण व अन्य निर्माण में संलग्न है, सेक्शन 3 के अंतर्गत उपकर देना होगा यदि रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार के रिटर्न के लिए नोटिस देगा। आगे, भ.अ.नि.श्र.क.उ.अ. नियमों के नियम 6 व 7 में निर्दिष्ट है कि प्रत्येक नियोक्ता कार्य शुरु होने के या उपकर के भुगतान के 30 दिन के भीतर जैसा मामला हो, फार्म-1 में निर्धारित अधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा निर्धारण अधिकारी फार्म-1 में सूचनाएं प्राप्त करने पर निर्धारण का आदेश समय सीमा में जारी करेगा जो फार्म प्राप्ति के छः माह से अधिक नहीं होगा।</p>	<p>vfefu; e o fu; eka ds mYyZku ds fy, dkBZ dLj ðkZ ugha</p> <p>अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 11 मामलों में निर्धारिती द्वारा फार्म-1 के प्रस्तुत करने में 782 से 2711 दिन का विलंब था। यद्यपि सेक्शन 4 के अनुसार निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारितों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। यदि फार्म-1 समय पर प्रस्तुत किया जाता तो विभाग नियम 7 में छः माह के भीतर आदेश जारी कर सकता था। आगे, नौ निर्धारिती⁴² ने पंजीकृत संख्या व पंजीकरण प्राधिकारी का नाम फार्म-1 में नहीं दिये। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं है कि निर्धारण अधिकारी ने कैसे सुनिश्चित किया कि कंपनी भ. अ.नि.श्र.क.उ.अ. अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंजीकृत है या नहीं।</p>

उपरोक्त मामले इस तथ्य के संकेतक हैं कि विभाग के पास निर्माण की ठीक लागत को निश्चित करने का कोई तंत्र नहीं है और इस प्रकार उपकर तथा ब्याज के कम उदग्रहण से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में कम राशि जमा हो रही है।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि संबंधित जिला कार्यालयों को मामले के पुनः परीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। यह भी बताया कि बोर्ड द्वारा फार्म 1 में त्रुटि से संबंधित मामले का

42 mYyZ if' Pæ ft ys मै. नैगोलाइस इंडिया लि. (एम 2 के) मै. ब्रिलियंट ब्यूइलटेक (प्रा.) लि., मै. पी जी एफ लि., मै. मैक्स हैल्थकेयर इंस्टीट्यूट लि., मै. सैवन सीज होस्पिटैलिटी (प्रा.) लि. तथा मै. जैक्सन्स डेवलपर्स (प्रा.) लि. if' Pæ ft yk मै. गोल्ड कॉस कंस्ट्रक्शन (प्रा.) लि. तथा मै. रिलायन्स प्रोलिफिक कमर्शियल (प्रा.) लि., nf[k k ft yk मै. डी एल एफ यूनिवर्सल लि.

परीक्षण किया जा रहा था और विभाग उपकर को ऑनलाइन जमा करने के बाद विकसित होने पर इसे ठीक कर लेगा।

2-4-9 fu"d"l

उपरोक्त विधानों का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य मानकों के संबंध में श्रमिकों के विधिसंगत हितों की रक्षा तथा शोषण से उनकी रक्षा करते समय औद्योगिक शान्ति तथा सौहार्द सुनिश्चित करना था। अधिनियमों के प्रावधानों के सावधानीपूर्वक अनुपालन तथा प्रवर्तन के अभाव ने इस मूल उद्देश्य की प्राप्ति का कोई आश्वासन नहीं दिया। औद्योगिक विवादों के शीघ्र निपटान को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत संस्थागत तंत्रों जैसे समाधान बोर्ड व जांच न्यायालयों का गठन नहीं किया गया। विभाग ने फ़ैक्ट्रियों व संस्थापनों में कार्य समितियों के गठन को भी सुनिश्चित नहीं किया। समाधान अधिकारियों ने निर्धारित समय सीमा में मामलों का निपटान नहीं किया और अधिकतर मामलों में न्यायालयों के अधिनिर्णयों को भी देरी से कार्यान्वित किया।

इसके अतिरिक्त ऐसी कोई प्रणाली नहीं थी जो यह सुनिश्चित करे कि योग्य संस्थापन पंजीकृत हो व ठेकेदारों को संविदा श्रम अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त हो। संविदा श्रम के शोषण को रोकने के लिए समुचित व योजनाबद्ध निरीक्षण नहीं कराया गया। विभाग ने अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए प्रधान नियोक्ता व ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की और पंजीकृत प्रमाण पत्र व लाइसेंस को जारी करते समय बहुत सी त्रुटियों को नजरअंदाज किया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में विवादों के निपटान के लिए न्याय प्रणाली पर्याप्त नहीं थी क्योंकि मामलों के निपटान में अनुचित वितरण था। विभाग विवादित मामलों में सुनवाई हेतु नियोक्ताओं की उपस्थिति को बाध्य करने में असफल रहा। श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी को सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण नहीं किये गए।

2-4-10 fl Qlfj 'k

लेखापरीक्षा प्राप्तियों की दृष्टि में यह सिफारिश की गई है कि सरकार:

- विवादों के समाधान में असफलता की उच्च दर एवं समाधान के विभिन्न स्तरों पर विलंब हेतु कारणों को पता करने के लिए समाधान अधिकारियों के कार्य की समीक्षा करे एवं औद्योगिक विवादों के तुरन्त समाधान को आसान बनाने के लिए कार्य समितियां, समाधान बोर्ड एवं जांच न्यायालयों के लिए तंत्र को स्थापित करने व सक्रिय रखने के लिए कदम उठाए;
- विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अधिनिर्णयों के समय से कार्यान्वयन हेतु प्रभावी निगरानी तंत्र की संस्थापना एवं वसूली प्रमाणपत्रों का शीघ्र प्रवर्तन करे;
- संविदा श्रम में नियुक्त संस्थापनों/ठेकेदारों जो संविदा श्रमिक को नियुक्त करते हैं, की आवधिक पहचान के लिए तंत्र स्थापित करना तथा संविदा श्रम अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे नियोक्ता व ठेकेदारों के विरुद्ध अभियोग चलाये; तथा
- श्रमिकों के अनिवार्य अधिकारों, श्रमिकों के शोषण की रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षणों सहित निगरानी तंत्र को मजबूती प्रदान करे।

vè; k, -III
vuq kyuk ys[kki j h{k

वे: क -III वुक्क्युक यक्कि जक्क

f' कक्क foक्क

3-1 ₹ 1-09 द्जक्क+दक ifज्क ZQ ;

f' कक्क funक्क; l ग्क d l okvक्कdsfy, 'क्क.क्क l fक्क}क्क l ok dj ds
Hक्कrku eaNW l sl अक्कr vक्क पुक्क dक्क l क्कु eaयसेav l Qy ज्क ft l ds
if.क्केLo#i , d QeZक्क ₹ 1-09 द्जक्क+दक ifज्क ZQ ; ग्क

वित्त अधिनियम, 1994 के सेक्शन 93 (1) के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग में, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 20 जून 2012 के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों को अथवा इसके द्वारा शिक्षा के संबंध में दी जाने वाली सेवाओं को (क) सहायक शैक्षणिक सेवाओं अथवा (ख) अचल संपत्ति के किराए के माध्यम से वित्त अधिनियम, 1994 के सेक्शन 66 बी के अंतर्गत सेवा कर लगाने से छूट दी।

शिक्षा निदेशालय (निदेशालय) ने 500 सरकारी स्कूलों में 01 जुलाई 2012 से 30 जून 2013 की एक साल की अवधि के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (सू.प्रौ.) सहायकों द्वारा संबंधित कार्यालय के कार्य/स्कूल रिकार्ड्स की डाटा प्रविष्टि हेतु एक फर्म से करार किया। इसके बाद, करार को 31 जुलाई 2014 तक बढ़ा दिया गया। करार के नियम एवं शर्तों के अनुसार, फर्म को प्रत्येक चिन्हित स्कूल में करार अवधि के लिए एक सू.प्रौ. सहायक उपलब्ध कराना था तथा विभाग को प्रत्येक सू.प्रौ. सहायक के लिए सकल मासिक राशि ₹ 11,277.09 फर्म को भुगतान करना था। 500 सू.प्रौ. सहायकों के संबंध में वार्षिक संविदा मूल्य ₹ 6.77 करोड़ था जिसमें सेवा कर के घटक शामिल हैं।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि निदेशालय ने जुलाई 2012 से नवम्बर 2013 की अवधि के दौरान फर्म को करार के अंतर्गत सेवा उपलब्ध कराने के लिए ₹ 9.88 करोड़ का भुगतान किया जिसमें सेवा कर के रूप में ₹ 1.09 करोड़ की राशि भी शामिल थी। इसके बाद, यह पाए जाने के बाद कि शैक्षणिक सेवाओं पर सेवा कर लागू नहीं है, विभाग ने फर्म को दिसम्बर 2013 से सेवा कर देना बंद कर दिया।

सू.प्रौ. सहायकों के लिए भुगतान की जाने वाली संविदागत राशि में सेवा कर घटक का समावेश होने के परिणामस्वरूप आउटसोर्स की गई सेवाओं पर जो जून 2012 की अधिसूचना के अंतर्गत सेवा कर से मुक्त थी, ₹ 1.09 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया।

यह इंगित किए जाने पर, निदेशालय ने कहा (जनवरी 2016) कि करार पर हस्ताक्षर सक्षम प्राधिकारी अर्थात् रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन से किया गया तथा करार के नियमों एवं शर्तों के अनुसार फर्म को भुगतान किया गया। जब यह देखा गया कि सेवा कर का भुगतान बाद में देय नहीं है, तो निदेशालय ने दिसम्बर 2013 से सेवा कर का भुगतान करना तुरंत बंद कर दिया। एक लेखापरीक्षा टिप्पणी के जवाब में, निदेशालय ने

कहा कि चूंकि फर्म ने केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड में सेवा कर जमा कराया है, अतः उन्होंने सेवा कर के भुगतान की वापसी के संबंध में फर्म के साथ कोई पत्राचार नहीं किया।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि करार 19 जून 2012 को हस्ताक्षरित हुआ था जबकि अधिसूचना 20 जून 2012 को जारी हुई थी तथा निदेशालय को फर्म को भुगतान की गयी राशि से सेवा कर के घटक को हटाने में सावधानी रखनी चाहिए थी। आगे, फर्म द्वारा सेवा कर को भारत सरकार को जमा कराने से निदेशालय राशि को वापस लेने के कार्य से मुक्त नहीं हो जाता है।

मामला सरकार को जून 2016 को भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2016)।

xg foHx

3-2 viQ ; rFlk fufèk k dk vojèku

gc eal a kt u grqLFku l fuf' pr fd, fcukl VsykbV Qku dkØ; djusvkj
fjfdRl k vèkdkjh dh l ok l fuf' Pkr fd; sfcuk , xya dh [kjm djus ds
ifj. keLo: i ₹ 59-08 yk[k dh jk' k dk viQ ; vkj vojèku gya

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 का नियम 21 स्पष्ट करता है कि जन धन से व्यय करने वाले या व्यय का प्राधिकार प्रदान करने वाले प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय संपत्ति के उच्चतम मानकों द्वारा दिशानिर्देशित किया जाना चाहिए और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि जैसे सामान्य विवेक का एक व्यक्ति अपने धन के व्यय के संबंध में जिस सतर्कता का प्रयोग करता है, ठीक उसी प्रकार से वे भी जन धन से व्यय के संबंध में सतर्कता का प्रयोग करें।

होम गार्ड महानिदेशालय कार्यालय, दिल्ली (हो.गा.म.नि.) 2012-15 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा ने ₹ 59.08 लाख की राशि के अपव्यय और निधियों के अवरोधन के दो मामलों को दर्शाया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

(क) हो.गा.म.नि. और नागरिक सुरक्षा (ना.सु.) ने आपदा के दौरान ₹ 46.60 लाख की लागत से मार्च 2009 में 15 सेटेलाइट फोन (एम.एस.एस. टाइप डी टर्मिनल) अबाधित संचार हेतु खरीदे तथा दिल्ली में (जून 2009) उनके हब में इन सेटेलाइट फोन के पंजीकरण के लिए गृ.म. के सामने मामले को रखने हेतु गृह (सामान्य) विभाग से अनुरोध किया।

01 जनवरी 2011 को, नागरिक सुरक्षा विंग, हो.गा.म.नि. तथा ना.सु. से अलग हो गया तथा संभागीय आयुक्त (राजस्व विभाग) रा.रा.क्षे.दि.स. के अंतर्गत लाया गया। नये होमगार्ड महानिदेशक ने गृह मंत्रालय से 19 जनवरी 2011 तथा 20 अप्रैल 2011 को उनके हब के माध्यम से नेटवर्क संचार संयोजन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया। प्रत्युत्तर में, गृ. म. ने सूचित किया (21 जुलाई 2011) कि उनके पास सेटेलाइट फोन के सपोर्ट के लिए आवश्यक हब नहीं है और उसने हो.गा.म.नि. को इस संबंध में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र इसरो, जाने की सलाह दी। हो.गा.म.नि. ने पुनः हब में आवंटन के लिए अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के समक्ष

मामले को उठाने के लिए 17 अक्टूबर 2011 को गृ.म. (आपदा प्रबंधन डिवीजन) से अनुरोध किया। अंत में, उपग्रह संचार और नेविगेशन कार्यक्रम (सेटकॉम), बेंगलूर ने (29 जून 2012) आपदा प्रबंधन सपोर्ट हब के माध्यम से सेटेलाइट फोन को सपोर्ट देने की मंजूरी प्रदान की और टर्मिनल अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, दिल्ली भूकेंद्र में पंजीकृत किए गए (जुलाई 2012)।

चूंकि ये सेटेलाइट फोन आपदा और आपात् स्थिति में नागरिक सुरक्षा द्वारा उपयोग हेतु खरीदे गये थे, हो.गा.म.नि. ने नागरिक सुरक्षा निदेशालय हेतु संभागीय आयुक्त (राजस्व विभाग) से जल्द से जल्द फोनों का नियंत्रण हाथ में लेने के लिए अनुरोध किया (जुलाई 2012)। यद्यपि, सेटेलाइट फोनों की कनेक्टिविटी और अन्य समस्याएं, जो उनकी मौजूदा अवस्था जांच के लिए इन फोन के प्रदर्शन के दौरान पायी गयी, के कारण नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने इन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया (12 मार्च 2013)। इसके बाद हो.गा.म.नि. ने एक प्रस्ताव (मई 2014) गृह (सामान्य) विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. को भेजा कि सेटेलाइट फोन के उपयोग सक्षम करने हेतु किसी अन्य संगठन जैसेकि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल या समन्वय निदेशालय, पुलिस वायरलेस को हस्तांतरित कर दिया। जून 2016 तक सेटेलाइट फोन बेकार पड़े थे तथा आगे इस पर कोई प्रगति नहीं हुई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि हो.गा.म.नि. ने हब में स्पेस की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ₹ 46.60 लाख की लागत पर 15 सेटेलाइट फोन खरीदे, जो कि उनके नेटवर्क की कनेक्टिविटी हेतु परम आवश्यक थी। यहां तक कि स्पेस अनुप्रयोग केंद्र के साथ उनके पंजीकरण के पश्चात्, इनकी खरीद के बाद सात वर्षों तक सेटेलाइट फोन का कभी भी उपयोग नहीं किया गया था यह इनके निष्पादन पर प्रश्न चिह्न लगाता है। इसके अतिरिक्त, सेटकॉम ने चेतावनी दी थी कि इनसैट-3 सी, जिनके माध्यम से ये फोन चल रहे थे, का जीवनकाल 2015-16 में समाप्ति के लिए अपेक्षित था और इन फोनों (एम.एस.एस. टाइप-डी टर्मिनल) के लिए भविष्य में कोई सपोर्ट निश्चित नहीं किए गए थे।

हो.गा.म.नि. ने कहा (जून 2016) कि जब निदेशालय संयुक्त था तब, नागरिक सुरक्षा के लिए सेटेलाइट फोन खरीदे गये थे, और उसके पश्चात्, नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने इन फोनों का नियंत्रण हाथ में लेने से इंकार कर दिया। साथ ही गृह विभाग तथा अन्य एजेंसियां जो ये फोन उपयोग कर सकते थे, से भी संपर्क किया गया लेकिन किसी ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन फोन के लिए हब में स्पेस की उपलब्धता पहली आवश्यकता थी। इस प्रकार खराब योजना तथा अवधारणा के परिणामस्वरूप ₹ 46.60 लाख का अपव्यय हुआ।

(ख) मौजूदा नियम के अंतर्गत, परिवहन विभाग में एक ऐंबुलेंस के पंजीकरण के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (स्वा.प.क.) के अंतर्गत ऐंबुलेंस के पंजीकरण हेतु समिति (ऐं.पं.स.) से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र (अ.प्र.प.) पूर्व अपेक्षित है। लेखापरीक्षा ने पाया कि हो.गा.म.नि. ने (जुलाई 2014) ₹ 12.48 लाख की लागत पर एक नयी ऐंबुलेंस खरीदी तथा परिवहन विभाग में इसके पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए स्वा.प.क.वि. से अनुरोध (30 जुलाई 2014) किया। ऐं.पं.स. ने सूचित किया कि

(जनवरी 2015) अ.प्र.प. के जारी करने के लिए चिकित्सा नियंत्रण फिजीशियन के रूप में एक योग्य चिकित्सक परम आवश्यक है तथा हो.गा.म.नि. को चिकित्सा नियंत्रण फिजीशियन के रूप में एक योग्य चिकित्सक की नियुक्ति किये जाने का परामर्श दिया गया, ऐसा न करने पर, ऐंबुलेंस पंजीकरण हेतु आवेदन को अस्वीकृत माना जा सकता है।

इस प्रकार, हो.गा.म.नि. ने चिकित्सा अधिकारी की अनिवार्य आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना ऐंबुलेंस के रूप में उपयोग हेतु एक नया वाहन खरीदा फलस्वरूप लगभग दो वर्षों तक ₹ 12.48 लाख का अवरोधन हुआ।

हो.गा.म.नि. ने कहा कि (जून 2016) चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति एवं ऐ.प.स. से अ.प्र.प. जारी करने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

मामला जून 2016 में सरकार को भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2016)।

1 पुक i K fxdh foHkx

3-3 ykd l ok dkuw ds vfeldkj dk dk kZb; u

ykd l ok dkuw ds vfeldkj dk dk kZb; u ekhek Fk D; kfd l Hh vfeld for
 l ok abyDVWud&l foZ yoy , sxes/ %Z&, l -, y-, -1/2dsikWZy ij viyKM
 ugha dh xbZ Fk rFk t gla viyKM dh xbZ Fk] og velyh , oa xyr FkA
 vlondk dks l okvldh foye l sl i q n Z h dh {kri vE ; k dher dk Hx rku
 djus ds fy, l {le vfeldkj; k dks vkl av- dh 'kDr; kai nku ugha dh xbZ
 FkA l okvldh l e; c) l i q n Z h ds fy, i R; sd Lrj ij l e; l hek fuekZj r
 ugha dh xbZ FkA ; | fi l ok a njh l sl i q n Z h xbZ u rks vlondk dks
 {kri vE ykr dk Hx rku g yk vS u gh p d r k Z l j d k j h de Z k j ; kai j
 t e k Z k g y k A u d n i k R l k g u d s } k j k l {le de Z k j h ds i k R l k g u d s fy, ; k
 ft Eenkj h fuekZj r djus ds fy, p d r k Z vfeldkj; k dh i g p k u g r q d k b Z
 dk j Z k b Z v k j Fk ugha dh xbZ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने (अप्रैल 2011) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नागरिकों के लिए अधिसूचित सेवाओं की विलंब से सुपुर्दगी की क्षतिपूर्ति या सेवाओं की समयबद्ध सुपुर्दगी अथवा उनकी कीमत के भुगतान हेतु “दिल्ली (सेवाओं की समयबद्ध सुपुर्दगी के लिए नागरिकों का अधिकार)” अधिनियम 2011 (अधिनियम) सूचीबद्ध किया। अधिनियम रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रत्येक विभाग को नागरिक संबंधी सेवाओं के सभी आवेदनों की स्थिति ऑनलाईन करने का आदेश देता है एवं नागरिकों को उनके आवेदनों की स्थिति ऑनलाईन देखने एवं प्राप्त करने का अधिकार देता है। रा.रा.क्षे.दि.स. ने दिल्ली (सेवाओं की समयबद्ध सुपुर्दगी के लिए नागरिकों का अधिकार)” नियमावली 2011 सूचीबद्ध (सितम्बर 2011) की एवं आवेदनों की स्थिति पता करने एवं उसकी निगरानी, जांच के उद्देश्य से ई.-एस.एल.ए. (इलेक्ट्रानिक-सर्विस लेवल ऐग्रीमेंट) निगरानी तंत्र नाम का एक

समर्पित पोर्टल प्रस्तुत किया। जुलाई 2016 तक रा.रा.क्षे.दि.स. ने अधिनियम के तहत 36 विभागों की 361 सेवाएं सूचीबद्ध की।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से संबंधित नि.म.ले.प. की 2016 की प्रतिवेदन संख्या 2 में सामाजिक एवं राजस्व क्षेत्र के नौ विभागों की 25 सेवाओं के नमूना परीक्षण पर आधारित लेखापरीक्षा प्राप्तियां सम्मिलित थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में, सामान्य क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र से संबंधित छः विभागों की 25 सेवाओं के नमूने जांच के लिए चुने गये (vuyXud 3-3-1^{1A})

3-3-1 fu; eloyh , oavfeku; e ds ihoekula dk x\$ ifjiky

अधिनियम का सेक्शन 6 स्पष्ट करता है कि सरकार ई-गवर्नेंस के रूप में अपने सभी विभागों, स्थानीय निकायों एवं प्राधिकरणों को, नागरिकों से संबंधित सेवाओं को निश्चित समयावधि में आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रयास करे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (सू.प्रौ.वि.) अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के सम्पूर्ण समन्वय तथा निगरानी के लिए उत्तरदायी है।

3-3-1-1 bZ, l-, y-, - iWZ ij l okvadh viykyMx u djuk

ई.-एस.एल.ए. निगरानी प्रणाली पर 14 विभागों की 118 अधिसूचित सेवाओं में से 65 सेवाओं के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। सभी अधिसूचित सेवाओं की अपलोडिंग में विभाग की असफलता ने नागरिकों को, 'ई.-एस.एल.ए. निगरानी एवं खोज प्रणाली' के माध्यम से आवेदन तथा सेवाओं के समयबद्ध सुपुर्दगी की प्राप्ति के लिए ऑनलाइन सुविधाओं से वंचित किया, जैसाकि अधिनियम में परिकल्पित था।

3-3-1-2 vlonula dh vWYkbu viykyMx rFk id idj.k

दिल्ली नियमावली, 2011, (सेवाओं के समयबद्ध सुपुर्दगी के लिए नागरिकों का अधिकार) का नियम 3 (2) एवं (3) में अनुबंधित है कि पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर, विभाग का संबंधित अधिकारी, तुरंत आवेदन की जांच करेगा और यदि सही पाया गया तो, आवेदन की पूरी सूचना डाटा बेस में अपलोड करेगा तथा कंप्यूटरीकृत आवेदन आईडी बनाएगा तथा उसे आवेदक को संप्रेषित करेगा जिससे वह अपने आवेदन की स्थिति "ई.-एस.एल.ए. निगरानी एवं खोज प्रणाली" में जांच सके। नियम 3(4) अनुबंधित करता कि उपरोक्त तरीके से विभाग द्वारा प्राप्त ऐसे सभी आवेदन तथा विभाग के सर्वर पर अपलोड किये गये आवेदन पुनः उसी दिन "ई.-एस.एल.ए. निगरानी एवं खोज प्रणाली" पर अपलोड किये जाएंगे। अभिलेखों की नमूना जांच निम्नलिखित दर्शाती है:

1/2 vlonula dh vki' kd viykyMx

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2013-16 के दौरान छः चयनित विभागों ने 3,59,871 आवेदन प्राप्त किये। इनमें से 3,26,106 आवेदन ई.-एस.एल.ए. पोर्टल पर अपलोड किये गये तथा 33,765 अपलोड नहीं हुए जैसाकि vuyXud 3-3-2 में विवरण दिया गया है।

1. उद्योग, 2. पर्यटन, 3. रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां), 4. वजन एवं माप, 5. खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, तथा 6. राजस्व

इसके अतिरिक्त, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सितम्बर 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (रा.खा.सु) अधिनियम, 2013 लागू किया, यद्यपि नवंबर 2013 के बाद ई.-एस.एल.ए. अधिनियम के परिपालन से संबंधित कोई आंकड़े/आवेदन अपलोड नहीं किया गया। रा.खा.सु.अ. पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार विभाग ने मार्च 2016 तक कुल 24,67,508 आवेदन प्राप्त किये, जो कि ई.-एस.एल.ए. पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये। ई.-एस.एल.ए. निगरानी एवं खोज प्रणाली पर आंकड़ों की आंशिक अपलोडिंग अधिनियम के उद्देश्यों को कम आंकना था।

रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) एवं वजन और माप विभाग ने (अगस्त/अक्टूबर 2016) आंकड़ों के आंशिक अपलोडन के लिए कार्मिकों की कमी को जिम्मेदार ठहराया जबकि वजन और माप विभाग ने आगे कहा कि ई.-एस.एल.ए. पोर्टल पर अद्यतन आंकड़ें अपलोड करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश दे दिये गये थे। राजस्व विभाग ने (अक्टूबर 2016) कहा कि ई.-एस.एल.ए. पोर्टल में आंकड़ों की अपलोडिंग रा.सु.वि.के. के द्वारा की गयी।

3-3-1-3

- 18 अप्रैल 2016 तक लेखापरीक्षा अवधि के दौरान चार विभागों² से प्राप्त नौ सेवाओं के 13,020 आवेदनों में से 2,624 आवेदनों की स्थिति को "निस्तारण प्रतीक्षित" दर्शाया गया। आगे की जांच में पता चला कि 2,624 आवेदनों में से 2,249 का वास्तव में संबंधित विभागों द्वारा मार्च 2016 से पहले निपटान कर दिया गया था, किन्तु उनकी स्थिति ई.-एस.एल.ए. पोर्टल पर अद्यतित नहीं की गई थी।
- पर्यटन विभाग में, जहां सेवाएं दी जा चुकी थी, ऐसे 82 मामलों में से 21 में ई.-एस.एल.ए. पर अपलोडिंग की स्थिति 235 दिनों तक विलंब से थी। 48 मामलों में सेवाएं दी जाने की वास्तविक तिथि से पहले ई.-एस.एल.ए. पर निपटान की तिथि दर्शाई गई जो इनपुट नियंत्रण की कमी को दिखाती है।
- 29 अप्रैल 2016 तक पांच विभागों³ द्वारा ई.-एस.एल.ए. पोर्टल पर आंकड़ें अपलोड नहीं किये गये थे। संबंधित विभागों द्वारा आंकड़ों का गैर अद्यतन विभाग द्वारा निगरानी में कमी को दर्शाता है।

राजस्व विभाग ने (अक्टूबर 2016) कहा कि मामला रा.सु.वि.के. के साथ उठाया गया है और इसके बाद आंकड़ें साथ-साथ अपलोड किये जायेंगे। वजन और माप विभाग ने (अक्टूबर 2016) बताया कि आंकड़े अब ई.-एस.एल.ए. पर अपलोड किये जा चुके हैं।

3-3-1-3

अधिनियम के सेक्शन 9 (1) के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचित सक्षम अधिकारी, सेवाओं के सुपुर्दगी में देरी या कमी करने वाले सरकारी कर्मचारी पर लागत लागू

2 औद्योगिक विभाग, पर्यटन, राजस्व एवं रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां)

3 खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले (12 नवम्बर 2013 के बाद), औद्योगिक-(19 दिसम्बर 2014 के बाद), रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) (4 जून 2015 के बाद), राजस्व (28 जनवरी 2016 के बाद), व. और मा. (29 अप्रैल 2015 के बाद)

करने के लिए अधिकृत है। आगे, नियम 5 के संबंध में, विभागीय प्रमुखों को सेवाओं के समयबद्ध सुपुर्दगी के लिए निर्धारित चरणों पर संबंधित सरकारी कर्मचारी के लिए सामयिक कार्य प्रवाह निर्धारित करना चाहिए। यद्यपि लेखापरीक्षा ने देखा कि छः चयनित विभागों में से केवल दो विभाग, पर्यटन एवं वजन और माप ने आवेदनों के निस्तारण के लिए स्तर के हिसाब से समय सीमा निर्धारित की है। सेवाओं के सुपुर्दगी में तैयार चरणों पर सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित समय सीमा के अभाव में, चूककर्ता एवं विलंब करने वाले कर्मचारियों की पहचान एवं क्षतिपूर्ति की वसूली करना संभव नहीं था।

राजस्व विभाग ने (अक्टूबर 2016) बताया कि समय-समय पर विभिन्न कार्य प्रवाह चार्ट बनाये गये थे। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये प्रवाह चार्ट न तो लेखापरीक्षा के दौरान ही प्रदान किये गये थे और न ही जवाब के साथ संलग्न किये गये।

अभिलेखों की निरीक्षण जांच में आगे निम्नलिखित पाया गया-

- **i ; 7u foHxx%** दो सेवाओं, "भोजनालय का अनुमोदन" एवं "बेड एवं ब्रेक फास्ट स्थापना का पंजीकरण" के अन्तर्गत 117 में से 72 मामलों में विभाग ने परिसरों का निरीक्षण, निर्धारित समयसीमा क्रमशः 15 दिन व 60 दिन के परे 79 दिन तक की देरी से किया। "भोजनालय का अनुमोदन" सेवा के अन्तर्गत 74 आवेदकों में से 36 को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से चार दिन की निर्धारित समय सीमा के परे 47 दिन तक की देरी से प्रमाणपत्र जारी किये गये। अतिथि गृह से संबंधित दो सेवाओं⁴ के लिए यद्यपि केवल दो आवेदन प्राप्त हुए (प्रत्येक सेवा के अन्तर्गत 27 मई 2015 एवं 22 जून 2015 को एक-एक), परिसरों के निरीक्षण में निर्धारित समयसीमा 15 दिन के परे 354 एवं 329 दिन की देरी से हुई।
- **jft LVkj ¼ gdljh l fejr; k%** नई समितियों के पंजीकरण के दो मामलों में विभाग ने पंजीकरण की प्रक्रिया आवेदन प्राप्त होने के 35 दिन एवं 95 दिन के बाद शुरू की जबकि ऐसे मामलों में पंजीकरण की अनुमत्य समयसीमा 90 दिन तक ही थी। पंजीकरण की प्रक्रिया क्रमशः 135 एवं 257 दिनों की देरी से पूरी हुई।

3-3-1-4 l {le vfejdkj; k dks vkgj.k , oa l forj.k vfejdkjh ¼kl av-½ ds vfejdkj kdk x\$ i R; k kt u

अधिनियम के सेक्शन 9(1) में सक्षम अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है तथा सेक्शन 9(2) में यह स्पष्ट करता है कि सरकार क्षतिपूर्ति लागत अदायगी के उद्देश्य के लिए कानून के अनुरूप सक्षम अधिकारी को आ.सं.अ. को अधिकार प्रदान करे। इसके लिए नियम 4(2) अनुबंधित करता है कि आ.सं.अ. ₹ 20,000 से अधिक निकासी नहीं कर सकता।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने (14 सितंबर 2011 से 14 अगस्त 2014 के बीच) सक्षम अधिकारियों एवं अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति को छः चयनियत विभागों द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए अधिसूचित किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि "खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता

4 (i) अतिथि गृह का अनुमोदन, तथा (ii) अतिथि गृहों का स्तरीकरण

मामले" विभाग को छोड़कर नागरिकों को क्षतिपूर्ति लागत की अदायगी के लिए अधिकारियों को आ.सं.अ. अधिकार प्रदान नहीं किये गये थे।

राजस्व विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि सक्षम अधिकारी व अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति के लिए संबंधित आदेश जारी किये गये थे। यद्यपि आ.सं.अ. की शक्तियों के प्रत्यायोजन पर उत्तर मौन था। वजन और माप विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि विभाग के आ.सं.अ. को ₹ 20,000 तक की निकासी के लिए नियम 4(2) के प्रावधानों का अनुपालन करने को कहा गया था।

3-3-1-5 विभागीय कार्यक्षेत्रों में क्षतिपूर्ति लागत की अदायगी के लिए अधिकारियों को आ.सं.अ. अधिकार प्रदान नहीं किये गये थे।

रा.रा.क्षे.दि.स. के सू.प्रौ. विभाग द्वारा जारी निर्देशों (मई 2014) के अनुसार, विभागों के प्रमुखों को अधिसूचित सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति के लिए, समय सीमा में आन्तरिक कार्यप्रवाह से संबंधित आंतरिक आदेश जारी करने की आवश्यकता थी। इन आंतरिक आदेशों में, सक्षम अधिकारी के नाम के साथ सेवाओं से संबंधित सूचना प्रदर्शन के लिए सूचना बोर्ड, ई.-एस.एल.ए. के अनुरूप निपटान के लिए दिनों की संख्या एवं सेवाओं के सुपुर्दगी में देरी या चूक के मामलों में नागरिकों को क्षतिपूर्ति लागत अदायगी के लिए अग्रदाय धन सक्षम अधिकारी के पास मुहैया कराना एवं नागरिकों के मार्गदर्शन हेतु सहायता डेस्क स्थापित करना भी शामिल थे। इस मामले में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- गैर-सक्षम विभागों में से किसी भी चयनित विभाग ने नागरिकों के मार्ग दर्शन के लिए अलग हेल्प डेस्क स्थापित नहीं किया गया था।
- केवल वजन और माप विभाग ने सूचना पट्ट प्रदर्शन के लिए निर्देशों की अनुपालना की। यद्यपि राजस्व विभाग एवं रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) ने प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक दिनों के साथ सेवाओं से संबंधित सूचना प्रदर्शित करने के लिए सूचना पट्ट बनवाये, परंतु सक्षम अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी के नाम, सेवाओं के सुपुर्दगी में देरी के लिए क्षतिपूर्ति अदायगी जैसी सूचनाएं, सूचना पट्ट पर प्रदर्शित नहीं की गयीं।
- रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) तथा खाद्य आपूर्ति विभाग ने बताया कि अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए सक्षम अधिकारी को अग्रदाय धन प्रदान किया गया था।

राजस्व विभाग ने (अक्टूबर 2016) बताया कि सहायता डेस्क, सूचनापट्ट एवं अग्रदाय राशि के लिए आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये थे। यद्यपि लेखापरीक्षा ने देखा कि नियमित कार्य के लिए सब-डिविजन में सामान्य काउन्टर/डेस्क थे, किन्तु नागरिकों के मार्ग दर्शन के लिए कोई अलग सहायता डेस्क नहीं थी। आगे, सूचनापट्ट पर पूरी जानकारी नहीं थी तथा अग्रदायी राशि जारी करने के लिए आदेश जारी किये गये पर उनका अनुकरण नहीं हुआ। वजन और माप विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि वो निर्देशों की अनुपालना कर रहा है। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि न तो कोई अलग हेल्प डेस्क बनी और न ही अग्रदाय राशि जारी करने के लिए आदेश जारी किये गये। रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) ने कहा कि (अगस्त 2016) नये सूचनापट्ट लगाने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिये गये हैं।

3-3-2 l skvldh vfekl puk

अधिनियम के सेक्शन 3 के अन्तर्गत सेवाओं की अनुसूची को समय-समय पर सू.प्रौ. विभाग संशोधित कर रहा है जिससे विभिन्न सेवाओं को अधिनियम के अन्तर्गत लाया जा सके। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया :

3-3-2-1 bZ, l -, y-, - dsfy, ubZl skvldh xj&i gpk

सू.प्रौ. विभाग के निर्देशों (जुलाई 2013) के अनुसार, सरकारी विभागों को ई.-एस.एल.ए. की परिधि में लाने के लिए और अधिक नागरिक संबंधी सेवाओं की पहचान करनी थी। यद्यपि लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 अगस्त 2014 के बाद चयनित विभागों ने ई.-एस.एल.ए. की परिधि में लाने के लिए किसी नई सेवा की पहचान नहीं की यद्यपि वे नागरिकों को कुछ अलग सेवाएं जो ई.-एस.एल.ए. पोर्टल पर नहीं थी, प्रदान कर रहे थे।

जबकि राजस्व विभाग ने (अक्टूबर 2016) कहा कि ई.-एस.एल.ए. के लिए नई सेवाओं की पहचान प्रक्रियारत थी, वजन और माप विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि नई सेवाओं की पहचान की कोई आवश्यकता नहीं थी एवं जरूरत पड़ने पर कर ली जायेगी।

3-3-2-2 foHkx dsfu; a.k l sclgj dh l skvldh vfekl puk

अगस्त 2014 में, सू.प्रौ. विभाग ने अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग विभाग के लिए दो सेवाओं को अधिसूचित किया यद्यपि इन सेवाओं को अप्रैल 2010 में राजस्व विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया था। उद्योग विभाग ने इन सेवाओं के इसकी परिधि में न होते हुए भी अगस्त 2014 में इन दो सेवाओं के लिए सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी भी नियुक्त किये तथा इन सेवाओं को राजस्व विभाग में स्थानांतरित करने का मामला सू.प्रौ. विभाग के साथ नहीं उठाया। परिणामस्वरूप (ई.-एस.एल.ए.) पोर्टल अब भी इन दो सेवाओं को उद्योग विभाग के अन्तर्गत दिखा रहा था। यह अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को लागू करने में सतर्कता की कमी को दर्शा रहा था।

औद्योगिक विभाग ने (अगस्त 2016) जवाब दिया कि इन दो ई.-एस.एल.ए. सेवाओं को राजस्व विभाग में गैर-अधिसूचित/स्थानांतरित करने के लिए सू.प्रौ. विभाग को एक प्रस्ताव (अगस्त 2016) भेजा गया।

3-3-3 vfekl fpr l skvldh l qmZh

अधिनियम का सेक्शन 3 बताता है कि प्रत्येक नागरिक को अधिनियम में वर्णित समय सीमा के अन्दर दिल्ली में नागरिक संबंधित सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। आगे सेक्शन 7 में अनुबंधित कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के अन्दर नागरिक संबंधित सेवाएं प्रदान करने में असफल होता है, तो वह उस नागरिक को ₹ 10 प्रतिदिन की दर से, अधिकतम ₹ 200 प्रति आवेदन, विलंब अवधि के लिये देगा। आगे, नियम 4(1) के

5 पर्यटन: दूर ऑपरेटर्स/ट्रेवल एजेंटों का पंजीकरण, एफ एस: उसी सर्कल में एफ पी एस का परिवर्तन, राजस्व: दिव्यांगों के लिए स्थाई पहचान पत्र जारी करना, उद्योग: चिकनाई तेल एवं ग्रीस बनाने के व्यापार के लिए लाइसेंस अनुमोदन, आरसीएस: सदस्यों के निष्कासन का अनुमोदन, व. और मा. : वजन और माप के यंत्रों के सत्यापन का प्रमाणपत्र जारी करना।

6 (i) समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत उन समितियों के लिए जो 2010 से पहले पंजीकृत हुई हैं, कल्याण/धर्मार्थ समितियों के पंजीकरण का नवीनीकरण एवं (ii) समिति के शासी निकाय एवं नियम एवं विनियम की सत्यापित प्रतिलिपि।

अनुसार, सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित समय सीमा के अन्दर, सेवाएं प्रदान करने में विलंब होने की दशा में नागरिक को ई.-एस.एल.ए. पद्धति द्वारा स्वचालित रूप से परिकल्पित प्रतिपूरक राशि का भुगतान किया जाना है।

अधिनियम का सेक्शन 12(3), उन सरकारी कर्मचारियों को, जिनके विरुद्ध एक वर्ष में एक भी शिकायत दर्ज न हुई हो, को सेक्शन के तहत नकद प्रोत्साहन दिए जाने की सिफारिश द्वारा सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहित तथा कार्य दक्षता को अन्वेषित करता है।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान चयनित छः विभागों⁷ में ई.-एस.एल.ए. पद्धति द्वारा संसाधित 13,96,467 मामलों में से अधिकतम दो वर्षों से अधिक की देरी (18 अप्रैल 2016 तक) के विलंब सहित 3,81,472 (27 प्रतिशत) मामले पाये गये। अधिनियम के प्रावधानानुसार, ₹ 3.79 करोड़ नागरिकों को प्रतिपूरक राशि के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए था तथा चूककर्ता सरकारी कर्मचारियों से वही राशि वापस प्राप्त की जानी चाहिए थी, जैसाकि लेखापरीक्षा की जांच में पाया गया है $\frac{1}{4} \times 3-3-3\frac{1}{4}$ यद्यपि, संबंधित विभागों ने न तो नागरिकों को इस राशि का भुगतान किया और न ही सेवाएं प्रदान करने में हुए विलंब के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों से हर्जाने की राशि की वसूली की है।

वजन और माप विभाग ने (अक्टूबर 2016) सेवाएं प्रदान करने में हुए विलंब के लिए कर्मचारियों की कमी को जिम्मेदार ठहराया है। जबकि रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) ने बताया कि (अगस्त 2016) संबंधित प्रक्रिया को पूर्ण करने में कभी कभी निर्धारित समय सीमा से ज्यादा समय लग जाता है तथा यहां कर्मचारियों की भी बहुत कमी थी। राजस्व विभाग ने कहा कि (अक्टूबर 2016) उनके कार्यालय ने अभी तक सेवा प्रदान में हुए विलंब की कोई शिकायत किसी भी नागरिक से प्राप्त नहीं की है।

यह भी पाया गया कि अधिनियम के उपरोक्त वर्णित प्रावधान के तहत पर्यटन, वजन और माप, राजस्व तथा रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) विभागों द्वारा सरकारी कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने न तो प्रतिपूरक लागत और दोषी सरकारी कर्मचारियों से वसूली से संबंधित प्रावधानों को लागू किया न ही दक्षता में सुधार करने के लिए कोई प्रोत्साहन प्रदान किया। इसने नागरिकों को समय पर सेवाओं की सुपुर्दगी को सुनिश्चित किए जाने के विभाग के क्षमता में कमी होने के साथ इसका प्रयोजन व जवाबदेही तथा कार्यकुशलता को क्षीण किया।

3-3-3-1 l okvldh l qmZh dsfy, fuellZr vofek dh l ehkk

लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवल दो विभागों जैसे खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले तथा उद्योग विभाग ने क्रमशः दिसम्बर 2014 और फरवरी 2015 में अधिसूचित सेवाओं को प्रदान करने में आवश्यक दिनों की संख्या की समीक्षा की है। राजस्व विभाग ने जून 2015 से ई-जिला कार्यक्रम के लागू होने के चलते, पांच सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा को घटाकर 14 दिन कर दी है (21 से 60 दिनों तक), और विवाह प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए निर्धारित सात दिनों को बढ़ाकर 21 दिन कर दी है। यद्यपि इस संशोधन को

7 अ.पि.व., अ.जा./अ.ज.जा. विलंबित जन्म आदेश, आय तथा आवासीय प्रमाणपत्रों को जारी करना

ई.-एस.एल.ए. पद्धति में लागू करने से संबंधित अधिसूचना जुलाई 2016 तक जारी किया जाना शेष था। पर्यटन विभाग तथा वजन और माप विभाग ने अभी तक सेवाओं को प्रदान करने में आवश्यक अवधि की समीक्षा नहीं की है, जबकि रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) ने इस संबंध में कोई भी सूचना प्रदान नहीं की है।

राजस्व विभाग ने बताया कि (अक्टूबर 2016 में) सेवाएं प्रदान करने की संशोधित अवधि की नई अधिसूचना अभी प्रक्रियाधीन है तथा वजन और माप विभाग ने बताया कि (अक्टूबर 2016) निर्धारित समयावधि की समीक्षा करने के लिए शीघ्र ही एक समिति का गठन किया जायेगा।

3-3-4 fu"d"l

जन सेवाओं का अधिकार कानून के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा समीक्षा ने परिश्रमी ढंग से कार्यान्वयन का अभाव दर्शाया व जिससे ई.-एस.एल.ए. निगरानी एवं खोज प्रणाली पर अधिसूचित सेवाओं को डालने में देरी और त्रुटियां हुईं और जिससे नागरिकों को ऑनलाईन सूचना उपलब्ध कराने का मूल उद्देश्य विफल हो गया। आवेदकों के लिए सेवाओं की विलंब से सुपुर्दगी की क्षतिपूर्ति या कीमत का भुगतान करने के लिए सक्षम अधिकारियों को आ.सं.अ. के अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे तथा सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए प्रत्येक स्तर पर समयसीमा निर्धारित नहीं थी। यद्यपि सेवाएं देरी से वितरित हुईं, न तो आवेदकों को ही क्षतिपूर्ति का भुगतान हुआ और न ही कोई कार्रवाई आरम्भ की गई थी या तो जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए चूककर्ता अधिकारियों की पहचान हेतु या नकद प्रोत्साहन के द्वारा सक्षम कर्मचारी के प्रोत्साहन के लिए किया।

मामला जुलाई 2016 में सरकार को भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2016)।

Je foHkx

fnYyh Hou rFkk vU; fueZk Jfed dY; k k ckMZ

3-4 VhMh, l - dh oki l h dk nlok u djuk

vk dj fjVuZ dks Qby djus rFkk cSla }kj k Ókka ij dkVs x; s dj
 VhMh, l - ½ dh oki l h dk nlok djus ea ckMZ dh foQyrk ds ifj. keLo: i
 ₹ 15-95 djM+ dh fufek, ka dk vojleku gyk rFkk bl ds QyLo: i
 ₹ 2-73 djM+ ds C; kt dh gkfu gqZ ft l s v r fd; k t k l drk Fkk ; fn
 VhMh , l - dh oki l h dk l e; l s nlok fd; k x; k gk rFkk bl s cSla es
 fQDI M fMi kV V fd; k x; k gk rFkk

दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना 02 सितम्बर 2002 को भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिकों के लाभों के लिये कल्याणकारी उपाय तथा सामाजिक सुरक्षा स्कीम की निगरानी तथा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गयी थी।

2013-16 की अवधि को कवर करते हुये अगस्त/सितम्बर 2016 के दौरान अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने आयकर (आ.क.) अधिनियम 1961 (आयकर से छूट) के सेक्शन 12 ए के अंतर्गत पंजीकरण के लिये 29 सितम्बर 2008 को आवेदन किया। सेक्शन 12 ए के साथ पठित सेक्शन 12 ए ए के अंतर्गत पंजीकरण बोर्ड को कर से छूट के लिये निर्धारण वर्ष 2009-10 से आगे प्रदान किया गया। यद्यपि कर में छूट निर्धारण वर्ष से संबंधित प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आगे ले जाने वाले दावे या वादा किये गये क्रियाकलापों की वास्तविकता के संबंध में निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि से संबंधित थी। इसके अतिरिक्त, बोर्ड को अपने लेखापरीक्षित लेखों का रख-रखाव करने तथा इसे निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।

बोर्ड अपनी अतिरिक्त निधियों का 'फिक्सड डिपाजिट (एफ डी)' के रूप में विभिन्न बैंकों में निवेश करता है जो एफ डी से अर्जित ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती (टी डी एस) करते हैं। यद्यपि आ.क. अधिनियम के सेक्शन 139 (1) के अंतर्गत आ.क. रिटर्न फाइल करके आयकर विभाग से वापसी के लिये दावा किया जा सकता है। आगे, सेक्शन 244 ए (1)(ए) कहता है कि "जब अधिनियम के अंतर्गत किसी राशि की वापसी निर्धारिती को देय हो जाती है, तो वह इस सेक्शन के प्रावधानों के अंतर्गत इस कथित राशि के साथ साथ इस पर निम्नलिखित प्रकार से गणना किये गये साधारण ब्याज को प्राप्त करने के योग्य होगा:

"निर्धारण जहां दावा वर्ष के ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान सेक्शन 206 सी के अंतर्गत स्रोतों पर किसी संग्रहित कर के बाहर हो या सेक्शन 199 के अंतर्गत भुगतान किये गये या अग्रिम कर के रूप में भुगतान किया गया हो, ऐसे ब्याज की इस अवधि के दौरान महीने के किसी हिस्से या प्रत्येक माह के लिये आधा प्रतिशत की दर पर गणना की जायेगी,

(i) निर्धारण वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन से उस तिथि तक जब वापसी दी गयी, यदि आय के रिटर्न सेक्शन 139 के सब-सेक्शन (1) के अंतर्गत दी गयी निर्धारित तिथि पर या उससे पहले प्रस्तुत किये गये हों; या

(ii) आय के रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि से उस तिथि तक जब वापसी दी गयी हो, यदि सब-सेक्शन (i) में मामला कवर नहीं होता।

अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि बोर्ड ने 2009-10 से 2015-16 की अवधि के दौरान बैंकों में अपनी एफ डी पर ब्याज के रूप में ₹ 143.64 करोड़ प्राप्त किये तथा बैंक ने एफ डी पर प्राप्त किये गये ब्याज पर स्रोतों पर कर के रूप में ₹ 15.95 करोड़ की कटौती की। यद्यपि, बोर्ड ने सितम्बर 2016 तक किसी भी निर्धारण वर्ष के लिये आ.क. रिटर्न फाइल नहीं किया। अतः वह टी.डी.एस. की इस राशि की वापसी का दावा नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.95 करोड़ राशि का टी.डी.एस. बगैर दावा किये आ.क. विभाग के पास पड़ा रहा।

इस प्रकार, आ.क. रिटर्न को फाइल करने तथा टी.डी.एस. की वापसी का दावा करने में बोर्ड की असफलता के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2016 तक ₹ 15.95 करोड़ की निधियों का अवरोधन तथा परिणामस्वरूप ₹ 2.73 करोड़ के ब्याज की हानि हुई, जिसे टी.डी.एस. की वापसी का दावा समय से करके तथा एफ डी में निवेश करके बचाया जा सकता था।

मामला सरकार को 05 दिसम्बर 2016 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

3-5 वफेक कक cdk; k dh i Hloh fuxjkuh dh deh

कMdsft yk [krs] seq; [krs] eafufek; kcdsgLrkkrj. k eai Hloh fuxjkuh dh vl Qyrk ds ifj. WeLo: i ₹ 3-74 djkm+dsC; kt dh gfu gPZ

भवन तथा अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के सेक्शन 3 के अनुसार किसी नियोक्ता द्वारा कराए गए निर्माण कार्य की लागत के दो प्रतिशत से ज्यादा नहीं, परंतु एक प्रतिशत से कम नहीं, की दर पर उपकर लगाया तथा वसूला जाएगा एवं वसूली गई सेस की राशि का भुगतान दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) को किया जाएगा। दिल्ली में, विभिन्न जिलों के डिप्टी लेबर कमिश्नर स्थानीय निकायों, व्यक्तियों तथा अन्य एजेंसियों से सेस वसूलते हैं तथा उसे बोर्ड को सौंपते हैं। इस उद्देश्य के लिए, बोर्ड का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एस बी आई) में बचत खाता था। बोर्ड ने विभिन्न जिलों के लिए 10 बचत खाते खोले (फरवरी 2012) तथा उन्हें बोर्ड के मुख्य खाते से जोड़ दिया। 8 अगस्त 2011 को बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, अलग-अलग खातों द्वारा संग्रहित कुल निधियों को स्वतः ही मुख्य खाते में उसी शाम को जमा किया जाना था। आगे, मुख्य खाते में ₹ 25 लाख से ऊपर की उपकर राशि को 50 लाख के गुणकों में मल्टी ऑपशन डिपोजिट (म.ऑ.डि.) में परिवर्तित किया जाना था।

बोर्ड के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि 1 अप्रैल 2013 को उत्तरी-पश्चिमी जिले के खाते में ₹ 24.04 करोड़ का शेष था तथा बैंक दैनिक आधार पर निधियों को मुख्य

खाते में हस्तांतरित नहीं कर रहा है। परिणामस्वरूप, 27 दिसंबर 2014 को जब राशि को बैंक द्वारा मुख्य खाते में स्थानांतरित किया गया, उत्तर-पश्चिमी जिले के खाते में ₹ 77.03 करोड़ (₹ 3.68 करोड़ के ब्याज सहित) की राशि संचित हो गई। बोर्ड बैंको द्वारा निधियों के स्थानांतरण की निगरानी करने में असफल रहा।

दैनिक आधार पर जिला खाते से मुख्य खाते में निधियों के गैर-स्थानांतरण के कारण, अप्रैल 2013 से दिसंबर 2014 के दौरान बोर्ड इन निधियों का फिक्स डिपोजिट में निवेश नहीं कर सका। यदि अप्रैल 2013 से दिसंबर 2014 की अवधि के दौरान राशि का दैनिक आधार पर मुख्य खाते में स्थानांतरण किया गया होता तथा इसे म.ऑ.डि. में परिवर्तित किया गया होता तो बोर्ड ₹ 7.42 करोड़ का ब्याज को अर्जित कर सकता था। इसके विपरीत, बोर्ड ने जिला खातों में ब्याज के रूप में केवल ₹ 3.68 करोड़ प्राप्त किये। इस प्रकार, जिला खाते से मुख्य खाते में दैनिक आधार पर निधियों के गैर-स्थानांतरण के परिणामस्वरूप ₹ 3.74 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

बोर्ड ने कहा (नवंबर 2016) कि मामला एस बी आई के साथ उठाया गया था तथा बैंक से राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।

मामला सरकार को 05 दिसंबर 2016 को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

3-6 वर्षों के दौरान निधि के अंतरण

मई 2009 में यह निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (स्वा.से.नि.) दिल्ली में 30 प्रमुख निर्माण स्थलों पर मोबाईल औषधालय सेवाओं का विस्तार कर दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) की मदद करेगा। बैठक में यह सूचित किया गया कि स्वा.से.नि. ने 10 मोबाईल वैन औषधालयों को मुहैया कराने के लिए ₹ 2.12 करोड़ की राशि की मांग की थी। यद्यपि, बोर्ड ने 28 मई 2009 को हुई बैठक में, स्थलों पर निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को उसी स्थान पर चिकित्सा देखभाल हेतु ₹ 4.24 करोड़ की कुल लागत पर कम से कम 20 मोबाईल वैन औषधालयों हेतु स्वा.से.नि. के साथ मामला आगे बढ़ाने का निर्णय लिया एवं बोर्ड ने 10 के स्थान पर 20 मोबाईल वैन औषधालयों को मुहैया कराने हेतु स्वा.से.नि. से कोई आश्वासन प्राप्त नहीं किया परन्तु 20 मोबाईल वैन औषधालयों हेतु स्वा.से.नि. को अग्रिम में ₹ 4.24 करोड़ जारी किए (जून 2009)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि स्वा.से.नि. ने विभिन्न निर्माण स्थलों पर 15 जून 2009 से पांच मोबाईल वैन औषधालय एवं 10 जुलाई 2009 से पांच अतिरिक्त मोबाईल वैन औषधालय तैनात किए। 2 मार्च 2015 को स्वा.से.नि. ने बोर्ड को सूचित किया कि इन 10 मोबाइल

वैन औषधालयों को 31 मई 2014 से समाप्त कर दिया गया। ₹ 4.24 करोड़ में से ₹ 2.07 करोड़ की राशि अव्ययित पड़ी रही जो कि बोर्ड को अगस्त 2016 तक वापस नहीं की गई। इस प्रकार 10 के बजाय 20 मोबाईल वैन औषधालयों की बढ़ी हुई प्रक्षेपित मांग सरकार के निर्णय तथा अग्रिम भुगतान के विपरीत थी और यह सुनिश्चित नहीं था कि 20 मोबाईल वैन औषधालयों को लगाया जा सकता था परिणामस्वरूप अगस्त 2016 तक ₹ 1.15 करोड़ के ब्याज की हानि हुई जिसे बोर्ड ₹ 2.07 करोड़ की अव्ययित राशि के निवेश द्वारा अर्जित कर सकता था।

मामला 05 दिसम्बर 2016 को सरकार को भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

यकल फुलक फोहक

3-7 यकल फुलक फोहक एअिफ; क उक्लक दक क; क; उ

यकल-फु- एअिफ; क उक्लक दस ओलरफद फु"िकनु लसिगिस मुध; क उक्लक फुलक बु एअि; क रिकल वलक ले; उगहयक क फुलक दसिफ. के लो: इकक गुक फुलरर वुकु] म्भळ वलक फुलक बुलक दक ल अकुक] रफक फुलक दक क दस ल कसत कस दसि' पकर वरफजा एनक@फु"िकनु धेकक एअो) गफ; गलफुलक दक क दसि वलक, त कस एअोफा रफक फोफा लसद, x, फुलक दक क एअ {फुरि ए दक म्भळ. क उगहयक यकल-फु- इजे' कककल दस ल कफ द, x, दक क एअक-कल दस वुकु एअ वलक फुलक ककल दस फु, नकम /कक ल फेफर दस एअ वलक यक रफक ल फुलक इकुकल दस कल व फुलक दक क दस फु, म्भळ ध वकि ए द, त कस एअोफा गुर इजे' कककल इ {फुरि ए म्भळ उगहयक यकल फुलक इफुलक दस दसि इफ. के लो: इ दक ध /कक 10 ल ह, - दस वरक खस@य?क वनक ख ध ओल फु; लगफ बु दफे; क एअ 241-20 दक क दसो क, फुलक क

3-7-1 इलकुक

लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) के बिल्डिंग जोन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के सभी विभागों के ₹ 30 करोड़ से अधिक लागत की निर्माण परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया जबकि फ्लाईओवरों, रेलवे ओवरब्रिजों, रेलवे अंडरब्रिज, भूमिगत रास्ते और नये कोरीडोरों का निर्माण उनके फ्लाईओवर जोन द्वारा किया जाता है।

प्रधान सचिव, लो.नि.वि. विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है जिसे इंजीनियर-इन-चीफ, चीफ इंजीनियरों, अधीक्षक इंजीनियरों, कार्यकारी इंजीनियरों, सहायक इंजीनियरों एवं कनिष्ठ इंजीनियरों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। लो.नि.वि. चार अनुरक्षण जोन, दो भवन परियोजना जोन और एक फ्लाईओवर जोन में विभाजित है। लो.नि.वि. में कुल 96

डिवीजन है, जिसमें से 77 डिवीजनों⁸ को आहरण और संवितरण अधिकार है।

2011-16 की अवधि के लिए लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) के परियोजनाओं के 12 भवन परियोजना डिवीजन⁹ और 10 फ्लाइओवर परियोजना डिवीजन¹⁰ में मई और अगस्त 2016 के बीच लेखा परीक्षा की गई। इन डिवीजनों में, लेखापरीक्षा हेतु चयनित निर्माण कार्य (i) ₹ 50 करोड़ और उससे अधिक की निविदा मूल्य के शत प्रतिशत कार्य (16 कार्य), तथा (ii) ₹ 50 करोड़ से कम निविदा मूल्य के 30 प्रतिशत कार्य (59 कार्यों में से 24 कार्य)। इन 40 कार्यों में ₹ 2,924.13 करोड़ का कुल व्यय हुआ।

यसूक्कीजहकिकिर; का

3-7-2 ifj; kt ukvlagrq; kt uk , oafMt kbu

परियोजना की व्यापक योजना और डिजाइन के लिए परियोजना के उद्देश्यों को सामने रखते हुए परियोजना के कार्यक्षेत्र, उपयुक्त स्थल का चयन, स्थल अवस्था की परीक्षा, मृदा परीक्षण, वास्तविक अनुमान की तैयारी, ड्राईंग्स, विभिन्न मदों का विवरण, स्रोतों का सूचीकरण (भौतिक एवं वित्तीय दोनों), तथा प्राप्य समयसीमा तय करना आवश्यक है। दिल्ली में सरकारी परियोजना हेतु योजना तैयार करना आवश्यक है क्योंकि भूमि और वित्त दुर्लभ हैं और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विविध एजेंसियों से पूर्व अनुमोदन और अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है। लेखापरीक्षा ने लो.नि.वि. में परियोजना की खराब योजना का उदाहरण पाया, जिसके परिणामस्वरूप अवास्तविक आकलन और कार्य प्रदान किए जाने के पश्चात कार्यक्षेत्र में बदलाव, डिजाईन, ड्राईंग्स इत्यादि में परिवर्तन किया गया। आगे, परामर्शी निर्माण कार्यों में देखा गया कि करारों में प्रावधानों के बावजूद मुआवजों की दांडिक धारा के गैर समावेशन तथा गैर-उद्ग्रहण हुआ।

3-7-2-1 ijle' kkrkvldh fu; jä

लो.नि.वि. परियोजनाओं के व्यवहार्यता अध्ययन, संरचनात्मक डिजाईन, ड्राईंग्स, आकलन, न्यायसंगत राशि के विवरण को तैयार करने हेतु सलाहकारों को नियुक्त करता है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार (नवम्बर 2002), निविदा प्रदान कर देने के पश्चात् कार्य के कार्यक्षेत्र में कोई प्रमुख विचलन नहीं होना चाहिए। यदि विचलन के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हो तो खराब योजना के लिए सलाहकार पर जुर्माना लगाना चाहिए। आगे, सलाहकार के साथ किए गए करार के अनुसार, कार्य को पूरा करने हेतु दिए गए समय को सख्ती से अनुपालन करना चाहिए तथा इसे परामर्शदाता की ओर से निविदा का मूल सार समझा जाना चाहिए, काम पूरा करने में विफलता की स्थिति में, प्रति माह देरी पर क्षतिपूर्ति सहमति शुल्क के 1.5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत तक प्रतिदिन के आधार पर जोड़ी जाएगी।

भवन एवं फ्लाइओवर डिवीजनों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि नौ कार्यों

8 59 अनुरक्षण डिवीजन 5 फ्लाइओवर परियोजना डिवीजन एवं 13 भवन परियोजना डिवीजन

9 बी-121, बी-122, बी-123, बी-131, बी-132, बी-133, बी-141, बी-142, बी-222, बी-223, बी-232, बी-234,

10 एफ-111, एफ-112, एफ-113, एफ-121, एफ-122, एफ-123, एफ-131, एफ-132, एफ-133, एफ-134,

में से, तीन परामर्श करारों में मात्राओं में विचलन हेतु दंडनीय धारा नहीं थी। चार कार्यों में, जुर्माना नहीं लगाया गया था जबकि करार में इसके लिए प्रावधान था और अन्य दो परामर्शी कार्य सलाहकार नियुक्ति समिति द्वारा आवश्यकता न होने के कारण बीच में ही रोक दिए गए थे। विवरण rkydk 3-7-1 में है:

rkydk 3-7-1 %ijkle'Zdjklæedfe; ka

₹ djklæedfe

Ø- l a	dk Zdk ule	fVlif. k ka
1	i) सी/ओ दी.द.उ. कॉलेज ii) सी/ओ मंडोली में जेल परिसर एस.एच : विनियमित पर्यावरण भवन, और iii) सी./ओ. डिपसार में अकादमिक ब्लॉक	प्राक्कलित मात्रा में अंतर के लिए करार में दंड धारा शामिल नहीं थी। इन तीन कार्यों में ₹ 70.58 करोड़ लागत की मात्राओं में विभिन्नता थी।
2	i) सी/ओ रोहिणी में शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज ii) कोरीडोर का व्यापक विकास (क) विकासपुरी से मीरा बाग तक (ख) मंगोलपुरी से मधुवन चौक तक (ग) मधुवन चौक से मुकरवा चौक	परामर्शदाताओं द्वारा ड्राईंग्स के प्रस्तुतीकरण में 33 से लेकर 93 दिनों तक देरी थी। यद्यपि, ले.नि.वि. ने परामर्शदाताओं पर ₹ 48.48 लाख की राशि का क्षतिपूर्ति दंड नहीं लगाया।
3	i) कोरीडोर/नेटवर्क - (क) पुस्ता नं. 3 से चंदगीराम अखाड़ा तक (ख) सोनिया विहार से जगतपुर तक (ग) सभापुर से संत नगर बुराड़ी तक ii) दिल्ली में बी.आर.टी. कोरीडोर (पैकेज-4) (क) नेशनल स्टेडियम से गाजीपुर तक और (ख) अ.रा.ब.ट. आनंद विहार से कर्नाट प्लेस तक (पैकेज-4)	फरवरी 2013/जुलाई 2014 में बी.आर.टी. कोरीडोर के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए दो परामर्शी कार्य प्रदान किए गए थे। परामर्शदाता नियुक्ति समिति ने अपनी बैठक में (फरवरी 2016) इन अध्ययनों को रोकने का निर्णय लिया क्योंकि सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण और मौजूदा बी.आर.टी. कोरीडोर की विफलता के कारण ये कार्य आवश्यक नहीं थे। तब तक परामर्शदाताओं को 1.30 करोड़ रुपये की अदायगी की जा चुकी थी, जो अनावश्यक रूप से दी गई थी।

विभाग ने कहा कि (सितंबर 2016) देरी के लिए क्षतिपूर्ति के उदग्रहण की कार्रवाई परियोजनाओं के पूरा होने के बाद की जाएगी। क्योंकि डिपसार के जेल परिसर और अकादमिक ब्लॉक के संबंध में यह कहा गया था कि, क्लाइन्ट और कार्यस्थल की परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न मदों की मात्राओं में संशोधन कर दिए गए थे। व्यवहार्यता अध्ययन के बारे में विभाग ने यह तथ्य स्वीकार किए। के.स.आ. विनिर्देशों के संदर्भ में करार में जुर्माने की धारा के गैर समावेशन के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति हेतु जवाब विशिष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त दी.द.उ. कॉलेज के मामले में करार में जुर्माने के प्रावधान की अनुपस्थिति में यह स्पष्ट नहीं है कि विभाग जुर्माना कैसे लगाएगा।

3-7-2-2 ifjof/læ folrèr vuøku

के.लो.नि.वि. निर्माण कार्य नियमावली के सेक्शन 2.5.1 (एच) के अनुसार, तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए दरों की मान्य अनुसूची पर आधारित विस्तृत आकलन तैयार करना चाहिए। बाजार दरें केवल उन्हीं मदों के लिए अनुमत की जानी चाहिए जिन्हें दरों की अनुसूची के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि लो.नि.वि. डिवीजन (बी-121) ने दोनों दरें डी.एस.आर. -2002 की दरें और बाजार दरें ने 'मंडोली में जेल परिसर का निर्माण, उप-शीर्ष विनियमित पर्यावरण भवन' कार्य के लिए विस्तृत आकलन (फरवरी 2008) तैयार

करने के लिए अपनायी। यह पाया गया कि 19 मदों की लागत (₹ 87.58 करोड़) बाजार दरों पर परिकलित की गयी थी, जोकि ₹ 106.58 करोड़ के कुल आकलन का 82 प्रतिशत थी। आगे यह पाया गया कि यद्यपि डी.एस.आर.-2002 में इन 19 मदों में से 13 के लिए दरें मौजूद थी, फिर भी लो.नि.वि. ने इन मदों के लागत आकलन के लिए बाजार दरों को ही अपनाया। डी.एस.आर.-2002 के अंतर्गत कवर की गई मदों के लिए बाजार दरों को लागू करना के.लो.नि.वि. निर्माण कार्य नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन था तथा जिसका परिणाम ₹ 38.68 करोड़ के बढ़े हुए आकलन के रूप में हुआ।

विभाग ने कहा कि (सितम्बर 2016), 2008 में नि.आ.सू. तैयार करने के समय, नवीनतम उपलब्ध डी.एस.आर. डी.एस.आर.- 2002 था तथा सीमेंट और स्टील की प्रचलित बाजार दरों एवं डी.एस.आर. की दरों में बहुत ज्यादा अंतर था। इस अंतर को कम करने की प्रक्रिया में, सीमेंट और इस्पात से जुड़ी मदों के लिए बाजार दरों को शामिल करके अद्यतित किया गया। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लो.नि.वि. के विस्तृत आकलन को तैयार करने के लिए नियमावली प्रावधान का अनुसरण करना अनिवार्य था। आगे, डी.एस.आर. और बाजार दरों के बीच का अंतर बोलीदाताओं द्वारा लगाए गए उचित दरों के आकलन के लिए न्यायसंगत ब्यौरा तैयार करने के लिए ध्यान में रखा जाता है।

3-7-2-3 fuelZk dk Zl kst kusdsi 'Pkr vfrfjä enlodk dk kb; u@ek=kvle esof)

के.लो.नि.वि. निर्माण कार्य नियमावली के सेक्शन 4.2.1(2) के अनुसार, विस्तृत आकलन पूरा तथा जहां तक सम्भव हो व्यापक होना चाहिए तथा कार्य के विभिन्न घटकों के लिये विभिन्न सेवाओं की विस्तृत ड्राईंग्स, प्रारंभिक संरचनात्मक योजनाओं और प्रारंभिक लेआउट ड्राईंग्स की विशिष्टताओं से समर्थित होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने निम्न विवरण के अनुसार मात्राओं में वृद्धि/अतिरिक्त मदों के कार्यान्वयन के ₹ 110.29 करोड़ के निम्नलिखित उदाहरण पाये:-

(क) लो.नि.वि. ने (अगस्त 2012) एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य बारापुल्लाह नाला, (फेज- I) जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से अरविंदो मार्ग तक संरचनात्मक डिजाइन और ड्राईंग्स को संरचना ड्राईंग्स और विस्तृत आकलन तैयार करने के लिए ₹ 74.50 लाख के शुल्क पर एक परामर्शदाता नियुक्त किया। परामर्शदाता द्वारा तैयार किए गए कार्य हेतु विस्तृत आकलन के आधार पर, नवम्बर 2012 में चीफ इंजीनियर ने तकनीकी स्वीकृति प्रदान की। अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि सलाहकार द्वारा तैयार की गई ड्राईंग्स कार्य के कार्यान्वयन के दौरान गलत साबित हुई, क्योंकि परामर्शदाता द्वारा अनुमानित मात्राओं तथा कार्यान्वित मात्राओं में काफी अन्तर था जिसका विवरण rkydk 3-7-2 में दिया गया है:

रक्यदक 3-7-2 xyr MbZl ds djk.k ek=kvlaeof)

Ø- 1-	ena	djkj ds vuq lj ek=k %eWj e%2	dk %Zbr ek=k %eWj e%2	vaj %eWj e%2	nj % e%2	vfrfjä 0 ; % djkM+e%2
1	2	3	4	5 (4-3)	6	7 (6x5)
1	मृदा परीक्षण	8,648	12,270	3,622	1,000	0.36
2	बोरिंग ऊर्ध्व ढेर					
	1,000 मी.मी.व्यास	3,700	9,102	5,402	12,400	6.70
	1,200 मी.मी.व्यास	24,100	55,550	31,450	15,350	48.28
dy						55.34

कार्य प्रदान करने के पश्चात मात्राओं में वृद्धि के परिणामस्वरूप ₹ 55.34 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। मात्राओं में वृद्धि, कार्यस्थल की परिस्थितियों के अनुसार 20 मीटर से 32 मीटर तक ढेर की गहराई में वृद्धि तथा संरचना के संरेखण में बदलाव दर्ज किये गये। इस प्रकार, इन मदों की मात्रा में वृद्धि से न केवल परियोजना की लागत बढ़ी अपितु साथ ही परियोजना पूरी होने में देरी भी हुई, क्योंकि 94 प्रतिशत कार्य सितम्बर 2016 तक कार्यान्वित हो चुका था जिसकी निर्धारित समाप्ति फरवरी 2015 तक की जानी थी।

विभाग ने कहा कि (सितम्बर 2016) गलत अनुमान तैयार करने के लिए जुर्माना परामर्शदाता के बिल को अंतिम रूप देते समय लगाया जायेगा।

(ख) अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि सात भवन कार्यों में (कॉलेज, एन.सी.सी. भवन, जेल परिसर) मदों की मात्राओं (12 से 15,770 प्रतिशत) और अतिरिक्त मदों के कार्यान्वयन में ₹ 45.60 करोड़ मूल्य के विचलन थे। संरचनात्मक ड्राईंग्स और कार्यस्थल आवश्यकता के अनुसार मात्राओं में विचलन और अतिरिक्त मदों के कार्यान्वयन का कारण अनुमानों में कम मात्राओं को लेना, कार्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि, स्लैब की मोटाई में वृद्धि शामिल थी।

(ग) रोहिणी में शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी के निर्माण कार्य में ₹ 9.35 करोड़ मूल्य की मात्राओं में विचलन के बावजूद भी कार्य कार्यान्वित किया गया, जो अगस्त 2016 तक अनुमोदित नहीं किए गए थे।

विभाग ने कहा कि (सितम्बर 2016) मात्राओं में विचलन और अतिरिक्त मदों के कार्यान्वयन का कारण कार्यक्षेत्र में बदलाव, उपभोक्ता विभाग की अतिरिक्त आवश्यकता, स्थान आवश्यकता, प्लिंथ क्षेत्र और प्लिंथ की ऊंचाई में वृद्धि, संरचनात्मक ड्राईंग्स की गैर-उपलब्धता, मदों का अल्प विचार/गैर विचार करना तथा निविदा ड्राईंग्स में बदलाव था। उत्तर तथ्यों को प्रमाणित करता है कि कार्य की योजनाएं और डिजाईन पूर्ण और व्यापक नहीं थी।

3-7-2-4 djkj k dks l kst kus ds i' Pkr fuelZk dk k ds dk Zk= eaifjorZ

अधोलिखित तीन कार्यों में, करार प्रदान कर देने के पश्चात् कार्य के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया गया। इसके परिणामस्वरूप, एक कार्य निविदित लागत से कम पर पूरा किया गया तथा दो निर्माण कार्यों में अतिरिक्त व्यय हुआ था, जिसका विवरण रक्यदक 3-7-3 में दिया गया है:

रक्यदक 3-7-3% दक Zl kst kusdsi 'Pkr dk Zk= eafjorZ

₹ djM+e42

Ø- l a	dk Z	dk Zk= eafjorZ ds dkj.k
1	प्रेमबाड़ी पुल और आजादपुर के बीच कोरीडोर का व्यापक विकास	कार्य ₹ 181.47 करोड़ की निविदित लागत पर प्रदान किया गया। 1,717 मीटर से 1,460 मीटर तक एलिवेटेड रोड की लम्बाई में कमी, खंभों की कम मात्रा, ढेर के विस्तार और गहराई के कारण कार्यान्वित किए गए थे तथा कार्य का ध्वनि बाधक, साइनेज, दीवार बनाए रखना कार्यान्वित नहीं किए गए थे। ठेकेदार को किए गए कार्य के लिए ₹ 129.17 करोड़ का भुगतान किया था।
2	सी/ओ मंडोली में जेल परिसर के अंतर्गत उप-शीर्ष: एयर कूलिंग प्रणालियां उपलब्ध कराना	कार्य ₹ 3.70 करोड़ की निविदित लागत पर प्रदान किया गया था। प्रणाली के मैनुअल संचालन के लिए प्रावधान था। यद्यपि, कार्य प्रदान करने के पश्चात् इसे रिमोट कंट्रोल सिस्टम में बदल दिया गया। चार अतिरिक्त मदों के कार्यान्वयन के लिए ₹ 1.06 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था।
3	सी/ओ संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से वजीराबाद चौक तक नाले के दूसरे किनारे पर पी-1 जोन समानान्तर रोड़	कार्य ₹ 135.79 करोड़ की निविदित लागत पर प्रदान किया गया था। कार्य प्रदान करने के पश्चात्, लो.नि.वि. ने कार्य की अतिरिक्त मद समाहित करते हुए (नहर के ऊपर स्टील प्लेट गर्डर पुल के लिए स्टील के घटकों की उपलब्धता, फेब्रिकेटिंग, परिवहन, संयोजन और निर्माण) कार्यक्षेत्र बदल दिया। अतिरिक्त कार्य पर ₹ 1.46 करोड़ का व्यय हुआ।

करार सौंपे जाने के पश्चात् कार्यक्षेत्र में बदलाव परियोजना के प्रारंभिक योजना और डिजाईन में कमियों तथा कार्य के कार्यान्वयन से पहले वास्तविक आवश्यकताओं की पहचान करने में कमी को दर्शाता है।

विभाग ने कहा कि (सितम्बर 2016) प्रेमबाड़ी से आजादपुर फ्लाईओवर तक कोरीडोर सुधार कार्य का कार्यक्षेत्र कम किया गया था क्योंकि खंभा लगाए जाने की प्रत्येक जगह के लिए किए गए जियो टेक परीक्षण के विशेष पुष्टीकरण के पश्चात डिजाइन पैनल में संशोधन के द्वारा कार्यान्वयन के समय संरचनात्मक डिजाइन विवेकपूर्ण थी। फ्लाईओवर का संरक्षण जमीन की स्थितियों के आधार पर पुनःआकलित किया गया और तदनुसार संशोधित किया गया था। मंडोली जेल में कार्य के संबंध में यह कहा गया कि मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक समन्वय बैठक में एकल-बिंदु पर नियंत्रण करने का निर्णय लिया गया तथा सुरक्षा कारणों की वजह से बेहतर नियंत्रण और निगरानी के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की गई थी। जोन पी-1 में समानान्तर रोड़ के कार्य के संबंध में यह कहा गया कि कार्यस्थल पर बाढ़ नियंत्रण उपाय स्थापित करना तकनीकी रूप से संभव नहीं था तथा उस बिंदु पर नहर पुल के निर्माण का कार्य अपरिहार्य था।

3-7-3 ifj; k ukvkd dk kb; u

3-7-3-1 l elb; dh deh ds dkj.k fuelZk dk k ds fu"i knu eanjh

‘सू.प्रौ.सं. से एन एच-8 और उनके प्रभावित क्षेत्रों¹¹ तक कोरीडोर विकास’ का कार्य आरंभ

11 (एसएच: पूर्व में स्थापित मुनिरका फ्लाईओवर एवं पश्चिम में बाहरी मुद्रिका पर आर्मी आर.आर. अस्पताल के आगे तक को जोड़ने वाली प्रवेश संरचना पर फ्लाईओवर का निर्माण एवं एस.एच.: बी.जे. मार्ग एवं आंतरिक मुद्रिका के जंक्शन पर उपमार्ग, स्काईवाक, आर.सी.सी. ड्रेन,

और समाप्ति की निर्धारित तिथियां क्रमशः 27 नवम्बर 2014 और 26 नवम्बर 2016 के साथ ₹ 278.08 करोड़ की निविदित लागत पर सौंपा गया था (नवम्बर 2014)। यद्यपि, कार्य शुरू होने के 19 माह बाद भी कार्य का केवल 6 प्रतिशत ही कार्यान्वित किया गया था। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि बी जे मार्ग पर बंबई सबअरबन इलेक्ट्रिक सप्लाय (ब.स.ई.स.) और दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (दि.ट्रां.लि.) की लाईनों/केबलों, जल पाइप लाईनों और दि.प.नि. बस शेल्टरों के स्थानान्तरण में देरी के कारण कार्य में देरी हुई थी। आगे यह पाया गया कि सेवाओं के स्थानान्तरण हेतु लो.नि.वि. ने विभिन्न एजेंसियों जैसे ब.स.ई.स.¹², दि.ट्रां.लि.¹³, न.दि.न.प.¹⁴, द.दि.न.नि.¹⁵ और दि.प.नि.¹⁶ को दिसंबर 2014 से मार्च 2016 की अवधि में ₹ 24.19 करोड़ भुगतान किया था। यह लो.नि.वि. द्वारा उपयोगिता स्थानांतरण हेतु सामयिक हस्तक्षेप में कमी को दर्शाता है क्योंकि इस कार्य के लिए विभिन्न एजेंसियों को भुगतान कार्य सौंपे जाने के बाद हुआ परिणामस्वरूप अगस्त 2016 तक उपयोगिता स्थानांतरण में तीन से 26 महीनों की देरी हुई।

विभाग ने कहा कि (सितम्बर 2016) विभिन्न एजेंसियों की भूमिगत उपयोगिताएं बड़ी संख्या में थी। उपयोगिताओं के स्थानान्तरण हेतु पहचान की प्रक्रिया और अनुमान की तैयारी कार्य की मंजूरी प्राप्त होने के तुरंत बाद शुरू की गई थी। आगे यह कहा गया कि वह विभाग जिन्हें भुगतान किया गया था, अपनी उपयोगिताओं के स्थानान्तरण के कार्य में देरी कर रहे थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन कारणों को संबंधित एजेंसियों के साथ उचित सामंजस्य द्वारा योजना स्तर पर ही दूर किया जा सकता था।

3-7-3-2 ₹ 1-51 djkm+dk vLohdk ZHxru

संविदा की विशेष शर्तों 1(ए) और (बी) में अनुबंधित था कि ठेकेदार को कार्य स्थल का निरीक्षण करना चाहिए और स्थल की अवस्थाओं से स्वयं को परिचित करा लेना चाहिए और इस कारण से विभाग द्वारा कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। करारों के बिल ऑफ क्वांटिटीस (बि.ऑ.क्वा.) के संबंध में ठेकेदार को डिजाईन मिक्स कंक्रीट (डि.मि.कं.) प्रदान करना आवश्यक था। आगे शर्त में अनुबंधित है कि ठेकेदार सभी लीड्स और लिफ्टों के लिए रेडी मिक्स कंक्रीट (रे.मि.कं.) का प्रबंध करे तथा इस कारण से कुछ भी भुगतान नहीं किया जाना था। 21 मार्च 2013 को की गई पूर्व-निविदा बैठक के कार्यवृत्तों के अनुसार निविदाकारों को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि कार्यस्थल पर रे.मि.कं. के लिए स्थल उपलब्ध नहीं था क्योंकि अधिकतर भूमि पहले ही भरी हुई थी।

मंडोली, जेल परिसर के निर्माण के अंतर्गत दो कार्यों नामतः (i) 330 आवासीय क्वार्टरों का

पैदलपथ, साइकल ट्रैक, सड़क मजबूती/चौड़ीकरण, वर्षा जल संचय योजना, विद्युत कार्य, अन्य संबंधित कार्य।

12 33 के.वी. की भूमिगत फीडर का स्थानांतरण, 66 के.वी. के टावर का स्थानांतरण, 11 के.वी. एवं 33 के.वी. की भूमिगत केबलों का स्थानांतरण

13 220 के.वी. की भूमिगत केबल का स्थानांतरण

14 पानी की पाइप लाइन एवं विभिन्न विद्युत केबलों का स्थानांतरण

15 33 के.वी. केबल का स्थानांतरण

16 डी.टी.सी. बस शेल्टर का स्थानांतरण

निर्माण और (i) बाह्य विकास तथा विविध संबद्ध कार्य, से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि करार के अनुसार डि.मि.कं. के लिए एक मद था लेकिन ठेकेदार ने स्थल पर डिजाइन तैयार करने के लिए स्थान की गैर उपलब्धता और बैच मिक्स संयंत्र के संस्थापन के लिए गैर-अनुमति का उल्लेख करते हुए रे.मि.कं. का उपयोग किया जबकि पूर्व-निविदा दस्तावेजों में स्पष्टतः उल्लेख है कि रे.मि.कं. गतिविधियों के लिए कार्यस्थल उपलब्ध नहीं है। लो.नि.वि. ने अतिरिक्त मद के रूप में रे.मि.कं. के लिए बढ़े हुए प्रभारों के रूप में क्रमशः ₹ 48 लाख और ₹ 59 लाख भुगतान किया। इसी प्रकार 330 आवासीय क्वार्टरों के निर्माण-कार्य में, लो.नि.वि. ने 'मंडोली जेल के गृह परिसर का क्षेत्र निचला क्षेत्र है' के आधार पर अर्थ कार्य (अतिरिक्त मद के रूप में) के मद के लिए ₹ 44 लाख का भुगतान किया। इस प्रकार, ठेकेदार को इन मदों के लिए ₹ 1.51 करोड़ का कुल भुगतान अस्वीकार्य था क्योंकि करार की शर्तें ऐसे मदों के लिए भुगतान की अनुमति नहीं देती हैं।

विभाग ने कहा कि (सितम्बर 2016) विस्तृत अनुमान में, डिजाइन मिक्स कंक्रीट का मद ले लिया गया था, लेकिन स्थल पर संयंत्र के संस्थापन हेतु स्थान प्रदान नहीं किया जा सका और ठेकेदार को रेडी मिक्स कंक्रीट के लिए भुगतान किया गया। अर्थ कार्य के भुगतान के संबंध में, यह कहा गया था कि कार्यान्वयन के समय पर, बाढ़/पानी के जमाव से बचने और मौजूदा इमारत के साथ प्लिंथ स्तर का मिलान रखने के लिए यह आवश्यक था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रेडी मिक्स कंक्रीट के अतिरिक्त लीड के लिए भुगतान की विशेष रूप से करार के अनुसार अनुमति नहीं थी और अर्थ कार्य का निचले क्षेत्र के आधार पर कार्यान्वयन करार शर्तों के अनुसार भी अस्वीकार्य था।

3-7-3-3 यक्र of) dsfy, ifjgk ZHxrk

के.लो.नि.वि. कार्य नियमावली-2012 अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि बाधामुक्त कार्यस्थल, निधियों और स्थानीय निकायों के अनुमोदन को बिना कोई व्यवधान या बिना देरी के कार्य के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (नि.आ.सू.) के अनुमोदन से पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए जिससे लागत में वृद्धि को कम किया जा सके। यदि ठेकेदार की गलती न होने पर भी समाप्ति की निर्धारित तिथि के बाद भी कार्य प्रगति में रहता है, तो वृद्धि लागत करार के धारा 10 सी सी के तहत ही भुगतान किया जाता है।

अभिलेखों की नमूना जांच दर्शाती है कि दो कार्य जिसके लिए धारा 10 सी.सी. के तहत वृद्धि लागत लागू थी, उनके समाप्ति की निर्धारित तिथि के भीतर उन्हें पूरा नहीं किया जा सका था। rkydk 3-7-4 में ठेकेदारों को भुगतान की गई वृद्धि लागत का विवरण दिया है:

रक्यदक 3-7-4% Bcdnkjkdks c<h gZykxr dk Hxrku

₹ djkM-e42

dk Z	l ekIr dh fuekZjr frfFk	31-5-16 rd njh %nu½	Hxrku dh xbZ dy jk' k	ifjgk Zjk' k	Q oekku
dkj hMj dk Q ki d fodkl %kmVj Gx jkM&, Q&1½					
(i) विकास पुरी से मीरा बाग	21.2.2015	465 (प्रगति में)	14.87	5.28	दि.ज.बो. चारदीवारी (17 दिन) सि.बा.नि.वि. से अ.प्र.प.(22 दिन), पेड़ की कटाई (70 दिन), 33 के वी ए/66 के वी ए लाइनों का स्थानान्तरण (20 दिन), दि.ज.बो. पानी की लाईनें (13 दिन) ड्राईंग्स (77 दिन)
(ii) मुकरबा चौक से वजीराबाद चौक	20.5.2015	375 (प्रगति में)	16.81	6.93	पेड़ कटाई (33 दिन), 66 केवीए/ 11 केवीए एचटी लाइनें (39 दिन), ड्राईंग्स (40 दिन), दि.ज. बो. पाईप लाइन (2 दिन), सि.बा.नि.वि. से अ.प्र.प. (71 दिन), एचटी ट्रांसफार्मर (6 दिन), स्थल की गैर उपलब्धता (09 दिन)
dy				12-21	

कार्य की समाप्ति में देरी के लिए मुख्य कारण या तो ड्राईंग्स की गैर उपलब्धता थे या अन्य विभागों के साथ गैर-सामंजस्य थे। फलस्वरूप, समाप्ति की निर्धारित तिथि के बावजूद देरी के लिए करार के धारा 10 सी सी के तहत वृद्धि लागत के रूप में ₹ 12.21 करोड़ भुगतान किया गया था, जिससे बचा जा सकता था, यदि लो.नि.वि. ने नि.आ.सू. जारी करने से पहले बाधा मुक्त स्थलों और ड्राईंग्स को सुनिश्चित कर लिया होता और संबंधित विभागों के साथ उचित सामंजस्य के साथ अन्य व्यवधानों का प्रबंध कर लिया होता।

विभाग ने कहा कि (सितम्बर 2016) सैद्धांतिक रूप से निविदाएं केवल स्पष्ट कार्यस्थल की उपलब्धता के बाद आमंत्रित की जानी चाहिए, लेकिन वास्तव में विभिन्न कार्यस्थल परिस्थितियों के कारण यह सम्भव नहीं था। आगे यह कहा गया था कि जमीन की सतह से नीचे की गई, सेवाओं की वास्तविक स्थिति का अनुमान करना बहुत ही कठिन था क्योंकि अभिन्यास योजनायें संबंधित सेवा प्रदाताओं के पास उपलब्ध नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य प्रदान करने से पहले भूमि किसी भार या बाधा से मुक्त हो यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना विभाग पर निर्भर होता है। इस प्रकार, कार्य सौंपे जाने से पहले बाधामुक्त कार्य स्थल और सभी व्यवधानों को हटाना जैसाकि दांडिक प्रावधान में परिकल्पित है सुनिश्चित करने में लो.नि.वि. की विफलता और सिविक एजेंसियों के साथ अप्रभावी सामंजस्य के, परिणामस्वरूप कार्य के कार्यान्वयन में देरी हुई और करार की धारा 10 सी सी के अंतर्गत लागत वृद्धि हुई।

3-7-3-4 fopyulavk vfrfjä enkdh l loh-fr

के.लो.नि.वि. कार्य नियमावली का सेक्शन 24.1 और 24.2.1 स्पष्ट करता है कि विचलन का अर्थ करार में कार्य की मदों की मात्राओं (वृद्धि या कमी) का विचलन है, जबकि कार्य की अतिरिक्त मदें वे मदें हैं जो पूरी तरह से नवीन हैं और करार में शामिल मदों के साथ जोड़ी गयी है।

चार भवन परियोजना सिविल डिवीजनों¹⁷, दो भवन परियोजना विद्युतीय डिवीजनों¹⁸ और एक फ्लाइओवर डिवीजन (एफ-113) के अभिलेखों की नमूना जांच दर्शाती है कि 17 कार्यों में, मात्राओं में विचलन ₹ 29.80 करोड़ और अतिरिक्त मर्दें ₹ 1.71 करोड़ कुल मिलाकर ₹ 31.51 करोड़ या तो बिना कोई कारण दर्ज किए या एक नियमित तरीके 'कार्यस्थल आवश्यकतानुसार' या 'वास्तविक माप के अनुसार' या 'कार्यस्थल परिस्थिति के अनुसार' या 'कार्यस्थल पर वास्तविक कार्यान्वयन के अनुसार' के उल्लेख द्वारा मंजूर कर दिए गए थे। मात्राओं में विचलन के लिए औचित्य अभिलेखन या अनुमोदन उद्धरण में इस तरह के अस्पष्ट शब्दों में उन मर्दों के लिए अतिरिक्त मद वास्तविक जरूरत को स्पष्ट नहीं करते हैं। जैसेकि कार्य में कार्यान्वित मात्राओं में विचलन या अतिरिक्त मर्दों की वास्तविक आवश्यकता के बारे में विश्वसनीय आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि मर्दों को पॉवर प्वाइंट्स, लैन कनेक्शन, विभिन्न कार्य स्टेशनों के लिए टेलीफोन कनेक्शन सौंपे जाने, कार्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि/बदलाव, सामग्री की गैर-उपलब्धता, करार में मद की गैर-उपलब्धता के लिए कार्यान्वित किया गया। राउज एवेन्यू में नई दिल्ली जिला न्यायालय के कार्य के मामले में यह कहा गया था कि प्रत्येक मद के विचलन हेतु विस्तृत कारण समर्थन की मुख्य परियोजना प्रबंधक द्वारा जांच के दौरान चर्चा की गयी और नोटशीट में विस्तृत विवरण दिया गया था। यद्यपि, दावे के समर्थन के लिए कोई दस्तावेज उत्तर के साथ संलग्न नहीं था। अनुमोदन विवरण में विचलन और अतिरिक्त मर्दों की आवश्यकता के पूर्ण प्रकटीकरण से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के लिए उत्तर विशिष्ट नहीं है।

3-7-3-5 वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भवनों का निर्माण

के.लो.नि.वि. निर्माण कार्य नियमावली-2012 का सेक्शन 14.1(1) अनुबंधित करता है कि सामान्यतः ₹ 50,000 से उपर की लागत के सभी कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित करनी चाहिए। जरूरी मामले में या जब कार्य की आवश्यकता के अनुसार ऐसी मांग है, सूचना की निर्धारित अवधि को कम किया जा सकता है। जहां ऐसा करना अधिक उचित है, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात निविदाएं आमंत्रित किए बिना कार्य की अनुमति दी जा सकती है। आगे, सेक्शन 24.2.1 परिभाषित करता है कि कार्य की अतिरिक्त मर्दें वे मर्दें हैं जो पूरी तरह से नई हैं और करार में शामिल मर्दों के अलावा जोड़ी गयी हैं। इसका तात्पर्य है कि ये वे मर्दें हैं जिनको मुख्य कार्य पूरा करने के लिए कार्यान्वित करना आवश्यक है।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि मुख्य चार निर्माण कार्यों¹⁹ में, कार्यों की अतिरिक्त मर्दें जैसे यूटीपी (अनशील्डेड टिवस्टेड-पेयर लोकल एरिया नेटवर्क केबल), केबल की आपूर्ति और ड्राईग्स, सीवेज शोधन संयंत्र, साइनेज, ₹ 3.11 करोड़ मूल्य के पहुंच मार्ग एवं अन्य संबंधित मार्गों को, अतिरिक्त मर्दों के रूप में कार्यान्वित किया गया था, यद्यपि ये मुख्य

17 बी-121, बी-123, एवं बी-132 तथा बी-222

18 बी-141 तथा बी-142

19 (i) राउज एवेन्यू, दी.द.उ. मार्ग पर नई दिल्ली जिला कोर्ट परिसर में डी.जी. सेटों की आपूर्ति, स्थापन, जांच एवं कमीशननिंग (एस आई टी सी), (ii) मंडोली के जेल परिसर में बाहरी विकास एवं विविध संबद्ध कार्य, (iii) मंडोली जेल परिसर के लिए एस आई टी सी सूचना अग्नि अलार्म प्रणाली एवं पी ए प्रणाली तथा (iv) जिला न्यायालय रोहिणी में अधिवक्ता कक्षों का निर्माण

कार्यों से सीधे तौर पर संबंधित नहीं थे 3-7-2½ ये असंबंधित मदें, वास्तव में, अन्य कार्यों में अतिरिक्त मदों के रूप में उन्हें लेने की बजाय खुली निविदाएं बुलाकर अलग से कार्यान्वित की जानी चाहिए थी।

विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि एलएन का कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया था, और सी.शो.सं. का कार्य पूरा किया गया था क्योंकि जेल प्राधिकारी जेल के कार्य को जल्दी पूरा करने हेतु अत्यधिक दबाव डाल रहे थे। अधिवक्ता कक्षों के संदर्भ में, विभाग ने कहा कि इमारत को सौंपने से पहले कार्य पूरा करने के लिए पहले क्षेत्रीय विकास और उचित पहुंच मार्ग आवश्यक थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अतिरिक्त कार्य मुख्य कार्यों से संबंधित नहीं थे।

3-7-4 i fj; kt ukvkd k l eki u

के.लो.नि.वि. निर्माण कार्य नियमावली का सेक्शन 29.1 अनुबंधित करता है कि ठेकेदार द्वारा करार में उल्लेखित कार्य पूरा करने के लिए अनुमत्य समय का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और करार की निर्धारित अवधि के दौरान ठेकेदार की ओर से सभी यथोचित सतर्कता के साथ कार्य पूरा किया जाना चाहिए। यद्यपि, लेखापरीक्षा के लिए चयनित 40 कार्यों में से छः कार्य, चार और 70 महीनों के बीच की देरी के साथ पूरे किये गये थे, जबकि अन्य 17 परियोजनाओं के समापन की निर्धारित तिथि पहले ही खत्म हो गई थी (अगस्त 2016 तक) और ये 24 और 743 दिनों के बीच में देरी के साथ चल रही थी 3-7-3½ स्थल और ड्राईंग्स सौंपने में देरी, उत्तरी दिल्ली पॉवर लिमिटेड लाइनों का स्थानान्तरण, अग्निशामक पाइपों के स्थान का गैर-निर्धारण, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग (सिं.व.बा.नि.वि.) से अनापत्ति प्रमाणपत्रों की प्राप्ति में देरी, दि.ज.बो., ब.स.ई.स. एवं भा.गै.लि. लाइनों का स्थानान्तरण आदि देरी के कारण थे। तीन कार्यों²⁰ में कारणों को सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि व्यवधान रजिस्टर नहीं बनाए गए थे। इस प्रकार, लो.नि.वि. और अन्य विभागों के बीच सामंजस्य की कमी के परिणामस्वरूप कार्य की समाप्ति में देरी हुई। परिणामस्वरूप, इन परियोजनाओं से वांछित लाभों में भी देरी हुई।

विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि डिजाइन में बदलाव, मानसून अवधि के दौरान नाला में कार्य का गैर-कार्यान्वयन, रेलवे प्राधिकारियों से कार्य के लिए अनुमति की प्राप्ति में देरी, उपयोगिताओं का स्थानान्तरण, ड्राईंग्स को जारी/अनुमोदन, क्लाइंटों द्वारा निर्णय लेने तथा फायर क्लियरेंस की प्राप्ति में विलंब के कारण कार्य पूरे नहीं किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उनके योजना स्तर पर ही स्वतः इन कारकों पर विचार कर लिया जाना चाहिए था।

3-7-4-1 dk Zdh l ekIr eanjh dsfy, {fri v dk xj&mnxg.k

करार की सामान्य शर्तों (कं.सा.श.) की धारा 2 के अनुसार, यदि ठेकेदार कार्य की आवश्यक प्रगति बनाए रखने में असफल होता है, तो लो.नि.वि. को प्रतिमाह देरी पर करार की निविदित

20 (i) मंडोली के जेल परिसर में अतिरिक्त विकास एवं संबंधित मिश्रित कार्य (ii) मंडोली जेल परिसर के लिए एस.आई.टी. सूचना अग्नि अलार्म प्रणाली एवं पी.ए. प्रणाली तथा (iii) जिला न्यायालय रोहिणी में अधिवक्ता कक्षों का निर्माण

राशि के प्रतिदिन के आधार पर अधिकतम 10 प्रतिशत की शर्त के साथ निविदित मूल्य के 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की देरी की दर पर क्षतिपूर्ति उद्ग्रहित करनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि दो कार्य देरी के साथ पूरे किये गये थे; फिर भी लो.नि.वि. ने क.सा.श. के अंतर्गत निर्धारित कोई क्षतिपूर्ति उद्ग्रहित नहीं की जिसको rkydk 3-7-5 में दिया गया है:

rkydk 3-7-5 %fuekZk dk kcdk ijk djuseanjh dsfy, {friffr mnxzgr ugha dh x; h

₹ djlfre

Ø- l a	dk Zdk ule	fufofnr ykr	l ekfr dh fuekZk frffk	okLrfod : i eaijk fd; k x; k	{friffr mnxzgr ughadh x; h	fVlif. k ka
1	सी/ओ मंडोली में जेल परिसर एस. एच. विनयमित पर्यावरण भवन	148.14	19.11.2010	31.3.2016	14.81	व्यवधान रजिस्टर में 10 सितम्बर 2011 के बाद कोई प्रविष्टि नहीं की गयी यद्यपि कार्य पांच वर्ष और चार माह की देरी के बाद पूरा किया गया था।
2	सी/ओ दी.द.उ. कॉलेज	98.08	12.2.2015	13.6.2016	7.36 (5 माह)	20 जनवरी 2016 को एस ई द्वारा व्यवधान रजिस्टर बंद कर दिया गया था।

विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि समय का विस्तार (स.का.वि.) जेल परिसर के कार्य के मामले में समय-समय पर दर्ज किए गए व्यवधान के आधार पर दिया गया था। दी.द.उ. कॉलेज के कार्य के लिए, एजेंसी द्वारा स.का.वि. के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया गया था और क्षतिपूर्ति इसको अंतिम रूप देने के बाद उद्ग्रहित की जायेगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सितंबर 2011 के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई समय का विस्तार नहीं दिया गया था, कार्य वास्तव में 64 महीनों की देरी के बाद 31.3.2016 को पूरा किया गया था।

3-7-5 vU vfu; ferrk a

निर्माण गतिविधियों में, वित्तीय योजना यह सुनिश्चित करती है कि परियोजना के आरम्भ से पहले पर्याप्त सुरक्षा और आकस्मिक योजनाएं हैं और योजना को परियोजना की अवधि पर उचित रूप से कार्यान्वित किया गया है।

3-7-5-1 /kjk 10 l h , dsvarxz xj&ol yh@de&ol yh

करार की सामान्य शर्तों-2010 की धारा 10 सी.ए. के अनुसार, यदि निविदा की प्रस्तुति के बाद, निविदाओं की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के समय पर प्रचलित मूल्य से परे सूची में विनिर्दिष्ट सामग्री जैसे सीमेंट, स्टील रिइनफोर्समेंट तथा ढांचागत स्टील की कीमत बढ़ती है/घटती है तब करार की राशि तदनुसार बदल जायेगी। आगे, कथित धारा में संशोधन के अनुसार (फरवरी 2012), सूची में संकेतित आधार मूल्य पर धारा के अंतर्गत भुगतान करते समय विचार किया जाएगा। आगे मदों का मूल्य, महानिदेशक निर्माण कार्य द्वारा मासिक आधार पर जारी मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

लो.नि.वि. द्वारा कार्यान्वित किए गए/कार्यान्वित किए जा रहे नौ कार्यों²¹ में करार की धारा 10 सी.ए. के अंतर्गत कुल मिलाकर ₹ 15.38 करोड़ की गैर वसूली या कम वसूली की गई। गैर-वसूली/कम वसूली के कारण मुख्य रूप से, आधार मूल्य माह के गलत अपनाने, स्थल पर लाई गई सामग्री (स्थ.ला.सा.) के स्थान पर वास्तव में उपयोग किए गए सीमेंट और स्टील की मात्राओं के आधार पर लागत अंतर की गणना थी। इसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 15.38 करोड़ चार²² व पांच²³ कार्यों में क्रमशः ₹ 7.01 करोड़ की गैर वसूली तथा ₹ 8.37 करोड़ की कम-वसूली हुई। राशि की वसूली में 16 से 21 महीने की देरी थी।

विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि बारापुल्लाह फेज-11, जोन पी-1 के समानान्तर रोड, द्वारका में आवासीय परिसर तथा दी.द.उ. मार्ग पर जिला न्यायालय परिसर के चार कार्यों के संबंध में आवश्यक वसूलियां की जाएगी। चार कार्यों नामतः रोहिणी में आवासीय परिसर, शकरपुर में आर.सी.सी बॉक्स भूमिगत पारपथ, बुराड़ी में 200 बिस्तरों का अस्पताल और प्रेमबाड़ी पुल से आजादपुर तक कोरीडोर सुधार कार्य के संबंध में, यह कहा गया था कि वसूलियां की जा चुकी थीं। जबकि रोहिणी आवासीय परिसर के कार्य के संबंध में वसूली इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद की गई थी। संपूर्ण वसूल की जाने योग्य राशि दो कार्यों²⁴ के मामले में वसूल नहीं की गई थी, जबकि शकरपुर में आर.सी.सी. बॉक्स भूमिगत पारपथ कार्य के संबंध में कोई वसूली नहीं की गई थी। विकासपुरी से मीरा बाग तक कोरीडोर सुधार के कार्य के संबंध में वसूली के बारे में उत्तर मौन था।

3-7-5-2 uewldh x\$-iLrfr dsfy, {kfrif dk x\$&mnxg.k

करार के 'सामग्री विनिर्देश' के अध्याय-5 की शर्त 5.2 के अनुसार स्थायी कार्यों में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित सभी सामग्री के नमूनों को निर्माण/कार्यान्वयन के लिए स्थल के लिए वास्तविक सामग्री लाने के कम से कम 30 दिन पहले ई-इन-सी को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। करार की अतिरिक्त शर्त 1.27.1 (xviii) के अनुसार, यदि ठेकेदार निर्धारित समय के भीतर नमूने लाने में असफल हो जाता है, किसी एक अवसर पर ₹ 50,000 की निर्धारित अधिकतम राशि में वास्तविक सामग्री लाए जाने से पहले 30 दिन तक ₹ 5000 प्रति दिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति उद्ग्रहित की जानी चाहिए।

दो कार्यों नामतः (i) सराय काले खां से मयूर विहार, दिल्ली (फेज-III) से शुरू करके बारापुल्लाह नाला के उपर एलिवेटेड रोड का निर्माण और (ii) आर्मी आर.आर. अस्पताल से

21 (i) विकासपुरी व मीराबाग के बीच कॉरीडोर का व्यापक विकास, (ii) बारापुल्लाह फेज-II नेहरू स्टेडियम, (iii) सी/ओ दो आर.सी.सी. बॉक्स गणेश नगर चौक से स्कूल ब्लॉक, शकरपुर बॉयपास, (iv) सी/ओ द्वारका के सेक्टर 19 में न्यायिक स्टाफ के लिए आवासीय कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत, (v) सी/ओ राउज एवेन्यू, दी.द.उ. मार्ग, नई दिल्ली में नई दिल्ली जिला न्यायालय कॉम्प्लेक्स (vi) सी/ओ संजय गांधी, टी. पी. नगर से वजीराबाद चौक के समानांतर रोड, (vii) पीतमपुरा पुल और आजादपुर के बीच कॉरीडोर का व्यापक विकास, (viii) सी/ओ रोहिणी के सेक्टर 26 में न्यायिक स्टाफ हेतु आवासीय परिसर तथा (ix) सी/ओ बुरारी के कौशिक एनक्लेव में 200 बिस्तर वाला अस्पताल।

22 सेक्टर-19, द्वारका में न्यायिक कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसरों का निर्माण, राऊस एवेन्यू, दी.द.उ. मार्ग में नई दिल्ली जिला न्यायालय परिसर का निर्माण, सेक्टर-26, रोहिणी में न्यायिक कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर तथा संजय गांधी टी.पी.नगर से वजीराबाद चौक तक समानान्तर रोड का निर्माण

23 बारापुल्लाह फेज-11, नेहरू स्टेडियम, विकासपुरी और मीरा बाग के बीच कारिडोर का व्यापक विकास, शकरपुर में, गणेश नगर चौक से स्कूल ब्लॉक तक दो आर.सी.सी. बॉक्स अंडरपास का निर्माण, प्रेमबाड़ी पुल और आजादपुर के बीच कारिडोर (रिंग रोड) का व्यापक विकास, कौशिक इन्क्लेव, बुराड़ी में 200 बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण

24 बुराड़ी में 200 बिस्तरों के अस्पताल तथा प्रेमबाड़ी पुल से आजादपुर तक कोरिडोर का उन्नयन

परे पूर्व की ओर में मौजूदा मुनिरका फलाईओवर से संबंधित पोर्टल संरचना पर फलाईओवर के निर्माण में ठेकेदारों ने बारापूलाह नाला के ऊपर एलिवेटेड रोड के कार्य के लिए 3,662.11 मेट्रिक टन टी.एम.टी रिनफोर्समेंट और 8,542 मेट्रिक टन सीमेंट तथा पोर्टल संरचना पर फलाईओवर के निर्माण के कार्य हेतु 1,542.54 मेट्रिक टन टीएमटी रिइन्फोर्समेंट की आपूर्ति क्रमशः 140, 204 तथा 63 मामलों में की। यद्यपि न तो ठेकेदारों ने स्थल के लिए वास्तविक सामग्री लाने से पहले अनुमोदन के लिए पहले से नमूने भेजे थे और न ही लो.नि.वि. द्वारा इसके लिए जोर दिया गया था, परिणामस्वरूप ₹ 2.04 करोड़ की क्षतिपूर्ति का गैर-उद्ग्रहण हुआ।

विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि करार के पैराग्राफ 1.92 के अनुसार स्थायी अनुमोदन वाले स्वीकृत निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं की 38 मदों में बाद में अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी। आगे यह कहा गया था कि करार के पैराग्राफ 1.92 में विनिर्दिष्ट के अलावा अन्य सामग्री के लिए पैराग्राफ 5.2 लागू होती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि न तो करार का पैराग्राफ 1.92 और न ही पैराग्राफ 5.2 ठेकेदार को जांच के लिए अग्रिम में सामग्री के नमूने प्रस्तुत करने से छूट देता है।

3-7-5-3 , Y; ϕlfu; e dk Zdsfy, xkjā/h dh vi #lr

करार में शामिल 'विशेष विशिष्टताओं' के पैराग्राफ 15.18 के अनुसार सभी एल्युमीनियम कार्य पानी के रिसाव, दोषपूर्ण सामग्री और कारीगरी, और दोषपूर्ण एनोडाईजिंग के प्रति कार्य की समाप्ति के बाद दो वर्ष की गारंटी दी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए, दो वर्ष की गारंटी विशेष फर्म द्वारा जरूर दी जानी चाहिए, जिसे ठेकेदार द्वारा पूरी जिम्मेदारी के तौर पर प्रतिहस्ताक्षरित करना होगा। इसके साथ-साथ, एल्युमीनियम मदों की लागत का 10 प्रतिशत किए गए कार्य की निष्पादन गारंटी के रूप में बनाए रखा जाएगा। अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि अप्रैल 2015 में 'मंडोली में 330 विभिन्न प्रकार के आवासीय परिसरों का निर्माण' कार्य पूरा कर लिया गया था। हांलाकि ₹ 1.01 करोड़ राशि का एल्युमीनियम कार्य इस कार्य में कार्यान्वित किया गया, लो.नि.वि. ने ठेकेदार के बिल से गारंटी के रूप में ₹ 10.11 लाख (एल्युमीनियम कार्य की लागत का 10 प्रतिशत) नहीं रखा।

विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि अनदेखी के कारण चूक हुई, और कहा कि ₹ 30 लाख की राशि भवन को सौंपने के कारण रोकी गई थी और कथित ₹ 10.11 लाख की राशि रखी जाएगी और गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद लौटा दी जाएगी।

3-7-6 fu"d"K

लेखापरीक्षा अपूर्ण योजना और निगरानी पर प्रकाश डालती है, क्योंकि लो.नि.वि. ने वास्तविक कार्यान्वयन से पहले परियोजनाओं के लिए पर्याप्त प्रयास और योजना एवं डिजाइन में समय का निवेश नहीं किया जिसका परिणाम ₹ 38.68 करोड़ मूल्य का बढ़ा हुआ विस्तृत आकलन तथा ₹ 147.43 करोड़ मूल्य का अतिरिक्त मदों में कार्यान्वयन हुआ। प्रावधानों का उल्लंघन किया गया जैसाकि ₹ 1.51 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान उन मदों के लिए

किया गया था जो मात्राओं की सूची में शामिल नहीं थी तथा परामर्शी कार्यों के व्यवहार्यता अध्ययन पर ₹ 1.30 करोड़ का व्यर्थ व्यय किया गया था जिसे बीच में ही रोक दिया गया था। परामर्शदाताओं द्वारा ड्राईंग्स के प्रस्तुतीकरण में देरी, कार्यों में देरी तथा जांच के लिए नमूनों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण विभाग ₹ 24.69 करोड़ की क्षतिपूर्ति उद्ग्रहित करने में विफल रहा। करारों की मूल्य विचलन धारा (10सीसी) के अंतर्गत ₹ 12.21 करोड़ का परिहार्य भुगतान तथा कीमत वृद्धि धारा (10सीए) के अंतर्गत ₹ 15.38 करोड़ की गैर/कम वसूली की गयी थी।

3-8 **वर्ष 2011-12 में विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यों के अंतर्गत व्यय की विवरण (₹ करोड़ में)**

<p>वर्ष 2011-12 में विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यों के अंतर्गत व्यय की विवरण (₹ करोड़ में)</p> <p>₹ 14.92 करोड़ (₹ 14.92 करोड़) के अंतर्गत व्यय की विवरण (₹ करोड़ में)</p>

मध्यस्थता तथा समाशोधन अधिनियम, 1996 के सेक्शन 34(3) के अनुसार, कोई पक्ष मध्यस्थ अधिनिर्णय की प्राप्ति के तीन माह के बाद अधिनिर्णय को रद्द करने के लिए कोई आवेदन नहीं कर सकता।

लोक निर्माण विभाग (विभाग) ने अं.रा.ब.ट., कश्मीरी गेट के सामने यमुना नदी पर एक पुल के निर्माण का कार्य एक निजी फर्म को निविदा राशि ₹ 9.39 करोड़ पर 18 अक्टूबर 1984 एवं 17 अप्रैल 1987 की क्रमशः प्रारंभ तथा समाप्ति की निर्धारित तिथि के साथ सौंपा। फर्म 20 महीने का समय विस्तार किए जाने के पश्चात भी कार्य समाप्त नहीं कर पायी। केवल 52 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ जिसके लिए फर्म को ₹ 4.06 करोड़ का भुगतान किया गया था। विभाग ने 5 दिसंबर 1988 को कार्य निरस्त किया तथा फर्म को पांच वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया। शेष कार्य मई 1989 को दूसरी फर्म को सौंपा गया जिसे ₹ 7.95 करोड़ की लागत पर जुलाई 1990 में पूरा किया गया।

चूककर्ता फर्म ने मध्यस्थता कार्रवाई प्रारंभ की तथा उनकी संविदा की अवधि के दौरान 27 मर्दों में इसके द्वारा कार्यान्वित किए गए कार्य के लिए ₹ 8.64 करोड़ के भुगतान का दावा किया। केवल एक मध्यस्थ ने 18 अगस्त 2012 को अपना निर्णय जारी किया तथा फर्म द्वारा दावा किए गए भुगतान की 27 मर्दों में से 14 को स्वीकृत करते हुए विभाग को 01 जनवरी 1989 से भुगतान की तिथि तक 11 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित ₹ 3.73 करोड़ की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि (अप्रैल 2016) सरकारी वकील ने (26 सितंबर, 2012) दिल्ली के उच्च न्यायालय में अधिनिर्णय को निम्न आधारों पर चुनौती देने की सलाह दी (i) मध्यस्थ ने मामले पर गुणों के आधार पर निर्णय नहीं लिया, तथा (ii) अधिनिर्णय में अदृढ़ता तथा

अवैधानिकता थी क्योंकि मध्यस्थ ने विभाग के सभी काऊंटर दावों को अस्वीकृत कर दिया, तथा काऊंटर दावों के गुणों के आधार पर तथ्यों पर निर्णय नहीं लिया जिस पर कानून और न्याय विभाग द्वारा सहमति जताई गई थी। मुख्य सचिव, लो.नि.वि. ने अधिनिर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती देने के प्रस्ताव को पृष्ठांकित किया (13 दिसंबर, 2012) ।

विभाग ने 14 फरवरी 2013 को अधिनिर्णय को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने आवेदन को समय-बाधित बताते हुए अस्वीकृत कर दिया (25 फरवरी 2013), क्योंकि यह 90 दिनों की निर्धारित समयावधि के बाद 89 दिनों की देरी से दायर किया गया था। विभाग ने उच्च न्यायालय के समक्ष देरी की क्षमा हेतु एक अपील दायर की जिसने अपील को अस्वीकृत कर दिया (7 मई 2013)। विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अवकाश याचिका दायर की जिसने 29 सितंबर 2015 को याचिका अस्वीकार कर दी। अंत में विभाग ने 31 मार्च 2016 को ₹ 11.19 करोड़ के ब्याज के साथ ₹ 14.92 करोड़ का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उच्च न्यायालय में मध्यस्थ अधिनिर्णय के विरुद्ध पहली अपील दायर करने की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में निम्न प्रकार से देरी हुई:

- सरकारी परामर्शदाता से परामर्श प्राप्त करने में 38 दिन लगे;
- इंजीनियर-इन-चीफ ने मुख्य सचिव, लो.नि.वि. को मामला प्रस्तुत करने में 35 दिन लगाए जिसने 13 दिसंबर 2012 को अपना अनुमोदन दिया; और
- सरकारी परामर्शदाता ने अपील दायर करने में ही दो माह का समय ले लिया और 14 फरवरी 2013 को अपील दायर की।

इस प्रकार, मामले की प्रगति में प्रशासनिक देरी के परिणामस्वरूप विभाग ने ₹ 14.92 करोड़ के भुगतान से बचने के लिए तथा अपने मामले को प्रस्तुत करने का अवसर खो दिया।

मामला जून 2016 को सरकार को भेजा गया; उसका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2016)।

व्यवसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण में उत्कृष्टता का केन्द्र होगा। सं.श. की धारा 15 चरण 1 के लिए निम्नलिखित समयसीमा अनुबंधित है:

3-9-1 विस्त.कौ.के. के अस्थायी कैम्पस से दो पाठ्यक्रमों का स्थानांतरण तथा 2,400 विद्यार्थियों की वार्षिक क्षमता के साथ सभी पांच पाठ्यक्रमों का प्रारंभ

दिनांक	विवरण
सितम्बर 2012	परियोजना का प्रारंभ
जुलाई 2013	अस्थायी कैम्पस (त.शि.स. विवेक विहार) में दो पाठ्यक्रमों का प्रारंभ
दिसंबर 2013	जोनापुर दिल्ली में तैयार होने वाला वि.स्त.कौ.के.
जुलाई 2014	वि.स्त.कौ.के. के अस्थायी कैम्पस से दो पाठ्यक्रमों का स्थानांतरण तथा 2,400 विद्यार्थियों की वार्षिक क्षमता के साथ सभी पांच पाठ्यक्रमों का प्रारंभ

वि.स्त.कौ.के. कैम्पस को दिसम्बर 2013 तक तैयार होना था, परंतु जुलाई 2016 तक इसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ नहीं हुआ था क्योंकि कोई निर्णय नहीं लिया जा सका कि इस केंद्र को सरकार द्वारा स्वयं या पी पी पी मोड पर चलाया जाए। इस कार्य में सिर्फ एक प्रगति हुई थी, कि वास्तुकार सलाहकार नियुक्त किया गया था (मार्च 2016) तथा ले-आउट प्लान को अंतिम रूप देने के लिये उपमुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया गया था (जुलाई 2016)। परिणामस्वरूप, 2400 विद्यार्थियों सहित प्लान किये पांच पाठ्यक्रमों के प्रति सिर्फ 363 विद्यार्थियों (शैक्षणिक वर्ष 2015-16) सहित चार पाठ्यक्रम अस्थायी कैम्पस में चल रहे थे, जो जुलाई 2013 में प्रारंभ हुए।

इस प्रकार, वि.स्त.कौ.के. का पहला चरण निर्धारित समय-सीमा से काफी पीछे था। दूसरा-चरण जिसमें 5,000 विद्यार्थियों सहित 15 पाठ्यक्रमों को प्लान किया गया था, अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया था, जिसके कारण कौशल विकास की अभीष्ट सुविधाओं से भावी विद्यार्थी वंचित रहे।

3-9-2 वि.प्रौ.वि. के पुनर्गठन के पश्चात विश्वविद्यालय ने 2009-13 के दौरान पांच नये बी.टेक. प्रोग्राम, 14 एम.टेक. प्रोग्राम और एक एम.बी.ए. प्रोग्राम सम्मिलित किए। 2009 से 2013 के दौरान विद्यार्थियों की संख्या 3,000 से बढ़कर 9,094 हो गई और अगले चार वर्षों में बढ़कर 12,220 होने की संभावना है, जिसके कारण नए शैक्षणिक ब्लॉक, लेक्चर थियेटर तथा छात्रावास का निर्माण करना आवश्यक था। बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से ₹ 256 करोड़ की अनुमानित लागत फेज II निर्माण कार्य के लिए तथा ₹ 235 करोड़ की अनुमानित लागत पर नयी प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए अनुमोदन हेतु एक कैबिनेट नोट तैयार किया गया (अगस्त 2013)। यद्यपि, जून 2016 तक, केवल ले-आउट योजना तथा ड्राइंग बनाने की तैयारी चल रही थी तथा इसके लिए ₹ 57.13 लाख का भुगतान परामर्शदाता को किया जा चुका था। इस प्रकार, प्रवेश

3-9-2-1 दि.प्रौ.वि. (पूर्व में दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज) 1996-97 में अपने नए कैम्पस बवाना में स्थानांतरित हो गया, जहां पर सिर्फ 3,000 विद्यार्थियों के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास किया गया था। 2009 में दि.प्रौ.वि. के रूप में पुनर्गठन के पश्चात विश्वविद्यालय ने 2009-13 के दौरान पांच नये बी.टेक. प्रोग्राम, 14 एम.टेक. प्रोग्राम और एक एम.बी.ए. प्रोग्राम सम्मिलित किए। 2009 से 2013 के दौरान विद्यार्थियों की संख्या 3,000 से बढ़कर 9,094 हो गई और अगले चार वर्षों में बढ़कर 12,220 होने की संभावना है, जिसके कारण नए शैक्षणिक ब्लॉक, लेक्चर थियेटर तथा छात्रावास का निर्माण करना आवश्यक था। बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से ₹ 256 करोड़ की अनुमानित लागत फेज II निर्माण कार्य के लिए तथा ₹ 235 करोड़ की अनुमानित लागत पर नयी प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए अनुमोदन हेतु एक कैबिनेट नोट तैयार किया गया (अगस्त 2013)। यद्यपि, जून 2016 तक, केवल ले-आउट योजना तथा ड्राइंग बनाने की तैयारी चल रही थी तथा इसके लिए ₹ 57.13 लाख का भुगतान परामर्शदाता को किया जा चुका था। इस प्रकार, प्रवेश

की परिकल्पित वृद्धि को पूरा करने के लिए दि.प्रो.वि. कैम्पस का विस्तार फरवरी 2010 में प्रारंभ होने के छः वर्ष पश्चात भी शुरू होने में असफल रहा।

3-9-2-2 शिक्षण सुधार कार्यक्रम (त.शि.गु.सु.का.) को तीन फेज में कार्यान्वित किया जाना चाहिए

वर्ष 2002-03 में, भारत सरकार ने विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से एक तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (त.शि.गु.सु.का.) को तीन फेज में कार्यान्वित किया जाना चाहिए था। जबकि फेज-I मार्च 2009 में समाप्त होना था, फेज-II को अगस्त 2010 से कार्यान्वित किया जाना था तथा इसके वर्ष 2014 तक पूर्ण होने की संभावना थी। फेज- II के लागू किए जाने के लिए, प्र.त.शि.वि. ने संकाय के प्रशिक्षण तथा केन्द्रित उपयुक्त अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करना तथा परा स्नातक शिक्षा तथा मांग आधारित अनुसंधान और विकास एवं नवाचार को बढ़ाना तथा स्नातकों के रोजगार तथा सीखने के परिणामों में सुधार लाने के लिए जून 2013 में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, के साथ एक स.ज्ञा. पर हस्ताक्षर किया। सितम्बर 2013 तथा मार्च 2016 के मध्य संस्वीकृत की गई निधियां तथा व्यय की गई निधियों का विवरण 3-9-2 में है:

3-9-2-2-1 शिक्षण सुधार कार्यक्रम (त.शि.गु.सु.का.) को तीन फेज में कार्यान्वित किया जाना चाहिए

₹ करोड़

क्र.सं.	विवरण	प्रकार	2013-14	2014-15	कुल (₹ करोड़) ; %
1.	उपकरण, फर्नीचर, किताबे तथा साफ्टवेयर की खरीद तथा शिक्षण, प्रशिक्षण एवं सीखने की सुविधाओं में सुधार हेतु सिविल निर्माण कार्य	खरीद	5.63	2.70	0.47 (17)
2.	इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विद्यमान तथा नये परा स्नातक तथा डाक्टोरल कार्यक्रमों में नामांकन की पर्याप्त बढ़ती हुई संख्या के लिए शिक्षण तथा अनुसंधान सहायता	सहायता	2.50	1.20	1.94 (161)
3.	आर एंड डी तथा संस्थानिक सलाहकार क्रियाकलापों का विस्तार	आर एंड डी	0.63	0.30	0.08 (27)
4.	उन्नत क्षमता के लिए संकाय तथा स्टाफ का विकास	एफ एस डी	1.25	0.60	0.44 (73)
5.	उद्योगों के साथ परिवर्धित पारस्परिक व्यवहार की वृद्धि	उद्योग संस्थान विचार-विमर्श सेल	0.62	0.30	0.01 (3)
6.	संस्थानिक प्रबंधन क्षमता का विस्तार	क्षमता का विकास	0.25	0.12	0.05 (42)
7.	संस्थानिक शैक्षणिक सुधारों का कार्यान्वयन	सुधार	0.12	0.06	0.004 (7)
8.	कमजोर विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता	विद्यार्थी सहायता	0.25	0.12	0.04 (33)
9.	वेतन वृद्धि परिचालन लागत (वे.पू.प.ला.)	वे.पू.प.ला.	1.25	0.60	0.25 (56)
	कुल		12.50	6.00	3.28 (55)

इस प्रकार, दि.प्रौ.वि. ने सितम्बर 2013 में परियोजना के अन्तर्गत किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों के लिए ₹ 6 करोड़ (मा.सं.वि.मं. से ₹ 4.5 करोड़ तथा रा.रा.क्षे.दि.स. से ₹ 1.50 करोड़) प्राप्त किए। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- मार्च 2016 तक ₹ 6 करोड़ में से सिर्फ ₹ 3.28 करोड़ का उपयोग किया गया। व्यय तीन से 73 प्रतिशत तक रहा (क्रम सं. 2 को छोड़कर)।
- दि.प्रौ.वि. ₹ 2.70 करोड़ (₹ 6 करोड़ का 45 प्रतिशत) में से सिर्फ ₹ 46.68 लाख का ही उपयोग कर सका जो कि उपकरणों, फर्नीचर, किताबों, साफ्टवेयर तथा शिक्षण, प्रशिक्षण एवं सीखने की सुविधाओं में सुधार हेतु सिविल कार्य के लिए निर्दिष्ट किए गए थे। खरीद प्रक्रिया निधियां प्राप्त होने के पश्चात एक वर्ष से अधिक की देरी से जनवरी 2015 में प्रारंभ की गयी।

इस प्रकार, दि.प्रौ.वि. अपनी विस्तार योजना को संस्वीकृति न मिलने के कारण अपनी वर्तमान आधारभूत सुविधाओं में अभीष्ट स्तर तक सुधार करने में असफल रहा, यद्यपि निधियां इसमें रुकावट नहीं थीं। कम व्यय किए जाने के कारण जुलाई 2016 तक ₹ 6.50 करोड़ की भी गैर-अदायगी की गई।

दि.प्रौ.वि. ने कहा (जुलाई 2016) कि वह मार्च 2014 में ही त.शि.गु.सु.का. फेज-II में शामिल हो सका, और परियोजना को अक्टूबर 2016 तक निर्धारित समय में ही पूर्ण हो जाना था।

3-9-3 **उत्तर प्रदेश के शिक्षण ब्लॉकों के विकास हेतु की गई अंश**

3-9-3-1 **उत्तर प्रदेश के शिक्षण ब्लॉकों के विकास हेतु की गई अंश**

ने.सु.प्रौ.सं. वर्ष 1998 में द्वारका के अपने नये कैम्पस में स्थानान्तरित हुआ। सितम्बर 2014 तक, ने.सु.प्रौ.सं. में 3,292 विद्यार्थी, 1,213 छात्रावास में रहने वाले तथा स्टाफ के 169 परिवार थे। चूंकि कैम्पस में वर्तमान आधारभूत सुविधाएं वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थीं, अतः संस्थान ने फेज-IV के अन्तर्गत शैक्षिक ब्लॉक एवं विद्यार्थी गतिविधि केन्द्र व दूसरी सुविधाओं का निर्माण करवाने की योजना बनायी (दिसम्बर 2012)। ने.सु.प्रौ.सं. की भवन तथा कार्य पर स्थायी समिति (भ.का.स्था.स.) ने कार्यों के कार्यान्वयन के लिए लो.नि.वि. से सिफारिश की (जुलाई 2013)। यद्यपि, वैचारिक योजना की तैयारी तथा प्रारंभिक अनुमान के अतिरिक्त नवम्बर 2016 तक अन्य कोई प्रगति प्राप्त नहीं की जा सकी थी।

3-9-4 **उत्तर प्रदेश के शिक्षण ब्लॉकों के विकास हेतु की गई अंश**

ने.सु.प्रौ.सं. तथा डिपसार के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि प्रारंभिक अनुमानों के तैयारी में त्रुटियां एवं संबंधित एजेंसियां जैसे मुख्य अग्निशमन अधिकारी, दिल्ली शहरी कला आयोग एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से आवश्यक मंजूरी की प्राप्ति में विलंब के कारण ने.सु.त.सं. के शैक्षणिक ब्लॉक में लिफ्ट के प्रतिष्ठापन तथा डिपसार के पी जी ब्लॉक के निर्माण में अत्यधिक देरी के कारण लागत में ₹ 22.29 करोड़ (ने.सु.प्रौ.सं. में ₹ 1.02 करोड़ तथा ₹ 21.27 करोड़ डिपसार में) की वृद्धि हुई। ने.सु.त.सं. ने सूचित किया (अगस्त 2016) कि लो.नि.वि. ने दो लिफ्ट सौंप दी है तथा एक 10 अगस्त 2016 को सौंपी जाएगी। डिपसार

ने कहा (जुलाई 2016) कि निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, आंतरिक साजसज्जा प्रगति में है तथा प्रयोगशाला के लिए रसायनों की खरीद के आदेश दे दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लागत में वृद्धि कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ-साथ छः वर्षों की अवधि में लागत सूचकांक में वृद्धि होने के कारण थी। आगे, कई मंजूरीयां 2010-12 में ही प्राप्त हो गई थीं एवं उसके बाद भी परियोजना प्रगति में विलंब था। अतः, सतर्कता की कमी एवं परिहार्य देरी के परिणामस्वरूप परियोजना की लागत ₹ 22.29 करोड़ बढ़ गई साथ ही परिकल्पित बेहतर सुविधाओं से विद्यार्थियों को वंचित रहना पड़ा।

3-9-5 fu"d"l

इस प्रकार, आधारभूत संरचना के बढ़ाने हेतु निर्णय लेने में व प्रस्तावों की प्रगति में अनावश्यक विलंब के कारण न केवल लागत में वृद्धि हुई बल्कि चयनित संस्थान भी विद्यार्थियों की बढ़ी हुई संख्या को अभीष्ट कौशल विकास सुविधाओं को प्रदान करने में असमर्थ रहे।

मामला सरकार को अगस्त 2016 को भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2016)।

'kjh fockl foHkx

3-10 fu; eldsfoi Flu ea, deqr djkj ea eV; foHk [kM dk l ffeyu

l {ke i fkdj h ds fo'kk vuoknu ds fcuk , deqr djkj ea eV; foHk [kM ds l ffeyu ds ifj. keLo#i ₹ 10-22 djkm+dk ifjgk ZHxrk gylk

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 204 के उपनियम (ii), (iii) तथा (x) अनुबंधित करते हैं कि:

- (i) करार के मानक प्रपत्र जहां कहीं संभव हो ऐसे परिवर्तन के साथ अपनाए जाने चाहिए जो व्यक्तिगत करारों के संबंध में आवश्यक समझे जाते हैं। परिवर्तन केवल वित्तीय तथा वैधानिक सलाह प्राप्त करने के पश्चात् ही किए जाने चाहिए।
- (ii) उन मामलों में जहाँ करारों के मानक फार्म प्रयोग में नहीं लाए जा रहे, कानूनी तथा वित्तीय सलाह करार की धारा की ड्राफ्टिंग में ली जानी चाहिए।
- (iii) एकमुश्त करारों²⁸ पूर्णतः जरूरी मामले के सिवाय नहीं किया जाना चाहिए। जहां एकमुश्त करार अपरिहार्य हो जाएं, पूर्ण औचित्य अभिलेखित किया जाना चाहिए। संविदा प्रदान करने वाले प्राधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि एकमुश्त करार में स्थितियां पर्याप्त रूप से सुरक्षित हैं तथा सरकार के हितों की रक्षा हो रही है।

28 एकमुश्त करार में ठेकाकार नियत राशि के लिए, ड्राईंग्स एवं विशेषताओं के अनुसार इसकी सभी आकस्मिकताओं के साथ पूरे कार्य को निष्पादित करने के लिए सहमत होता है (के.लो.नि.वि. संहिता की धारा 11.1.1)

आगे के.लो.नि.वि निर्माण कार्य मैनुअल के परिशिष्ट-I की मद 30 के अनुसार महानिदेशक (निर्माण कार्य) उन निविदा शर्तों को स्वीकार करने के लिए सक्षम है जो मानक स्थितियों के अनुरूप नहीं है। इन मानकों के अलावा के.लो.नि.वि. संहिता (पैरा 11.1.1 तथा 11.1.2) तथा के.लो.नि.वि. मैनुअल में अपेक्षित है कि एकमुश्त करारों को प्रपत्र 12 में निष्पादित किया जाना चाहिए तथा प्रपत्र 12²⁹ में निर्धारित मानक स्थितियां मूल्य विभेद के भुगतान के लिए किसी खण्ड अथवा प्रावधान को शामिल नहीं करती हैं।

दिल्ली में कोंडली में 45 मिलियन गैलन प्रति दिन मि.गै.दि. सीवेज शोधन संयंत्र तथा डिजाइन, निर्माण तथा संचालन आधार पर अन्य संबंधित सहचारी/संबंध आनुषंगिक कार्यों के निर्माण के कार्य के अभिलेखों की संवीक्षा में दर्शाया गया कि दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.) ने सिविल, विद्युत तथा यांत्रिक और संचालन तथा अनुरक्षण कार्यों के लिए ₹ 190.71 करोड़ की निविदा लागत पर एकमुश्त करार सौंपा। करार के अनुसार कार्य की समाप्ति का समय सफल शुरुआत तथा परीक्षण अवधि की समाप्ति के पश्चात 12 महीने की डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि के साथ 24 महीने था। कार्य के आरंभ तथा समापन की निर्धारित तिथि क्रमशः 19 जून 2008 तथा 18 जून 2010 थी। सिविल कार्य 28 नवंबर 2013 को समाप्त हो गया तथा संयंत्र 3 दिसंबर 2013 को शुरू किया गया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि दि.ज.बो. ने एकमुश्त करार के लिए निर्धारित करार के मानक प्रपत्र अर्थात के.लो.नि.वि. प्रपत्र 12 का उपयोग नहीं किया और मूल्य विभेद धारा को सलाहकार द्वारा तैयार निविदा प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी अर्थात दि.ज.बो. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुमोदन के बिना तथा वैधानिक और वित्तीय विभागों से सलाह प्राप्त किए बिना सम्मिलित किया। सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किए बिना मूल्य विभेद धारा के सम्मिलन के अनुसरण में देय प्रक्रिया जैसाकि वर्तमान नियमों में निर्धारित था अनियमित थी और परिणामस्वरूप मूल्य विभेद के कारण ₹ 10.22 करोड़ (सिविल कार्य हेतु ₹ 8.97 करोड़ तथा वि. एवं यां. कार्य हेतु ₹ 1.25 करोड़) का भुगतान किया गया।

कार्यकारी अभियंता (सी) डी आर-IX ने कहा (जून 2016) कि दि.ज.बो. द्वारा अनुमान को दिनांक 13 फरवरी 2001 के प्रस्ताव सं. 856 से अनुमोदित किया गया तथा दिनांक 15 अप्रैल 2008 के प्रस्ताव सं. 1597 द्वारा सौंपा गया। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि कार्य को के.लो.नि.वि. मैनुअल के अनुसार सौंपा गया, कोई वैधानिक सलाह अपेक्षित नहीं थी, और दि.ज.बो. द्वारा अनुमोदन से पहले, मामले को दि.ज.बो. के वित्त विंग द्वारा सहमति दे दी गई।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रस्ताव सं. 856 तथा 1597 क्रमशः प्रशासनिक अनुमोदन तथा न्यूनतम निविदा पर कार्य सौंपने से संबंधित थे तथा इन्होंने एकमुश्त निविदा सौंपने हेतु गैर-निर्धारित प्रपत्र के उपयोग के लिए अनुमोदन से संबंधित मामले को कवर नहीं किया। ऐसे विचलन के लिए वित्तीय तथा वैधानिक सलाह के पश्चात सक्षम प्राधिकारी का विशेष अनुमोदन लिया जाना आवश्यक था।

मामला सरकार को जुलाई 2016 को भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2016)।

29 प्रपत्र-12 मानक शर्तों का एक सेट है जो एकमुश्त करार में उपयोग के लिए मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

3-11 लक्ष्मी चर्चा "इन्सिडेंट्स" के अन्तर्गत

दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.) अपने सीवेज संशोधन संयंत्र (सी.सं.सं) से सरकार की विभिन्न एजेंसियों को प्रभार के आधार पर बागवानी, सिंचाई तथा वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु संशोधित बहिष्प्रवाही जल (सं.ब.ज.) की आपूर्ति करता है। एक अप्रैल 2010 के पहले, सं.ब.ज. के लिए दर ₹ 1.25 प्रति किलोलीटर (कि.ली.) थी जो कि एक अप्रैल 2010 से ₹ 4 प्रति कि.ली. तथा उसके बाद 05 फरवरी 2014 से ₹ 7 प्रति कि.ली. पर संशोधित हो गई।

दि.ज.बो. की एस डी डब्लू-VII मण्डल, एन एस टी पी कोरोनेशन पिलर की 2014-15 की अवधि की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि दि.वि.प्रा. लघु सिंचाई वितरण चैनल (ल.सि.वि.चै.) से एक पम्प हाउस द्वारा जिसमें 122 घन मी/घंटा की क्षमता के तीन पम्प सेट थे भलस्वा के गोल्फ कोर्स के लिए बागवानी/उद्यानविज्ञान हेतु सं.ब.ज. ले रहा था। दि.ज.बो. द्वारा सं.ब.ज. की प्रतिदिन की आहरण क्षमता 3,538 कि.ली. निर्धारित की गयी थी तथा दि.वि.प्रा. से पांच वर्षों के लिए प्रयोग किए गए सं.ब.ज. के लिए ₹ 83.29 लाख का प्रभार जमा करने का अनुरोध किया गया। यद्यपि दि.ज.बो. तथा दि.वि.प्रा. के मध्य दि.वि.प्रा. को सं.ब.ज. की आपूर्ति तथा प्रभारों की लागत हेतु पहले से कोई करार या नियम अनुबंधित नहीं किये गये थे।

दि.ज.बो. ने नवंबर 2009 तथा फरवरी 2010 में भेजे गए पत्रों द्वारा सं.ब.ज. के प्रयोग के लिए प्रभारों की वसूली के मामले को उठाया। प्रत्युत्तर में, दि.वि.प्रा. ने कहा (मार्च 2010) कि संशोधित बहिष्प्रवाही का प्रयोग भलस्वा गोल्फ कोर्स में सिर्फ बागवानी के उद्देश्य के लिए किया गया और इसका कोई वाणिज्यिक उपयोग नहीं था। यह भी दावा किया गया कि राज निवास में आयोजित एक बैठक में निर्णय लिया गया कि दि.वि.प्रा. संशोधित जल का प्रयोग निःशुल्क कर सकेगा, बशर्ते पाईपलाइन उसके द्वारा डाली गयी हो। यद्यपि दि.ज.बो. ने दि.वि.प्रा. की दलील को स्वीकार नहीं किया तथा दि.वि.प्रा. से ₹ 80.71 लाख की राशि तुरंत जमा करने का अनुरोध किया (03 जुलाई 2010)।

अगस्त 2011 में, दि.ज.बो. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ने मामले को दि.वि.प्रा. के उपाध्यक्ष के समक्ष उठाया तथा उनसे 31 मार्च 2011 तक की अवधि के लिए भलस्वा गोल्फ कोर्स के लिए प्रयुक्त सं.ब.ज. हेतु ₹ 108.79 लाख की राशि जमा कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी का अनुरोध किया। तदनंतर, दि.ज.बो. ने अद्यतित मांगों को कार्यकारी अभियंता, एन डी-1, दि.वि.प्रा. काम्पलेक्स, पीतमपुरा के समक्ष उठाया तथा उसकी एक प्रति सचिव, भलस्वा गोल्फ कोर्स (दि.वि.प्रा.) को पृष्ठांकित करके उठाया परंतु बकाया राशि की

अगस्त 2011 में, दि.ज.बो. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ने मामले को दि.वि.प्रा. के उपाध्यक्ष के समक्ष उठाया तथा उनसे 31 मार्च 2011 तक की अवधि के लिए भलस्वा गोल्फ कोर्स के लिए प्रयुक्त सं.ब.ज. हेतु ₹ 108.79 लाख की राशि जमा कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी का अनुरोध किया। तदनंतर, दि.ज.बो. ने अद्यतित मांगों को कार्यकारी अभियंता, एन डी-1, दि.वि.प्रा. काम्पलेक्स, पीतमपुरा के समक्ष उठाया तथा उसकी एक प्रति सचिव, भलस्वा गोल्फ कोर्स (दि.वि.प्रा.) को पृष्ठांकित करके उठाया परंतु बकाया राशि की

वसूली के लिए आगे कोई प्रगति नहीं की जा सकी। मार्च 2016 तक, अप्रैल 2004 से मार्च 2016 की अवधि के लिए दि.वि.प्रा. से वसूल की जाने वाली बकाया राशि संग्रहित होकर ₹ 3.95 करोड़ हो गयी।

इस प्रकार, दि.ज.बो. के दि.वि.प्रा. के साथ सं.ब.ज. की आपूर्ति से पहले कोई करार न करने के परिणामस्वरूप अप्रैल 2004 से मार्च 2016 की अवधि के लिए आपूर्ति किए गये सं.ब.ज. की लागत के रूप में ₹ 3.95 करोड़ की गैर-वसूली हुई।

मामला सरकार को जुलाई 2016 को भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2016)।

3-12 Hfe eaQ FlZfuosk

'kfo-fo- dh vki l sBkl fu. kZ yuseafu#Rl kgh jo\$ s ds dkj. k 3-78 , dM dh , d Hfe] t gla ₹ 2-86 dj kM+ dk fuosk fd; k x; k Flk 15&16 o"ka l s Q FlZiMh Flk] ft l l s ; eqk i kj {k= ds fuokl h okN r l foekvka l so spr jgs

मार्च 2000 में, दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम (दि.रा.औ.वि.नि) ने सैन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (सी बी डी) शाहदरा में सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र को विकसित करने के लिए मई 2000 तथा दिसंबर 2001 में 3.78 एकड़ भूमि के कब्जे हेतु दि.वि.प्रा. को ₹ 1.86 करोड़ का भुगतान किया। दि.रा.औ.वि.नि. ने सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हेतु व्यावहार्यता अध्ययन करने के लिए अक्टूबर 2001 में एक निजी एजेंसी को चुना जिसके लिए शहरी विकास विभाग (श.वि.वि.) ने जनवरी 2002 में दि.रा.औ.वि.नि. को ₹ 1.96 लाख का भुगतान किया। आगे सितंबर 2002 में चारदीवारी, मिट्टी जांच, जंगल क्लीयरेंस इत्यादि पर ₹ 23.91 लाख का भुगतान किया। यद्यपि व्यावहार्यता अध्ययन की प्रस्तुति (जून 2002) के दौरान श.वि.वि. ने दि.रा.औ.वि.नि. से कार्य वापिस ले लिया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जून 2002 से दिसंबर 2015 तक, श.वि.वि. न तो परिसर के निर्माण तथा विकास के लिए एजेंसी को तय कर सका न ही परियोजना के लिए वित्तीयन के तरीके को अंतिम रूप दे सका। इस अवधि के दौरान, श.वि.वि. ने पांच अवसरों³⁰ पर कार्यान्वयन एजेंसी का निर्णय लिया परन्तु इसके बाद इस प्रक्रिया में ₹ 20.24 लाख का व्यय करने के पश्चात अपना निर्णय बदल दिया। इसके अतिरिक्त, उसने प्रस्तावित भूमि पर चारदीवारी के निर्माण के लिए पुनः ₹ 53.81 लाख व्यय किया गया (अप्रैल 2013)।

जनवरी 2016 में यह निर्णय लिया गया कि परिसरों को कार्यक्रमों, विवाह समारोह आयोजित

30 जून 2002 में, निर्माण, संचालन एवं स्थानान्तरण (नि.सं.स्था.) के आधार पर कार्य दि.प.प.वि.नि. को दिया गया (क्रियान्वयन में देरी के कारण कार्य वापिस लिया)

(ii) जुलाई 2003 में, हैबीटेट सेंटर के निर्माण की संभावना तलाशने के लिए कार्य हुडको को दिया गया

(iii) जून 2004 में, इसे पुनरु नि.सं.स्था. आधार पर दि.प.प.वि.नि. को दिया गया। दि.प.प.वि.नि. ने परियोजना नियोजन अवस्था परामर्श हेतु मैसर्स आई पी ई के साथ करार किया (जून 2005)।

(iv) अगस्त 2008 में, श.वि.वि. ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (सा.नि.भा.) आधार पर परियोजना को सीधे कार्यान्वित करने का निर्णय लिया एवं परामर्शी सेवाओं के लिए मै. सी आर आई एस आई एल के साथ करार (जून 2009) में शामिल हुआ।

(V) प्रधान सचिव (श.वि.) ने पाया (जुलाई 2015) कि पूर्व में निर्णयों में बदलाव के कारण भूमि अभी भी खाली पड़ी थी। भूमि को एक सम्मेलन केंद्र के निर्माण हेतु पुनरु दि.प.प.वि.नि. को सौंप दिया गया।

करने हेतु, दैनिक आधार पर, अस्थायी रूप से आवंटित करके, राजस्व उत्पन्न करने की संभावना को तलाशा जाए। यद्यपि दि.रा.औ.वि.नि. द्वारा मई 2016 तक स्थल के आवंटन की शर्तों एवं निबंधनों को अंतिम रूप दिया जाना था।

इस प्रकार, श.वि.वि. की ओर से सांस्कृतिक केंद्र के लिए भूमि में निवेश से पहले ठोस प्रस्ताव करने तथा तत्पश्चात इसके उपयोग हेतु ठोस निर्णय लेने में असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.86 करोड़ के व्यय के बावजूद भूमि 15-16 वर्षों से व्यर्थ पड़ी थी तथा यमुना पार क्षेत्र के निवासी वांछित सुविधाओं से वंचित रहे।

मामला सरकार को जुलाई 2016 को भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2016)।

[kk] vki ॐ , oami Hkāk ekeys foHkx

3-13 [kk] vki ॐ , oami Hkāk ekeys ds foHkx dh fu"i knu ysq ki jhkk
ij vuorlZy sq ki jhkk

3-13-1 iLrkouk

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित मार्च 2011 को समाप्त वर्ष की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 2006-11 की अवधि के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित की गई थी। अगले वर्ष, मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इसी विभाग पर 2011-12 की अवधि के लिए मुख्य नियंत्रक अधिकारी (मु.नि.अ.) आधारित लेखापरीक्षा भी शामिल की गई थी।

3-13-1-1 ysq ki jhkk ml's ;] dk Zk= vls dk Zzkkyh

निष्पादन लेखापरीक्षा में पांच सिफारिशें एवं 26 अभ्यक्तियां शामिल थीं जिनमें से 16 कार्रवाई योग्य थीं और विभाग को उन पर सुधारात्मक कार्रवाई करनी थी। मु.नि.अ. आधारित लेखापरीक्षा में छः सिफारिशें एवं 43 अभ्यक्तियां थी, और विभाग द्वारा 18 अभ्यक्तियों पर सुधारात्मक कार्रवाई की जानी थी। यद्यपि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (रा.खा.सु.) अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन और लेखापरीक्षा रिपोर्टों के प्रकाशन के बाद सरकारी आदेशों के जारी किए जाने के फलस्वरूप कुल 34 कार्रवाई योग्य अभ्यक्तियों में से 11 पर सुधारात्मक कार्रवाई आवश्यक नहीं थी 1/uyXud&3-13-11/ इस प्रकार, केवल 23 अभ्यक्तियां कार्रवाई योग्य शेष थीं।

लेखापरीक्षा द्वारा अप्रैल से जुलाई 2016 की अवधि के दौरान इन 23 अभ्यक्तियों पर विभाग द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई। सिफारिशों तथा संबंधित अभ्यक्तियों पर की गई कार्रवाई की स्थिति को तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है - 'नगण्य या कोई प्रगति नहीं', 'पर्याप्त प्रगति' और 'सभी अपेक्षित क्षेत्रों में पूर्ण प्रगति'।

3-13-1-2 यkd yslk l fefr 1/2kysl -1/2dh fl Qkfj' ka

अक्टूबर 2016 तक लोक लेखा समिति द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा तथा मु.नि.अ. आधारित लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर चर्चा नहीं की गई है।

यslk i jh'kk i fIr; ka

3-13-2- यslk i jh'kk fl Qkfj' ka vH fä; ka dk dk kb; u

3-13-2-1 fu"i knu यslk i jh'kk 1/2006&2011 1/2

नि.ले.प. रिपोर्ट में शामिल पांच सिफारिशों के अंतर्गत 10 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के कार्यान्वयन की श्रेणीवार स्थिति नीचे दी गई है:

d ux.; ; k dk bZi xfr ugha

i vZfji kZdh vH fä; ka dk l kj	dh xbZfl Qkfj' ka	foHkx }kj l fpr orZku flFkr	यslk i jh'kk i fIr; ka vLi . kh
<p>भारतीय खाद्य निगम (भा.खा. नि.), दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (दि.रा.ना.आ.नि.) एवं विभाग के अभिलेखों के अनुसार उठाए गए खाद्यान्नों की मात्राओं में अंतर: तीनों एजेंसियों अर्थात् भा.खा.नि., दि.रा.ना.आ.नि. तथा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए खाद्यान्नों के उठाए गए आंकड़ों में महत्वपूर्ण अंतर दिखायी दिया। विभाग ने बताया (दिसम्बर 2011) कि आंकड़ों में अंतर के समायोजन का मामला देखा जा रहा था।</p> <p>1/2k 2-1-8-5 1/2</p>	<p>भा.खा.नि., दि.रा.ना.आ.नि. और विभाग के अभिलेखों के अनुसार उठाए गए खाद्यान्नों के आंकड़ों में विसंगतियों को दूर करने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए।</p>	<p>फरवरी 2016 के एक्शन टेकन नोट (ए.टी.एन.) में दिसम्बर 2011 में जिन आंकड़ों का समायोजन किया गया था, उसकी कोई जानकारी नहीं थी। ए.टी.एन. में विभाग ने बताया कि नए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (रा.खा.खा.सु.) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भा.खा.नि., भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, द्वारा आवंटित मात्रा को ध्यान में रखते हुए रा.रा.क्षे.दि.स. की मांग के अनुसार, भा.खा.नि. आदेश जारी करता है।</p>	<p>अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि जहां तक खाद्यान्न के उठाने का संबंध है, भा.खा.नि. दि.रा.ना.आ.नि. और विभाग के आंकड़ों में 2015-16 की अवधि तक अंतर बना हुआ है। भा.खा.नि., दि.रा.ना.आ.नि. और विभाग द्वारा गेहूँ उठाने के आंकड़े क्रमशः 3,50,310 मे.ट., 3,33,835.48 मे.ट. और 3,33,256.18 मे.ट. थे जबकि चावल उठाने के मामले में आंकड़े क्रमशः 91,570 मे.ट., 87,015.74 मे.ट. एवं 86,759.36 मे.ट. थे। यद्यपि, विभाग ने आंकड़ों के इन तीन सेट में अंतर का समायोजन नहीं किया। यद्यपि, मांगे जाने पर भी लेखापरीक्षा को अंतर के कारण उपलब्ध नहीं कराए गए।</p>

³¹नि.खा.व. - निदिष्ट खाद्य वस्तुएं

i wZfji kVZdh vH fä; ka dk l kj	dh xbZfl Qkfj ' ka	foHkx } kj k l fpr orZku fLFkr	yq kki jh{k i klr; k@ fVli . kh
<p>अन्त्योदय अन्न योजना के अधीन लाभार्थियों की पहचान की कमी:</p> <p>यह इंगित किया गया था कि, भा.स. द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे (ग.रे.नी.) के कुल परिवारों के कोटे में से दिल्ली के 1.57 लाख परिवारों के लिए अ.अ.यो. योजना का लक्ष्य था। विभाग मार्च 2011 तक केवल 1.01 लाख अ.अ. यो. परिवारों की ही पहचान कर सका था।</p> <p>4.5k 2-1-7-3½</p>	<p>अन्त्योदय अन्न योजना (अ.अ.यो.) के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को योजना के दायरे में लाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। राशन कार्ड की समय पर उपलब्धता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।</p>	<p>ए.टी.एन. में विभाग ने बताया (फरवरी, 2016) कि रा.खा.सु. अधिनियम लागू होने से पहले 1,03,332 लाभार्थियों को अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत राशन मिल रहा था। इनमें से केवल 86,367 ने नई योजना के अंतर्गत आवेदन किये।</p>	<p>लेखापरीक्षा ने पाया कि रा.खा.सु. अधिनियम के सेक्शन 3(2) के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (ल.सा.वि.प्र.) में भा.स. द्वारा तय 1.57 लाख परिवारों के लक्ष्य की तुलना में प्राप्त 86,367 आवेदनों में से विभाग ने केवल 76,059 (मई 2016 तक) अ.अ.यो. परिवारों की पहचान की। लक्ष्य संख्या से कम लाभार्थियों की पहचान, जिन्हें अ.अ.यो. श्रेणी के अंतर्गत फायदा हो सकता था, का कारण ऐसे व्यक्तियों से आवेदन की कम संख्या की प्राप्ति थी।</p>
<p>कल्याण संस्थाओं के लिए खाद्यान्नों का आवंटन एवं उठाना:</p> <p>भा.स. की नीति के अनुसार कल्याण संस्थाओं में रह रहे असमर्थ निवासियों के लिए 5 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति माह की दरों पर खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) उपलब्ध करवाना था। लेखापरीक्षा रिपोर्ट ने 2006-11 के दौरान आवंटन के विपरीत वितरित गेहूं के मामले में 1 से 77 प्रतिशत तथा चावल के मामले में 2 से 87 प्रतिशत तक के वितरण में कमी पर विशेष जोर डाला। विभाग ने खाद्यान्नों के कम वितरण का कारण उ.द.दु. द्वारा डिमांड ड्राफ्ट का न जमा करना तथा भा.स. द्वारा देर से आवंटन की प्राप्ति को जिम्मेदार ठहराया (नवम्बर 2011 तथा फरवरी 2012)।</p> <p>4.5k 2-1-8-3½</p>	<p>विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्रों में दिखाये तथ्यों एवं आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करनी चाहिए तथा उन्हें भारत सरकार को शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए अपनी प्रणाली को मजबूत करना चाहिए।</p>	<p>विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि रा.खा.सु. अधिनियम लागू होने के उपरांत कल्याण संस्थाओं में रह रहे असमर्थ निवासियों को भी नि.खा.व. रियायती दरों पर आवंटित किए जा रहे हैं। तथापि, अप्रैल 2014 से सितम्बर 2015 की अवधि के दौरान आवंटन के विपरीत वितरण में 2.5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की कमी थी।</p>	<p>अनियमितता अभी भी कायम है क्योंकि अप्रैल 2015 से सितम्बर 2015 तक आवंटन के विपरीत वितरित गेहूं 16 प्रतिशत तथा चावल 14 प्रतिशत कम था। इसके अतिरिक्त गेहूं और चावल का आवंटन 2015-16 की दूसरी छमाही के लिए भारत सरकार द्वारा रोक दिया गया क्योंकि विभाग द्वारा भा.स. को पहली छमाही (अप्रैल 2015 से सितम्बर 2015) के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप इस अवधि के लिए खाद्यान्न, कल्याण संस्थाओं में रह रहे असमर्थ निवासियों के लिए जारी नहीं किया गया।</p>

i wZfji kVZdh vH fä; k dk l kj	dh xbZfl Qkfj' k	foHkx }kjk l fpr orZku fLFkr	ys[kki jh{k i klr; k@ fVli . kh
<p>रिपोर्टें प्रस्तुत करने में देरी: सा.वि.प्र. (नियंत्रण) आदेश बताता है कि जिस माह के लिए आवंटन किया गया है उसके अगले माह की अंतिम तिथि तक भारत सरकार को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होती है जिसमें खाद्यान्न के उपयोग के आंकड़े दर्शाये गए हों। इन रिपोर्टों को प्रस्तुत करने में देरी हुई।</p> <p>1/2 Sk 2-1-11-2 1/2</p>	<p>विभाग को उपयोगिता प्रमाणपत्र में दिखाये तथ्यों एवं आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करनी चाहिए तथा उन्हें भारत सरकार को शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए अपनी प्रणाली को मजबूत करना चाहिए।</p>	<p>यद्यपि भारत सरकार को मासिक रिपोर्ट के गैर-प्रस्तुतिकरण के कारण बताने हेतु कहा गया, विभाग ने अक्टूबर 2016 तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।</p>	<p>यह देखा गया कि भा.स. को विभाग द्वारा 2014-16 के दौरान आवंटित खाद्यान्न के उपयोग को दर्शाते हुए कोई भी मासिक रिपोर्ट नहीं भेजी गई। विभाग ने भारत सरकार को केवल दि.रा.ना.आ.नि. को जारी पत्र की एक प्रति जिसमें मासिक उचित दर दुकान (उ.द.दु.) में विभिन्न श्रेणियों को खाद्यान्न के आवंटन की जानकारी थी, को अग्रेषित किया। भा.स. ने भी सा.वि. प्र. (नियंत्रण) आदेश में परिकल्पित मासिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का संज्ञान नहीं लिया।</p>
<p>खाद्य भंडारण के लाभ के लिए मानकों के गैर-नियतन के कारण ₹ 3.19 करोड़ की हानि: भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2003 में निर्धारित मानकों के अनुसार राज्य सरकार एवं उसकी एजेंसियों से प्राप्त गेहूं में भंडारण लाभ भा.खा. नि. को एक प्रतिशत एवं 0.7 प्रतिशत की दर से क्रमशः ढके हुए अथवा खुले गोदामों में भंडारित गेहूं के लिए था लेकिन इसे आगे विभाग को नहीं भेजा गया। विभाग ने नवम्बर 2011 में बताया कि उसे कोई भंडारण लाभ प्राप्त नहीं हुआ तथा भा.खा.नि. के साथ वह इस मामले को उठायेगा।</p> <p>1/2 Sk 2-1-9 1/2</p>	<p>निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए और नियंत्रण आदेश के अंतर्गत निर्धारित निरीक्षण प्रत्येक स्तर पर संचालित किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थियों को लाभ का बेहतर वितरण सुनिश्चित किया जा सके।</p>	<p>विभाग ने फिर से इस मामले को भा.खा.नि. के साथ उठाने का आश्वासन दिया (जुलाई 2016) लेकिन इतने लंबे समय तक भा.खा.नि. के साथ इस मामले को न उठाने का कारण नहीं बताया।</p>	<p>विभाग ने जुलाई 2016 तक भंडारण के लाभ के मामले को भा.खा.नि. के साथ नहीं उठाया था और जुलाई 2014 से जुलाई 2016 की अवधि के लिए ₹ 27.93 लाख की भंडारण हानि को वहन किया।</p>

i wZfj i kZdh vH fä; lã dk l kj	dh xbZfl Qkj ' lã	foHkx } kj k l fpr orZku fLFkr	ys kã j h k i kFr; k@ fVli . kh
<p>खाद्यान्नों की गुणवत्ता का गैर-परीक्षण: सा.वि.प्र. (नियंत्रण) आदेश 2001 के अनुसार खाद्यान्नों की निर्धारित गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कि भा.खा.नि. को भुगतान करने से पहले राज्य सरकारों के प्रतिनिधि या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी एवं भा. खा.नि. द्वारा जारी किए जाने वाले खाद्यान्नों के भण्डार का संयुक्त निरीक्षण किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा रिपोर्ट ने यह इंगित किया था कि 2006-11 के दौरान खाद्यान्नों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कोई संयुक्त निरीक्षण संचालित नहीं किया गया। विभाग ने बताया (फरवरी 2012) कि खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच भा. खा.नि. द्वारा की गई क्योंकि प्रयोगशाला की सुविधा केवल उस के पास ही उपलब्ध थी। §k 2-1-10-3½</p>	<p>निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए और नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत निर्धारित निरीक्षण प्रत्येक स्तर पर संचालित किए जाने चाहिए ताकि अभीष्ट लाभार्थियों को लाभ का बेहतर वितरण सुनिश्चित किया जा सके।</p>	<p>विभाग ने अपने पूर्व वक्तव्य को दोहराया (जुलाई 2016) कि खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच भा.खा. नि. द्वारा की गई और बताया कि खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच के लिए न तो दि.रा.ना.आ. नि. और न ही विभाग के पास तकनीकी स्टाफ एवं प्रयोगशाला की सुविधाएं थी।</p>	<p>लेखापरीक्षा अभ्युक्ति संयुक्त निरीक्षणों के गैर-प्रबंधन के कारण था न कि खाद्यान्नों का प्रयोगशाला परीक्षण न किए जाने पर। तथ्य यह है कि खाद्यान्नों का संयुक्त निरीक्षण अब भी नहीं किया जा रहा है।</p>
<p>सर्तकता समितियों का गैर-गठन: सा.वि.प्र. (नियंत्रण) आदेश 2001 राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर एवं उ.द.दु. स्तर पर सतर्कता समितियों के नेटवर्क की स्थापना का प्रावधान करता है। जैसाकि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित किया गया कि सर्तकता समितियों का गठन केवल नौ जिलों में ब्लॉक स्तर पर ही किया गया लेकिन राज्य, जिला तथा उ.द.दु. स्तर पर ऐसी कोई समिति स्थापित नहीं की गई। विभाग ने आश्वासन दिया (फरवरी 2012) कि मामले को अतिशीघ्र उच्च प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जायेगा। §k 2-1-10-4½</p>	<p>निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए और नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत निर्धारित निरीक्षण प्रत्येक स्तर पर किये जाने चाहिए ताकि अभीष्ट लाभार्थियों को लाभ का बेहतर वितरण सुनिश्चित किया जा सके।</p>	<p>विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि दिल्ली में उ.द.दु. स्तर पर सतर्कता समिति का गठन व्यवहार्य नहीं है क्योंकि इस प्रकार की अवधारणा उन राज्यों में लागू होती है जिनका जनसंख्या घनत्व कम है। आगे यह भी कहा गया कि जिला/राज्य स्तर पर सतर्कता समितियों का बनाया जाना अभी भी बाकी था।</p>	<p>जिला/राज्य स्तर पर सतर्कता समितियों का बनाया जाना अब भी बाकी था। इसमें देरी का कोई कारण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।</p>

i wZfji k/WZdh vH fä; k dk l kj	dh xbZfl Qfj' k	foHkx } kj l fpr orZku fLFkr	yq kki jh k i kIr; k fVli . kh
<p>मैनपावर प्रबंधन: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाया गया कि विभाग में लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के 1,141 स्वीकृत पदों के एवज में केवल 648 कर्मचारियों की नियुक्ति मार्च 2011 तक की गई एवं 493 पद रिक्त पड़े थे। ¼Sk 2-1-12½</p>	<p>निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए और नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत निर्धारित निरीक्षण प्रत्येक स्तर पर संचालित किया जाना चाहिए ताकि अभीष्ट लाभार्थियों को लाभ का बेहतर वितरण सुनिश्चित किया जा सके।</p>	<p>विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि मार्च 2016 तक 1,142 स्वीकृत पदों के प्रति केवल 526 कर्मचारी तैनात थे एवं 616 पद रिक्त पड़े थे।</p>	<p>जैसाकि सेवा विभाग रा.रा.क्षे.दि.स. में कर्मचारियों की भारी कमी के कारण अपेक्षित स्टाफ उपलब्ध नहीं करा सका, खा.आ. विभाग अभी भी स्टाफ की कमी से जूझ रहा था।</p>

¼k½ vki kd dk kb; u

i wZfji k/WZea vH fä; k dk l kj	dh xbZ fl Qfj' k	foHkx } kj l fpr orZku fLFkr	yq kki jh k i kIr; k fVli . kh
<p>भारत सरकार तथा विभाग द्वारा आवंटन में अन्तर: लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह इंगित किया गया कि 2006-11 के दौरान खाद्यान्नों का आवंटन ठोस और विश्वसनीय मानदंडों पर आधारित नहीं था क्योंकि भा.स. द्वारा आवंटित मात्राओं का उपयोग रा.रा.क्षे. दि.स. द्वारा पूरी तरह नहीं किया जा सका था। ¼Sk 2-1-8-1½</p>	<p>विभाग तथा भारत सरकार के आवंटन के आंकड़ों का समायोजन प्रत्येक वर्ष के अंत में करना चाहिए।</p>	<p>विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि रा.खा.सु. अधिनियम के लागू होने के बाद जो सितम्बर 2013 में प्रभाव में आया, निर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं (नि.खा.व.) का आवंटन केवल सक्रिय कार्डों/ वास्तविक लाभार्थियों की संख्या के आधार पर किया गया था।</p>	<p>लेखापरीक्षा ने देखा कि इस संबंध में पर्याप्त कार्रवाई की जा चुकी है। भारत सरकार और विभाग के बीच गेहूँ और चावल के आवंटन के मामलों में अंतर 2010-11 से क्रमशः 15.72 प्रतिशत और 18.60 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 1.05 प्रतिशत तथा 0.98 प्रतिशत रह गये हैं।</p>
<p>उचित दर की दुकानें एवं मिट्टी के तेल के डिपो की कार्यप्रणाली: सा.वि.प्र. (नियंत्रण)आदेश 2001 के अंतर्गत उ.द.दु. के मालिकों द्वारा विवरणों जैसे निर्गम मूल्यों के साथ स्टॉक की स्थिति, लाभार्थियों की संख्या, उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए राशन की मात्रा तथा खाद्यान्नों के नमूने दिखाना आवश्यक है। यद्यपि यह नहीं किया जा रहा था। ¼Sk 2-1-10-1½</p>	<p>निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए और नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत निर्धारित निरीक्षण प्रत्येक स्तर पर संचालित किया जाना चाहिए ताकि अभीष्ट लाभार्थियों को लाभ का बेहतर वितरण सुनिश्चित किया जा सके।</p>	<p>लेखापरीक्षा को जारी रिकार्डों के अनुसार उत्तर पश्चिम जोन और नई दिल्ली जोन द्वारा उ.द. दु. की कार्यप्रणाली की नियमित निगरानी की गई। 2012-16 के दौरान उत्तर पश्चिमी जोन की 297 उ.द.दु. और नई दिल्ली जोन की 18 उ.द.दु. के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कारण बताओ नोटिस/ निरस्तीकरण/दण्ड के आदेश जारी किये गए तथा दोषियों के विरुद्ध प्र.सू.रि. दर्ज कराई गई।</p>	<p>लेखापरीक्षा में पाया गया कि दोषी उ.द.दु. के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने में काफी बढ़ोतरी हुई है। जहां तक मिट्टी के तेल के डिपो का संबंध है, ये सितम्बर दिल्ली में 2013 से बंद किए जा चुके हैं।</p>

¼k½ i wZdk kb; u% ऐसा कोई मामला नहीं देखा गया जिसमें पूर्ण कार्यान्वयन किया गया हो।

3-13-2-2 एफु-व- वल्लेखर यल्लेखर 2011&12½

मु.नि.अ. आधारित लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल छः सिफारिशों के अंतर्गत 13 अभ्यक्तियों के कार्यान्वयन की स्थिति नीचे दी गई है:

¼½ ux.; vFløk dkkZizfr ugla

i wZfji WZea vH fä; kdk l kj	dh xbZ fl Qkj ' ks	foHkx } kj l fpr orZku flFfr	ys k j h k k i Mlr; k@ fVli . kh
सम्पूर्ण मानव संसाधन प्रबंधन: उचित दर दुकानों (उ.द.दु.) के पूर्ण स्वचालन की परियोजना प्रक्रियाधीन थी जिसके जून 2013 तक पूर्ण होने की संभावना थी। ¼½k 4-2-3½	उ.द.दु. और मि.ते.डि. के साथ लाभार्थियों के अद्यतन की प्रक्रिया को मजबूत करने एवं निगरानी करने की आवश्यकता है।	रिकॉर्ड के अनुसार दिल्ली में 2,530 उ.द.दु. में से बायोमेट्रिक प्रणाली पर आधारित पॉइंट ऑफ सेल (पी.ओ.एस.) मशीनों को एक पायलट परियोजना के अंतर्गत सिर्फ 42 उ.द.दु. पर ही अधिष्ठापित किया गया। इनमें से केवल 38 काम कर रही थी। विभाग ने धीमी गति से कार्य का कारण तीन बार (सितंबर 2015 से मार्च 2016 तक) निविदा आमंत्रण नोटिस के लिए कम प्रतिक्रिया को बताया है।	31 मार्च 2016 तक परियोजना में थोड़ी ही प्रगति हुई।
लाइसेंस का नवीनीकरण: लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित किया गया कि लाइसेंसों के नवीनीकरण के लिए नियत तिथि तक डाटा बैंक के उचित रखरखाव के अभाव ने अवैध उ.द. दु. तथा मि.ते.डि. और उ.द.दु. तथा मि.टी के तेल की अनियमित आपूर्ति की संभावना कर दी थी। ¼½k 4-2-9-5- [k½	उ.द.दु. और मि.ते.डि. के साथ लाभार्थियों के अद्यतन हेतु तंत्र को मजबूत करने एवं निगरानी करने की आवश्यकता है।	विभाग ने मार्च 2013 में कहा कि कम से कम दो महीने पहले अग्रिम चेतावनी जारी करके लाइसेंसों के नवीनीकरण का काम कंप्यूट्रीकृत किया जाएगा। विभाग ने मई 2016 में सूचित किया कि लाइसेंस के स्वचालन का काम शुरू किया गया था और अपेक्षित प्रवाह चार्ट, रा.सु.वि.के. को भेज दिया गया था जिसका परीक्षण किया जा रहा था।	यद्यपि विभाग ने उ.द.दु. लाइसेंसों के स्वचालन की प्रक्रिया शुरू की थी परंतु ज्यादा प्रगति नहीं हुई थी। फरवरी 2016 तक विभाग ने केवल आनलाइन उ.द.दु. नवीकरण लाइसेंस का प्रवाह चार्ट रा.सु.वि.के. को भेजा था।

iwZfj i k/Ze vH fä; k d k l kj	dh xbZ fl Qkj ' ks	foHkx } kj k l fpr orZku fLFfr	ys k i j h k k i f i r; k @ fVli . kh
<p>मानव संसाधन प्रबंधन: मार्च 2012 तक, विभाग 518 कार्मिकों की कमी का सामना कर रहा था। इसके बावजूद विभाग उपलब्ध जनशक्ति का निष्फल गतिविधियों में उपयोग कर रहा था जैसे ग.रे.ऊ. बिना स्टाम्प के श्रेणी के राशन कार्ड बनाने की तैयारी व प्रक्रिया। विभाग ने कहा (मार्च 2013) कि ग.रे.ऊ. कार्ड (बिना स्टॉम्प के) जारी करने के मामले की जांच की जाएगी। ¼½k 4-2-16½</p>	<p>विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।</p>	<p>विभाग ने कहा कि सेवा विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स., रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित स्टाफ प्रदान नहीं कर सका। रा.रा.क्षे.दि.स. में कर्मचारियों/अधिकारियों की अपर्याप्तता को जनशक्ति में कमी का कारण बताया गया (जुलाई 2016)।</p>	<p>सेवा विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अपेक्षित स्टाफ उपलब्ध नहीं कराया जा सका इसलिए खा.आ. विभाग अभी भी कर्मचारियों की कमी को वहन कर रहा था।</p>
<p>मुक्त बाजार प्रक्रिया में मध्यस्थता के संबंध में नीतिगत योजना की कमी: विभाग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति से संबंधित मामले को इस उद्देश्य के लिए प्राप्त धन के उपयोग की नीतिगत योजना विकसित नहीं कर पाने के कारण संबोधित न कर सका और जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए किसी भी स्तर पर छापेमारी और जांच की कोई गतिविधि शुरू नहीं की गई। विभाग ने कालाबाजारी नियंत्रित करने के लिए डाटाबेस बनाने का आश्वासन दिया (मार्च 2013)। ¼½k 4-2-15-3½</p>	<p>विभाग को मुक्त बाजार हस्तक्षेप में अपनी भूमिका के लिए नीति विकसित करनी चाहिए तदनुसार उसका कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।</p>	<p>जनवरी 2016 में अपने ऐक्शन टेकन नोट में विभाग ने कहा कि उसने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्याज और आलू के बफर स्टॉक के सृजन के माध्यम से पहल की।</p>	<p>यह देखा गया कि प्रवर्तन डिवीजन ने केवल 2015-16 में निरीक्षण किए जबकि 2012-15 में कोई निरीक्षण नहीं किया गया था। विभाग ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 2014-16 के दौरान प्याज का बफर स्टॉक बनाया। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2015 से 2016 के दौरान अरहर और उड़द की कीमतों में क्रमशः 94 प्रतिशत और 71 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यद्यपि विभाग ने बाजार में कोई भी हस्तक्षेप आरम्भ नहीं किया। मांगने के बावजूद भी इससे संबंधित कार्रवाई न किए जाने के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2016)।</p>
<p>¼½k ¼ vH' kd dk kZ; u</p>			
<p>उ.द.दु. एवं मि.ते. डि. के नवीनीकरण में अनियमितताएं: विभाग द्वारा परिचालित उ.द.दु. और मि.ते.डि. स्थापित करने के मानकों के अनुसार एक नए उ.द.दु. को कम से कम 1000 कार्डों और नए मि.ते. डि. को कम से कम 850 कार्डों के लिए अधिसूचित किया जा सकता था। परंतु विभाग ने इन</p>	<p>उ.द.दु. एवं मि.ते.डि. के साथ लाभार्थियों के अद्यतन की प्रक्रिया को मजबूत करने एवं निरीक्षण करने की आवश्यकता है।</p>	<p>विभाग ने कहा (मई 2016) कि राशन कार्डों को उ.द. दु. के साथ जोड़ने एवं युक्तिसंगत ढंग से पुनर्गठन के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में 1200 से अधिक राशन कार्डों वाली उ.द.दु. से नई उ.द.दु. में राशन कार्ड स्थानांतरित करने के लिए मार्च 2016</p>	<p>लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने सभी जोनल कार्यालयों एवं सर्किल कार्यालयों को यह दिशानिर्देश जारी किया (मई 2014) कि वे सुनिश्चित करें कि किसी भी उ.द.दु. के पास 1200 से अधिक राशन कार्ड न हों। सर्किल कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना था कि सभी उ.द.दु. के पास</p>

<p>i wZfj i k/Ze a vH fä; k adk l kj</p>	<p>dh xbZ fl Qkj ' ks</p>	<p>foHkx } kj k l fpr orZku fLFfr</p>	<p>ys kki jh(k i kIr; k@ fVli . kh</p>
<p>मानकों को नजरअंदाज किया और निर्धारित सीमा से लाभार्थियों की संख्या काफी नीचे होने के बाद भी दुकानों को नवीनीकृत किया। विभाग ने उ.द.दु. एवं मि.ते.डि. को युक्तिसंगत बनाने के लिए मामले को रा.रा.क्षं.दि.स. के साथ करने का आश्वासन दिया (मार्च 2013)। ¼Sk 4-2-9-5 ¼k½</p>		<p>में 96 नई उ.द.दु. की रिक्तियां अधिसूचित की गई।</p>	<p>लगभग बराबर राशन कार्ड हो और जहां तक संभव हो राशन कार्ड-धारकों को अपने पते से एक किमी के अंदर उ.द.दु. अवटित किए जाने चाहिए थे।</p>
<p>अवास्तविक बजटीकरण: बजट अनुमान पूर्व-बजट जांच के साथ नहीं बनाये गये थे। विभाग ने वास्तविक आधार पर बजट बनाने और भविष्य में अनुपालन तथा नियमित निरीक्षण के लिए सहमति दी (मार्च 2013)। ¼Sk 4-2-6-2½</p>	<p>विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।</p>	<p>विभाग ने 2012-13 से 2015-16 तक बजट अनुमान और वास्तविक व्यय की जानकारी प्रदान की।</p>	<p>लेखापरीक्षा ने देखा की बजट प्रक्षेपणों में सुधार था जैसे की 2012-16 के दौरान कुल बचत में गिरावट की प्रवृत्ति रही। बचत प्रतिशत 2012-13 में 30.60 प्रतिशत से कम होकर 2015-16 में 4.24 प्रतिशत हो गया।</p>
<p>नि.खा.व. तथा मिट्टी के तेल के वितरण में सा.वि.प्र. आउटलेटों की कार्यप्रणाली में अनियमितताएं: लेखापरीक्षा रिपोर्ट ने उ.द. दु. पर बिक्री एवं स्टाफ रजिस्टर के रखरखाव में अनियमितताएं बेघर कार्ड-धारकों को अपर्याप्त वितरण, अं.अ.यो. श्रेणी को खाद्यान्नों के अतिरिक्त तदर्थ हिस्से का गैर-आवंटन इत्यादि को इंगित किया। ¼Sk 4-2-10-2 ¼k½</p>	<p>विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।</p>	<p>लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए रिकार्ड के अनुसार उत्तर पश्चिम जोन और नई दिल्ली जोन ने उ.द.दु. की नियमित निगरानी की। 2012-16 के दौरान, उत्तर पश्चिमी जोन की 297 उ.द.दु. और नई दिल्ली जोन की 18 उ.द.दु. पर कार्रवाई की गई। कारण बताओ नोटिस/ निरस्तीकरण/दण्ड के आदेश जारी किए गए तथा दोषियों के विरुद्ध प्र.सू.रि. की गई।</p>	<p>लेखापरीक्षा ने देखा की दोषी उ.द.दु. के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई में आंशिक प्रगति हुई। जहां तक मिट्टी के तेल के डिपो का संबंध है ये सितम्बर 2013 से दिल्ली में बंद किए जा चुके हैं।</p>

<p>i vZfj i kZea vH fä; k d k l kj</p>	<p>dh xbZ fl Qkj ' ks</p>	<p>foHkx } kj k l fpr orZku fLFfr</p>	<p>ys k i j k k i fTr; k@ fVli . kh</p>
<p>नि.खा.व. तथा मिट्टी के तेल की मात्रा के संबंध में कमी की गैर-जवाबदेही: लेखापरीक्षा रिपोर्ट ने सा. वि.प्र. की चयनित दुकानों पर निर्धारित सीमा से कमी के मामलों में विभाग की निष्क्रियता को इंगित किया था। निष्क्रियता के कारण कमी को बिना किसी की जवाबदेही के अनुमति दी जा रही थी। 1/2 Sk 4-2-13-4 1/2</p>	<p>विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।</p>	<p>लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए रिकार्ड के अनुसार 2012-16 के दौरान नि.खा.व. की मात्रा की कमी की गैर-जवाबदेही के लिए उत्तर पश्चिम जोन और नई दिल्ली जोन ने क्रमशः 10 और तीन उ.द. दु. के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की।</p>	<p>लेखापरीक्षा ने देखा कि 2012-16 के दौरान क्रमशः 10 और तीन उ.द. दु. के विरुद्ध नि.खा.व. को मात्रा की कमी की गैर-जवाबदेही के लिए आंशिक रूप से दण्डात्मक कार्रवाई की प्रगति हुई। मिट्टी के तेल के डिपो दिल्ली में सितम्बर 2013 से बंद किए जा चुके हैं।</p>
<p>उचित दर की दुकानें और मिट्टी के तेल के डिपो-लाइसेंसों का आबंटन: विभाग के दिनांक 18 जून 1993 के ओ.एम. के अनुसार सभी मंडलों के खाद्य आपूर्ति अधिकारियों (खा.आआ.अ.) को उ.द. दु. अनुमोदन एवं मिट्टी के तेल के लाइसेंस में आरक्षण के लिए अपने सर्किलों के लिए 40 बिन्दु रोस्टर बनाना था। यद्यपि रोस्टर नहीं बनाये जा रहे थे। 1/2 Sk 4-2-9-5 1/2 d 1/2</p>	<p>पदानुक्रम के हर स्तर पर कार्यप्रणाली की जानकारी देने के लिए कार्यात्मक आवश्यकता पर आधारित कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल बनाये जाने की आवश्यकता है।</p>	<p>विभाग ने मुख्यालय में बनाया गया रोस्टर प्रदान किया।</p>	<p>सिफारिश/अभ्युक्ति का आंशिक कार्यान्वयन जैसाकि रोस्टर सर्किल स्तर पर बनाया जाना था परंतु यह मुख्यालय में बनाया जा रहा था। मिट्टी के तेल के डिपो के संबंध में रोस्टर नहीं बनाया जाना था क्योंकि ये सितम्बर 2013 में बंद किए जा चुके हैं।</p>
<p>उचित दर दुकानों की अपर्याप्त निगरानी: सा.वि.प्र. नियंत्रण आदेश 2001 के अनुलग्नक के पैराग्राफ 6(2) के अनुसार, राज्य सरकारों को पदधारी प्राधिकारियों द्वारा उ.द.दु. का छः माह में कम से कम एक</p>	<p>पदानुक्रम के हर स्तर पर कार्यप्रणाली की जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यात्मक आवश्यकता पर आधारित कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल बनाये जाने की आवश्यकता है।</p>	<p>विभाग ने कहा (जून 2016) कि प्रवर्तन शाखा द्वारा उ.द.दु. के निरीक्षण के अलावा जोनल सहायक आयुक्त, संबंधित सर्किल खा.आ.अ. तथा खाद्य आपूर्ति निरीक्षकों द्वारा भी निरीक्षण किया गया।</p>	<p>2013-16 के दौरान लगभग 2500 उ.द.दु. थे परंतु प्रवर्तन शाखा ने इस दौरान केवल 559 का निरीक्षण किया जबकि प्रत्येक उ.द.दु. का निरीक्षण वर्ष में दो बार किया जाना चाहिए था। अपने उत्तर में विभाग</p>

<p>i vZfji kZe vH fä; kdk l kj</p>	<p>dh xbZ fl Qkj ' ks</p>	<p>foHkx }kj l fpr orZku fLFkr</p>	<p>ys kki jhkk i kfr; k@ fVli . kh</p>
<p>बार नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित किया गया 2011-12 के दौरान कि विभाग की प्रवर्तन शाखा ने उ.द. दु. के निर्धारित 4996 नियमित निरीक्षणों में से केवल 95 निरीक्षण किये। 1/2 Sk 4-2-13-2½</p>			<p>ने लेखा परीक्षा के प्रश्न सा.वि.प्र. नियंत्रण आदेश के अंतर्गत निरीक्षण के लिए 'पदधारी प्राधिकारी' कौन थे, का उत्तर नहीं दिया। स्पष्ट मानकों के अभाव में लेखापरीक्षा यह निश्चित नहीं कर सकती थी कि क्या खाद्य आपूर्ति निरीक्षकों, खा.आ.अ. और सहायक आयुक्तों द्वारा नियमित निरीक्षण सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं।</p>
<p>खुदरा विक्रेताओं के मार्जिन का गैर-संशोधन और लाभार्थियों पर परिवहन व्यय का अनुचित भार: यह इंगित किया गया कि उ.द. दु. धारक को रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा उपलब्ध चीनी का वास्तविक मार्जिन, नवंबर 1996 में खाद्य मंत्रालय द्वारा दिये गए दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं था जबकि चीनी पर मार्जिन विभिन्न कारकों पर विचार कर तय किया जाना था। खुदरा विक्रेता की परिवहन लागत आर्थिक रूप से कमजोर ग.रे.नी. कार्डधारकों से वसूल की जा रही थी, जबकि इसे रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा वहन किया जाना था। 1/2 Sk 4-2-12-4½</p>	<p>उ.द.दु. और मि.ते.डि. चलाने की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई और समय पर कदम उठाए जाने की जरूरत है।</p>	<p>विभाग ने कहा (मई 2016) कि रा.खा.सु. अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन के बाद सभी श्रेणियों के कार्डों का परिवहन शुल्क रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा वहन किया जा रहा है।</p>	<p>यद्यपि सभी श्रेणियों के कार्डों का परिवहन शुल्क रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा वहन किया जाता है, अभी भी चीनी की खुदरा मार्जिन 1996 में मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं थी।</p>

i wZfj i k/Ze a vH fä; k d k l k j	dh x b Z fl Q k j ' k s	foHkx } k j k l f p r or Z ku f l F f r	y s k k i j h k k i k f r; k @ f V l i . h
1/2 1/2 i w Z d k k b; u			
<p>लाभार्थियों की पहचान की प्रणाली में चूक : लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दर्शाया गया कि मार्च 2009 के बाद लाभार्थियों की पहचान के लिए कोई वास्तविक संशोधित तथा नया लक्ष्य नहीं अपनाया गया।</p> <p>1/2 1/2 4-2-9-1-1/2</p>	<p>विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान के लिए और फर्जी कार्डों को समाप्त करने के लिए नियमित आधार पर समीक्षा करने के लिए पहल किए जाने की आवश्यकता है।</p>	<p>रा.खा.सु. अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद कार्डों की केवल दो श्रेणियां हैं- अं.अ.यो. और प्राथमिकता परिवार (प्रा.प.)। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्धारित किया (जुलाई 2013) कि 72.78 लाख लोगों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (ल.सा.वि.प्र.) के अंतर्गत कवर किया जायेगा। इन लाभार्थियों की पहचान अधिनियम के कार्यान्वयन के एक वर्ष के अन्दर की जानी थी। विभाग ने कहा (मई 2016) कि सितम्बर 2015 में लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका था।</p>	<p>लेखापरीक्षा में पाया गया कि वास्तव में विभाग ने लक्ष्य मई 2016 में प्राप्त किया न कि सितम्बर 2015 में जैसाकि विभाग द्वारा दावा किया गया।</p>
<p>घर की प्रतिवर्ष आय से दस्तावेजों के अनुरक्षण में अनियमितताएं : लेखापरीक्षा ने चयनित उ.द.दु. और मि.ते.डि. के मामले में लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी करने के समर्थन में लेखापरीक्षा करने के लिए आय दस्तावेजों के गैर-प्रस्तुतिकरण पर प्रकाश डाला। विभाग ने कहा (मार्च 2013) कि सभी नए कार्डों के लिए दस्तावेजों की स्कैनिंग की जा रही थी।</p> <p>1/2 1/2 4-2-9-3-1/2</p>	<p>लाभार्थियों के अद्यतन की प्रक्रिया के साथ ही उ.द.दु. और मि.ते.डि. को मजबूत करने एवं निगरानी किए जाने की आवश्यकता है।</p>	<p>विभाग ने कहा (जून 2016) कि राशन कार्ड जारी करने के लिए रा.खा.सु.अ. पोर्टल में रा.खा.सु.अ. एप्लीकेशन के प्रवेश से पहले डाटा की प्रमाणिकता आधार सर्वर से सत्यापित की जाती है।</p>	<p>अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि विभाग रा.खा.सु.अ. अधिनियम के अंतर्गत जरूरी लाभार्थियों के आय प्रमाण पत्र रख रहा था।</p>

3-13-3 fu"d"l

इस प्रकार निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 10 कार्रवाई योग्य सिफारिशों में से केवल दो के संबंध में पर्याप्त कार्यान्वयन किया गया था और आठ अभ्युक्तियों के संबंध में नगण्य या कोई प्रगति नहीं थी। मु.नि.अ. आधारित लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, छः सिफारिशों की गई थी जिसके अंतर्गत 13 अभ्युक्तियां कार्रवाई योग्य थीं। दो अभ्युक्तियों के मामले में पूर्ण कार्यान्वयन किया गया, सात अभ्युक्तियों के मामले में पर्याप्त कार्रवाई की गई थी जबकि चार अभ्युक्तियों के संबंध में नगण्य या कोई प्रगति नहीं थी। इस प्रकार, त्रुटियां तथा अकुशलताएं जो पूर्व की रिपोर्टों में प्रदर्शित की गई थीं, विभाग में लगातार हो रही थीं।

मामला सरकार को अगस्त 2016 को भेजा गया; उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2016)।



ubZfnYyh
fnukd%14 Qjoh 2017

¼ qkly dckj t k l oky½
egkys[kdkj ¼s[kkjh[kk] fnYyh

i frgLrk[kfjr



ubZfnYyh
fnukd%21 Qjoh 2017

¼k'k dkR 'kek½
Hkj r dsfu; æd-egkys[kkjh[kd

vuqXud

vuyXud &2-1-1

p; fur uews eaulekdr rFlk i <hZNM+ x, okys cPps dk foofj .k

¼\$KxkQ 2-1-2¼ k½ dks nš k½

o"lZ	funs kky;			fn-u-fu-		
	ulekdu	i <hZNM+ x,	i fr' krrk	ulekdu	i <hZNM+ x,	i fr' krrk
2010-11	11,539	155	1.3	13,184	1,484	11.25
2011-12	11,281	188	1.6	13,065	1,058	8.09
2012-13	12,023	184	1.5	12,743	987	7.74
2013-14	12,564	264	2.1	12,315	1,147	9.31
2014-15	13,072	333	2.6	11,832	1,211	10.23
2015-16	13,812	353	2.6	11,169	1,165	10.43
dy	74,291	1,477	1.99	74,308	7,052	9.49

ókr%60 p; fur Ldy

vuyXud & 2-1-2

l jdkjh l gk rk i Hr rFlk i hboV Ldy ds d{h&1 eaulekdu

¼\$KxkQ 2-1-4-1 dks nš k½

o"lZ	l jdkjh rFlk l gk rk i Hr Ldy		i hboV Ldy		dy ulekdu
	ulekdu	i wZo"lZ dh ryuk ea i fr' krrk dh deh	ulekdu	i wZo"lZ dh ryuk ea i fr' krrk dh of)	
2010-11	2,04,884	-	1,32,010	-	3,37,230
2011-12	2,00,944	2	1,37,381	4	3,38,325
2012-13	1,78,227	11	1,40,934	3	3,18,461
2013-14	1,68,312	6	1,53,543	9	3,21,855
2014-15	1,63,454	3	1,73,782	13	3,37,236
2015-16	1,56,911	4	1,78,034	2	3,34,945
dy	10,72,732	-	9,15,684	-	19,88,416

ókr%funs kky; dh , e v hZ, l 'k k

vuyXud &2-1-3

Ldwek- ¼2010&16½ grqct V i hoku rFlk okLrfod 0 ;

¼\$KxkQ 2-1-4-2 ¼½ dks nš k½

¼ djM+e½

o"lZ	ct V i hoku	Ldwek- dks fn; k t kus okyk i f' k k k	doj gq cPps	0 ;	v0 f; r 'k k ¼½
2010-11	5.52	11,822	3,033	0.17	5.35 (97)
2011-12	7.93	14,440	7,934	0.46	7.47 (94)
2012-13	6.33	9,854	3,628	1.68	4.65 (73)
2013-14	4.11	8,617	4,818	1.27	2.84 (69)
2014-15	4.59	7,076	7,133	2.10	2.49 (54)
2015-16	2.83	5,065	6,627	1.81	1.02 (36)
dy	31.31	56,874	33,173	7.49	23.82(76)

ókr%i k' kl kfe- vfllyqk

वृत्त 2-1-4
नगरीय क्षेत्रों में पंचायतों की संख्या व जनसंख्या ;
वृत्त 2-1-4-3 दस नवंबर

₹ दशलक्ष

वर्ष	नगरीय क्षेत्रों की संख्या	जनसंख्या (नगरीय क्षेत्रों में)	जनसंख्या (ग्रामीण क्षेत्रों में)	जनसंख्या (कुल)	जनसंख्या (नगरीय क्षेत्रों में) प्रति जनसंख्या (कुल)	जनसंख्या (ग्रामीण क्षेत्रों में) प्रति जनसंख्या (कुल)
2014-15	5,316	2,424	2,892	1.20	1.06	0.33
2015-16	7,643	4,734	2,909	1.91	1.53	0.87
द्वारा	12,959	7,158	5,801	3.11	2.59	1.20

नगरीय क्षेत्रों की संख्या, जनसंख्या (नगरीय क्षेत्रों में) व जनसंख्या (ग्रामीण क्षेत्रों में) प्रति जनसंख्या (कुल)

वृत्त 2-1-5
नगरीय क्षेत्रों में पंचायतों की संख्या व जनसंख्या ;
वृत्त 2-1-4-4 दस नवंबर

वर्ष	नगरीय क्षेत्रों में पंचायतों की संख्या	जनसंख्या (नगरीय क्षेत्रों में)	जनसंख्या (ग्रामीण क्षेत्रों में)	जनसंख्या (कुल)	जनसंख्या (नगरीय क्षेत्रों में) प्रति जनसंख्या (कुल)
2011-12	1,144	99,535	24,884	9,732	15,152
2012-13	1,152	1,02,214	25,553	10,363	15,190
2013-14	1,159	1,14,368	28,592	17,914	10,678
2014-15	1,576	1,30,523	32,630	20,682	11,948
2015-16	1,584	1,33,931	33,483	31,571	1,912
द्वारा	-	5,80,571	1,45,142	90,262	54,880

नगरीय क्षेत्रों में पंचायतों की संख्या, जनसंख्या (नगरीय क्षेत्रों में) व जनसंख्या (ग्रामीण क्षेत्रों में) प्रति जनसंख्या (कुल)

वृत्त 2-1-6
नगरीय क्षेत्रों में पंचायतों की संख्या व जनसंख्या ;
वृत्त 2-1-4-5 दस नवंबर

वर्ष	नगरीय क्षेत्रों में पंचायतों की संख्या		जनसंख्या (नगरीय क्षेत्रों में)		जनसंख्या (ग्रामीण क्षेत्रों में)	
	, l	l h	, l	l h	, l	l h
2010-11	165	165	61	61	-	-
2011-12	155	155	95	95	-	-
2012-13	300	298	227	225	100	96
2013-14	60	60	27	27	-	-
2014-15	364	120	226	84	-	-
2015-16	102	0	79	0	-	-
द्वारा	1,146	798	715	492	100	96

नगरीय क्षेत्रों में पंचायतों की संख्या, जनसंख्या (नगरीय क्षेत्रों में) व जनसंख्या (ग्रामीण क्षेत्रों में) प्रति जनसंख्या (कुल)

व्युत्पन्न 2-1-7
द्वितीय, एक, पाठ्यक्रम
2-1-5 दस प्रतिशत

वर्ग	नियम, x, cPps	वै: कि दस प्रतिशत ; k
(क) पहली से पांचवी कक्षा तक	60 तक	दो
	61 - 90 के बीच	तीन
	91 - 120 के बीच	चार
	121 - 200 के बीच	पांच
	150 से अधिक	पांच + एक मुख्याध्यापक
	200 से अधिक	बच्चे अध्यापक अनुपात (मुख्याध्यापक छोड़कर) चालीस से अधिक नहीं होगा
(ख) कक्षा छठी से आठवीं तक	(1) कम से कम एक अध्यापक प्रति कक्षा ताकि कम से कम एक अध्यापक निम्न विषय के लिए हो।	
	(i) विज्ञान तथा गणित	
	(ii) सामाजिक विज्ञान	
	(iii) भाषाओं	
	(2) हर 35 बच्चों के लिए कम से कम एक अध्यापक	
	(3) जहां 100 से अधिक बच्चों का दाखिल किया गया	
	पूरे समय के लिए एक मुख्याध्यापक	
	पार्ट टाईम प्रशिक्षक	
	(क) कला शिक्षा	
	(ख) स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	
(ग) कार्य शिक्षा		

संलग्नक- 2-1-7-1

व्युत्पन्न 2-1-8
2010-16 दस प्रतिशत वै: कि दस प्रतिशत के लिए
2-1-5-2 दस प्रतिशत

वर्ष	कुल व्यय, पाठ्यक्रम-वै: कि दस प्रतिशत ; k	दस प्रतिशत ;	कुल व्यय- दस प्रतिशत ; k	कुल व्यय- दस प्रतिशत ; k	कुल व्यय- दस प्रतिशत ; k	कुल व्यय- दस प्रतिशत ; k
2010-11	10,266	8,871	1,395	414.80	135.95	278.85
2011-12	23,587	23,595	(-) 8	182.81	96.44	86.37
2012-13	20,202	19,740	462	258.51	119.86	138.65
2013-14	17,948	19,049	(-)1,101	164.41	73.24	91.17
2014-15	19,348	9,427	9,921	141.84	19.99	121.85
2015-16	15,791	10,463	5,328	83.65	29.48	54.17
कुल	1,07,142	91,145	15,997	1,246.02	474.96	771.06 (62%)

संलग्नक- 2-1-8-1

वृत्त 2-2-1
वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक
वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक

क्र.सं.	वर्ग	वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक	वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक	वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक	वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक
1.	खाद्य विश्लेषक	1	1	शून्य	1
2.	उप खाद्य विश्लेषक	3	1	1	2
3.	कैमिस्ट	18	10	10*	8
4.	तकनीकी सहायक	7	5	2	5
5.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	2	शून्य	शून्य	2
6.	कार्यालय सहायक	2	शून्य	शून्य	2
7.	प्रयोगशाला क्लीनर	7	4	3	4
8.	स्वीपर-कम-फराश	3	शून्य	शून्य	3
9.	ड्राइवर	1	शून्य	शून्य	1

* 1 कर्मचारी का पद रिक्त है।

वृत्त 2-2-2
वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक
वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक

वर्ष	वर्ष	वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक			वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक
		वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक	वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक	वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक	
2013-14	1-200 दिन	1	4	6	11
2014-15		14	15	24	53
2015-16		9	4	4	17
वर्ष		24	23	34	81
2013-14	200 से अधिक 400 दिनों तक	-	3	2	5
2014-15		3	9	5	17
2015-16		3	1	3	7
वर्ष		6	13	10	29
2013-14	400 दिनों से अधिक	-	-	-	-
2014-15		-	-	-	-
2015-16		3	3	2	8
वर्ष		3	3	2	8
वर्ष ; कुल		33	39	46	118

वृक्ष 2-2-2 [क
वर्ष-1 ह त किह द्युस एफोय
1/4 शक 2-2-3-3 दस नस

वर्ष	फोय ध वफेक 1/2	प; फुर फु यल एकेयल ध ल ; क			द्यु एकेय
		ि व	ि फ ए	नफक क	
2013-14	1-100दिन	-	-	-	-
2014-15		4	3	1	8
2015-16		3	2	-	5
द्यु		7	5	1	13
2013-14	100 से अधिक 200 दिनों तक	-	-	-	-
2014-15		1	1	2	4
2015-16		2	1	1	4
द्यु		3	2	3	8
2013-14	200 दिनों से अधिक	-	-	-	-
2014-15		-	-	-	-
2015-16		-	-	1	1
द्यु		-	-	1	1
द्यु ; स		10	7	5	22

वृक्ष 2-2-3
[क] उेसु फु उध [क] ल ग [क] ि शक ल स त क उगु ध ख
1/4 शक 2-2-4-2 1/4 क दस नस

Ø- 1-	[क] एन	ि शक ल स त क उगु ध ख
1.	साबूदाना	सामान्य पैरामीटर (नेचुरल कलर्स, प्रिजर्वेटिवस, ऐन्टी-ऑक्सीडेंटस व आर्टिफिशल-स्वीटनर्स) मेटल- कंटामीनेंटस प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थ
2.	बेसन	सामान्य (ऐडेड नैचुरल कलर्स, प्रिजर्वेटिवस, पुरानी गन्ध, रैन्सीडिटी व ऐन्टी-ऑक्सीडेंटस) मेटल-कंटामीनेंटस कीटनाशक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थ
3.	पॉमोलिन ऑयल	सामान्य (ऐन्टी-ऑक्सीडेंटस, रैन्सीडिटी व प्रिजर्वेटिवस) मेटल-कंटामीनेंटस कीटनाशक
4.	वनस्पति	सामान्य (रैन्सीडिटी, मिनरल ऑयल, कैस्टर ऑयल, एनीमल फैट प्रिजर्वेटिवस व ऐन्टी-ऑक्सीडेंटस) गुणवत्ता (बॉडुइन ट्रांस-फैटी एसिडस व रिफाइंड सील सीड फैट) मेटल-कंटामीनेंटस

Ø- 1-	[k] en	i§leWj ft udh t hp ugh dh xbZ
5.	लाल मिर्च पाउडर	सामान्य (नैचुरल कलर्स, ऐडेड नैचुरल कलर सुडान डाई व मिनरल ऑयल) गुणवत्ता (झाय बेसिस पर वाष्पशील तत्व के लिए जांच पूरी नहीं की गई) माइक्रोबायोलॉजिकल सुरक्षा (सैलमोनेला) कंटामीनेंटस कीटनाशक
6.	फुल क्रीम दूध	सामान्य (डिटर्जेंट, ऐडेड प्रिजर्वेटिव, नैचुरल एंड सिंथेटिक कलर्स, फॉसफोटेस, एंटी ऑक्सीडेंटस व गैर-पोषक स्वीटनर) माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामीनेंटस कीटनाशक
7.	गाय का दूध	सामान्य (डिटर्जेंट, ऐडेड प्रिजर्वेटिव, नैचुरल एंड सिंथेटिक कलर्स, फॉसफोटेस, एंटी ऑक्सीडेंटस व गैर-पोषक स्वीटनर) माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामीनेंटस कीटनाशक
8.	मिश्रित दूध	सामान्य (डिटर्जेंट, ऐडेड प्रिजर्वेटिव, नैचुरल एंड सिंथेटिक कलर्स, फॉसफोटेस, एंटी ऑक्सीडेंटस व गैर-पोषक स्वीटनर) माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामीनेंटस कीटनाशक
9.	कम फैट की क्रीम	सामान्य (ऐडेड प्रिजर्वेटिव, नैचुरल कलर्स, फॉसफोटेस, एंटी ऑक्सीडेंटस) माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामीनेंटस कीटनाशक
10.	टमाटर चटनी व सॉस	सामान्य (प्रिजर्वेटिव, नैचुरल कलर्स, ऐन्टी-ऑक्सीडेंटस, आर्टीफिशल स्वीटनर्स) गुणवत्ता (कन्टेनर के भरने की क्षमता) मेटल कंटामीनेंटस प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले विषैले पदार्थों माइक्रोबायोलॉजिकल सुरक्षा (प्लैट सोर आर्गेनिज्म) कीटनाशक
11.	चाय	सामान्य (बाहरी पदार्थ, गन्ध, ऐडेड नैचुरल कलर्स व आयरन फिलिंग्स) प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थ (उत्प्रेरक, एगैरिक एसिड, हाइड्रोसायनिक एसिड, हाइपरसिन व सैफरोल) मेटल कंटामीनेंटस कीटनाशक
12.	आइस कैंडी	सामान्य (ऐन्टी-ऑक्सीडेंटस, सोरबिक एसिड, सल्फरडाईऑक्साईड, बेनजोइक एसिड, सोडियम तथा पोटैशियम बेनजोएट तथा नए सांचे के लिए भौतिक परीक्षा, जीवित व मरे हुए कीट इत्यादि)। माइक्रोबायोलॉजिकल सुरक्षा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थ मेटल कंटामीनेंटस कीटनाशक

Ø- 1-	[k] en	iʃleWj ft udh t kə ugh dh xbz
13.	कत्था खाद्य	सामान्य (बाहरी पदार्थ के लिए भौतिक जांच नैचुरल व सिंथेटिक कलर) गुणवत्ता (एच सी आई में अविलेय राख) मेटल कंटामीनेंटस प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थ
14.	मूंगदाल छिलका	सामान्य (जहरीले विषैले हानिकारक बीजों के लिए भौतिक जांच, खेसारी दाल तथा आर्गमोन मैक्सीकना बीज, नैचुरल कलर्स) मेटल कंटामीनेंटस कीटनाशक
15.	पान मसाला	सामान्य (आर्टिफिशियल स्वीटनर्स) प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थ मेटल कंटामीनेंटस
16.	तिल का तेल	सामान्य (रैन्सीडिटी, प्रिजर्वेटिव व ऐन्टी-ऑक्सीडेंट्स) मेटल कंटामीनेंटस कीटनाशक
17.	रिजल्टेंट आटा	सामान्य (मस्टी स्मेल व रैन्सीडिटी, ऐन्टी-ऑक्सीडेंट्स, प्रिजर्वेटिव, नैचुरल एंड सिंथेटिक कलर्स) मेटल कंटामीनेंटस प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थ कीटनाशक
18.	गेहूं	प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थ (ओकराटॉक्सिन-ए) कीटनाशक
19.	सिंथेटिक सिरका	सामान्य (बेंजोइक एसिड, सोडियम, पोटैशियम बेनजोएट, सल्फर-डाइ-ऑक्साइड, सोरबिक एसिड, नैचुरल कलर्स, ऐन्टी-ऑक्सीडेंट्स तथा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स) गुणवत्ता (एसिडिटी तथा कंटेनर के भरने की क्षमता) मेटल कंटामीनेंटस (टिन, जिंक, कैडमियम, मरकरी व मिथाईल मरकरी) माइक्रोबायोलॉजिकल सुरक्षा
20.	टोमेटो पेस्ट	सामान्य (नैचुरल कलर, प्रिजर्वेटिव, ऐन्टी-ऑक्सीडेंट्स तथा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स) गुणवत्ता पैरामीटर (कंटेनर भरने की क्षमता) मेटल कंटामीनेंटस कीटनाशक माइक्रोबायोलॉजिकल सुरक्षा (कुल प्लेटलेट काउंट, प्लैट सोर ऑग्रेनिजम तथा इनक्यूबेशन)
21.	कुट्टु आटा	गुणवत्ता पैरामीटर्स कंटामीनेंटस कीटनाशक
22.	टॉड दूध	सामान्य पैरामीटर्स (डिटर्जेंट, नैचुरल कलर्स, ऐडेड प्रिजर्वेटिव, सिंथेटिक कलर्स, ऐन्टी-ऑक्सीडेंट्स व गैर-पोषक स्वीटनर्स) कंटामीनेंटस (धातु सहित) माइक्रोबायोलॉजिकल कीटनाशक

Ø- 1-	[k] en	i§leWj ft udh t k p ugh dh xbZ
23.	उष्मीय प्रक्रियागत फलों का पेय	सामान्य (पैकेज की भौतिक जांच, बेनजोइक एसिड, सोडियम व पोटैशियम बेनजोएट, सल्फरडाईऑक्साइड, सोरबिक एसिड, नैचुरल कलर व ऐन्टी-ऑक्सीडेंट्स)
		गुणवत्ता (कुल विलयी ठोस तथा सिट्रिक एसिड के रूप में व्यक्त एसिडिटी)
		मेटल कंटामीनेंट्स
		कीटनाशक
		माइक्रोबायोलॉजिकल सुरक्षा (इनक्युवेशन, प्लैट सोर आर्गेनिज्म)
24.	सुरजमुखी के बीज का तेल	सामान्य (रैन्सीडिटी नैचुरल कलर, प्रिजर्वेटिव व ऐन्टी-ऑक्सीडेंट्स)
		गुणवत्ता – प्लैश प्वाइंट
		मेटल कंटामीनेंट्स
		कीटनाशक
25.	धनिया पाउडर	सामान्य पैरामीटर्स (नैचुरल कलर, सिंथेटिक कलर, प्रिजर्वेटिव, ब्लीच, फफूंद)
		मेटल कंमीनेंट्स
		कंटामीनेंट्स
		कीटनाशक
		माइक्रोबायोलॉजिकल सुरक्षा
26.	जीरा साबुत	सामान्य पैरामीटर्स (स्क्रीलोटिनिया मशरूम, नैचुरल कलर, सिंथेटिक कलर)
		मेटल कंटामीनेंट्स
		कंटामीनेंट्स
		कीटनाशक
		माइक्रोबायोलॉजिकल सुरक्षा
27.	ऑयोडाईजड नमक	सामान्य (मिट्टी, कंकड़ी, जीवित व मृत कीट इत्यादि के लिए भौतिक जांच)
		मेटल कंटामीनेंट्स
28.	मीठा कंडेस्ड मिल्क	सामान्य (रैन्सीडिटी, स्टार्च, एसिड प्रिजर्वेटिव, सोरबिक एसिड, ऐन्टी-ऑक्सीडेंट्स, ऐडेड नैचुरल कलर व आर्टिफिशल स्वीटनर्स)
		माइक्रोबायोलॉजिकल (कुल प्लेटलेट काउंट व कोलीफॉर्म काउंट)
		कंटामीनेंट्स
		कीटनाशक
29.	बिस्किट	सामान्य (सोडियम सल्फाइट, प्रिजर्वेटिव, ऐन्टी-ऑक्सीडेंट्स, सैकरिन सोडियम, एसपेरटेम मिथाइल ईस्टर, एक्सेलफेम के, सुक्रालोस, बेनजोएल पेरोक्साइड)
		गुणवत्ता (कुल, एश, ओलिगोफ्रेकटोस)
		मेटल कंटामीनेंट्स
		प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थ
30.	उड़द दाल छिलका	सामान्य (नैचुरल कलर, खेसारी दाल के लिए प्रत्यक्ष जांच, आर्गेमोन मैक्सीकना बीज व जहरीले विषैले तथा हानिकारक बीज)
		मेटल कंटामीनेंट्स
		कीटनाशक
31.	दही	सामान्य (ऐडेड प्रिजर्वेटिव, नैचुरल कलर्स, सिंथेटिक कलर्स व ऐन्टी-ऑक्सीडेंट्स)
		माइक्रोबायोलॉजिकल सुरक्षा
		कंटामीनेंट्स
		कीटनाशक

Ø- 1-	[k] en	iʃleWj ft udh t k p ugh dh xbZ
32.	चावल	सामान्य (नैचुरल कलर, खेसारी दाल के लिए प्रत्यक्ष जांच, आर्गमोन मैक्सिकना बीज व जहरीले विषैले तथा /अथवा हानिकारक बीज) कंटामीनेंटस कीटनाशक
33.	स्ट्रॉबेरी क्रश	सामान्य (प्रिजर्वेटिव व ऐन्टी-ऑक्सीडेंटस) गुणवत्ता (अंतिम उत्पाद में फ्रूट जूस/प्यूरे की न्यूनतम प्रतिशतता) मेटल कंटामीनेंटस माइक्रोबायोलॉजिकल सुरक्षा (यीस्ट तथा मॉल्ड काउंट के सिवाय) कीटनाशक
34.	प्रोटीन रिच पौष्टिक आटा	सामान्य (फफूंददार गंध, रैन्सीडिटी, ऐन्टी-ऑक्सीडेंटस, प्रिजर्वेटिव, नैचुरल व सिंथेटिक कलर्स) मेटल कंटामीनेंटस प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थ कीटनाशक
35.	चना दाल	सामान्य (आर्गमोन मैक्सिकना बीजों तथा जहरीले विषैले तथा /अथवा हानिकारक बीजों को प्रत्यक्ष जांच, नैचुरल कलर्स) मेटल कंटामीनेंटस कीटनाशक
36.	सरसों का तेल	सामान्य पैरामीटर्स (रैन्सीडिटी, नैचुरल कलर प्रिजर्वेटिव व ऐन्टी-ऑक्सीडेंटस) गुणवत्ता (हाइड्रोसायनिक एसिड फेरिक क्लोराइड) मेटल कंटामीनेंटस कीटनाशक
37.	सोयाबीन तेल	सामान्य पैरामीटर्स (रैन्सीडिटी, ऐडेड नैचुरल कलर्स, प्रिजर्वेटिव व ऐन्टी-ऑक्सीडेंटस) मेटल कंटामीनेंटस कीटनाशक
38.	खोया	सामान्य (रैन्सीडिटी, ऐडेड प्रिजर्वेटिव, सोरबिक एसिड, ऐन्टी-ऑक्सीडेंटस, नैचुरल कलर्स व आर्टिफिशल स्वीटनर्स) गुणवत्ता (सिट्रिक एसिड के लिए जांच पूरी नहीं की गई) माइक्रोबायोलॉजिकल कीटनाशक
39.	छैना /पनीर	सामान्य (ऐडेड प्रिजर्वेटिव, नैचुरल कलर्स, सिंथेटिक कलर्स व ऐन्टी-ऑक्सीडेंटस) माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामीनेंटस कीटनाशक
40.	घी	सामान्य (सोरबिक एसिड, मिनरल ऑयल, बेजीटेबल ऑयल व फैट, रैन्सीडिटी, ऐडेड प्रिजर्वेटिव, नैचुरल कलर्स व ऐन्टी-ऑक्सीडेंटस) कंटामीनेंटस कीटनाशक
41.	मानकीकृत दूध	सामान्य (सोरबिक एसिड, मिनरल ऑयल, बेजीटेबल ऑयल व फैट, रैन्सीडिटी, ऐडेड प्रिजर्वेटिव, नैचुरल कलर्स व ऐन्टी-ऑक्सीडेंटस) कंटामीनेंटस कीटनाशक

Ø- 1-	[k] en	iʃleWj ft udh t k p ugh dh xbZ
42.	दाल अरहर	सामान्य (नैचुरल कलर्स, प्राकृतिक रूप में विषैले पदार्थ, आर्गमोन मेक्सिकाना बीजों, जहरीले विषैले तथा/अथवा हानिकरक बीजों की भौतिक जांच) मेटल कंटामीनेंटस कीटनाशक
43.	शहद	सामान्य (नैचुरल कलर्स) मेटल कंटामीनेंटस ऐन्टीबायोटिक अवशेष गुणवत्ता (नैचुरल कलर्स) फीह जांच के सिवाय)
44.	मूंगफली का तेल	सामान्य (प्रिसर्वेटिस व ऐन्टी-ऑक्सीडेंटस) मेटल कंटामीनेंटस गुणवत्ता (फीह जांच के सिवाय)
45.	साबुत उड़द	सामान्य (नैचुरल कलर्स, जहरीले विषैले और/अथवा हानिकरक बीजों खेसारी दाल तथा आर्गमोन मेक्सिकाना बीज के लिए भौतिक जांच) मेटल कंटामीनेंटस कीटनाशक
46.	ब्रेड	सामान्य (सोडियम सलफाइड, प्रिसर्वेटिवस, सोरबिक एसिड, ऐन्टी-ऑक्सीडेंटस, आर्टिफिशल स्वीटनर्स) गुणवत्ता (ओलिगोफ्रक्टोस) मेटल कंटामीनेंटस प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थ कीटनाशक
47.	मैदा	सामान्य (मस्टी स्मेल व रैन्सीडिटी, ऐन्टी-ऑक्सीडेंटस, प्रिजर्वेटिव, नैचुरल कलर्स व सिंथेटिक कलर्स) मेटल कंटामीनेंटस प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थ कीटनाशक
48.	पास्ता	सामान्य (नैचुरल कलर्स, प्रिजर्वेटिव व ऐन्टी-ऑक्सीडेंटस) मेटल कंटामीनेंटस (मिथाइल मरकरी की तत्व के रूप में गणना की गई)
49.	इनस्टैंट नूडल	सामान्य (प्रिसर्वेटिव, ऐन्टी-ऑक्सीडेंटस, रैन्सीडिटी व मस्टी स्मेल) मेटल कंटामीनेंटस (लीड के सिवाय) गुणवत्ता प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले विषैले पदार्थ
50.	क्युमिन अथवा सफेद जीरा पाऊंडर	सामान्य (प्रिसर्वेटिव, जीवित तथा मृत कीटों इत्यादि के लिए भौतिक जांच) मेटल कंटामीनेंटस कंटामीनेंटस कीटनाशक माइक्रोबायोलॉजिकल सुरक्षा

Ø- 1-	[kk] en	iʃleWj ft udh t k p ugh dh xbZ
51.	कार्बोनेटेड जल	सामान्य (प्रिजरवेटिव, ऐन्टी-ऑक्सीडेंट्स, सैकरिन के सिवाय आर्टिफिशियल स्वीटनर्स तथा गैर-पोषक स्वीटनर) गुणवत्ता मेटल कंटामीनेंट्स माइक्रोबायोलॉजी सुरक्षा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थ कीटनाशक
52.	सूपी नूडलस	सामान्य (रैन्सीडिटी टेस्टमेकर में प्रिजर्वेटिव तथा नमी)
53.	मैकरॉनी	सामान्य (नैचुरल कलर, प्रिजर्वेटिव, ऐन्टी-ऑक्सीडेंट्स) मेटल कंटामीनेंट्स (मिथाइल मरकरी की तत्व के रूप में गणना की गई)
54.	सूजी	सामान्य (फफूंददार गन्ध, रैन्सीडिटी, ऐन्टी-ऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव, नैचुरल व सिंथैटिक कलर्स) मेटल कंटामीनेंट्स प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थ कीटनाशक
55.	काबुली चना	सामान्य (जहरीले विषैले हानिकारक बीजों तथा आर्गमोन मेक्सीकना बीजों के लिए प्रत्यक्ष जांच, नैचुरल कलर) मेटल कंटामीनेंट्स कीटनाशक

वृत्त & 2-2-4
फ'क'क' र'क'स'फ'उ'क'क' ए'फ'य'ए
1/2 2-2-5-1 1/2 द'क'स'न'क'क'2

व'क'क'	इ'क'र' फ'क'क' र'क'	फ'क'क' र'क'स'त'ग'क'ध'ख'क'क'क'क'क'क'क'क'क'क'क'क'क'क'क'क'क'क'क'k	य'क'र' फ'क'क' र'क'	फ'क'क' र'क'स'त'ग'क'ध'ख'क'क'क'क'क'k
2011-12	38	38	शून्य	30
2012-13	53	28	25	9
2013-14	92	52	40	21
2014-15	33	14	19	5
2015-16	36	6	30	2
क'क'	252	138	114	67

वृत्त & 2-2-5
[क'क'क'क'क'क'क'क'क'क'क'क'क'क'क'क'क'क'क'k
1/2 2-2-6-2 द'क'स'न'क'क'2

व'क'क'	व'क'क'क'क'क'क'क'क'k	व'क'क'क'क'क'क'क'k	व'क'क'क'क'क'क'क'क'k
लाइसेंस	70	लाइसेंस बनाने के लिए प्रेषित	05.02.2014 से 16.03.2016
	159	प.अ. द्वारा जांच हेतु दस्तावेजों के लिए इंतजार	29.01.2014 से 31.03.2016
	1,913	सुधार हेतु खा.व्या.सं.को प्रेषित	22.01.2014 से 31.03.2016
	41	प्रस्तुत की जाने वाली निरीक्षण रिपोर्ट	24.03.2014 से 03.07.2015
	9	स्पष्टीकरण हेतु खा.व्या.सं.को प्रेषित	30.01.2014 से 30.07.2014
	80	प्रक्रिया अभी आरंभ की जानी है	06.02.2014 से 31.03.2016
	3,159	भुगतान की स्थिति को अद्ययित नहीं किया गया	16.01.2014 से 30.03.2016
क'क'	5 431		
आर.सी.	54	पूर्वी जिले द्वारा बनाए जाने वाले आर.सी.	22.02.2016 से 29.03.2016
	2	निरीक्षण स्पष्टीकरण हेतु भेजे गये आवेदन	23.04.2014 और 05.07.2014
	4	स्वीकृत आवेदन, खा.सु.अ. नियुक्त किया	जुलाई 2014 में
	4,111	सुधार हेतु भेजे गए आवेदन	17.02.2014 से 31.03.2016
	13	खा.व्या.सं. द्वारा सुधार किए गए आवेदन	16.02.2014 से 28.03.2016
	3	खा.सु.अ. द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली निरीक्षण रिपोर्ट	22.05.2014, 27.07.2014 और 19.11.2014
	2	निरीक्षण स्पष्टीकरण हेतु आवेदन	23.04.2014 और 05.07.2014
	14,934	भुगतान स्थिति को अद्ययित नहीं किया	16.02.2014 से 31.03.2016
क'क'	19 123		

वृत्त 2-3-1
 का वार्षिक लेखा;
 2-3-2 के अंतर्गत

₹ करोड़

क्र. सं. विवरण	2010&11			2011&12			2012&13			2013&14			2014&15			2015&16		
	1 अ-	Q -	cpr	1 अ-	Q -	cpr	1 अ-	Q -	cpr	1 अ-	Q -	cpr	1 अ-	Q -	cpr	1 अ-	Q -	cpr
1 रा.ग.सं. सं.अ.	50.00	50.00	0.00	500.00	363.83	136.17	1,800.00	283.11	1,516.89	5,200.00	5,107.11	92.89	5,000.00	4,958.01	41.99	1,100.00	974.00	126.00
2 ज.सं. सं.अ.	200.00	190.14	9.86	150.00	82.22	67.78	300.00	140.00	160.00	350.00	345.56	4.44	600.00	313.11	286.89	65.00	35.00	30.00
3 गो.ब.प.अ.	3,650.00	2,219.50	1,430.50	1,800.00	1,800.00	0.00	1,400.00	1,175.23	224.77	1,400.00	1,377.11	22.89	1,200.00	1,187.25	12.75	1,000.00	982.07	17.93
4 लो.पा.अ.	2,400.00	1,740.07	659.93	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	1,961.98	38.02	2,932.00	2,922.15	9.85	3,640.00	3,556.86	83.14	2,215.00	2,185.62	29.38
5 गु.ते.ब.अ.	2,000.00	1,458.71	541.29	1,406.00	1,360.27	45.73	2,900.00	3,838.92	-938.92	4,100.00	4,036.30	63.70	3,500.00	3,388.97	111.03	2,600.00	2,482.07	117.93
6 म.वा.अ.	250.00	238.86	11.14	240.00	147.07	92.93	250.00	325.00	-75.00	800.00	794.38	5.62	2,000.00	1,959.39	40.61	1,500.00	1,405.38	94.62
7 ला.ब.सा. अ.	200.00	197.80	2.20	160.00	158.22	1.78	200.00	256.45	-56.45	300.00	299.87	0.13	550.00	319.52	230.48	30.00	9.98	20.02
8 आ.व.सू. तिथिया अ.	230.00	137.15	92.85	130.00	130.00	0.00	200.00	231.05	-31.05	358.00	354.53	3.47	300.00	246.50	53.50	200.00	157.47	42.53
9 बा.सा.अ.अ.	300.00	294.37	5.63	700.00	396.34	303.66	600.00	533.01	66.99	700.00	653.33	46.67	900.00	697.08	202.92	970.00	785.99	184.01
10 दी.च.ब.अ.	*	*	*	*	*	*	4,000.00	2,713.49	1,286.51	2,500.00	2,496.60	3.40	2,500.00	1,849.14	650.86	2,680.00	677.62	2,002.38
द्वि.	9,280.00	6,526.60	2,753.40	8,086.00	7,437.95	648.05	13,650.00	11,458.24	2,191.76	18,640.00	18,386.94	253.06	20,190.00	18,475.83	1,714.17	12,360.00	9,695.20	2,664.80

* वित्तीय वर्ष 2010-12 से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

वृत्त 2-3-2
15 क्षेत्रों में कुल व्यय का विवरण
वृत्त 2-3-3-1 में दर्शाया गया है

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रारंभिक तिथि	कुल व्यय (₹)	प्रकार	अंतिम तिथि
1.	मुंडका	01.09.15	379.17	पी डी	21.09.15
2.	शफीपुर रनहोला	01.09.15	463.43	पी डी	17.09.15
3.	चन्दनपुर	19.08.15	589.82	पी डी	01.09.15
4.	निजामपुर	24.08.15	1,263.90	पी डी	01.09.15
5.	सलाहपुर माजरा	17.08.12	1,263.90	पी डी	उपलब्ध नहीं
6.	निजामपुर	19.08.15	1,306.03	पी डी	28.09.15
7.	बंकनेर	19.08.15	1,685.50	पी डी	09.09.15
8.	क्वादीपुर	29.07.15	1,727.33	पी डी	09.11.15
9.	हीरनकी	29.07.15	1,853.72	पी डी	09.11.15
10.	गरहीखुसरो	29.07.15	1,895.85	पी डी	09.11.15
11.	बक्करवाला	07.08.15	2,022.24	पी डी	01.09.15
12.	घेवरा	19.08.15	2,148.63	पी डी	01.09.15
13.	कुतुबगढ़	19.08.15	3,244.01	पी डी	01.09.15
14.	जाउन्ती	उपलब्ध नहीं	3,500.00	पी डी	उपलब्ध नहीं
15.	मदनपुर डबास	19.08.15	3,623.18	पी डी	01.09.15
	कुल		26,966.71		

वृत्त 2-3-3
15 क्षेत्रों के लिए धन व्यय
2-3-3-1 के अनुसार

₹ करोड़

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	व्यय का प्रकार	अनुमानित व्यय	व्यय	व्यय	आवृत्ति	व्यय	व्यय
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
1.	शास्त्री पार्क	दि.वि.प्रा.	1,000.00	28.27	20.39	20.05.2010	48.66	रिक्त
2.	सी.एस. / ओ.सी. एफ-2, सेक्टर-23	दि.वि.प्रा.	797.00	60.55	-	09.06.2015	60.55	रिक्त
3.	गांधी विहार	दि.वि.प्रा.	1,000.00	52.33	20.84	25.01.2011	73.17	रिक्त
4.	सेक्टर-4, रोहिणी विस्तार	दि.वि.प्रा.	1,000.00	76.02	15.03	19.06.2014	91.05	रिक्त
5.	ताहिरपुर	दि.वि.प्रा.	2,100.00	39.58	36.49	30.05.2011	76.07	रिक्त
6.	नारायणा विहार	दि.वि.प्रा.	2,700.00	205.26	08.94	05.09.2013	214.20	रिक्त
7.	बिंदापुर द्वारका	दि.वि.प्रा.	2,701.00	205.38	21.37	22.07.2013	226.75	रिक्त
8.	जे.जे.कालोनी, नांगलोई	दि.अ.से. इ.बो.	2,430.00	184.74	-	02.09.2015	184.74	रिक्त
9.	दरियापुर कलां	पी.डी.	1,685.20	34.86	-	05.07.2013	34.86	रिक्त
10.	नेब सराय	पी.डी.	430.00	07.43	03.69	01.06.2012	11.12	रिक्त
11.	कापसहेड़ा	पी.डी.	1,685.20	22.63	18.54	23.05.2014	41.17	रिक्त
12.	बापरोला गांव	पी.डी.	8,080.00	134.07	78.97	13.07.2007	213.04	रिक्त
13.	बामनोली	पी.डी.	14,400.00	300.10	36.42	21.01.2010	336.42	रिक्त
14.	झटीकरा	पी.डी.	6,951.00	47.57	0.12	30.09.2009	47.69	रिक्त
15.	मोलरबन्द	पी.डी.	3,632.24	27.10	67.31	28.06.2007	94.41	रिक्त
	योग		50,591.644	1,425.80	328.11		1,753.90	

व्युत्पन्न-2-3-4
एप्रिल 2016 तक विरक्याएलविक्रयों की संख्या
आंकड़ा 2-3-5-1 के संदर्भ में

क्र.सं.	विरक्या	लक्ष्य-रिपोर्ट	एम्प्लॉयमेंट	आय	विरक्या
1.	गुरु तेग बहादुर अस्पताल (डॉ.ए.में. व मा.बा.स्वा. ब्लॉक)	10 मेडिकल स्टाफ	01	09	90
		25 पैरा मेडिकल	04	21	84
2.	राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल	936 (मेडिकल/पैरा मेडिकल/तकनीकी/नर्स)	82 (75 संविदा/ बाह्य स्रोत)	854	91
3.	जनकपुरी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल	88 पैरा मेडिकल स्टाफ	9 नियमित 17 संविदा	62	70
		147 स्टाफ नर्स	10 नियमित 07 संविदा	130	88
		107 सी.रेजीडेंट/जू. रेजीडेंट	34 नियमित 32 नियमित	41	37
		29 तकनीकी स्टाफ	06	23	79
4.	दीप चन्द बंधु अस्पताल	121 मेडिकल स्टाफ	87	34	28
		117 नर्सिंग स्टाफ	100	17	15
		48 पैरा मेडिकल स्टाफ	34	14	29

व्युत्पन्न-2-3-5
विरक्याएलविक्रयों की संख्या
आंकड़ा 2-3-5-3 के संदर्भ में

क्र.सं.	वर्ष	यूनिट-एलविक्रयों की संख्या	यूनिट-एलविक्रयों की संख्या	एम्प्लॉयमेंट-एलविक्रयों की संख्या	एम्प्लॉयमेंट-एलविक्रयों की संख्या	एम्प्लॉयमेंट-एलविक्रयों की संख्या
1	2010-11	376	269	294	198	448
2	2011-12	271	289	280	243	477
3	2012-13	293	303	283	-	478
4	2013-14	323	287	306	220	464
5	2014-15	337	326	270	252	510
6	2015-16	370	334	277	248	586

vugXud 2-4-1
jkjk{ksl - fnYyh }kj k ykxwJe dkuwkdh l ph
1/2 jkjkQ 2-4-1 dks ns[k/2

cdkxh; rFk jkt; l j d kj lankula }kj k ykxwdkxh; v felfu; e|

1. चाइल्ड लेबर (प्रोहिबिशन एवं रेगुलेशन) अधिनियम, 1986
2. बिल्डिंग एंड अदर कनसट्रक्शन वर्करस (आर ई एंड सी एस) अधिनियम, 1996
3. कॉन्ट्रैक्ट लेबर (आर एंड ए) अधिनियम, 1970
4. इक्वल रिम्युनरेशन अधिनियम, 1976
5. इंडस्ट्रियल डिस्पुट अधिनियम, 1947
6. इंडस्ट्रियल एम्पलायमेंट (स्टैंडिंग ऑर्डर) अधिनियम, 1946
7. इंटर-स्टेट माइग्रेंट वर्कमेन (आर ई एंड सी एस) अधिनियम, 1979
8. लेबर लॉस (एक्सपेंशन फ्रॉम फर्निशिंग रिटर्नस एंड मेनटेनिंग रजिस्टर बॉच सरटेन एस्टेबलिशमेंटस) अधिनियम, 1988
9. मेटरनिटी बेनीफिट अधिनियम, 1961
10. मिनिमम वेजिस अधिनियम, 1948
11. पेमेंट ऑफ बोनस अधिनियम, 1965
12. पेमेंट ऑफ ग्रेचुअटी अधिनियम, 1972
13. पेमेंट ऑफ वेजिस अधिनियम, 1936
14. द सिने वर्करस एंड सिनेमा थियेटर वर्करस (रेगुलेशन ऑफ एम्पलॉयमेंट) अधिनियम, 1981
15. बिल्डिंग एंड अदर कनसट्रक्शन वर्करस सैस अधिनियम, 1996
16. दि अप्रेंटिस अधिनियम, 1961
17. द इंडियन बॉयलर्स अधिनियम, 1923
18. रेगुलेशन फॉर लाइसेंसिंग एंड कंट्रोलिंग प्लेस ऑफ एम्यूसमेंट एंड परफोरमेंस फॉर पब्लिक एम्यूसमेंट अधिनियम, 1980
19. इलैक्ट्रिसिटी अधिनियम, 2003
20. द बॉम्बे लिफ्टस अधिनियम, 1939
21. सिनेमाटोग्राफी अधिनियम, 1952

jkt; l j d kj }kj k ykxwdkxh; v felfu; e

1. फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948
2. ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926
3. वर्किंग जर्नेलिस्टस एंड अदर न्यूजपेपर्स, एम्पलॉइज (कंडीशनस ऑफ सर्विसिस) एंड मिसेलेनियस प्रोविजनस अधिनियम 1955
4. एम्प्लोयिस कंपनसेशन अधिनियम, 1923
5. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज (कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वेकसिनस) अधिनियम, 1959
6. द चिलड्रेन (प्लेजिंग ऑफ लेबर) अधिनियम, 1938
7. द बॉडिड लेबर सिस्टम (एबोलिशन) अधिनियम, 1976
8. अनरिकोग्नाइसड वर्करस सोशल सेक्योरिटी अधिनियम, 2008
9. द एम्प्लोयर्स लाइबिलिटी अधिनियम, 1938
10. द पर्सनल इनजरीज (कम्पनसेशन इश्योरेंस) अधिनियम, 1963
11. द पर्सनल इनजरीज (इमरजेंसी प्रोविजनस) अधिनियम, 1962
12. सेल्स प्रोमोशन एम्प्लोयिस (कंडीशन ऑफ सर्विस) अधिनियम, 1976
13. मोटर ट्रांसपोर्ट वर्करस अधिनियम, 1961
14. वीकली होलीडेस अधिनियम, 1942

fnYyh l j d kj }kj k ykxwU; v felfu; e| 1/2 Fkxh; v felfu; e 1/2

15. दिल्ली शॉपस एंड एस्टेबलिशमेंटस अधिनियम, 1954
16. बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड अधिनियम 1953 (1997 में दिल्ली में विस्तारित)
17. पंजाब इंडस्ट्रियल एस्टेबलिशमेंट (कैजुअल, सिक लीव एंड फेस्टीवल) अधिनियम, (1965 में दिल्ली में विस्तारित)

vugXud 2-4-2
vS kxd fookl d k o"l k o j C; k k 1/2011&16 1/2
1/4 S k x k Q 2-4-3-2 1/4 k 1/2 d k n s f k 1/2

o"lZ	uew k t k p fd, x, eylek dh l a	fui Vlu fd; s x, eylek dh l a	foQy eylek dh l d; k	ca fd, x; s eylek dh l a	Mh, y-l h vkn k ds ekeyst k i hr ugha gq dh l a
2011	139	53	62	24	0
2012	169	29	116	20	4
2013	184	35	121	26	2
2014	225	31	170	24	0
2015	208	38	136	33	1
2016	23	7	10	6	0
dy	948	193	615	133	7

vugXud 2-4-3
Je U; k ky; k vS kxd fV; wy d k fookl ds l nHZHt us eafoye
1/4 S k x k Q 2-4-3-3 1/4 k 1/2 d k n s f k 1/2

o"lZ	t k p i j h k k dsfy, p; fur fookl eylek dh l a	mu eylek dh l a ft u dh l nHZ l d; k fookl vnyr l e a mi y C k ugha F d	t k p i j h k k fd, x, eylek dh l a	fy; k x; k l e;			
				3 elg rd	3&6 elg rd	7&12 elg rd	12 elg l sv f e d
2011	62	-	62	49	5	1	-
2012	116	7	109	82	2	1	-
2013	121	14	107	85	6	1	1
2014	170	5	165	124	6	-	-
2015	136	16	120	105	2	3	-
2016	10	-	10	9	-	-	-
dy	615	42	573	454	21	6	1

vugXud 2-4-4
i zku fu; k k d k i a h d j . k , o a B d n k j d k t k j h y k b Z d
1/4 S k x k Q 2-4-4-1 d k n s f k 1/2

o"lZ	i k j a h d ' l k k		i hr u; seleys		dy		fui Vlu		y a cr		y a u dh i fr' k r r k	
	i a h d j . k	y k b Z d	i a h d j . k	y k b Z d	i a h d j . k	y k b Z d	i a h d j . k	y k b Z d	i a h d j . k	y k b Z d	i a h d j . k	y k b Z d
2011	12	13	57	167	69	180	45	158	24	22	35	12
2012	24	22	61	122	85	144	48	122	37	22	44	15
2013	37	22	76	220	113	242	63	196	50	46	44	19
2014	50	46	40	162	90	208	39	149	51	59	57	28
2015	51	51	70	193	121	243	64	192	57	60	47	25
2016	57	60	13	48	70	107	23	48	47	60	67	56
dy			317	912			282	865				

वृत्त 2-4-5
 उपरोक्त न्यूनतम वृत्त; 1948 से वर्ष के लिए
 वृत्त 2-4-5 के लिए

वर्ष	वृत्त 'क	वृत्त के लिए	वृत्त	वृत्त के लिए	वृत्त 'क	वृत्त के लिए %
2011	299	1,377	1,676	667	1,009	60
2012	1,009	1,006	2,015	847	1,168	58
2013	1,168	731	1,899	688	1,211	64
2014	1,211	926	2,137	657	1,480	69
2015	1,480	787	2,267	822	1,445	64
2016 (अप्रैल तक)	1,445	274	1,719	138	1,581	92
वृत्त		5,101		3,819		

वृत्त 2-4-6
 वृत्त के लिए #1 न्यूनतम; क, ख, ग, घ, ङ
 वृत्त 2-4-5 के लिए

वर्ष	वृत्त के लिए वृत्त के लिए	वृत्त के लिए; न्यूनतम				
		0 & 250	251 & 500	500 & 1000	1000 & 1500	1501 से वृत्त
2011	16	5	4	4	1	2
2012	29	14	3	6	5	1
2013	25	4	3	10	8	-
2014	40	11	9	20	-	-
2015	36	18	18	-	-	-
2016 (अप्रैल)	11	11	-	-	-	-
वृत्त	157	63	37	40	14	3

वृत्त 2-4-7
 वृत्त के लिए; वृत्त
 वृत्त 2-4-5 के लिए

वर्ष	वृत्त के लिए, ख, वृत्त के लिए	वृत्त के लिए; वृत्त के लिए वृत्त के लिए; वृत्त के लिए	वृत्त के लिए; वृत्त के लिए वृत्त के लिए; वृत्त के लिए
2011	3,688	1,088	170
2012	3,031	977	189
2013	3,206	886	156
2014	3,018	925	475
2015	3,430	556	864
वृत्त	16,373	4,432	1,854

वृत्त 2-4-8
संस्था; } कर्म, x, फुलक कर्मक कर्मक कर्मक कर्मक
1/2 2-4-7-2 कर्मक

वर्ष	संस्था कर्मक			कर्म, x, फुलक कर्मक			कर्म, x, फुलक कर्मक		
	कर्म	कर्मक	कर्मक	कर्म	कर्मक	कर्मक	कर्म	कर्मक	कर्मक
2011	8,299	326	8,625	1,669	161	1,830	20	49	21
2012	8,384	343	8,727	2,010	157	2,167	24	46	25
2013	8,683	366	9,049	1,592	183	1,775	18	50	20
2014	8,890	357	9,247	928	177	1,105	10	50	12
2015	9,011	386	9,397	891	145	1,036	10	38	11

वृत्त 2-4-9
कर्मक कर्मक कर्मक कर्मक कर्मक कर्मक कर्मक
1/2 2-4-7-2 कर्मक

वर्ष	कर्मक कर्मक	कर्मक कर्मक	कर्म, x, फुलक कर्मक	कर्मक कर्मक	कर्मक कर्मक
2011	514	208	1,830	1,108	60.55
2012	487	338	2,167	1,342	61.93
2013	506	264	1,775	1,005	56.62
2014	506	187	1,105	412	37.29
2015	313	119	1,036	604	58.30
कर्मक	2,326	1,116	7,913	4,471	56.50

वृत्त 2-4-10
कर्मक कर्मक कर्मक कर्मक कर्मक कर्मक कर्मक
1/2 2-4-7-3 कर्मक

वर्ष	कर्मक	कर्मक कर्मक	कर्मक कर्मक
अधिभोक्ताओं ने विगत वर्षों में आवेदन दिये लेकिन संवीक्षा की अवधि के दौरान (2011-15) नए आवेदन के आधार पर दिए गए लाइसेंस	09	05	603
2011	21	11	371
2012	18	03	140
2013	21	05	320
2014	15	03	181
2015	09	02	80
2016	02	-	
कर्मक	95	29	

वृत्त 2-4-11
मिडिजि के डीके एल ए.के.
वृत्त 2-4-8 वृत्त के संकेत

क्र.सं.	वृत्त	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का पता
1	उत्तर पश्चिम	मै. नेगोलाईस इंडिया लिमिटेड (एम 2 के)	36,16,588
2	उत्तर पश्चिम	मै. ब्रिलिएन्ट बिल्डिंग (पी) लिमिटेड	5,52,625
3	उत्तर पश्चिम	मै. यूनिटि बिल्डिंग (पी) लिमिटेड	2,35,666
4	उत्तर पश्चिम	मै. पी जी एफ लिमिटेड	15,52,784
5	उत्तर पश्चिम	मै. सेवेन सीज हास्पीटैलिटी (पी) लिमिटेड	27,452
6	उत्तर पश्चिम	मै. जैक्सन डेवलपर्स (पी) लिमिटेड	26,87,792
7	पश्चिम	मै. रिलायन्स प्रोडिफिक कमर्शियल (पी) लिमिटेड	2,86,522
8	दक्षिण	मै. डी एल एफ यूनिवर्सल	11,21,107
		कुल	1,00,80,536

वृत्त-3-2
 वि.सं. क्र. 3-3-1-2-1/2 दि.सं. क्र. 1/2

क्र. सं.	विवरण	पं. सं.	वृत्त-3-2	वृत्त-3-2	वृत्त-3-2
1	उद्योग	2	3,056	147	2,909
2	पर्यटन	4	526	466	60
3	रजिस्ट्रार (सहकारी समितियाँ)	4	2,711	1,975	736
4	वजन और माप	6	615	67	548
5	खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले (रोहिणी और बादली सर्कल)	3	17,390	589	16,801
6	राजस्व* (3 जिला, 6 सब-डिवीजन)	6	3,35,573	3,22,862	12,711
	कुल	25	3,59,871	3,26,106	33,765

* रोहिणी सब-डिवीजन के आंकड़े, राजस्व विभाग का उत्तर-पश्चिमी जिले के आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं।

Ø- l a	foHkx	l ok dk ulē	vuqR le; ½nukē½	b&, l -, y-, - ij ilā-r ekeys	foyaꣳr ekeys	vfeḁre foyaꣳr ½nukē½	{friE ykr* ½ e½
5	खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	राशन कार्ड में सदस्यों की बढ़ोतरी	12	26,277	3,348	129	1,86,250
		राशन कार्ड की अनुलिपि जारी किया जाना	12	2,449	308	113	18,830
		दिल्ली के अंतर्गत राशन कार्ड का स्थानांतरण	45	3,914	354	114	45,750
		mi t kM-		32,640	4,010		2,50,830
6	राजस्व	जन्म आदेश देरी से जारी किया जाना	30	1,38,996	36,126	638	39,36,470
		मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाना	21	98,434	36,471	694	36,68,780
		आय प्रमाणपत्र जारी किया जाना	21	4,06,263	1,31,189	580	1,13,89,310
		जाति प्रमाणपत्र (अ.पि.व.) जारी किया जाना	60	3,58,166	76,916	609	80,72,250
		जाति प्रमाणपत्र (अ.जा./अ.ज.जा.) जारी किया जाना	60	3,48,881	92,204	620	97,78,990
		विवाह का पंजीकरण	7	10,432	3,151	797	5,86,180
		mi t kM-		13,61,172	3,76,057		3,74,31,980
		dy mi t kM-		13,96,463	3,81,472		3,78,79,810

*श्रुतिपूर्ति लागत ई-एस.एल.ए. प्रणाली द्वारा परिकल्पित विलंब पर आधारित ₹ 10 प्रतिदिन के हिसाब से गणना की गई, अधिकतम ₹ 200 प्रति आवेदन जैसा अधिनियम के सेक्शन 7 में अनुबंधित है।

वृत्त 3-7-1
 कृषि क्षेत्र
 3-7-2-2 दस नवंबर

₹ करोड़

क्र. सं.	विवरण	म. 1-वर्षीय ला	एक	वृषु ds वृषु nj	म. 1-वर्षीय वृषु nj	नजावात	म. 1-वर्षीय वृषु nj	वृषु ykr ds वृषु jkr	c<h ghpZvufur ykr
1	2.1 (क)	4.5.10	7,934 घ.मी.	2,370.85	1,289.15	1,081.70	1,02,28,116	1,88,10,324	85,82,208
जसुवृषु 1 हेवृ दलुवृ									
2	3.1 (क)	5.42	34,209 घ.मी.	4,479.30	2,284.05	2,195.25	7,81,35,066	1,53,23,2374	7,50,97,308
3	3.2 (i)	5.42.2.2	20,834 घ.मी.	4,556.30	2,518.25	2,038.05	5,24,65,221	9,49,25,954	4,24,60,733
4	3.2 (ii)	5.42.2.1	24,665 घ.मी.	4,485.80	2,411.40	2,411.40	5,94,77,181	11,06,42,257	5,11,65,076
5	3.6 (क)	5.29.7	79,85,913 कि.ग्रा.	42.65	21.85	20.80	17,44,92,199	34,05,99,189	16,61,06,990
बवृ दलु									
6	4.1 (क)	6.2.4	934 घ.मी.	3,117.35	1,340.65	1,776.70	12,52,167	29,11,605	16,59,438
7	4.2 (क)	6.46.14	6,700 घ.मी.	2,345.25	1,488.10	857.15	99,70,270	1,57,13,175	57,42,905
लवृ दलु									
8	7.5 (क)	10.32.2	8,30,015 कि.ग्रा.	53.60	29.15	24.45	2,41,94,937	4,44,88,804	2,02,93,867
वृषु x									
9	8.3	11.73	23,459 वर्ग मी.	541.65	373.30	168.35	87,57,244	1,27,06,567	39,49,323
10	8.4	11.74	7,638 वर्ग मी.	632.45	478.90	153.55	36,57,838	48,30,653	11,72,815
11	8.6	11.48	49,355 वर्ग मी.	672.45	493.10	179.35	2,43,36,950	3,31,88,770	8,85,18,120
12	8.7	11.49	4,360 वर्ग मी.	702.20	503	199.20	21,93,080	30,61,592	8,68,512
कुल									
13	10.9 (क)	13.79 क1	1,25,935 वर्ग मी.	86.35	80	6.35	1,00,74,800	1,08,74,487	7,99,687
						द्व	45,92,35,069	84,59,85,751	38,67,50,682

vugXud&3-7-2
vfrfj ä dk Zdk vfu; fer l eko's ku
¼§kxkQ 3-7-3-5 dks nsf k½

₹ djM-eak

Ø-l a	dk Zdk ule vls dj kj l a	fØ; kUbr dk Zdh iz-fr	l {le i {leclkj h ft l us vuqksnu i nku fd; k	l {le i {leclkj h ft l l svuqksnu i klr fd; k t k xk	fØ; kUbr dk Zdh ek=k	fVli f. k ka
1	राउज एवेन्वू डी डी यू मार्ग, पर नई दिल्ली जिला न्यायालय परिसर का निर्माण एस. एच: डी.जी सेटों की एस.आई.टी.सी. (बी-142)	यू पी टी एल ए एन केबल की आपूर्ति और आरेखन	प्रमुख परियोजना प्रबंधक	ए डी जी का पूर्व अनुमोदन	0.41	डी जी सेटों की एस आई टी सी से संबंधित मुख्य कार्य जबकि यूपीटीएलएएन केबल की आपूर्ति एवं आरेखन की अतिरिक्त मद मुख्य कार्य से संबंधित नहीं है फिर भी उसे अतिरिक्त कार्य के रूप में क्रियान्वित किया था।
2	सी/ओ मंडोली में हाउसिंग सहित जेल परिसर एसएच: बाह्य विकास एवं विविध संयुक्त कार्य (बी-122)	सीवेज शोधन संयंत्र का निर्माण	प्रमुख परियोजना प्रबंधक	ए डी जी का पूर्व अनुमोदन	0.69	कार्य की मात्राओं में विचलन इन कारणों के साथ किया गया कि दिसम्बर 2014 में जेल परिसर, जेल प्राधिकारियों को सौंपने के लिए निर्धारित था एवं कार्य की आवश्यकता के आधार पर उसी एजेंसी के माध्यम से कार्य किया गया था। आवश्यकता का तर्क स्पष्ट नहीं था क्योंकि मूल कार्य 226 दिन की देरी के साथ वास्तविक रूप से पूरा कर लिया गया था। (13.8.2014 से 26.3.2015)
3	जिला न्यायालय, रोहिणी, दिल्ली में वकीलों के कक्षों का निर्माण एसएच: आंतरिक विद्युत आयोजन सहित सि. विल कार्य (बी-131)	पहुंच मार्ग एवं अन्य संबंधित मार्ग	चीफ इंजीनियर	डी जी का पूर्व अनुमोदन	1.66	अतिरिक्त कार्य विचलन/ इन अतिरिक्त कारणों के साथ किया गया कि 30.6. 2012 को वकीलों के कक्ष की इमारत सौंपा जाना था तथा आवश्यकता के आधार पर मौजूदा ठेकेदार के माध्यम से पहुंच मार्ग प्रदान करने का कार्य तथा अन्य संबंधित कार्यों को क्रियान्वित किया गया था तथा इमारत को सौंपने के कारण कार्य की समाप्ति में विभाग का तात्कालिकता का तर्क स्पष्ट नहीं था क्योंकि इमारतें समाप्ति के 441 दिनों के बाद सौंपा गया था। (16.11.2012 से 30.01.2014)
4	सी/ओ मंडोली में हाउसिंग सहित जेल परिसर एसएच: जेल परिसर के लिए इंटेलेजेंट फायर अलार्म सिस्टम व पी ए सिस्टम (बी-142)	साइनेज कार्य	अधीक्षण इंजीनियर	ए डी जी का पूर्व अनुमोदन	0.35	रिकार्डों से यह पाया गया था कि इन कारणों के साथ 'साइनेज' का अतिरिक्त कार्य विद्यमान ठेकेदार को सौंपा गया इस आधार पर कि प्रवेश/निकास निर्देश चिह्न के लिए फायर ऑथोरिटी से स्पष्टीकरण प्राप्त करना आवश्यक है। कार्य की समाप्ति में विभाग का तात्कालिकता का तर्क स्पष्ट नहीं था क्योंकि कार्य वर्तमान तिथि तक समाप्त नहीं किया गया था (अगस्त-2016)
				dg	3-11	

वृत्त 3-7-3
दक्षिण क्षेत्र
3-7-4 दक्षिण

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	समाप्त तिथि	विवरण
1	विकासपुरी से मीरा बाग (एफ-131) के बीच कॉरीडोर का व्यापक विकास (आउटर रिंग रोड)	22.2.2013/ 21.2.2015	31.5.2016 तक समाप्त नहीं किया गया (464 दिन)	विभाग सहमत था कि निविदा स्पष्ट कार्य स्थल की उपलब्धता, निधियों एवं स्थानीय निकायों के अनुमोदन के पश्चात बुलाना चाहिए, लेकिन वास्तविक रूप से यह संभव नहीं है। क्लाइंट की विभिन्न आवश्यकताओं और स्थल अवस्थाओं के कारण जमीनी सतह के नीचे बिछाए गए सेवाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करना कठिन है क्योंकि सेवाप्रदाता का वास्तविक लेआउट मौजूद नहीं है। ये सेवाएं केवल उत्खनन के बाद दिखाई देगा।
2	मंगोलपुरी से मधुबन चौक (एफ-132) के बीच कॉरीडोर का व्यापक विकास (आउटर रिंग रोड)	10.4.2013/ 9.4.2015	31.5.2016 तक समाप्त नहीं किया गया (417 दिन)	
3	मधुबन चौक से मुकरबा चौक (एफ-133) के बीच कॉरीडोर का व्यापक विकास (आउटर रिंग रोड)	10.4.2013/ 9.4.2015	31.5.2016 तक समाप्त नहीं किया गया (417 दिन)	
4	मुकरबा चौक से वजीराबाद (एफ-134) के बीच कॉरीडोर का व्यापक विकास (आउटर रिंग रोड)	21.5.2013/ 20.5.2015	31.5.2016 तक समाप्त नहीं किया गया (376 दिन)	
5	सी/ओ बारापुलाह नाला से शुरू करके सराय काले खां से अरबिन्दो मार्ग आई एन ए मार्केट के पास, नई दिल्ली (फेज-111) (एफ-123) तक एलीवेटेड रोड	23.2.2013/ 22.2.2015	30.6.2016 तक समाप्त नहीं किया गया (493 दिन)	डिजाइन में बदलाव, आरेखनों को जारी करने में देरी, व.स.ई.स., दि.ट्रा.लि., दि.ज.बो. द्वारा उपयोगिताओं के स्थानान्तरण के कारण देरी हुई थी तथा एसडीएमसी द्वारा मानसून के दौरान नाले में कार्य की अनुमति नहीं दी गई।
6	पटेल रोड, नई दिल्ली (एफ-122) में सड़क ओवरब्रीज की मरम्मत और पुनर्वास तथा मजबूती करना	4.7.2015/ 30.11.2015	31.5.2016 तक समाप्त नहीं किया गया (182 दिन)	रेलवे से अनुमति की प्राप्ति जिसमें रेल यातायात की रुकावट शामिल थी की प्राप्ति में देरी के कारण, यद्यपि लो.नि.वि. ने सख्ती अपनाई।
7	दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज (बी-132) का निर्माण	13.2.2013/ 12.2.2015	30.6.2016 तक समाप्त नहीं किया गया (504 दिन)	विभाग ने कहा कि अस्थाई समाप्ति रिकार्ड किया गया था। सक्षम अधिकारी से अंतिम समाप्ति प्राप्त करने के लिए मामला प्रगति में है। देरी के लिए कोई विशिष्ट कारण प्रस्तुत नहीं किए गए।

Ø- l a	dk Zdk ule	vkjk vkš l ekfr dh fuèkfr frfk	l efr dh okLrfod frfk ½nj h/2	foHkx dk mYkj
8	पी एस पी क्षेत्र-IV, सेक्टर 16, रोहिणी (बी-133) में शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज का निर्माण	8.10.2014/ 7.8.2016	31.08.2016 तक समाप्त नहीं किया गया (24 दिन)	समय पर ड्राईंग्स की गैर उपलब्धता के कारण देरी हुई थी।
9	न्यायिक कर्मचारियों के लिए द्वारका सेक्टर-19, में आवासीय परिसरों का निर्माण (बी-131)	8.10.2014/ 7.4.2016	30.6.2016 तक समाप्त नहीं किया गया (84 दिन)	ड्राईंग्स के अनुमोदन में देरी, क्लार्क द्वारा निर्णय लेने तथा दिल्ली अग्निशमन सेवा से अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्राप्ति में देरी के कारण कार्य देर से हुआ था।
10	मंडोली, दिल्ली में जेल परिसर का निर्माण एसएच: अग्निशमन प्रणाली प्रदान करना (बी-142)	1.4.14/ 27.9.14	31.7.2016 तक समाप्त नहीं किया गया (671 दिन)	उत्तर में कार्य की गैर-समाप्ति के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे।
11	मंडोली, दिल्ली में जेल परिसर का निर्माण, एसएच: एलएएन (डाटा) प्रणाली की एस आई टी सी (बी-142)	13.7.14/ 9.11.14	31.07.2016 तक समाप्त नहीं किया गया (629 दिन)	उत्तर में कार्य की गैर-समाप्ति के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे।
12	मंडोली, दिल्ली में जेल परिसर का निर्माण एसएच: सीसीटीवी प्रणाली और संयुक्त उपकरणों की एसआईटीसी (बी-142)	24.7.14/ 19.1.15	30.6.2016 तक समाप्त नहीं किया गया (527 दिन)	उत्तर में कार्य की गैर-समाप्ति के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे।
13	सी/ओ जेल परिसर एसएच:एसटीपी की एसआईसी (बी-122)	19.3.2014/ 17.6.2014	30.6.2016 तक समाप्त नहीं किया गया (743 दिन)	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
14	सी/ओ सेक्टर 19, रोहिणी में एन सी सी भवन (बी-122)	3.12.2014/ 2.3.2016	30.6.2016 तक समाप्त नहीं किया गया (120 दिन)	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
15	बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली में मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान के फेज- II का निर्माण (बी-234)	29.9.2014/ 28.5.2016	31.8.2016 तक समाप्त नहीं किया गया (95 दिन)	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
16	सी/ओ मंडोली में हाउसिंग सहित जेल परिसर एसएच: बाह्य विकास और विविध संबंधित कार्य (बी-122)	13.6.2013/ 12.2.2014	27.3.2015 को कार्य पुरा हो गया (408 दिन)	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
17	प्रेमबाड़ी पुल से आजादपुर के बीच कोरीडोर (रिंग रोड) का व्यापक विकास (एफ-111)	4.4.2013/ 3.4.2015	25.1.2016 को कार्य पुरा हो गया (297 दिन)	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
18	मंडोली, दिल्ली में हाउसिंग सहित जेल परिसर का निर्माण एसएच: विनियमित पर्यावरण इमारतें (बी-121)	20.5.2008/ 19.11.2010	31.3.2016 को कार्य पुरा हो गया (1,957 दिन)	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

Ø- l a	dk Zdk ule	vjk vj l efr dh fuellj r frfk	l efr dh okrfod frfk ½j h½	foHx dk mllj
19	सी/ओ डिपसार पुष्पविहार (बी-121) में अकादमिक ब्लॉक	1.6.2014/ 30.9.2015	18.1.2016 को कार्य पुरा हो गया (110 दिन)	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
20	जिला न्यायालय, रोहिणी में वकीलों के कक्ष का निर्माण (बी-131)	22.10.2008/ 21.1.2011	15.11.2012 को कार्य पुरा हो गया (663 दिन)	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
21	ताहिरपुर, दिल्ली में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, मुख्य इमारत के साथ प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण (बी.122)	11.1.2002/ 10.1.2004	30.9.2009 को कार्य पुरा हो गया (2,088 दिन)	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

Ø- l a	i§k ua	ys¼kkijhkk vH ðä ; la	fVli f. k la
¼kk½l hl lvks vkkjr ys¼kkijhkk			
1	4.2.8.2	ग.रे.नी. श्रेणी के लिए गेहूं और चावल के खुदरा मूल्य में अनियमित बढ़ोत्तरी।	नए अधिनियम के अनुसार ग.रे.नी. कार्ड का कोई प्रावधान नहीं है।
2	4.2.9.1(ख)	विभिन्न श्रेणियों में विद्यमान लाभार्थियों की संख्या के संबंध में डाटाबेस की अनियमितता को बताया गया।	रा.खा.सु. अधिनियम के अनुसार दिल्ली के रा.खा.सु. पोर्टल पर सार्वजनिक डोमेन में माह-वार एवं आवंटन-वार लाभार्थियों का ब्यौरा उपलब्ध है।
3.	4.2.9.2	लाभार्थियों के संबंध में आंकड़ों का अद्यतन न किया जाना। (क) प्रत्येक वर्ष ग.रे.नी. और अं.अ.यो. कार्डों की समीक्षा के संबंध में सा.वि.प्र. (नियंत्रण) आदेश, 2001, के प्रावधान का पालन न करना। (ख) लाभार्थियों की पात्रता का सत्यापन और आय के आधार पर उनकी वर्तमान श्रेणी।	रा.खा.सु. अधिनियम के अंतर्गत, वार्षिक समीक्षा या कार्ड धारकों की श्रेणियों के सत्यापन के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
4	4.2.10.2(ख)	अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों को उठाना और आवंटन।	रा.खा.सु. अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद अन्नपूर्णा योजना को समाप्त कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत ₹ 53.86 लाख की अव्ययित राशि को अगस्त 2013 में रा.रा.क्षे.दि.स. को वापिस कर दिया गया है।
5	4.2.12.5	उ.द.दु. धारकों को मार्जिन राशि का गैर पुनर्भुगतान: विभाग ने उ.द.दु. धारकों के लिए मार्जिन राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की थी।	28 जनवरी 2015 के आदेश के अनुसार मार्च 2015 से अपना मार्जिन कम करने के बाद उ.द.दु. मालिकों ने दि.रा.ना.आ.नि. को नि.खा.व. की कीमत जमा की। उ.द.दु. धारकों के लिए मार्जिन राशि से संबंधित सभी पूर्व बकाया राशि के भुगतान को मंजूरी दे दी गई थी।